राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या : 7

सोमवार,

21 फरवरी, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु कार्य-योजना

94. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य सरकार की क्या कार्य-योजना है ?

(2) राज्य में 500 की आबादी वाले गांवो को अब कब तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी नहीं।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगनानुसार 500 से अधिक की आबादी के सभी गांवों को वर्ष 2007 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना जाना प्रस्तावित है।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू है तो यह बतायें कृपया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र से कितनी राशि अपेक्षित थी व कितनी राशि मिली।

(श्री मदन राठौड़)

इस योजना के तहत गत एक वर्ष में कितने गांव जोड़े गये व कितने किलोमीटर सड़क योजना निर्माण किया ? उस पर कितनी राशि खर्च की गयी ?

तीसरे चरण की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं मगर काम में कोई प्रगति नहीं हुई, इसके क्या कारण रहे ?

चौथे चरण की भी स्वीकृतियां आप जारी कर रहे हैं जबकि तीसरे चरण की स्वीकृति भी पूर्ण नहीं की जा रही है तो व्यर्थ में झूठी तसल्ली क्यों दी जा रही है ?

राजस्थान में इस योजना के आधे काम ही प्रारम्भ किये जब कि आधे काम तो अभी प्रारम्भ ही नहीं कर पाये, क्या कारण रहे हैं ?

कितने पंचायत मुख्यालय अभी तक नहीं जुड़ पाये हैं। एक हजार की आबादी वाले कितने ग्राम शेष हैं और पांच सौ की आबादी वाले कितने गांव 2005-06 में आप जोड़े देंगे ? शेष कब तक जोड़े जा सकेंगे ? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जनवरी, 2005 तक पूरे प्रदेश में 2711 गांवों को जोड़ा गया है और इसके अन्तर्गत 9405 किलोमीटर सड़क बनी है, 1048 करोड़ रुपये इस पर व्यय हुये हैं।

आपने पूछा कि विगत एक साल में आपने कितने गांवों को जोड़ा ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछले एक वर्ष दो महीने में 1793 गांव जुड़े हैं और 5637 किलोमीटर सड़क बनी है।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि तीसरे फेज के अन्तर्गत काम पूरे नहीं हुये और चतुर्थ चरण को आपने हाथ में क्यों लिया ? अध्यक्ष महोदय, जो थर्ड फेज था उसमें स्वीकृत लम्बाई थी 5018 किलोमीटर थी उसमें से 4935 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो गयी है और इसी के अन्दर जो हमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राशि प्राप्त होनी चाहिए थी, जो स्वीकृति केन्द्र सरकार से हमें मिली है वह थी 679 करोड़। जो हमें प्राप्त हुई है वह 421 करोड़। इस तरह 258 करोड़ की राशि अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के अन्दर भारत सरकार के पास लम्बित है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह राशि हालांकि भारत सरकार के पास लम्बित हैं परन्तु फिर भी जो अपेक्षित, आप अगर देखें तो हम अपने लक्ष्य के काफी नजदीक है और आपने जो चतुर्थ फेज की बात कही है, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना में चतुर्थ फेज जो है इसके अन्दर कुछ तो हमें भारत सरकार से रेगुलर ग्रान्ट है और कुछ वर्ल्ड बैंक से है। वर्ल्ड बैंक से 660 गांवों की स्वीकृति हमें मिली है। इसके अन्तर्गत हमें 2261 किलोमीटर सड़क बनानी थी। वर्ल्ड बैंक के अन्दर इसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर हमने दे दिया है। इनकी एक इनडिपेन्डेन्ट कन्सलटेन्सी है। इनके पास मूल्यांकन के लिए सारा प्रोजेक्ट पड़ा है। वहां से निकलने के पश्चात भारत सरकार से ज्योंहि स्वीकृति प्राप्त होगी, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह जो आप कह रहे हैं कि आपने कुछ सड़कों का निर्माण चतुर्थ फेज में प्रारम्भ कर दिया, कुछ रह गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें दो चरण हैं। एक चरण रैगुलर का है, एक चरण वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में निश्चित तौर पर अभी हम काम को प्रारम्भ नहीं कर पाये हैं परन्तु उम्मीद करते हैं माह फरवरी तक यह सारी स्वीकृतियां, सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके हम काम को हाथ में लेकर निश्चित तौर पर पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि कितने पंचायत मुख्यालय अभी तक नहीं जुड़ पाये हैं। यह प्रश्न भी मेरा था कि एक हजार की आबादी वाले कितने गांव शेष हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, यह नहीं बताया आपने।

श्री मदन राठौड़ : पांच सौ की आबादी के कितने गांव 2005-06 तक जोड़ देंगे, यह तीनों अभी अधूरे हैं। इसके अलावा आपने पिछले सत्र में भी घोषणा की थी...

श्री अध्यक्ष : इन तीन का जवाब तो आ जाने दीजिए आप। इम्पोर्टेंट है वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 303 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो आज भी किसी भी योजना में सड़क से नहीं जुड़ी हैं। हमने इनका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा है। 188 करोड़ का इसमें व्यय होगा और पूरा प्रयास है कि स्वीकृति मिलने के पश्चात इस काम को हम हाथ में लें। एक हजार से अधिक की आबादी के बत्तीस गांव ऐसे हैं जिनको अब तक सड़क से नहीं जोड़ा है। यह वह गांव हैं जहां या तो सड़क मंजूर होने के बाद रास्ते को लेकर विवाद हो गया, अदालत में स्थगन हो गया या इसमें से कुछ गांव ऐसे भी हैं जो डूब के अन्दर से जा रहे हैं। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो वन विभाग की भूमि से निकल रहे हैं। वन विभाग से हमें स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण इन गांवों को हम सड़क से नहीं जोड़ पाए। अध्यक्ष महोदय, एक गांव तो ऐसा भी है जिसको बाद में रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया। आबादी एक हजार की थी पर जिस वक्त यह स्वीकृतियां जारी हो रही थीं उस वक्त यह रेवेन्यू विलेज नहीं था, बाद में रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया। इस कारण से नहीं जुड़ पाया। दो गांव ऐसे हैं जिनमें पुल निर्माण साथ में होना है, जब स्वीकृति के लिए गया तो पुल निर्माण की राशि सम्मिलित नहीं की गयी, अब उसको रिवाइज करके भेजने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि यह भी जुड़ जाए।

श्री मदन राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी अभी बाकी है... (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा : मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।...

श्री अध्यक्ष : अभी मूल प्रश्नकर्ता का बाकी है....

श्री मदन राठौड़ : आप 2005-06 में पांच सौ की आबादी के कितने गांव जोड़ देंगे...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा : डब्ल्यू.बी.एम. जो रोड़ बनी हुई है, जिन गांवों की आबादी एक हजार से ज्यादा है वह गांव कब तक जोड़ दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो डब्ल्यू.बी.एम. बनी है, जिन गांवों की आबादी एक हजार से ज्यादा है उन गांवों को कब तक जोड़ने का विचार रखते हैं ?

श्री मदन राठौड़ : मेरा अभी बाकी है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.बी.एम. से जिन गांवों की आबादी एक हजार से ज्यादा है इनमें दो चरण हैं। एक तो वह गांव है जिनमें सावर्जनिक निर्माण विभाग ने डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क अलग-अलग योजना में बना दी। कुछ गांव इसमें ऐसे भी हैं जिनमें अकाल राहत के काम प्रारम्भ हुए थे। एक हजार की आबादी के वह गांव जिनकी सड़क का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने किया है, चाहे किसी योजना में किया है उनको सबको लैपटाप से बी.टी. से जोडने के लिए हमने स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। इसके अलावा 2450 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो डब्ल्यू.बी.एम. बन गयी और जो वर्षों से बनी हुई है परन्तु उन पर आज तक पूरा डामरीकरण का काम नहीं होने के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। उनको दो चरणों में हमने हाथ में लिया है। पहले चरण की स्वीकृतियां जारी हो गयीं, टेण्डर हो गये, दिसम्बर से काम प्रारम्भ हो गया। दूसरे चरण में हमने नाबार्ड में पूरी योजना बनाकर भेज रखी है और मैं समझता हूं मार्च के अन्त तक हमें इसकी स्वीकृति मिल जायेगी। निश्चित तौर पर उस काम को हाथ में लेकर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन...(व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भरत सिंह...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : एक पूरक प्रश्न है। अब मेरा निवेदन यह है माननीय मंत्री महोदय से कि जो 32 गांव आपने बताये हैं, उन 32 गांवों की आप सदन को जानकारी देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है...(व्यवधान) आपका ही प्रश्न नहीं है, प्रश्न और भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। आपका अकेले का ही प्रश्न नहीं है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। अब मैं अलाउ नहीं करूंगी।

सांगोद (कोटा) महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का रिक्त पद

95. **श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)** : (श्री भरत सिंह, दीगोद के स्थान पर)

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में वर्तमान में चिकित्सकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? तथा सरकार इनको कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) सांगोद में महिला चिकित्सक (गाइनोलोजिस्ट) का पद कितने समय से रिक्त है ? क्या यह सही है कि समय-समय पर उक्त पद को भरने हेतु उच्च स्तर पर पत्र लिखकर मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद में चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त होने के बाद भी सुल्तानपुर से महिला चिकित्सक श्रीमती सरोज गुप्ता को कोटा में प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा उन्होंने वहां कितने समय कार्य किया ?

श्री अध्यक्ष : आसन का काम कर लेते हैं आप कई बार।

श्री हरिमोहन शर्मा : पंचायत राज का बिल ही घनश्यामजी रख रहे हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, उनको कहना चाहिए आपकी अनुमति से, वह उन्होंने नहीं कहा है। मैंने याद दिलाया है। आसन का काम मैंने नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : अनुमति तो पहले ही ले ली अध्यक्षजी से।

श्री हरिमोहन शर्मा : पंचायत राज संशोधन घनश्यामजी रख रहे हैं। आपको याद है कि नहीं है...(व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सोच रहा था, भरतसिंहजी होंगे, पर मुझे पता नहीं था कि हरिमोहनजी, भरत सिंहजी के रूप में आप यहां पर उपस्थित हैं।

खण्ड (1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में वर्तमान में चिकित्सकों के पांच पद रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों में, कनिष्ठ विशेषज्ञों के दो एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के एक रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक यथा शीघ्र आयोजित कराने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी के दो रिक्त पदों को भरने के लिये लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो गये हैं एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

खण्ड (2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, सांगोद में स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद दिसम्बर, 2000 से रिक्त है।

श्री अध्यक्ष : 2000 से रिक्त है।

डा. दिगम्बर सिंह : जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, सांगोद में स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के रिक्त पद पर डा. रेणु सेतिया कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का दिनांक 23-12-2003 को पदस्थापन किया गया था परन्तु उनके द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया। जिस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खण्ड (3) डा. सरोज गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी को सेटेलाइट अस्पताल, रामपुरा, कोटा की आवश्यकता पर डे-साइट ड्यूटी करने हेतु लगाया गया था जिन्होंने दिनांक 24-08-2004 से 20-11-2004 तक कार्य सम्पादित किया।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता...(व्यवधान) मूल ने अथोरिटी दी है।

श्री हरिमोहन शर्मा : दीगोद में वर्तमान पी.एच.सी में जो चिकित्सक आपको चयनित होकर उपलब्ध हो गये, किस तारीख तक, आप तारीख या महीना बता दें कि कब तक इस पी.एच.सी. में आप नियुक्त कर देंगे। नम्बर-दो, 23-12-2003 तक इन चिकित्सकों ने ड्यूटी जोइन नहीं की और आज फरवरी, 2005 है। इस पूरे डेढ साल में उस चिकित्सक के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। दूसरा, जो सुल्तानपुर के चिकित्सक को आपन प्रतिनियुक्ति पर कोटा शहर में लगाया था, क्या आपकी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र के बजाय शहरों में अधिक है और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करने का इस सरकार ने कोई फैसला कर लिया है।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में खण्ड-61 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पी.एच.सी. को आदर्श पी.एच.सी. बनाने का निर्णय लिया है। जो आदर्श पी.एच.सी. बनाने का निर्णय लिया, क्या उसमें यह सांगोद वाली पी.एच.सी. को आप नहीं मानते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर.पी.एस.सी. से सलेक्टेड 340 चिकित्साधिकारी हमें अभी मिल गये हैं और उनमें से करीब 160-170 चिकित्सकों के पुलिस वैरीफिकेशन होकर आ गये हैं। जिनकी पोस्टिंग हम मेरे ख्याल से आगे आने वाले सप्ताह में ही कर देंगे और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आपकी यह वेकेन्सी चिकित्साधिकारी की हम भर देंगे।

दूसरा जो आपने प्रश्न किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. गुप्ता के ज्वाइन नहीं करने के लिए, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : गुप्ता का नहीं है। आप कन्फ्यूज कर रहे है। यह हैं डा. रेणु सेतिया का। गुप्ता तो तीसरे नम्बर पर है।

डा. दिगम्बर सिंह : रेणु सेतिया को पहले ए.पी.ओ. किया गया था। उसके बाद यहां पदस्थापित किया और उसके बाद भी इन्होंने वहां जोइन नहीं किया। इसके बाद इनको यहां पर चार्जशीट की प्रक्रिया चूंकि वह जे.एस. हैं तो गवर्नमेन्ट की तरफ से चार्जशीट प्रक्रिया चालू है और इनको जल्दी ही चार्जशीट सर्व कर दी जायेगी। इसके साथ मेरा एक और निवेदन है कि राजस्थान में शायद पहली बार यह स्थिति आने वाली है कि चिकित्सकों का कोई पद राजस्थान में रिक्त नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : गुड, वैरी गुड।

डा. दिगम्बर सिंह : 340 चिकित्सक अभी आर.पी.एस.सी. से हमको मिले हैं और 369 पदों के लिए आर.पी.एस.सी. को रिक्विजीशन हमने अभी और भेजी है। इसके साथ-साथ कान्ट्रेक्ट पर जो चिकित्सकों की कलक्टर्स और सी.एम.एच.ओ. की कमेटी वहां पर पदस्थापित हुई है वह लेती है। आने वाले निकट भविष्य में राजस्थान में पहली बार ऐसा होगा कि चिकित्सकों का कोई पद रिक्त नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा : 23-12-2003 से आज तक फरवरी, 2005 तक चिकित्सक के खिलाफ केवल चार्जशीट की स्वीकृति लेने के लिए, दो साल में आप प्रयासरत हैं। अभी तो कार्यवाही होना तो दूर, चार्जशीट तक जारी नहीं की गयी है। यह तो एफिशिएन्सी है डिपार्टमेन्ट की, अभी तो चार्जशीट भी जारी नहीं की गयी है। उनके खिलाफ कार्यवाही होना तो बहुत दूर की बात है।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में कितने पद रिक्त हैं और आर.पी.एस.सी. से आपको कितने मिल गये हैं और कितनों को पदोन्नति से भरने का फैसला आपने किया है ?

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर में दिया है कि पाली जिले में 53 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष : पाली कहां से आ गयी ?

श्री मदन राठौड़ : यह बता रहे हैं, पूरे राजस्थान का बता रहे हैं इसलिए मैंने यह प्रश्न किया है, निकट भविष्य से आपका क्या तात्पर्य है, कब तक यह पद भर दिये जायेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको निवेदन किया कि 340 चिकित्सक तो अभी हमारे पास आ गये हैं। इनकी तो हम केवल 10-15 दिन में ही पोस्टिंग कर देंगे और 369 के लिए हमने रिक्विजीशन भेजी है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दो साल की प्रक्रिया, मैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने...(व्यवधान)

श्री मंगला राम गोदारा : पिछली सरकार कहां से आ गयी...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आप एक बात सुन लीजिये। आप कहने का माद्दा रखते हैं तो सुनने का भी रखिए। पांच साल के अन्दर आयुर्वेद के क्षेत्र में एक भी औषधालय नहीं खोला। आप मेरी बात सुनिये...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : आप सवाल का जवाब दीजिये... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पिछली सरकार की बात छोड़िये और वहां शिवराज सिंह के पास महामहिम खडे थे, आपकी एम्बुलेन्स का पता नहीं, आपकी एम.आर.आई. का पता नहीं, क्या सर्टिफिकेट मिला है, आपकी सरकार को कल वहां पर (व्यवधान) आप पिछली सरकार की बात कर रहे है। आपकी मुख्य मंत्री खड़ी हैं वहां पर और एक पेशेन्ट का इलाज नहीं हो सका.... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आपके झूठे वादे....(व्यवधान) हमने पूरे कियें हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। उसके बाद बोलिये आप... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या पिछली सरकार का बखान कर रहे हैं। शिवराज सिंह की क्या हालत हुई वहां एस.एम.एस. हास्पिटल में, पूरा राजस्थान थू-थू कर रहा है आपकी सरकार पर...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : देखिए, मेरी बात सुनिये...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की कमियों के बारे में कोई उदाहरण आयेगा तो जरूर देंगे। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पिछली सरकार को छोडो, छोडो छूटेगा नहीं....(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारी इनएफीशिएंसी आप कहें, कोई दिक्कत की बात नहीं, इत्मीनान से कहिए। आप जो भी कोई है वह सब कहें। लेकिन आप मेहरबानी करके अपनी इनएफिशिएंसी को यहां सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

लें तो वह भी बुरा नहीं होगा। आप यह तो मानें कि दो साल में आपके शासन में आने के बाद चार्जशीट तक जारी नहीं की गयी। हमने तो उल्टा किया और हमने जो कुछ किया उसकी बदौलत इधर आ गये। आपको तो वहीं रहना है कि नहीं रहना है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया है।

डा. दिगम्बर सिंह : आप मेरी बात सुनिये...(व्यवधान) कलक्टर ने भी विज्ञप्ति की अपने वहां और इन्टरव्यू किया और केवल एक कैंडीडेट वहां उपस्थित हुआ। लेकिन आर्डर करने के बाद उसने भी जोइन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उस पद को भरने के लिए प्रयास नहीं किया। सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं परन्तु उसके बाद भी उस डाक्टर ने जोइन नहीं किया। मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारी डी.पी.सी. होने वाली है और चूंकि यह स्त्री रोग विशेषज्ञ का मामला है और बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही हम इस पद को भर देंगे। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : माननीय मंत्री महोदय, इससे आपकी सरकार की इनफिशिएंसी शो हो रही है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रशेखर।

श्री कैलाश त्रिवेदी : मेरे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और वहां छह में से एक भी डाक्टर नहीं है, एक भी डाक्टर तहसील हैडक्वार्टर पर नहीं, स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं, आप क्या सरकार चलाने की बात करते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य, बिना मेरी आज्ञा के बोलते हैं उसे अंकित नहीं किया जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सरोही) : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करना।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारूं केवल उसी का प्रश्न अंकित किया जायेगा।

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

डा. दिगम्बर सिंह : अगर आपके डाक्टर पोस्टेड नहीं है, इसको मैं चैलेन्ज करता हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारूं केवल उसी का प्रश्न अंकित किया जाएगा बाकी नहीं। मैंने नाम पुकारा है डाक्टर चन्द्र शेखर बैद का, औरों को अंकित न करें। (व्यवधान) आप एक सैकण्ड विराजो। माननीय सदस्यगण, मैं जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगी केवल उसी माननीय सदस्य का प्रश्न अंकित होगा।

मैंने नाम पुकारा डाक्टर चन्द्रशेखर बैद का और बीच में खड़े हो गये त्रिवेदीजी और बीच में ही बोलने लग गए सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, खड़े हो गये दूदू वाले माननीय सदस्य भी। यह तरीका उचित नहीं है। डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत चिन्ता का विषय है, पिछले सत्र के अन्दर भी और इस सत्र में भी, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष द्वारा सवाल यह पूछा गया कि प्रदेश में कितने स्त्री रोग विशेषज्ञ होने चाहिए ? प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर और सब सेन्टर्स पर इसके लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है ? इस सरकार के आने के 14 महीने बाद भी प्रसूति के समय मृत्यु होने वाली महिलाओं की संख्या उतनी ही क्यों है ? यह समस्या एक जगह की नहीं है, यह पूरे राजस्थान की समस्या है। कहीं भी प्रोपर गायनोकालोजिस्ट की पोस्ट

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नहीं है। मेटरनिटी मोर्टेलिटी रेट में पिछले 14 महीनों में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है, क्या कार्यक्रम है ? यह बहुत शर्मनाक बात है कि प्रदेश में पहली महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद भी यह हालत देखने को मिल रही है।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्पेशलिस्ट का पद पी.एच.सी. पर तो नहीं होता लेकिन सी.एच.सी. पर स्पेशलिस्ट का पद है। ऐसी पी.एच.सी. भी काफी हैं जहां मेडिकल का आफिसर गायनी आब्सट्रेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है। जैसी पीड़ा माननीय सदस्य ने रखी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को कम करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इन 12-13 महीनों की बात करें तो इसमें भी जमीन आसमान का अन्तर आया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां के लिए माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां पोस्ट नहीं है, विभाग ने इस बार जिला कलक्टर्स को जिले के अन्दर अगर कोई वेकेन्सी है और कहीं एक्सेस डाक्टर और वे जरूरत समझते हैं तो वहां के सी.एम.एच.ओ. से मिलकर डाक्टर है और पैरामेडिकल स्टाफ को लगा सकने के पावर दिए हैं। यदि जिले के अलावा दूसरे जिले से डाक्टर्स और पैरामेडिकल स्टॉफ की आवश्यकता है तो इसमें सम्भागीय आयुक्त और जोइंट डाइरेक्टर की एक कमेटी बना रखी है। अध्यक्ष महोदय, इस कार्य को सही तरीके से सम्पादित करने के लिए और सही सुपरवीजन करने के लिए पहली बार जिला कलक्टर्स को पावर दिए हैं कि उनके क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के तीन इन्क्रीमेन्टस तक वे रोक सकते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ, यह केवल स्ट्रिक्ट सुपरवीजन के लिए किया गया है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपके सारे प्रयासों के बावजूद आई.सी.एम.आर. की रिपोर्ट यह कहती है कि आपके हर तरह से प्रयास करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : अब तो बिराजिये, माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, आपके मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आपको बीच में खड़े नहीं होना चाहिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान में चिकित्सा अधिकारियों का एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा, यह पहली बार राजस्थान में होगा और यह सरकार करेगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपकी आई.सी.एम.आर. की रिपोर्ट यह कहती है कि अभी भी हर घंटे एक महिला प्रसव के दौरान मर रही है, इसका क्या जवाब है ? 14 महीने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा।

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कनिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री रोग के 229 पद स्वीकृत हैं राजस्थान में, जिनमें 34 पद आज की तारीख में रिक्त हैं, डी.पी.सी. की प्रक्रिया चालू है और डी.पी.सी. होने के बाद ये पद भी रिक्त नहीं रहेंगे, यह पहली बार हुआ है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

मेटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और इन्फैन्ट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए सरकार ने प्रयास किये हैं। हर ब्लाक में कम से कम एक सी.एच.सी. ऐसी होगी जहां पर इमजेन्सी को डील करने, आप्रेशन, एनेस्थेसिया और ब्लड बैंक की सुविधा होगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय मंत्रीजी, आप स्वयं गायनोकलोजिस्ट हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि 236 ब्लाकों में 110 से ज्यादा ऐसे है...।

श्री अध्यक्ष : पहले आप मंत्रीजी का जवाब तो सुन लीजिये पूरा।

डा. दिगम्बर सिंह : इस सरकार ने यह पहली बार प्रयास किया है कि नम्बर आफ इन्स्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ाने के लिए, आज भी 70 प्रतिशत डिलीवरी गांवों में होती है। इस सरकार ने 10 हजार दाइयों को ट्रेंड करने का लक्ष्य रखा है। जिन रूरल एरियाज में ब्लड बैंक की फैसेलिटी नहीं थी उनमें पहली बार सी.एच.सी. हर ब्लॉक में एक ऐसी तैयार कर रहे हैं जहां ब्लड स्टोरेज फैसेलिटी डवलप हो। रूरल एरियाज में इस बात को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए हमारी आई.ई.सी. विंग भी बहुत स्ट्रोंगली काम कर रही है। मैं आपसे निवदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में नम्बर आफ इन्स्टीट्यूशनल डिलीवरीज बहुत बढ़ेगी। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे।

श्री निर्भय लाल जाटव (रूपवास) : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 96, श्री हरिमोहन शर्मा।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि

96. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.एम.एस. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 2004 के अवशेष सहित आई.सी.डी.एस. (ए.ई.एन), आई.सी.डी.एस. (डब्ल्यू.बी.) एवं प्रशिक्षण मद में इस वर्ष राज्य में कितनी राशि अब तक अनुदान की प्राप्त हुई और उसमें से सरकार द्वारा कितनी राशि अब तक जारी कर दी गई तथा कितनी राशि दिनांक 31 जनवरी, 2005 तक व्यय कर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सी.एस.एस. स्कीम के तहत वर्ष 2004-2005 में विभिन्न स्कीम के लिए कितनी राशि का बजट प्रावधान है, उसमें से कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार जिसमें अधिकतम दो बच्चे हो, इनकी कितनी संख्या है और उन परिवारों में इस योजना का लाभ उठाने योग्य कितनी लडकियां है तथा इनमें से कितनों को लाभ पहुंचाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : पूरी सूचना नहीं आई है इसलिए स्थगित किया जाता है। श्री नवरतन राजोरिया।

राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध जांच

97. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मुकदमों में सरकारी जमीन का गलत ढंग से खातेदारी हक प्रदान करने व सरकार के विरुद्ध फैसला करने या अन्य प्रकार के गलत फैसले करने के लिए कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई थी ? यदि हां, तो जयपुर शहर में पिछले 5 वर्षों में किस-किस अधिकारी के विरुद्ध किस-किस आरोप में जांच की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(2) उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष : पूरी सूचना नहीं आई है इसलिए स्थगित किया जाता है।

श्री निर्भय लाल जाटव : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, काफी समय पहले यह प्रश्न भिजवाया था, स्थगित हो रहा है इसका मुझे अफसोस है, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहीं विराजमान हैं, आपकी सरकार से जवाब तो दिलावाएं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का जवाब बजट सत्र में दिलवा देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : 23 तारीख से पहले इसका जवाब दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : 23 तक तो नहीं दिलवा पाऊंगी लेकिन बजट सत्र में इसका जवाब दिलवा देंगे। प्रश्न संख्या 96 व प्रश्न संख्या 97, श्री नवरतन राजोरिया, आपका प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री निर्भयलाल : xxx

<u>**प्रश्न संख्या 98**</u>

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश मीणा। प्रश्न संख्या 98

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।

<u>**प्रश्न संख्या 99**</u>

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।

<u>**प्रश्न संख्या 100**</u>

श्री बहादुर सिंह गोदारा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 101

श्री अशोक कुमार नवलखा।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्री रामचन्द्र सराधना। श्री मदन दिलावर, 102 का जवाब दें। समाज कल्याण आपके पास ही है ना। (व्यवधान) श्री कनकमल कटारा।

राज्य में महिला एवं बालकों के कुपोषण निवारण हेतु योजनाएं

102. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बालकों एवं महिलाओं में कुपोषण एवं खून की कमी की समस्या देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक गम्भीर है ? यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं को कुपोषण से बचाने, खून की कमी को दूर करने एवं उनके स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? इन योजनाओं में गत तीन वर्षो में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा उसके मुकाबले कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई ? योजनावार किए गए व्यय सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) राज्य में बालकों एवं महिलाओं में कुपोषण एवं खून की कमी विकसित राज्यों की तुलना में अधिक है। राज्य सरकार इस स्थिति से भली-भांति परिचित है एवं समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम सहित बालकों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धित संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों में नवाचार, सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा नियमित प्रबोधन की व्यवस्था स्थापित कर कुपोषण एवं खून की कमी की स्थिति में सुधार का प्रयास कर रही है।

(श्री कनकमल कटारा)

कुपोषण की समस्या से अकेले एक विभाग द्वारा प्रयास किया जाना पर्याप्त नहीं है, वरन सभी सम्बद्ध विभागों की योजनाओं में समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों के सुदृढ़ क्रियान्वयन से ही कुपोषण को सीमित किया जा सकता है।

(2) राज्य के बच्चों एवं महिलाओं को कुपोषण से बचाने तथा खून की कमी दूर करने की दृष्टि से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 257 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनके अधीन 35,821 आगंनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपलब्ध करवाई जा रही है।

गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां तथा किशोरी बालिकाओं को विश्व बैंक सम्पोषित आई.सी.डी.एस. तृतीय परियोजनान्तर्गत ।32 बाल विकास परियोजना क्षेत्रों में आयरन एवं फोलिक एडिड की गोलियां वितरित की जा रही हैं।

कुपोषण एवं एनीमिया के नियंत्रण हेतु बच्चों एवं महिलाओं को घर पर ही पोषण सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार हेतु 26,521 सहयोगिनियों का चयन चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आगंनबाडी केन्द्रों/उप केन्द्रों/दूरस्थ ग्रामों में प्रतिमाह एक निश्चित दिवस (प्रत्येक गुरुवार व सोमवार) को मातृ एवं शिशु पोषण व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। इस दिवस पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण तथा अति कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है।

(श्री कनकमल कटारा)

कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम की दृष्टि से अप्रैल, 2001 से 6-6 महीने के अन्तराल पर यूनिसेफ एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विटामिन-ए, पोषण सलाह एवं सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में अर्जित उपलब्धियों एवं योजनावार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है विकसित राज्यों की तुलना में कुपोषण एवं खून की कमी वाले राज्यों में राजस्थान का कौनसा स्थान है ? दूसरा प्रश्न है। अप्रैल, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक समेकित बाल विकास कार्यक्रम में कितना अनुदान प्राप्त हुआ और कितना खर्च हुआ ?

तीसरा प्रश्न, आपने बताया कि राज्य सरकार इस स्थिति से भली-भांति परिचित है। आप बताएं, कुपोषण एवं खून की कमी का मूल कारण क्या है ? इस स्थिति में ज्यादातर वे लोग हैं जिनको दोनों समय पेट भर खाना नहीं मिल रहा।

तीसरा प्रश्न है 257 बाल विकासा परियोजनाओं में समेकित बाल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं और 35821. आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। 35821 आंगनबाड़ी केन्द्र चलने के बावजूद क्या 2002-03 और 2003-04 वर्ष में कुछ अन्तर आया है ? यदि अन्तर आया है तो 2002-03 और 2003-04 में क्या अन्तर आया है, यह बताएं।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो विकसित राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, केरल, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, इनकी अपेक्षा राजस्थान में अधिक कुपोषित बच्चे हैं। कुल मिलाकर 61700 के करीबन चिन्हित किये थे। इनमें से वर्तमान में 57 हजार कुपोषित बालक हैं जिनके कुपोषण को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक गुरूवार और सोमवार को इस प्रकार के महिला स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत

(श्री कनकमल कटारा)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी और एक ए.एन.एम. तीनों ही मिलकर इनका समाधान करते हैं। अभी आपने पूछा है कि 2001 (व्यवधान) इनका समाधान इनका जो पोषाहार है, उनके पोषाहार में बेबी मिक्स और 2003-2004....

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मात्र समय बर्बाद कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं यह नहीं पूछना चाह रहा, आपके कार्यक्रमों से मैं भी भली-भांति परिचित हूं। मेरा पाइन्टेड क्वेश्चन है विकसित राज्यों की तुलना में राजस्थान का कुपोषण और खून की कमी में कौनसा स्थान है, एक ?

दूसरा प्रश्न, मैंने आपसे पूछा, 1 अप्रैल, 2004 से लेकर 31 जनवरी, 2005 तक आपको समेकित बाल विकास कार्यक्रम में कितना अनुदान प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ ?

तीसरा प्रश्न मैंने आपसे किया कि आप 257 समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 35821 आंगनबाड़ी केन्द्र चला रहे हैं, निश्चित रूप से कुपोषण को ठीक कर रहे होंगे, खून की कमी को दूर कर रहे होंगे, मैं पूछना चाह रहा हूं स्थिति यह है कि वर्ष 2002-03 में कुपोषण और खून की कमी की क्या स्थिति थी और 2003-04 में कुपोषण एवं खून की कमी की क्या पोजिशन रही ? सुधार हुआ या नहीं हुआ ? यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और हुआ तो कितना हुआ ?

श्री कनकमल कटारा : मैंने आपको वैसे ही बताया कि 2003 (व्यवधान) आप बता रहे हैं 2001 और 2003 (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : 2002-2003।

श्री कनकमल कटारा : 2001 और 2002 में देखिए, कुपोषण लाभान्वित लाखों में। लक्ष्य और उपलब्धि। हमारा लक्ष्य था 27.44 और हमारी उपलब्धि थी 21.92 । ऐसे ही (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, आप अनावश्यक उलझ रहे हैं। मैं सीधी-सीधी बात कर रहा हूं 2002-2003 में कुपोषण और खून की कमी की

(श्री रामचन्द्र सराधना)

क्या स्थिति थी और एक वर्ष बाद में उसकी क्या स्थिति सुधर गयी, सीधा सा यही सवाल है। मैंने सबसे पहले, पूछा कि 1 अप्रैल, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अनुदान में कितना पैसा आपके पास था और कितना खर्चा हो गया, कितना बच गया, सीधी-सी बात करिए।

श्री कनकमल कटारा : 2002-03 में जो सर्वे 1998 में किया गया था, वर्तमान में जो सर्वे चल रहे हैं, अभी जो जानकारी है, सर्वे करने के उपरान्त ही हम इसको बता पायेंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय मुख्य मंत्रीजी विराज रही हैं।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री रामचन्द्र सराधना : समेकित बाल विकास कार्यक्रम में आंगनबाड़ी में इतना खर्च हो रहा है राजस्थान सरकार का, उस राजस्थान सरकार के खर्चे से और इसकी उपलब्धियों से, मंत्री महोदय को पूरा ज्ञान नहीं है, इस पैसे का इतना अपव्यय किया जा रहा है (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : पूरी जानकारी मेरे पास में है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैंने आपसे तीन प्रश्न किये, एक प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा।

श्री कनकमल कटारा : मैंने अभी कहा कि सर्वे अभी चल रहा है। उसकी जानकारी पूरी करने के बाद में आपको जवाब दे पायेंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना : क्या सर्वे चल रहा है ? 2002-03 का सर्वे ही चल रहा है। 2003-04 का सर्वे चल रहा है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मंत्री के पास जितनी सूचना है उतनी उन्होंने आपको बता दी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, ये समाज के गरीब तबके का मामला है। इतना पैसा खर्च हो गया उसके बावजूद भी इनके पास कोई जानकारी नहीं है। इसकी मानीटरिंग नहीं हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री कनकमल कटारा : 2002-03 के पूरे मेरे पास हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह भूख और कुपोषण का मामला है। जब आदमी भूख से मर जाता है तो उसको कुपोषण बता देते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिए, अब आप शांति से सुनिये, जवाब दे रहे हैं वे।

श्री कनकमल कटारा : वर्ष 2003-04 में 35.71 और उपलब्धि थी 32.41, ऐसे ही पूरक पोषाहार में विटामिन है यहां थी उपलब्धि हमारी लक्ष्य कुछ नहीं था और उपलब्धि 53.18, ऐसे ही वर्ष 2002-03 में और उपलब्धि हमारी थी 46.65, ऐसे ही वर्ष 2003-04 में 43.45, ऐसे ही...(व्यवधान) उपलब्धि थी 9.08, 2002-03 में 9.75 और वर्ष 2003-04 में 9.05, ऐसे ही....

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, उत्तर के लिए जवाब दे रहे हैं और कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न कर रहे हैं आप ?

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, उसका जवाब क्या दे रहे हैं। मेरा तो सीधा सा प्रश्न है 2002-03 में क्या स्थिति थी और 2003 में क्या सुधार हुआ, यह जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दे तो दिया उन्होंने।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं कोई लक्ष्य नहीं पूछ रहा हूं, लक्ष्य कुछ भी थे।

श्री कनकमल कटारा : वह तो मैंने कहा है, आपको सर्वे करने के बाद में, इसके बाद में पूरे दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप इनका जवाब सुन तो नहीं रहे हैं, बीच में ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : जवाब नहीं है साहब वह, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं वे।

श्री अध्यक्ष : पहले पूरा सुन लीजिए उनको आप बाद में पूछ लीजिएगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे दे रहे हैं वे।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री रामचन्द्र सराधना : इसके पास वह जवाब नहीं है जो मेरा सवाल है। मेरे जवाब का जवाब नहीं है उनके पास। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : मेरे सवाल में था वह आपको दे रहा हूं और बाकी का मैं उपलब्ध कराकर आपको दे दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री कनकमल कटारा : नहीं, नहीं, बड़ा अच्छा हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, यह कोई गलत बात नहीं है, अधिकारियों ने इनको पूरा जवाब नहीं दिया, मंत्रीजी की कोई गलती नहीं है, इनको तो दिया है वह इन्होंने पढ़ दिया। लेकिन मैंने पूछा उसका जवाब नहीं आया।

श्री कनकमल कटारा : पूरा मैंने दिया है और बाकी का जो सर्वे होगा। उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब लोग एक साथ खड़े होकर यदि इस प्रकार से पूछेंगे तो वह कुछ नहीं दे पायेंगे। आपको एक-एक करके अपने प्रश्न पूछने हैं तो अलग बात है लेकिन मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार रही हूं।

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बडा अन्याय हो रहा है। माननीय अध्यक्षजी, इसका जवाब नहीं आने दिया।

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री संयम लोढा : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

सलूम्बर संसदीय क्षेत्र को जिला मुख्यालय का दर्जा

103. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर उप खण्ड अधिकारी का मुख्यालय है तथा इसके अन्तर्गत तीन तहसील मुख्यालय आते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ? ग्रामवाइज, तहसीलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सलूम्बर संसदीय क्षेत्र मुख्यालय है वह प्रशासनिक व भौगोलिक दृष्टि से जिला मुख्यालय बनाने हेतु उपयुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार सलूम्बर को जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) जी हां, इसके अन्तर्गत 3 तहसीलें यथा सलूम्बर सराड़ा एवं खैरवाड़ा आती हैं। तहसील सलूम्बर में 250 राजस्व ग्राम तथा तहसील खैरवाड़ा में 257 राजस्व ग्राम आते हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि सलूम्बर एक संसदीय क्षेत्र मुख्यालय है। नये जिले के गठन हेतु उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक संरचना के अतिरिक्त जनसंख्या, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, जनता की मांग तथा राज्य की आर्थिक स्थिति आदि मापदण्डों को भी मद्देनजर रखा जाता है।

वर्तमान में माह अगस्त, 2002 से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर परिसीमन आयोग को रोक के कारण फिलहाल इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अर्जुन लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सलूम्बर तहसील संसदीय क्षेत्र एक ऐसा हैडक्वार्टर है भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से और सभी आधार पर सुविधायें उपलब्ध हैं, सलूम्बर जिला बनाने की पात्रता रखता है, क्या सरकार सलूम्बर को जिला बनाने की मंशा रखती है ?

दूसरा प्रश्न, अगस्त, 2002 से परिसीमन आयोग की रोक लगी हुई है, यह रोक कब तक हट जाएगी ?

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो जिले हैं, ग्राम हैं या तहसील हैं, उप तहसील हैं बनाने के लिए निश्चित जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति का आधार माना जाता है मगर अभी अगस्त, 2002 से जो परिसीमन आयोग का मामला चल रहा है। अब हटने के लिए ज्यों ही परिसीमन आयोग डिक्लियर कर देता है, डि-लिमिटेशन का मामला उसके बाद में हट जाएगी, उसके बाद में ही नये जिले वगैरह बनने की कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इनता ही अभी तक तो मामला है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं कि परिसीमन आयोग की सीमा हटाने के बाद क्या सरकार ने उससे पहले नये जिलों के गठन की तैयारियां कर ली हैं तो कौन कौन से ऐसे नये जिले बनाये जाने हैं और क्या परिसीमन आयोग की सीमा हटने के बाद अब उनको गठन करने की कार्यवाही सरकर करेगी और क्या कोटपूतली को भी जिला बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जवाब दूं ?

श्री अध्यक्ष : हां, हां, दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न पूछा है, जितनी भी पत्रावलियां हैं, राज्य सरकार के स्तर पर जो परीक्षण पर हैं उनमें करीबन कुचामन सिटी, मेड़ता, ब्यावर, प्रतापगढ़, बालोतरा, कोटपूतली, फलौदी, शाहपुरा और नीमका थाना है। ये नये जिले बनाने की मांग सभी जगह से आई है और उसमें (व्यवधान) वह भी आया होगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए पहले, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, पहले जवाब सुन लें।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां से लोगों की मांग आई है उन पर परीक्षण किया जा रहा है और शासन स्तर पर निर्णय लेकर राज्य सरकार को दिया जाता है और राज्य सरकार एक समिति का गठन करती है जिसके राजस्व मण्डल का अध्यक्ष उनका अध्यक्ष होता है और प्रमुख शासन सचिव, राजस्व और वित्त, इसके दो सदस्य होते हैं और ये सारे परीक्षण करने के बाद में यदि उनकी फिजिबिलिटी बैठती है जिलों की, बनाने योग्य होता है तो उनको अवश्य जिला बनाया जाता है। मगर राज्य की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, भौगोलिक स्थिति उनकी क्या है, जनसंख्या क्या है, क्या उसके अन्दर आने वाले जितने भी गांव है उनका केन्द्र बिन्दु है। ये सारी चीजें देखने के बाद में राज्य सरकार निर्णय लेती है और उसके बाद ही जिले का गठन किया जाता है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : महोदय, क्या इस समिति का गठन कर दिया गया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

प्रश्न संख्या-104

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-105

डा. श्रीगोपाल बाहेती।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 106

श्री गुरजन्ट सिंह बराड।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री माहिर आजाद।

जिला मुख्यालयों पर पूर्व सैनिकों हेतु विश्राम गृह

107. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को उनके कल्याणार्थ सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या तथा कितने पूर्व सैनिक इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्व सैनिकों को प्रदत्त सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों ?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) क्या सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों के ठहरने हेतु सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? अब मंत्रीजी को पता ही नहीं था कि इनका सवाल आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : सैनिक कल्याण मंत्री, जवाब दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : पता ही नहीं उनको, आज यह सवाल भी आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : और फर्स्ट टाइम पूरे क्वेश्चन होंगे आज।

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं युद्ध शहीदों के आश्रितों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :-

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटन।
2. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को 300/- रुपये प्रतिमाह पेन्शन।
3. प्री-कारगिल युद्ध शहीदों की विधवाओं एवं अविवाहित शहीदों के माता-पिता को 750/- रुपये प्रतिमाह सम्मान भत्ता।
4. 1-4-1999 के पश्चात कारगिल युद्ध एवं अन्य विभिन्न आपरेशनों में शहीद सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद कार्मिकों के परिजनों को कारगिल पैकेज के अन्तर्गत सुविधाएं :

क. 1 लाख रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि या आवासन मण्डल का एम.आई.जी. फ्लेट या 5 लाख रुपये नकद।

ख. माता-पिता के नाम मासिक आय योजना में 1.5 लाख रुपये सावधि जमा।

(श्री रामनारायण डूडी)

ग. धर्मपत्नी या आश्रित पुत्र/पुत्री को सरकारी नौकरी।

घ. बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा व स्कूल स्तर पर 1800 रुपये तथा कालेज स्तर पर 3600 रुपये सालाना छात्रवृत्ति।

च. शहीद के नाम से गांव की स्कूल का नामकरण।

छ. शहीद के आश्रित परिवार को आउट आफ टर्न विद्युत कनेक्शन।

ज. शहीद की धर्मपत्नी व आश्रित बच्चों को रोडवेज के नि:शुल्क यात्रा पास।

उपरोक्त सुविधाओं के लाभार्थियों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप।

(3) जी हां। "अमलगमेटेड फण्ड" जिसके अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, में वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न के खण्ड-एक के उत्तर में दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को 300 रुपये प्रतिमाह पेन्शन दी जा रही है और साथ ही प्री-कारगिल शहीद हैं उनकी विधवाओं और अविवाहित शहीदों के माता पिता को 750 रुपये दिये जाते हैं। तो यह 300 और 750 रुपये में यह फर्क क्या है ? इस फर्क को मिटाने के लिए और शहीदों के साथ भी भेदभाव नहीं हो तो आप इन दोनों राशियों को एक करने का या दोनों एक साथ देने का विचार रखते हैं ?

मेरे दूसरे सवाल का माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अवलोकन करें, मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार पूर्व सैनिकों को प्रदत्त सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार रखती है ? इन्होंने उत्तर दिया है-जी हां। फिर मैंने कहा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

था कि यदि हां, तो क्या और कब तक ? इन्होंने कहा-वित्तीय उपलब्धता के आधार पर। तो वित्तीय उपलब्धता तो हो जाएगी लेकिन आप उनको क्या-क्या और सुविधाएं, जो आज पैकेज दे रहे हैं उसके अलावा देने का विचार रखते हैं ? इसको तो आप क्लेरिफाई कीजिये।

मेरा तीसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के ठहरने हेतु सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है ? क्योंकि आजकल पूर्व सैनिकों को अपनी पेन्शन और सुविधाओं के लिए आपने जिला स्तर पर सैनिक केन्द्र बना रखे हैं, केवल झुन्झुनूं और एक-आध जगह सैनिक विश्राम गृह हैं, दूसरी जगह जब भूतपूर्व सैनिक आते हैं तो उनको सर्किट हाउस और डाक बंगले में ठहने की सुविधा नहीं है और सैनिक विश्राम नहीं हो तो उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तो मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे यही है कि आपने जवाब तो दे दिया कि "अमलगमेटेड फण्ड" जिसके महामहिम राज्यपाल महोदय, अध्यक्ष हैं, वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप। मेरा तो इरादा यह है कि फर्स्ट फेज, सैकण्ड फेज या थर्ड फेज में आपके सम्भागीय मुख्यालय या और जहां भूतपूर्व सैनिक ज्यादा हैं नागौर है, झुन्झुनूं, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर हैं वहां सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखते हैं क्या ? यदि हां, तो कब तक बना देंगे ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि जहां तक सैनिक विश्राम भवन का सवाल है...

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले सीरियलवाइज सवाल का दो न, पहले दूसरे से आप तो लास्ट में आ गये।

श्री रामनारायण डूडी : पेन्शन का जो मुद्दा है, कारगिल वगैरह का मैंने मूल प्रश्न में जवाब दे दिया और साथ ही जो 300 और 750 रुपये वाला मामला है उसके अन्दर समान भत्ते की राशि 300 रुपये राज्य सरकार को दी जाती है और 450 रुपए मुख्य मंत्री सहायता कोष से भी दी जा सकती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सवाल यह है कि शहीद तो शहीद होता है चाहे वो देश की सीमा पर हुआ है चाहे कारगिल में हुआ हो चाहे श्रीलंका मे हुआ हो। मेरा तो अध्यक्षजी के माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन यह है कि इसमें फर्क करना अच्छा नहीं है कि आप किसी को 300 दो, किसी को 750 दो। अब आप कह रहे हो कि 300 केन्द्रीय बजट सं देते हैं, 450 मुख्य मंत्री के में से देते हैं तो मेरा तो सीधा सा प्रश्न यह है कि आप क्या इनको सब को समान पेन्शन देने का इरादा रखते हैं, इसमें समानता करने का इरादा रखते हैं क्या ? यह बताइये। यह दे सकते है या नहीं दे सकते हैं यह नहीं, समान करने का हो तो यह बताइये और जो मैंने दूसरा, तीसरा पूछा है, उनका जवाब दे दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कारगिल युद्ध के पूर्व और कारगिल युद्ध के बाद का, जहां पहले जो भी पेन्शन वगैरह सुविधाएं दी जाती थीं वह एक अलग पैकेज था और कारगिल युद्ध का पैकेज अलग है। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि पहले और बाद का सभी का समान किया जाए। तो इसमें राज्य सरकार के स्तर पर जांच करवा लेंगे और यदि आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की होगी, भारत सरकार से भी हम निवेदन कर देंगे कि इनको बराबर दिया जाये और राज्य स्तर पर पूर्ण रूप से और सभी शहीदों के साथ जो शहीद हुए हैं देश की धरती के लिए, समान रूप से उनको हर भत्ता, हर पेन्शन, हर आवास और जिला स्तर पर उनको यह सुविधा मिले, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप केन्द्र सरकार से बात करेंगे, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आपका इरादा क्या है ? आप इसको समान करने का इरादा रखते हैं क्या ? अगर आपका विचार एक होगा तभी तो आप आगे प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : तीनों प्रश्न का बता दिया उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : सैनिक विश्राम गृह का तो बतायें आप कि सैनिक विश्राम गृह फर्स्ट फेज में कहां-कहां बनाने का इरादा रखते हैं ? यह आप बताइये। मेरे कान सही है, मैंने सब सुन लिया। मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार का ही है पूरा का पूरा पैकेज। भारत सरकार को इस मामले में निवेदन हमने पूर्व में भी किया है और जिला मुख्यालय पर जहां सैनिकों की संख्या है जैसे सीकर है, झुन्झुनूं है, जोधपुर है, नागौर है, चूरू है, जहां सैनिकों की संख्या ज्यादा है, सभी जिलों के अन्दर जहां बहुत ही ज्यादा संख्या है वहां अलग से विश्राम गृह....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : दिल्ली सरकार ने अस्वीकृत किया है, राजस्थान की सरकार ने तो प्रस्ताव भेजे हैं माननीय सदस्यगण।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह मुख्य सचेतक और संसदीय सचिव मंत्रीजी से ज्यादा विद्वान बन रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी : शर्माजी विराजिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे थे, संसदीय सचिव को क्या आवश्यकता हुई बीच में खड़े होने की ?

श्री रामनारायण डूडी : हमने यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था कि इनके समान वेतन भत्ते किये जाएं मगर वहां से स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से वह मामला पेण्डिंग है और जहां तक माननीय सदस्य जिलेवार सैनिक विश्राम गृह खोलने का मामला है तो कई जिलों में हमारे प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उनकी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं और साथ ही जितने भी पैकेज...

श्री अध्यक्ष : यह देख लो आप, इसमें क्या है वह बता दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भारत सरकार को कब प्रस्ताव भेजा जरा वह बता दो। भारत सरकार को कितनी तारीख को कब प्रस्ताव भेजा है ?

श्री रामनारायण डूडी : आपके कार्यकाल से पैंडिंग है वह टर्न डाउन होकर के आ गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने 14 महीने में इस पर क्या कार्यवाही की वह मुझे बता दें।

श्री रामनारायण डूडी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 महीने के अन्दर कई पैकेज वगैरह तैयार किये हैं, कई सुविधाएं दी है विधवाओं के लिए हास्टल बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी तरह की व्यवस्था की जा रही है। आपको किसी प्रकार की चिन्ता है तो हमसे मिल लें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो अंतिम प्रश्न यह है कि आपके 14 माह के शासनकाल में भूतपूर्व सैनिकों की सुविधा बढ़ाने और पेन्शन समान करने के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है तो कब भेजा है, कृपया यह बता दें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मंत्री महोदय, कारगिल से पूर्व हुए शहीदों की विधवाओं को जो 25 बीघा जमीन मिलती थी, अगर किसी कारणवश, अज्ञानता के कारण या नासमझी के कारण से कोई ऐसी विधवा हो जिसको जमीन नहीं मिली हो और वह पात्रता रखती थी तो अब क्या सरकार उनको जमीन आबंटन करने का नियमानुसार विचार कर सकती है या नहीं कर सकती है ?

श्री रामनारायण डूडी : यह हमने निर्णय लिया है कि जो भी शहीद हो गये और उनकी विधवा जिन्होंने जमीन मांगी है...

और इस दरमियान मृत्यु हो गई या स्वर्गवास हो गया तो जो उनकी विधवा हैं या वारिस हैं, उन विधवाओं को अलाटमैन्ट करने के यह जितने भी प्रस्ताव आये हैं, उनका परीक्षण करवा रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी बतायें कि भारत सरकार को 14 महीने में आपने कोई प्रस्ताव भेजा है ? भेजा है क्या ?

श्री रामनारायण डूडी : आजाद साहब, मैं अभी दिखा रहा हूं। आपका जो पहले का प्रस्ताव था 650 रुपये का, वह भारत सरकार ने नामंजूर करके भेज दिया। मैं पुनः वापस निवेदन करने जा रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब केन्द्र में आपकी सरकार थी तब रिजेक्ट किया होगा। अब आप पुनः नये सिरे से भेजो। (व्यवधान) आपकी सरकार ने रिजेक्ट किया था। आप नये सिरे से भिजवा दो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से सरिस्का वन्य जीव परियोजना की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाने के सम्बन्ध में।

यद्यपि प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी यदि कोई खास बात माननीय सदस्य कहना चाहें तो प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट में अपनी बात कहने की अनुमति देती हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) डा. भंवर लाल राजपुरोहित, सदस्य की ओर से मकराना नगरपालिका के उपखण्ड अधिकारी द्वारा वोटर लिस्ट में सैकड़ों नाम लिखे जाने की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(2) डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्रामीण विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर शहर की नवलगढ़ रोड रेलवे क्रासिंग के पास गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बिजली की कमी के सम्बन्ध में।

(5) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ने के सम्बन्ध में।

(6) डा. जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के पशुपालन विभाग में चिकित्सकों एवं पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गांव बिहारीपुरा की एक बच्ची का माह जुलाई, 2004 में राज्य से बाहर के मजदूरों द्वारा अपहरण की घटना के सम्बन्ध में।

(8) श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की ओर से छोटी सादड़ी नगर में गन्दे पानी की सप्लाई को रोकने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हरीसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के फ्लोराइड क्षेत्र में फ्लोराइड कन्ट्रोल परियोजना बनाई जाकर पानी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य की ओर से दौसा नगरपालिका क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग हेतु चिह्नित भूमि पर आवासीय कालोनी को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री नानालाल अहारी, सदस्य की ओर से खैरवाड़ा की नहरों का सर्वे करवाकर मरम्मत कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री अर्जुन सिंह देवडा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति क्षेत्र रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने का अधिकार होगा।

श्री जुबेर खान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले हमने पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के साथ विकास कार्यों के अन्दर सौतेला व्यवहार करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने आसन से यह सूचित किया था कि सरकार को उत्तर के लिये भेज दिया है। आज चार दिन उस बात को हो गये। मैं केवल आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि कब उसका जवाब आ जाएगा ? आपने सोमवार के लिए कहा था, उसके ऊपर कब हम अपनी बात कह सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वैसे जानकारी के लिये भेजा हुआ है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई यहां व्यवस्था नहीं दी जाती है। आप मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिल लीजियेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है।

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाने बाबत

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरिस्का में जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं उसी का परिणाम है कि आज टार्च लेकर घूम रहे हैं लेकिन कहीं बाघ वहां दिखाई नहीं दे रहा है और उसका इस तरह से प्रचार हो रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में पर्यटकों के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और भारी मात्रा में सरिस्का की वजह से राजस्थान में और अलवर जिले में पर्यटक आता रहा है, उसके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भी जो मौजूदा वहां फील्ड डाइरेक्टर हैं, उन्होंने सेन्सस कराया कि एक भी टाइगर नहीं है।

(श्री जुबेर खान)

उनसे पहले जो नई सरकार में आये चार महीने के लिए फील्ड डाइरेक्टर लगाये, उन्होंने कहा कि 14-15 टाइगर्स हैं और उनसे पहले लगातार जो फील्ड डाइरेक्टर आठ महीने तक रहे, वह हमेशा सेंसस में हर साल कहते थे कि 26 से लेकर 28 तक टाइगर की संख्या वहां पर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : ऐसे झुण्ड बनाना नियमों के विपरीत है।

श्री जुबेर खान : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करोड़ों रुपये सालाना केन्द्र सरकार का, राजस्थान सरकार का जनता का वहां खर्च किया जा रहा है। कन्जर्वेटर की एक पोस्ट वहां बना दी है। फील्ड डाइरेक्टर दो-दो, आई.एफ.एस. लगाये हुए हैं। दो-दो आर.एफ.एस लगाये हुए हैं। छह रेन्जर लगाये हुये हैं और फोरेस्टर और कैटल गार्ड की तो कोई कमी ही नहीं है। एक तरह से सरिस्का का जंगल वन्य जीव अभयारण क्षेत्र, सरिस्का में कर्मचारी जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए और उनके ऊपर पैसा खर्च करने के अलावा वहां कुछ नहीं हो रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से पैसा आया कि वहां एक बाई-पास बना दिया जाये, कुशालगढ़ से नारायणपुर होते हुये भांकरोटा तक लाया जाये ताकि जो हैवी व्हीकल्स आते हैं जयपुर के लिये वहां से टर्न ले सके। रोड़ बन गया, पैसा आ गया लेकिन आज तक भी उसको डाइवर्ट नहीं किया गया। पाण्डुपोल वहां ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक स्थल है। वहां दो दिन छूट रहती है हफ्ते में, कितने ही लोग आओ-जाओ। सैकड़ों की संख्या में बड़े-छोटे वाहन जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि राजगढ़ की ओर से भी एक रास्ता है। यदि राजगढ़ से सही रास्ता या सड़क बना दी जाये पाण्डुपोल को तो जो कोर एरिया है वन्य जीव क्षेत्र का, टाइगर का, वहां पर ये भारी मात्रा में वाहन नहीं जायेंगे, वन्य जीव डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री जुबेर खान)

दूसरा, टहला के लिए रोडवेज की बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर सारे उस जंगल से बीचों-बीच निकलते हैं तो मेरा निवेदन है कि उसके लिए भी कोई न कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था की जाये क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरिस्का का महत्व खतम हो जाएगा। मेरा आपसे यह निवेदन है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि पिछले 10 साल में जो-जो भी वहां फील्ड डाइरेक्टर रहे हैं और किस-किस समय में कितना भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं, मैं इस सदन में आरोप नहीं लगाना चाहता अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भ्रष्टाचार वहां के अधिकारियों ने, वहां के रक्षकों ने भक्षक बनकर जिस तरह से वन्य जीवों की हत्याएं कराई, काले खैर की तस्करी कराई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार और मुख्य मंत्रीजी संवेदनशीलता रखते हैं और सेंसिटिव हैं वन्य जीव के लिए, यहां के पर्यावरण के लिये, यहां के पर्यटन के लिए तो आप उच्चाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाइये और उसमें जो फोरेस्ट से जुडे हुए लोग हैं, इनको भगवान के लिए मत रखिये क्योंकि इनके संरक्षण में तो सारा उलटा काम हुआ है। अगर आप भक्षकों को ही रक्षा की बात और न्याय की बात करेंगे तो गलत रहेगा।

मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाइये आई.ए.एस. अधिकारियों की जो इनसे वन्य के अधिकारियों से ऊपर हों और पिछले 10 साल में क्या-क्या वहां हुआ है, किस तरह से अनियमित भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से टाइगर को मरवाया गया है, तस्करी करवाई गई है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, आपका लगाव है वन्य जीवों से, टाइगर से, पर्यटन से कि राजस्थान में आप चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूरिस्ट आये। अब यह जो हमको नुकसान हुआ है, इसकी कैसे भरपाई हो और आवश्यकता पडे तो कहीं न कहीं से आप ऐसी चीजें निर्यात कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, कहीं न कहीं से वन्य जीव क्षेत्र से या किसी अभ्यारण से 2-4 टाइगर पकड़कर वहां लाकर छुडवाइये, नहीं तो सरिस्का बिलकुल बरबाद हो जायेगा, उजड जाएगा और भारी मात्रा में जो आमदनी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अलवर जिले को, राजस्थान को हो रही

(श्री जुबेर खान)

है, वह बन्द हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात को वन्य जीव मंत्रीजी ने ध्यान से सुना है, कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे वह।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : क्या इन्फोर्मेशन है इस समय ? क्या इन्फोर्मेशन है इस समय ?

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का ऐसा भाग जो भारत-पाक सीमा पर स्थित है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस समय आप आगे का काम होने दीजिये, 295 को पढने दीजिये।

श्री ओ.पी. महेन्द्र : बहुत जरूरी सूचना है, मैं मेरे क्षेत्र में होकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़ने दीजिये, उसके बाद आपकी बात होगी। पहले 295 पढा जायेगा। डाक्टर भंवरलाल राजपुरोहित।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मकराना नगरपालिका के उपखण्ड अधिकारी द्वारा वोटर लिस्ट में सैकड़ों नाम लिखे जाने की जांच करवाने की मांग

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत निम्न बात विधान सभा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं-

नगरपालिका चुनाव में मकरना नगरपालिका की वोटर लिस्ट में स्थानीय उपखण्ड अधिकारी श्री सुनील भाटी ने एवं उसके चुनाव लिपिक ने

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

कई वार्डों में जान बूझकर सैकड़ों नाम, विरोधी पक्ष से रिश्वत खाकर काट दिये जिससे इफू एवं हिन्दुस्तान पार्षद का वार्ड एवं भाटीपुरा वार्ड के नामों को काटने से उन पार्षदों को लोकप्रिय एवं जनता का बहुमत होने पर भी उपखण्ड अधिकारी के कुकृत्य से हार का मुंह देखना पडा। इससे हमारा वार्ड नहीं बन पाया। मैंने राज्य सरकार एवं जिलाधीश, नागौर को उक्त बात की सूचना दी थी किन्तु समय पर जांच नहीं की और निराकरण भी नहीं किया। राज्य सरकार ने उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध जांच का निर्णय लिया है किन्तु आदेश के बावजूद सम्भागीय आयुक्त श्री तपेन्द्रजी एस.डी.ओ. का पक्ष ले रहे हैं व जांच नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसकी शीघ्र जांच की जाये। धन्यवादा।

श्री अध्यक्ष : डा. श्री गोपाल बाहेती। श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

(अनुपस्थित)

सीकर शहर की नवलगढ़ रोड रेलवे क्रासिंग के पास गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था करने बाबत

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र, सीकर में नवलगढ़ रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास गन्दे पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर रेलवे क्रोसिंग के पास, आसपास के क्षेत्र का गन्दा पानी मुख्य सड़क के अलावा उस क्षेत्र की कालोनियों में भी भरा पड़ा रहता है जिसके कारण आम जनता का आवागमन बिलकुल मुश्किल है तथा आम आदमी को गन्दे पानी से ही होकर निकलना पड़ता है, यहां तक कि इस गन्दे पानी की निकासी नहीं होने के कारण वहां सड़क बार-बार बनाई जाती है व बार-बार टूट जाती है. जिससे वाहनों के आवागमन में दुविधा होती

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

है। इस समस्या के समाधान हेतु मैंने जिला कलक्टर, सीकर को बार-बार कहा तथा लिखा। मैंने विधायक कोटे से भी पांच लाख रुपये की अभिशंसा उक्त कार्य हेतु की हैं। सीकरवासियों द्वारा इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार के आन्दोलन चलाए जा रहे हैं जिसमें धरना, प्रदर्शन एवं रास्ता जाम जैसे आन्दोलन है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सीकर जिले में प्रवास के दौरान समस्या के स्थाई समाधान हेतु सभा में आश्वासन दिया तथा आश्वासन की क्रियान्विति में यह कार्य स्वीकृत भी हुआ जिसकी कार्यकारी एजेन्सी अधिशासी अभियन्ता-सार्वजनिक निर्माण विभाग को बनाई गई।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी कि उक्त स्थल की सड़क शहर के साथ-साथ नवलगढ़-झुन्झुनूं-पिलानी-लोहरू-दिल्ली मार्ग को जोडती है। गन्दे पानी की निकासी नहीं होने के कारण वर्तमान में ही आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में तो उक्त रास्ते से आवागमन एकदम मुश्किल है। इस रास्ते पर सीकर की नई आवासन मण्डल कालोनी, चौधरी चरण सिंह कालोनी, किसान कालोनी एवं बडे विद्यालय, हास्टल एवं निजी अस्पताल भी अवस्थित हैं जिससे आमजन के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी आवागमन में काफी कठिनाई होती है। यह कार्य स्वीकृत भी हो चुका है। इसकी क्रियान्विति सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर को करनी है परन्तु विभाग द्वारा काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे क्षेत्रीय लोगों में रोष व्याप्त हैं। मैं यहां विशेष रूप से यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, जो मेरे ही जिले से हैं तथा वर्तमान विधायक भी हैं, उनका निवास स्थान भी इसी क्षेत्र में है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थायी समाधान हेतु ठोस उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

अतएव मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस पानी की निकासी हेतु बनाये जाने वाले नाले का कार्य प्रारम्भ करवाने के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

परबतसर विधान सभा क्षेत्र में बिजली की कमी

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बिजली की हमेशा भंयकर कमी रही है। विधान सभा क्षेत्र की जनता एवं किसानों की भावनाओं के अनुरूप इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका व राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि-

ग्राम गच्छीपुरा में बिजली की भारी कमी को देखते हुए 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. नया बनाया जावे। गच्छीपुरा क्षेत्र की बड़ी पंचायत है तथा बांका पट्टी पेयजल योजना का मुख्यालय है एवं 55 गांवों का मध्य सेन्टर होने से इन सभी गांवों के किसानों की जरूरत को मध्यनजर रखते हुए 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. ग्राम गच्छीपुरा में बनाया जाना अत्यावश्यक है।

ग्राम कुंराड़ा, बींठवालिया व रतनास जो कि पूर्णतः कृषि आधारित क्षेत्र है एवं यहां पानी गहरा होने से कुओं पर मोटर लगानी पड़ती है। इन गांवों की सप्लाई 11 के.वी. कुराड़ा फीडर से जो कि 33/11 के.वी. जी.एस.एस. गूलर से जुड़ा हुआ है, से हो रही है। इस फीडर पर बहुत ज्यादा लोड होने से अंतिम छोर पर बहुत ही कमजोर विद्युत सप्लाई प्राप्त होती है जिससे बार-बार काश्तकारों की मोटरें व निगम के ट्रान्सफार्मर जलते रहते हैं एवं नये विद्युत कनेक्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम कुराड़ा में नया 33/11 के.वी. जी.एस.एस. बनाने के प्रस्ताव अजमेर निगम स्तर पर भिजवाये हुए हैं जिसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी पेषित कर दी गई थी। पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि अतिशीघ्र ग्राम कुराड़ा में 33/11 के.वी.जी.एस.एस. स्वीकृत करावें।

(श्री राकेश मेघवाल)

ग्राम खोखर में 33 के.वी. का जी.एस.एस. नया बनाया जावे। किसानों की जरूरत को मध्य नजर रखते हुये 33 के.वी.जी.एस.एस. खोख़र ग्राम में लगाया जाना अति आवश्यक है जिसका प्रस्ताव विभाग को भिजवा दिया गया है।

ग्राम बस्सी भड़सिया व आसपास के ग्रामों में बिजली की भारी कमी को देखते हुए ग्राम बस्सी में 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. नया बनाया जावे। यहां के किसानों की जरूरत को मध्यजनर रखते हुए 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. ग्राम बस्सी में लगाया जाना अति आवश्यक है।

ग्राम मंगलाना मकराना शहर से मात्र पांच किमी की दूरी पर स्थित है। अतः ग्राम मंगलाना को मकराना की सिटी लाइन से जुडवाने की कृपा करावें, जिससे ग्रामवासियों को बराबर विद्युत सप्लाई मिलती रहे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भरत सिंह (अनुपस्थित)। डा. जालम सिंह रावलोत (अनुपस्थित)। श्री कन्हैया लाल मीणा।

बिहारीपुरा गांव (बस्सी क्षेत्र) की एक बच्ची का जुलाई, 2004 में बाहर के मजदूरों द्वारा अपहरण

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां-जहां भी औद्योगिक इकाइयां, कारखाने लगे हुये हैं वहां उद्योग मालिक श्रम एक्ट का खुल्लमुल्ला उल्लंघन कर राजस्थान के मजदूरों को कार्य पर नहीं लेकर, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों के ऐसे मजदूर जो अनेक केसों में लिप्त होते हैं जैसे चोरी, डकैती, लूट कत्ल आदि मुकदमों में उनके प्रदेशों में लिप्त होते हैं तथा यहां कारखानों में लाखों मजदूर उक्त प्रदेशों के कार्य करते हैं। राजस्थान के मात्र पांच प्रतिशत से ज्यादा मजदूर लगाते ही नहीं हैं। बाहरी प्रदेशों से लाये गये मजदूरों का इकाइयों में न तो पूर्ण पता होता है और सरकार के आदेश हैं कि पुलिस विभाग को बाहरी मजदूरों की पूरी जानकारी दिलाई जावे लेकिन उद्योग

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

मालिक रखता सौ मजदूर है, रिकार्ड होता है बीस मजदूर का। सरकारी अधिकारी पूछने पर मना कर देते हैं। बाहर के जितने मजदूर कार्य करते हैं, वे आपराधिक प्रवृत्ति के होने के कारण राजस्थान के शहरों-गांवों आदि स्थानों पर लूट, डकैती, हत्याएं, अपहरण करके चले जाते हैं।

अब तक राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से अध्ययन करके आने वाली बच्चियों को सैकड़ों की संख्या में ले गये जिनमें से आज तक 25-30 को छोड़ कर प्राप्त नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र के गांव बिहारीपुरा तहसील बस्सी की एक 11 वर्षीय बालिका जो विद्यालय में अध्ययन करके आ रही थी उसको माह जुलाई, 2004 को किसी वाहन में डाल कर ले गये। जिसका आज सात माह बाद तक बच्ची का पता नहीं लगा है। आपसे निवेदन है कि किसी उच्च अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अचानक जांच करवा कर बिना पता वाले रिकार्ड रखने वाले मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश फरमावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार नवलखा (अनुपस्थित)

श्री हरी सिंह रावत।

भीम विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइड कण्ट्रोल परियोजना बनाये जाने की मांग

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में पिछले पांच वर्षो से भयंकर अकाल की मार झेल रहा है एवं इस वर्ष भी भयंकर अकाल है जिसकी गिरदावरी में भी 92 प्रतिशत खराबा बताया गया है जो कि ज्वलन्तशील उदाहरण है। जिसके तहत राहत कार्य भी चल रहा है, लेकिन यहां पर अकाल की विभीषिका को देखते हुए मेरे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य में कार्यरत मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए।

अकाल की विभीषिका को देखते हुए पानी की भी भयंकर समस्या बनी हुई है। जिससे आम. जनता एवं जानवारों के पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है एवं मेरे क्षेत्र की कुछ पंचायतें फ्लोराइडयुक्त हैं वहां पर अतिशीघ्र शुद्ध जल की व्यवस्था करावें। जैसा कि फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र में मैंने प्रधानमंत्री योजना अन्तर्गत 57 हैण्डपम्प स्कूलों एवं गांवों में स्वीकृत कराए थे, लेकिन प्रशासन ने यह बता कर पैंडिंग कर दिया कि फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र में कोई दूसरी व्यवस्था कराई जाएगी लेकिन अध्यक्ष महोदय इस क्षेत्र में वैसे भी कोई पीने के पानी का साधन नहीं है, जो हैण्डपम्प का माध्यम था वो भी निरस्त कर दिया गया है। एवं आगे आने वाले समय में पानी की विकट समस्या आने वाली है, उसका अविलम्ब अन्य जिले जैसे अजमेर की भांति मेरे विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइड क्षेत्र में फ्लोराइड कन्ट्रोल परियोजना बनायी जावे जिससे पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

दौसा नगरपालिका क्षेत्र में औद्योगिक भूमि पर बसी कालोनियों का नियमितीकरण

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, दौसा नगरपालिका क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग हेतु चिह्नित भूमि पर बसी आवासीय कालोनी के एन.ओ.सी. के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि दौसा नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं. 29 में एन.एच.-11 के उत्तर और दक्षिण दिशा में रीको औद्योगिक क्षेत्र में बसाया गया था तथा मास्टर प्लान में उसके लगी हुई भूमि विभिन्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमि को रिजर्व लैण्ड रीको दर्शाया गया था। अब चूंकि उक्त खसरा नम्बरों पर घनी आबादी बस चुकी है तथा करीब 700 से 1000 परिवार निवास कर रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

उक्त भूमि को पूर्व में 1995 में बनी जिला स्तरीय जांच समिति ने भी रीको को भूमि की आवश्यकता नहीं की सिफारिश की गई है तथा रीको औद्योगिक क्षेत्र बापी जो कि दौसा से करीब 8 किमी है, पर विकसित की जा चुकी है। साथ ही मुख्यालय के सभी कार्यालय भी औद्योगिक क्षेत्र दौसा से सटे हुए हैं जिससे भी इनका संचालन वहां रखना उचित नहीं है। उक्त पत्रावली से सम्बन्धित चाहे गये यथा खसरा प्लान, पी.टी. सर्वे का प्लान खसरा गिरदावरी जमाबन्दी की प्रतियां पूर्व में नगरपालिका दौसा द्वारा रीको को भिजवाई जा चुकी है। किन्तु आज दिन तक रीको द्वारा एन.ओ.सी. नहीं भिजवाई गई है।

(समय : 12.24 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नगरपालिका दौसा की ओर से उक्त लगे हुए खसरा नम्बरों की 90बी की कार्यवाही आवासीय प्रायोजनार्थ जिला कलक्टर द्वारा अलग से करवाई की जा चुकी है। रीको विभाग द्वारा नगरपालिका के स्वामित्व की (गोचर भूमि इत्यादि) लगभग इतनी ही भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने और यदि कोई गोचर भूमि उपलब्ध नहीं हो तो समीप की कोई अन्य सरकारी एवं निजी भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित करने हेतु लिखे जाने पर नगरपालिका द्वारा वांछित भूमि की जमाबन्दी गिरदावरी ट्रेस नक्शा आदि रीकों को उलपब्ध करवा दी गई किन्तु कार्यकारी निदेशक, रीको श्री नवीन महाजन की हठधर्मिता के कारण इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके अभाव में वर्णित भूमि का डी.टी.पी. द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण यहां के निवासियों को नगरपालिका द्वारा पट्टे आदि जारी नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हो रही है। ना ही मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली, सड़क, रोड लाइट उपलब्ध कराई जा रही है जिससे वहां की जनता में बड़ा आक्रोश है। आये दिन ये लोग नगरपालिका में आकर आन्दोलन करते रहते हैं। अतः सरकार से

अनुरोध है कि इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाकर समुचित कार्यवाही करवाई जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल अहारी।

खैरवाड़ा की नहरों का मरम्मत कार्य

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई बड़े व छोटे बांध बने हुए हैं। वहां के बांधों के साथ जो नहरें निकाली है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। नहरें जगह-जगह टूटी-फूटी हैं तथा जर्जर अवस्था में हैं। ऊपर घोडी तालाब, बरोठी बांध, तागबाडा पाल का बांध, भूधर का बांध, घोडिया वाडा का बांध, कुंवारी नदी का बांध, सोमनदी पर सोमकागदर बांध बने हुए हैं। यहां पर सभी नहरें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। ऊपर घोडी तालाब बहुत ही पुराना बांध है। जहां की नहरें बिलकुल टूटी-फूटी हैं। इस बांध से तीन-चार गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है तथा इस तालाब से गर्मी के समय मवेशियों को पानी नदी के माध्यम से दिया जाता है। अगर यहां की नहरें दुरुस्त करवा दी जाये तो यहां का पानी और ज्यादा किसानों को दिया जा सकेगा और गर्मियों के लिए भी पानी रखा जा सकेगा। ताकि मवेशी व लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। बरोठी बांध एक बहुत ही बडा बांध है, जो बरोठी ब्रहमण ग्राम पंचायत में बना हुआ है, इस तालाब को बने हुए पच्चीस-तीस वर्ष हो चुके हैं। मगर इस तालाब से कच्ची नहरें निकाली गई। उन कच्ची नहरों से पानी नहीं दिया। उन नहरों में कई मवेशी गिरकर मर गये। अभी भी वही स्थिति है। जनता ने पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री दयाराम परमार से इस सम्बन्ध में बात की तो, उन्होंने जवाब दिया कि जिसने बंधवाया है, वही इन नहरों का निर्माण करवाये। आपसे निवेदन है कि बरोठी बांध की नहरें सर्वे करवाकर बनवायी जाये। इस बांध से पांच-छह गांवों तथा तीन पंचायतों तक पानी पहुंचाया जाता है।

(श्री नानालाल अहारी)

सागबाडा की पाल का बांध भी पन्द्रह बीस वर्षो से बना हुआ है। यह बांध फलासियां विधान. सभा क्षेत्र व खेरवाडा विधान सभा क्षेत्र की सीमा .पर बना हुआ है। इसका पानी सागवाडा, जलपका, सुबेरी तीन ग्राम पंचायतों तक दिया जा सकता है। इन तीनों ग्राम पंचायतों में सात-आठ राजस्व ग्राम हैं। मगर यहां पर भी नहरें निकाली गई। पूर्व सरकारों द्वारा इन सभी बांधों-नहरों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण यह सभी नहरें टूटी-फूटी व जर्जर अवस्था में हैं। यहां की. जनता के साथ राजनीतिक भेदभाव करते हुए इनका कार्य नहीं करवाया गया। अतः सिंचाई मंत्री व सरकार से मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इनका कार्य शीघ्रातिशीघ्र ही करवाया जाये।

ग्राम पंचायत भूधर में भूधर का बांध व ग्राम पंचायत कागदर भटियां में, सोमनदी का बांध सोमनदी पर बना हुआ है। इन बांधों की नहरें पक्की बनी हुई हैं। मगर काफी समय होने के कारण यहां सभी नहरें एकदम क्षतिग्रस्त व जर्जर अवस्था में हैं। सोमकागदर बांध की जो मुख्य नहर है, वो दो विधान सभा क्षेत्रों सराड़ा व खेरवाड़ा से होकर गुजरती है। दो विधान सभा क्षेत्रों के किसानों को पानी दिया जाता है। जब सोमकागदर का पानी प्रथम बार दिया गया, उस समय और अभी के समय काफी भूमि सिंचाई से वंचित हो रही है। इसका मुख्य कारण नहरों का टूटी-फूटी होना है। इस नहर की लम्बाई पचास-साठ किलो मीटर है। अगर नहरों की मरम्भत करवायी जाये तो काफी मात्रा में पानी किसानों को दिया जा सकेगा। हजारों बीघा जमीन लीकेज से बचायी जा सकेगी। व्यर्थ पानी को रोका जा सकेगा। तो वह गर्मी के समय काम आ सके। इसी तरह भूधर का बांध व घोडिया वाला बांध दोनों की नहरें भी क्षतिग्रस्त हैं। मेरी सिंचाई मंत्री व सरकार से विनम्र अपील है कि आप सम्बन्धित विभाग को सूचित कर इन नहरों का सर्वे करवाकर शीघ्र ही इनकी मरम्मत का कार्य इसी वर्ष करवाया जाये, ताकि खेरवाडा की जनता रोजी-रोटी के लिए पडोसी राज्य गुजरात, पलायन करने की विवश ना हो। अगर आपने इन नहरों के निर्माण व मरम्मत का कार्य समय पर करवा दिया तो यहां की जनता व किसानों को भारी मात्रा में पानी दिया जा सकेगा। किसान अपनी खेती कर बेरोजगारी से निजात पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह देवड़ा।

रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में पेयजल की समस्या

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र पंचायत समिति रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा के गांव अकाल से प्रभावित हैं और इनमें अभी पेय जल की काफी विकट स्थिति पैदा हो गयी है। महोदय, अभी मैं क्षेत्र में गया था तो कई गांवों के कुएं जहां से पेयजल की सप्लाई की जाती थी वे सूख गये हैं। रामसीन गांव में आठ दिन से पेयजल की सप्लाई दी जा रही है। ऐसे में अगर अभी यह हाल है तो गर्मी के दिनों में विकट स्थिति पैदा हो सकती है साथ ही जन आन्दोलन की प्रबल सम्भावना हो सकती है। अभी इन परिस्थितियों में वहां पर कुछ जगह पर ट्यूबवैल की सख्त जरूरत है व कुएं गहरे कराने आवश्यक हैं। मैंने जिला प्रशासन व जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया कि 5 लाख के ऊपर की ट्यूबवैल की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मुख्यालय जयपुर द्वारा की जायेगी क्योंकि मुख्य अभियंता, जोधपुर के अधिकार क्षेत्र जालौर सिरोही व पाली में ट्यूबवैल बनाने में 5 लाख की स्वीकृति कर सकते है जबकि बाड़मेर, जैसलमेर में 8 लाख तक की शक्तियां प्रदत्त है चूंकि ये नार्म्स काफी पुराने है हाल में 5 लाख में ट्यूबवैल बनाना असम्भव है। एसे में मुख्य अभियन्ता, जोधपुर को इन तीन जिलों में भी 10 लाख तक की स्वीकृति जारी करने की शक्तियां प्रदान करने का श्रम करें। ताकि अकाल की ऐसी स्थिति में पेयजल की समस्या को देखते हुए व्यर्थ में जयपुर आने जाने में समय नहीं जाए व जोधपुर के स्तर पर समस्या का निवारण हो जाए। ऐसे में जन स्वास्थ्य मंत्री महोदयजी से अनुरोध कर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तत्काल जनहित में आदेश जारी कर राहत दिलाने का श्रम करें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

गोगुन्दा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जिस तरह से सड़कों की बात को लेकर काफी ग्रामीण उद्वेलित है उनकी मन की भावना को मैं यहां अभिव्यक्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के रूप में ढिकोडा से घणावल सड़क, अप्रोच रोड रिकोर, सायरा से गायलफ का जो रोड है और अप्रोच रोड सांचली बडगांव से गुमान रोड पर इस तरह के घटिया काम होने से वहां पर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। साइड की पटरियां नहीं भरी गई हैं और जहां पर जिस मोटाई के रूप में काम करना था उतनी मोटाई के रूप में वहां पर डामरीकरण नहीं करने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चित्रावास के कडेच पर जिस एस्टीमेट के रूप में काम करना था, गांव के मध्य तक उस सड़क को जोडना था परन्तु उस गांव के मध्य तक सड़क को नहीं जोड़ा गया। चित्रावास से कडेच मंडी तक जोड़ना था, वहां आधे-अधूरे काम करके इतिश्री कर रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी पूरी तहकीकात करा कर वहां पर एस्टीमेट के आधार पर सड़कों को जोडना था, गांव के मध्य तक सड़क को जोड़ना था उसको जुड़ाये जाने की कार्यवाही करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति कोटडा में बेरण गांव है। बेरण में भी गांव के मध्य तक सड़क को नहीं जोडा गया। उससे पहले ही समाप्त कर बाद में इतिश्री कर दी। इसी तरह सड़क मरम्मत के रूप में बगडुन्दा से छाली रोड, मदारदा रोड, पढराडा से चित्रावास, देवला से पिपला जुडा कोटडा रोड, कुकावास से गोपाला बेड़ा तक की रोड़ भी बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और जब माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां विपक्ष में थे तब यहां बैठकर बात किया करते थे जब राज आयेगा तो मैं जितनी भी यह क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, मरम्मत लायक हैं, मैं ऐसी कर दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल हों। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का औहदा उनके कन्धों पर है। मुझे लग रहा है कि वास्तव में अभी जो मैंने सड़कें गिनाई हैं उन सड़कों को बिलकुल अच्छी तरह से मरम्मत कर ठीक करने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा मिसिंग लिंक सड़कों के रूप में रावछ से क्यार का खेत, कडेच से कोयलवास, बगडुन्दा से भारोडी, बिसमा पांबा से गोरिया, गायफल से रोयडा, गुमान से रोयडा, बोखाडा कुर्रा से गोरिया, कुकडा घाटा से मालविया समीजा लादेन घाटा से जुडा सड़क, तेजा का वास से भीमाणा, बैरण से भीमाणा, सामोली से बोरीसिमा। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में अगर यह सड़के जुड जाती हैं तो एक तहसील से दूसरी तहसील को जुडने का मौका मिलेगा और एक जिले से दूसरे जिले तक सीधी सम्पर्क सड़क होकर केवल 25 से 30 किलोमीटर के औसतन से ही एक एरिये से दूसरा एरिया जुड़ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है छिपाला और यह मोडी पंचायत का गांव है। मोडी के इस छिपाला गांव में 1991 में 1234 की जनसंख्या थी और अभी 2001 में 1368 की जनसंख्या हुई है। पी.एम.जी.एस.वाई. से इस गांव को नहीं जोड़ा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से और सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप इस बार प्रायोरिटी के आधार पर छिपाला गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जुड़ाने की महति कृपा करावे जिससे गांववासियों में जो रोष है, उनके आवागमन की सुविधा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा और मुझे लग रहा है

(श्री मांगीलाल गरासिया)

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी पूरी तरह से कृपालू रूप में है। इसलिए विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में आपका पूरा सान्निध्य रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जिन-जिन एरिया का मैंने नाम लिया है वह वास्तव में भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो रोड है वह जुड़ जाती है, मिसिंग लिंक के रूप में हो या मरम्मत के रूप में हो या पी.एम.जी.एस.वाई के रूप में छिपाला को प्राथमिकता देते हुए जुड़ाने की कार्यवाही करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ चिन्ता व्यक्त की है। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज पर मुझे आपत्ति है हेमामालिनीजी इस हिन्दुस्तान के सर्वोच्च सदन राज्यसभा की माननीय सदस्य हैं। अगर राज्य सरकार के किसी माननीय सदस्य के गालों की यहां पर चर्चा होगी तो फिर मैं इनके नेता के गालों की और नैनों की चर्चा करूंगा तो फिर इनको एतराज होगा।

श्री मांगीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपके मुखारबिन्द से कही हुई बात थी इसलिए मैंने निवेदन किया है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हेमामालिनी का विथड्रा करते हैं आपके गाल जैसी होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे गाल की चर्चा भी नहीं हो फिर सी.पी. जोशी साहब के गालों जैसी सड़क जरूर बन जायेंगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, ऐसी सड़कें मत बनाना ऐसी सड़कें नुकसान करेंगी।

डा. किरोडीलाल मीणा : सी.पी. जोशीजी के गालों पर तो जंगल उगा हुआ है।

डा. सी.पी. जोशी : ऐसी सड़कें मत बनाना लोग आपको याद करेंगे कि क्या मंत्री था जो ऐसी सड़कें बनाई। कम से कम अपनी शक्ल जैसी सड़कें बनाना।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब के रेफरेन्स से यह बात कही गई है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपने फिर असत्य आश्वासन दे दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैंने नहीं कहा (व्यवधान) मैंने कभी नहीं कहा कि हेमामालिनीजी के गाल जैसी सड़कें बनेंगी।

श्री मांगीलाल गरासिया : हुकुम, आप जब विपक्ष में बिराज रहे थे तब मुखारबिंद से ज्यादा सुना करते थे इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन जरुर करना चाहूंगा.....

श्री रामनारायण चौधरी : जब आप इधर विपक्ष में बिराजते थे तब का वह जिक्र कर रहे हैं और आज आप सत्ता पक्ष में है तो उससे भी ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किससे बढ़िया ?

श्री रामनारायण चौधरी : जैसा जिक्र किया है उससे भी बढ़िया।

श्री जुबेर खान : इसलिए मंत्री महोदय, कोई भी बात सोच समझकर कहनी चाहिए चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कभी उल्टी पड़ जाती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने कभी जिक्र नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इनके आपस का मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि जिन पांच सड़कों का आपने जिक्र किया, जो सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनीं और जो सड़कें मानक स्तर की नहीं बनीं, जिनकी पटरियों के बारे में आपने शिकायत की, पांच शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं, उन सारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शिकायतों को दूर कर दिया गया है। फिर भी मैं एडिशनल चीफ इन्जीनियर को निर्देश दूंगा कि आप द्वारा उठाई गई प्रत्येक सड़क का स्वयं मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे और उनमें किसी भी तरह की कमी खामी होगी तो उसको दूर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो भी सड़कें बनती हैं पांच साल का रिपेयर कान्ट्रेक्ट उसके साथ रहता है। सम्बन्धित संवेदक की जिम्मेदारी होती है उन सड़कों को बिलकुल ठीक रखे इसलिए आपने जिन सड़कों का जिक्र किया उसकी जांच कराकर उन्हें दुरुस्त कराने का काम करूंगा।

एक आपने छिपाला गांव की बात कही थी। आबादी एक हजार से ज्यादा बताई, निश्चित तौर पर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य मैं आपको अवगत कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

अध्यापकों के समानीकरण के नाम पर शिक्षा में हो रही अव्यवस्था

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के जरिये मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। राज्य सरकार जिस तरह से शिक्षा विभाग में, अध्यापकों के समानीकरण के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था को तितर-बितर करने जा रही है, मैं उस पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग में शिक्षा का महत्व कितना है, कितना नहीं यह हम सभी जानते हैं। गांवों की शिक्षा का स्तर क्या है, शहर की शिक्षा का स्तर क्या है यह भी हम जानते हैं। आज अपन यह कह सकते

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

हैं कि 80 प्रतिशत लोग गांवों और कस्बों में रहते हैं उनकी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए जबकि उल्टे सरकार उस व्यवस्था को अध्यापकों की कमी करके जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिराना चाह रही है उसमें मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि शिक्षा मंत्रीजी ने 23 जनवरी को, मैं अवश्य वह जानना चाहूंगा कि आप जो भ्रामक बातें कर रहे हैं अखबारों के माध्यम से या सदन में, इसमें कितनी सत्यता हैं आप स्पष्ट करें।

23 जनवरी को शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों का समानीकरण नहीं होगा, ठीक 24 दिन बाद आपके ही विभाग के सचिव महोदय साक्षात्कार में कहते हैं कि 15 फरवरी को कि शिक्षा विभाग में समानीकरण निश्चित तौर पर होगा, तो दोनों में से सत्य बात कौनसी है ? सरकार आप चला रहे हैं या आपके सैक्रेटरी चला रहे हैं, दोनों में से एक बात स्पष्ट करें।

तीसरा, मैं इस बात का भी हवाला देना चाहूंगा, जिसमें आपकी सरकार के आदेश गए हैं सभी कलक्ट्रों को, उसमें यह स्पष्ट तौर पर कलक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आप प्रपोजल्स बनाकर, नेशनेलाइजेशन के जितने भी प्रपोजल हैं उसने बनाकर 31-01-2005 के पूर्व सरकार को भेजे, तो इसमें सत्य क्या है ?

शिक्षा विभाग में आप समानीकरण करने जा रहे हैं उसमें 170 बच्चों पर 2 अध्यापक रखेंगे कक्षा 1 से 5 तक, क्या यह आज के समय में ठीक है ? 170 बच्चों को 2 अध्यापक कन्ट्रोल कर पायेंगे। आज कमरों की स्थिति क्या है, 15 बाई 12 के कमरे, 15 बाई 11 के कमरे, 16 बाई 20 के कमरे, इस तरह से कमरे बने हैं और आप बच्चों के 60 से ऊपर सैक्शन बना रहे हैं। एक सैक्शन में 60 बच्चे बिठाना चाह रहे हैं, अगर एक बच्चा दो बाई दो जगह रोकता है, स्टूल हो या वैसे ही बैठे तब भी आपके कमरों से ज्यादा तो बच्चों को बैठने की जगह चाहिए, तो यह सारी व्यवस्था कैसे बैठेगी, आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जनरल बातें शिक्षा के बारे में नहीं कहकर वास्तविक समस्या अभी कोई उत्पन्न हुई हो उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कीजिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इसे मामूली बात समझ रहे हैं आप। आज शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप....

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सरकार की मंशा मुझे यह लगती है कि शिक्षा का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण करने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो मिल रही है, गांव के लोगों को जो शिक्षा मिल रही है उस व्यवस्था को बिगाडकर पूर्ण रूप से शिक्षा का व्यवसायीकरण करने जा रहे हैं, यह मेरा आरोप है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन्होंने जिस तरह से, कक्षा 6 से 11 तक, 1 प्रधानाध्यापक प्राचार्य, 2 वरिष्ठ अध्यापक, 3 व्याख्याता होंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो कक्षा तो होगी 5 और अध्यापक होंगे 7. अब आप प्रधानाध्यापक को कहेंगे कि पूरे पीरियड में पढ़ायेगा, तो प्रधानाध्यापक पढायेंगे या कोई रिटर्न काम करेंगे या प्रशासन देखेंगे या पूरे के पूरे पीरियड पढ़ाते रहेंगे, क्या करेंगे ?

यही नहीं, आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 से 12 कक्षा तक 1 प्राचार्य होगा, 3 वरिष्ठ अध्यापक होंगे, 3 व्याख्यता होंगे, 6 और 7 जबकि क्लास है 7 (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो पूरे विवरण में जा रहे हैं, यह बातें इसमें पर्ची के माध्यम से नहीं उठाई जाएगी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगा, सरकार इसमें निश्चित तौर पर स्पष्ट करें, मंत्रीजी ने कहा वह बात सत्य है या आपके सैक्रेटरी ने कहा वह बात सत्य है या यह लैटर कलक्टर को गया, क्या मंशा है, क्या छिपा हुआ यह एजेन्डा है, आप कृपा यह स्पष्ट करें, मैं जानना चाहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छिपा हुआ एजेन्डा का हिडन एजेन्डा जो है उसको मैं माननीय मीणा साहब को बता रहा हूं।

सही बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सम्भागवार जब मीटिंग ली थी उस मीटिंग में राजस्थान भर में, अपने को सबको पता है, सदन को, अध्यापकों की बहुत कमी है। कई स्थानों पर बहुत ज्यादा अध्यापक थे और कई स्थानों पर कम थे। इसमें मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया था कि एक बार कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जिसके अन्तर्गत गांवों में भी, शहरों में भी कम संख्या में ही सही, कमी अगर है तो एक ही जगह नहीं रहकर सब जगह एक समान रूप से करने की बात कही थी, इसलिए इसका नाम समानीकरण था।

लेकिन जब एक प्रस्ताव गया कि इतने पर इतने अध्यापक होंगे, इतने पर इतने अध्यापक होंगे, तो एक भ्रान्ति यह फैली कि शायद सरकार जो पुराने मापदण्ड हैं उन मापदण्डों में परिवर्तन कर रही है। उसका बाद में कुछ शिक्षक संघों ने विरोध किया। बोरदिया समिति की और मंगल बिहारी समिति की रिपोर्ट हमारे सामने थी, इसलिए हमने केवल इतना ही काम किया कि जिला कलक्टरों से वास्तविक स्थिति क्या है। इसकी रिपोर्ट ले ली जाए, वह रिपोर्ट हमारे पास आ गई, उसके बाद आचार संहिता लग गई। हमने एक निर्देश दिया कि समानीकरण के आधार पर अध्यापकों को नहीं हटाया जाना चाहिए और गेस्ट फैकल्टी के आधार पर लोगों को नियुक्ति दी जानी चाहिए तो भारी संख्या में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर नियुक्ति की गई।

गेस्ट फैकल्टी में भी जो रिमोट गांव थे उनमें बी.एड. और बी.एसटीसी. नहीं मिलते थे तो हमने यह भी छूट दी कि इसके अलावा बी.एड. और बी.एसटीसी. के लोग भी नहीं मिलते हो तो बी.ए., एम.ए., सीनियर सैकण्डरी पास जो भी मिलते हो उनको गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाए, उनको लगा दिया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का 30 हजार का रिजल्ट तो आ चुका है और 4 हजार का आने वाला है, 28 तारीख को इसका फैसला हो जायेगा। जब यह 34 हजार अध्यापक एक साथ लग जायेंगे, इस प्रकार 2 हजार अध्यापकों का जो स्टे था सैकण्ड ग्रेड का....(व्यवधान) बता रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तक 14 महीने में आपने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। यथास्थिति चल रही है, कब कर देंगे ? जो भट्टा बिठाया वह तो बैठ गया लेकिन उसको वैसा ही रहने दोगे या कुछ ऊंचा उठाओगे (व्यवधान) ऊंचा उठाओगे या और चढ़ाओगे राजस्थान को ? आप कृपा करके इसको डाइल्यूट मत करो कि आपने कलक्टर से रिपोर्ट ली। एजुकेशन से कलक्टर का क्या ताल्लुक है ? आपके पास डी.ओ. है, डिप्टी डायरेक्टर है, आपके पास डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है इतना आपके पास है और कहते हैं कलक्टर से रिपोर्ट मंगाई है, फिर कहें देगें हमने कमिश्नर से रिपोर्ट मंगाई है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, गांव के अन्दर शिक्षा बरबाद हो गई, लडके बरबाद हो गये और स्कूलों के अन्दर कोई पढाई नहीं हो रही है। आप इसको सम्भालो। हमें आपसे उम्मीद थी क्योंकि आप शिक्षाशास्त्री हैं, प्रशासनिक क्षमता भी आपमें है। ग्रामीण बैंक ग्राउन्ड, सीकर में जन्म लेने के बाद भी आपका बैकग्राउन्ड ग्रामीण है। कहीं के भी हो जाओ लेकिन आज भी ग्रामीण हैं। जयपुर ग्रामीण से आए हैं। आपसे उम्मीद की जाती थी, तो आप इसको सम्भालो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय रामनारायणजी ने जो बात की, बिलकुल ठीक है। इसलिए मैंने पहला काम यह किया कि गेस्ट फैकल्टी में लगाये। अब टीचर्स की प्रक्रिया करीब-करीब पूर्ण हो गयी है। 28 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में इसका फैसला होगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह शिक्षक आने के बाद में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगेंगे। पांच साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेंगे और ये लगने के बाद शहरों में जहां सरप्लस होंगे, क्योंकि यह तो मैं साफ करना चाहूंगा कि मुझे माफ करें कि शहरों के एवरेज और गांवों के एवरेज में बहुत फर्क है, इसलिए उतना समानीकरण तो

होगा। उसमें बिलकुल बरबादी की बात नहीं है। एक 5 और 2 का रेश्यो है। 5 बच्चों पर एक अध्यापक है, 7 बच्चों पर एक अध्यापक है, 10 बच्चों पर एक अध्यापक है। उतना ही तो करूंगा, उतना समानीकरण तो निश्चित रूप से होगा। बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और 34 हजार की नियुक्ति के पश्चात इस सारे को दुबारा देखा जाएगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं शिक्षक संघों को भी, अन्य को भी किसी प्रकार से पूर्व निर्धारित संख्या पर जो अध्यापक लगाये हैं उसमें कमी नहीं की जाएगी।

माननीय रामनारायणजी ने जो कहा बिलकुल ठीक है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं। मुझे तकलीफ भी है कि यह काम नहीं हो पा रहा है। निरन्तर जब से मैं बना तब से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, सबसे मिलकर सरकार ने पूरे प्रयत्न किये, पूरे लगे हुए हैं। 500 से अधिक रिट याचिकाएं लगी रहीं। मैं एक-एक तारीख का वर्णन कर सकता हूं कि किस तारीख को क्या हुआ। अब सारे कोटा का करीब-करीब फैसला हो चुका है। आखिर का यह फैसला 28 तारीख को होने वाला है। उसमें भी हमको रोक, इतना ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप नियुक्ति की प्रक्रिया तो चालू रखिये लेकिन नियुक्ति 28 तारीख की हमारी सुनवाई के बाद दें। 34 हजार ये और 1904 अध्यापक, जो सैकिण्ड ग्रेड का स्टे था वह भी वेकेट हुआ है। इसलिए उनकी भी मैरिट बनी हुई है। मैरिट के आधार पर होंगे तो 2 हजार की संख्या और जुड जाएगी। 36 हजार लोगों की नियुक्ति, मैं समझता हूं कि मार्च तक करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, होगी। उसके बाद जो शिक्षकों की कमी की समस्या है उसका समाधान होगा और पूरी ईमानदारी से, आनस्टली प्रयत्न करके, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमी है उसको पूरा करेंगे, इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. सी.एस. बैद।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जनजाति उप योजना क्षेत्र में जो 45 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, क्या वह लागू रहेगी। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उदयपुर के जनजाति क्षेत्र में 45 प्रतिशत... (व्यवधान) एक मिनट, 45 प्रतिशत की व्यवस्था ही कायम रहेगी। उसका 24 सौ कुछ का रिजल्ट आना बाकी है, वह आने वाला है। वह इसलिये नहीं निकाला कि वह 45 प्रतिशत के हिसाब से ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, एक मिनट। श्री नन्दलाल बंशीवाल।

जयपुर-दौसा रोड पर मौजूदा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग

श्री नन्दलाल बंशीवाल : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैंने कहा, मेरी पर्ची से पहले आपने उधर कॉल कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह दौसा जिला मुख्यालय है और दौसा जिला माननीय भैरोसिंहजी शेखावत की मेहरबानी से बना था और दौसा जिले का बहुत तेज गति से विकास हुआ। पुरानी बिल्डिंग के अन्दर अस्पताल चलता था, नया अस्पताल बन गया। बडे-बडे सरकारी भवन बन गये। मगर एक समस्या जो जिले के बनने से पहले थी, जिला बनने पर भी थी और आज वर्तमान में भी वैसी की वैसी ही है। हमारे दौसा शहर में घुसने के लिये एक रेलवे फाटक है, उसके अन्दर से आना-जाना पड़ता है और दौसा से सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, गंगापुर, करौली, धौलपुर को रास्ता जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले उस फाटक में इनती ज्यादा प्राब्लम नहीं थी क्योंकि पहले ब्राड गेज नहीं थी, मीटर-गेज लाइने ही थी। अब वह ब्राड-गेज के अन्दर कन्वर्ट हो गयी। ब्राड-गेज में कन्वर्ट होने के बाद वर्तमान में वहां पर 16 गाडियां दिल्ली से जयपुर, जोधपुर की तरफ आती है और वह फाटक इतनी बडी प्राब्लम हो गया है दौसा शहरवासियों के लिये कि उसका मैं जितना बखान करूं, उतना थोड़ा है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं मेरी वर्तमान सरकार से कि उस समस्या का समाधान कराया जाना चाहिए और समाधान क्यों कराया जाना चाहिए, उसको भी मैं थोड़ा सा सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

हमारा जिला अस्पताल जो दौसा म बना हुआ है, हमारा नेशनल हाइवे का जिला है। आये दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। रोज अखबारों में आता है, कभी महुआ के अन्दर 15 मर गये, सिकन्दरा मोड पर 15 मर गये, 20 मर गये, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और वह सारे के सारे मरीज दौसा अस्पताल के अन्दर आते है। हमारे दौसा अस्पताल के अन्दर अभी ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, ब्लड बैंक वैसे हमारी सरकार ने सैंक्शन कर दिया, ब्लड बैंक चालू हो जाएगा। तो वहां जो मरीज आते हैं अस्पताल के अन्दर, उनको तुरन्त रैफर किया जाता है जयपुर के लिए इनको तुरन्त ले जाएं और एस.एम.एम के अन्दर भर्ती करवाकर इलाज करावें। उपाध्यक्ष महोदय, गलती से उस फाटक पर फंस जाए हम और आगे-पीछे ट्रेफिक जाम हो जाता है तो इतनी मौतें हो गयी हैं वहां पर, इन मौतों का अगर वर्णन करने लगूं तो मेरे को एक घण्टा लग जाएगा और एक घण्टे तक पर्ची के ऊपर हम बोल नहीं सकते हैं, 4 मिनट का ही आप हमें समय देते हैं। वहां पर फाटक इतना सकड़ा है और इतना घुमाव है उसके अन्दर कि वहां फाटक जब बन्द जो जाता है तो हर कोई जल्दी में निकलने के लिये रहता है कि जल्दी से जल्दी निकलें इस फाटक से बाहर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2000 में उस फाटक के ऊपर 2 मुकदमें दर्ज हुये दुर्घटना के, 2001 में 3 मुकदमें दर्ज हुए दुर्घटना के उस फाटक के ऊपर, 2002 में 9 मुकदमे दर्ज हुए, 2003 में 10 मुकदमें दर्ज हुए, 2004 में 8 मुकदमें दर्ज हुए, यह तो वह मुकदमें हैं जो कि पुलिस कोतवाली के अन्दर दर्ज हैं और इस हादसे को लेकर दर्ज हैं कि फाटक के अन्दर जल्दी से आवागमन के लिये वहां पर दुर्घटनाएं हो गयीं। वहां पर जिला अस्पताल में कोई हमारी माता-बहन को प्रसव के लिये भेजना पड़े तो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस फाटक के ऊपर हमारी माता-बहनों को आड़ देकर वहां पर प्रसव करना पड़ा, जो आगे पीछे ट्रेफिक में फंस गयीं। वहां पर इस तरह की समस्याएं महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को आती हैं।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक गहलोत भी दौसा गये थे। मेरे राजकीय चिकित्यालय का कार्यक्रम था उसके अन्दर मैंने उनसे निवेदन किया, पूरे दौसा जिले की जनता ने निवेदन किया। उस टाइम हमारे परसादीलालजी मीणा केबिनेट मंत्री थे, हरिसिंहजी महुवा मुख्य सचेतक थे, शैलेन्द्रजी जोशी उच्च शिक्षा मंत्री थे। हमारे वहां से 4-4 मंत्री थे। उनके सामने मैंने यह समस्या रखी। दौसा की जनता ने बहुत हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करके उनसे निवेदन किया कि इस फाटक की समस्या का समाधान आप तुरन्त करवा दें। मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अभी घाट की गूणी की रोड बनी थी और गूणी की रोड जब बनी थी तो एक तरफ का ट्रैफिक बन्द कर देते थे और एक तरफ का चालू कर देते थे। मैं भी एक बार उस ट्रैफिक में फंस गया तो वहां जो ट्रक आगे-पीछे आकर खडे हुए, उतर गये हम खडे होकर इन्तजार करने लगे कि हमारी बारी आयेगी तो हम चलेंगे। दौसा का फाटक कोई हमारे दौसा जिले के अन्दर ही नहीं, जयपुर के अन्दर ही नहीं, राजस्थान के अन्दर ही नहीं, पूरे देश के अन्दर इस दौसा के फाटक की समस्या लोगों की जबान के ऊपर रहती है। वहां ट्रक वाले उतर के कहने लगे, वह पंजाबी में बोले, मुझे पंजाबी पूरी तरह से बोलनी नहीं आती है, ए लो फंस गये इत्थे, दौसा के फाटक की तरह समस्या इत्थे भी हो गयी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा के फाटक की समस्या बहुत भारी समस्या नहीं है। (व्यवधान) मैं दो मिनट में, एक निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे ओवर ब्रिज आप बनाना चाह रहे हैं, हमारा यह कहना है, मेरी जानकारी में आया है कि यह जो रोड है यह नेशनल हाइवे 11-ए में हो गया, अब राजस्थान सरकार नेशनल हाइवे पर तो रोड़ बना नहीं सकती है। तो रेलवे ओवर ब्रिज है जो जयपुर से हम जा रहे हैं और जयपुर से दौसा की ओर घुसते हैं और घुसने के ऊपर बाइ-पास एक आगरा की तरफ जा रही है, एक दौसा शहर की तरफ जा रही है, उस मोड के ऊपर रेलवे ब्रिज बना दिया जाए तो आज उधर पूरी की पूरी डामर की रोड़ बनी हुई है, सिर्फ हमको पुल का निर्माण रेल की पटरी के

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

ऊपर करना है। मेरी जानकारी में आया है कि भारत सरकार ने इसके लिए अपनी स्वीकृति भेज दी है कि राजस्थान की सरकार दोनों एप्रोच के लिए अगर पैसा सैंक्शन कर देती है तो रेल की पटरी के ऊपर हम पुल का निर्माण करने के लिये अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, जो भी कोई बजट होगा उसको देने के लिए हम तैयार हैं। सावर्जनिक निर्माण मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत भारी समस्या है। आप भी दौसा आते-जाते रहते हैं। कई दफा आप भी फाटक पर फंस गये हैं और आपने मुझे कई दफा बोला है कि आप इसके लिए विधान सभा में आवाज नहीं उठाते, आप मांग नहीं करते हैं, अगर आप मांग करें तो हम पुलिया का निर्माण दौसा में करा देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दौसा की जनता को राहत पहुंचाएं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। उस टाइम जब अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री दौसा के अन्दर अस्पताल के लिये आये थे, जनता ने कहा था कि या तो आप पुल का निर्माण करा दें नहीं तो हम दौसा से कांग्रेस का सफाया कर देंगे। कांग्रेस का दौसा से सफाया हो गया। मैं नही चाहता हूं कि हमारा सफाया हो। इसलिये आप पुल का निर्माण कराने का मेरे को थोड़ा सा आश्वासन दें। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, राजेन्द्रजी, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, यह बरसों पहले की मांग है दौसा की। (व्यवधान) एक मिनट, मैं 5 बार वहां से लोक सभा का चुनाव लड़ चुका। एक मिनट सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : 5 बार लोक सभा चुनाव लड़ चुका हूं, मैं बांदीकुई से एक बार विधायक रह चुका हूं। माननीय नवलकिशोरजी ने भी बहुत कोशिश की, जो हमारे गवर्नर हैं गुजरात के। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इसको बहस का विषय मत बनायें।

डा. एन.एस. गुर्जर : राजेशजी पायलट ने भी बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत कोशिश की। कभी केन्द्र सरकार राजी होती है तो राज्य सरकार मना कर देती है। राज्य सरकार राजी होती है तो केन्द्र सरकार मना कर देती है वहां पर, अभी आपने बता दिया मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हास्पिटल में कई बार आते हैं लोग....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नाथूसिंहजी, सफाई होने के बाद बनेगी, नहीं तो यह बन नहीं सकती...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अब आप विराज जाओ। आप बोलते हो तो मैं नही बोलता हूं।

ट्रैफिक में फंसने के बाद बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और इधर से दो-दो किलोमीटर तक और दो-दो किलोमीटर उधर तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। शहर जाम हो जाता है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से कोओर्डिनेट करके इस पुल का निर्माण करवाया जाए ताकि ठेठ करौली तक और धौलपुर तक यह जो नेशनल हाइवे बन रहा है और रेलवे लाइन भी जा रही है, थोडा सा आगे, यह सब डवलपमैन्ट हो रहा है और एक पुल के अन्दर इतना-सा पुल है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : जिसके लिए बहुत लम्बे समय से लोगों की मांग है। सरकार इस पर कुछ करे तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दीजिए। माननीय सदस्य, अब इस पर नहीं, अब आ गयी बात सारी।

श्री मुरारी लाल मीणा : मैं यह कहना चाहूंगा कि बांदीकुई में रेलवे मंत्रीजी आये थे और वे इस आर.ओ.बी. के लिए जो रेलवे के पैसे की जरूरत है, उसकी स्वीकृति के लिए बोलकर गये हैं और उसकी चिट्ठी भी रेलवे विभाग में आ चुकी है, केवल राजस्थान सरकार की कमी है यदि राजस्थान सरकार स्वीकृति जारी कर देती है तो भारत सरकार की तरफ से पैसा बिलकुल तैयार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आ गयी बात।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है; थोडी-सी एक बात सुनी जाए मेरी। सांगानेर में जो अभी एक महिला को पीट-पीटकर मार दिया गया है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला दौसा रेलवे फाटक की पीडा माननीय सदस्य ने यहां जाहिर की है, यह समस्या न तो एक दिन की है, न एक सरकार के कार्यकाल की है, वर्षो पुरानी समस्या है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि इस समस्या के समाधान के लिए जिस तरह का सार्थक प्रयास होना चाहिए था, उस तरह का सार्थक प्रयास वहां से पूर्व सांसद रहे, दूसरे मित्रों ने नहीं किया और सरकार ने भी नहीं किया। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा-लालसोट सड़क है वह ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : बहुत प्रयास किया था। देखिए, मैंने कहा है कि अक्रास पार्टी लाइन, मैं बता रहा हूं, मैंने भी प्रयास किया अक्रास द पार्टी लाइन, बता रहा हूं मैंने भी प्रयास किया, पायलट साहब ने भी प्रयास किया, माननीय नवल किशोरजी ने भी प्रयास किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रयास अभी भी हो रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन वह तालमेल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कभी बैठा नहीं। वह हो सके, अब अच्छा मौका है।

श्री उपाध्यक्ष : अब भी हो रहा है प्रयास।

श्री अमराराम (धोद) : यह राठौड़ साहब नहीं करने देंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा : राठौड़ साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी ही बात मान लेंगे हम तो। आपके सांसद भी रहे हैं, वहां से। कांग्रेस की बात तो आप छोड़ दीजिये लेकिन आप अब राज्य में हो, आप घोषणा कर दो, आपकी कृपा होगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वास्तव में समस्या बड़ी जटिल है और लोगों की परेशानी का कारण भी है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा-लालसोट सड़क से एक नया बाइपास अभी प्रस्तावित किया है और यह नेशनल हाइवे-11 "ए" पर है इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हमने कर ली है और भारत सरकार के पास इसकी स्वीकृति के लिए आवश्यक सारी प्रक्रिया हम पूरी कर रहे हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आर.ओ.बी. के अन्दर कुछ राशि भारत सरकार देती है और कुछ राशि राज्य सरकार देती है। भारत सरकार से अभी तक तो हमें ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिस तरह का जिक्र अभी बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, निश्चित तौर पर इसका प्रयास करूंगा और यह जो नया बाइपास प्रस्तावित है इस बाइपास पर इस आर.ओ.बी को भी हमने सम्मिलित किया है। इसके लिए गम्भीरता से प्रयास करके, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसके लिए आप भी प्रयास करें। मैं भी प्रयास करूंगा, सरकार भी चिन्तित है और इस समस्या के समाधान का पूरा-पूरा प्रयास करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सब आ गया।

श्री बृजकिशोर शर्मा : एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप प्रयास करें और सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट से कोई मदद की जरूरत हो तो हमें बतायें, हम आपकी निश्चित रूप से मदद करवायेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखो, मैं तो आपको बता दूंगा माननीय सदस्य, मैं आपको बता भी दूंगा फिर कुछ होगा नहीं। फिर लोगों में जो भ्रम है, आपका बहुत बडा केन्द्रीय सरकार पर दबाव है, वह निकल जाएगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : इसका मतलब इससे यह साफ जाहिर होता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. सी.एस. बैद।

श्री सुरेश मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भी इसी प्रकार का गंगापुर सिटी में पुल का निर्माण करवाया जाए, ऐसा हमारा निवेदन है।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा ठहरिये।

राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं में हो रही गिरावट के सम्बन्ध में

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के अन्दर ग्रामीण और शहरों के अन्दर हो रही चिकित्सा सुविधाओं के अन्दर भारी गिरावट की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी पिछले दिनों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में इस पवित्र सदन के अन्दर पक्ष और विपक्ष, दोनों ने अपने विचार रखे, काफी विचार विमर्श हुआ। कई बातों की चर्चा की गयी और मैंने जिस सीरियस मुद्दों के बारे में इस सदन को अवगत कराने की कोशिश की, कई माननीय सदस्यों ने उसको लाइटली लेकर उसका मखौल उड़ाया। मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि दो दिन पहले हमारे यहां के बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी और युवा दिलों की धडकन शिवराज सिंह पोलो खेलते हुए रामबाग पोलो ग्राउण्ड पर जमीन पर गिर पड़े और उनके ऊपर घोड़ा गिर गया, उनको इमीजिएटली एस.डी.एम.एच. संतोकबा दुलर्भजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कुछ समय बाद उनका वहां पर सीटी स्केन भी हुआ। फिर दुबारा दो घंटे बाद पुनः उनका वहां सीटी स्केन करवाया गया। उसके बाद उन्हें सवाई मानसिंह चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया गया। अपना सवाई मानसिंह चिकित्सालय, अपन एक तरफ तो बात करते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की, एक तरफ प्रचण्ड प्रचार और

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

प्रसार करते हैं कि यहां पर चिकित्सा सुविधाओं की इस तरह से बढ़ोतरी की जाएगी, प्रचार-प्रसार किया जाएगा लेक़िन दूसरी तरफ इन दो दिनों के अन्दर सवाई मानसिंह चिकित्सालय और राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं को जिस तरह से इस एक छोटी-सी घटना ने उधेड़ कर रख दिया, उससे एक आदमी यह अन्दाज लगा सकता है कि ऐसे बी.बी.आई.पी., जिनको देखने के लिए महामहिम उपराष्ट्रपति आये, जिनको देखने के लिए माननीय मुख्य मंत्री वहां बिराजी रहीं पूरे दिन, जिनको देखने के लिए एक्स फाइनेन्स मिनिस्टर इण्डिया आये, जिनको देखने के लिए डाक़्टर भगवती को दिल्ली से बुलाया गया और कितनी शर्मनाक बात है कि एक छोटा-सा सीटी स्केन कराने के लिए रिस्क लेकर, उसके टिकट पर लिखा गया अटेन्डेंट् द्वारा कि हम इस चीज की रिस्क लेकर इसको दुबारा संतोकबा भेजकर इसका सीटी स्केन करवाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब एक बार सीटी स्केन हो गया, मैंने दो दिन पहले यह छोटा-सा प्रश्न उठाया था कि यहां पर आपके इतने बड़े चिकित्सालय के अन्दर, आपको 14 महीने हो गये सरकार में आये हुए, जब आपको मालूम था कि यह पुरानी सीटी स्केन की मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, आपको उसका सुटेबल वायबल अल्टरनेटिव क्यों नहीं रखा, नम्बर वन।

दूसरी, जब आपको मालूम था कि यह सीटी स्केन मशीन पुरानी हो चुकी है और दूसरी मशीन सिर्फ दो महीने के अन्दर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में लग सकती है। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपये साज-सज्जा में खर्च कर रही है, सरकार करोड़ों रुपये दूसरे तरह की चीजों में, अनावश्यक चीजों पर खर्च कर रही है तो सिर्फ एक या दो करोड़ रुपये की सीटी स्केन मशीन लगाने में क्या तकलीफ आ रही थी ? आपने इन्जीनियर बुलाया। इन्जीनियर ने कहा कि मैं चार लाख रुपये लूंगा और सीटी स्केन मशीन ठीक कर दूंगा। कितने दिन चलेगी इसकी मेरी कोई गारन्टी नहीं है। क्यों नहीं ठीक करवायी आपने उसको ? जितने दिन चलती आज यह दिन देखने को तो नहीं मिलता। इतने बडे-बडे बी.बी.आई.पीज. देश और विदेश से हमारे नामी-गिरामी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

खिलाड़ी को देखने आये हमको शर्म से मुंह नीचे करके देखना पड़ा। मेरे को यह कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि आज सुबह उस नामी खिलाड़ी, जिसके लिए मैं भी दिन में दो बार प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूं सुबह बाम्बे हास्पिटल में उसको शिफ्ट किया गया है। मैंने यह चर्चा की थी, दो दिन पहले मैंने कहा कि सारे नियमों, कानून-कायदों को ताक पर रखकर सरकार ने किसी एक व्यक्ति को पैट भरने के लिए एम.आर.आई. मशीन का ठेका किसी ऐसी फर्म को दे दिया, आपको मालूम है, मैं वह नाम दुबारा नहीं लेना चाहता लेकिन सुनिये आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अलग-अलग बहाने से कितनी बार आयेंगे ? नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अलग-अलग बहानों से कितनी बार आयेंगे ? इस पर चर्चा हो गयी। पहले चर्चा हो गयी। सदन में माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया। फिर किसी बहाने से आयेंगे यह, मतलब एक तरह से सदन का दुरुपयोग है, एक तरह से सदन का दुरुपयोग है यह तो। किसी भी तरीके से, कोई भी बहाने से यह सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो होना चाहिए न। एक बार चर्चा हो गयी। मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया, जवाब दे दिया। (वयवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम नहीं। (व्यवधान) मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पूरा विवरण सारी बातें रख दी थीं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घूम कर इण्ट्रेस्ट तो वही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको पूरा बोलने दीजिये। एक मिनट। आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूरा बोलने दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, फिर पूरा जवाब देने का मौका मुझे दीजिए। मैं जवाब दूंगा खुलकर। बोलिये आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : हां, मैं बोलूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं बोलूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बोलूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बहुत चर्चा, इस पर पूरी चर्चा हो चुकी थी। माननीय मंत्रीजी ने पूरा जवाब दे दिया था। सारी बातें डिटेल में बता दी गयी थीं। फिर इसमें बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह बात, आप बोलने दे रहे हैं पर...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब तो देना पड़ेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन वे जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप रोक लगाइये। एक ही आरोप बार-बार नहीं लगाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बाकी कोई बात नहीं रही है। मशीन पुरानी हो सकती है, सब बात है पर इसको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की प्रक्रिया और नियमों में लिखा है कि एक बार जिस विषय पर चर्चा हो जाए और जिस पर सरकार का वक्तव्य आ जाए उस पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती है। सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह हो गया। माननीय सदस्य इसमें यह भी आ गया था, आपने सारा पाइन्ट आउट कर दिया था, मशीन पुरानी है नयी मशीन होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको खुद को शर्म महसूस करनी चाहिय कि एस.एम.एस. के क्या हालात हैं और इतने वी.आई.पी., जहां पर उप राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी दिन भर वहां बिराजी रहीं और इसके बाद वहां सी.टी. स्केन नहीं इसके बाद यह स्थितियां हुई, आपको खुद को शर्म आनी चाहिये। आप व्यवस्था नहीं सुधार पाये एस.एम.एस. की, आपको क्यों नहीं शर्म आई ? कहने में क्या है ? ... (व्यवधान) कहने दो आप उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस मशीन के बारे में सारी बातें हो चुकी थीं कि यह मशीन पुरानी है..(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराजें तो मैं अपनी बात कहूं। मैं वह नहीं कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार यही कहना कि किसी आदमी को लाभ देने के लिये (व्यवधान) आपका उद्देश्य यह है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, नहीं इसका उद्देश्य यह नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं वह उद्देश्य बिलकुल डिफरेंट हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के लाखों मरीज, जो सवाई मानसिंह अस्पताल की तरफ मुंह करके अपने घर से चलते हैं कि एक दिन वहां जाकर अपना इलाज करायेंगे, जांच करायेगे। बड़े डाक्टर उनका इलाज करेंगे और उनके परिवार का सदस्य ठीक होगा। मुझे यह बताया है कि पिछले दो महीनों में, ढाई महीनों में कितने सैकड़ों-हजारों मरीज यहां आये होंगे जिनको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। ऐसे कितने मरीज आये होंगे जिनको जांच के अभाव में गिरावट का मुंह देखना पड़ा। कई लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से हाथ धोना पड़ा। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कितनी शिकायतें आपके पास आई हैं ? ऐसी कोई शिकायत आई है क्या आपके पास ?...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप बिराजें तो मैं कहूं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको क्या मतलब है ? इनके कहने से घनश्यामजी ने बात नहीं मानी। इनके कहने से ओ.के. को ठेका नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : आप इसको डायल्यूट कर रहे हो। इनके पास शिकायतें आयेंगी क्या ? इनके पास शिकायतें करने आयेंगे लोग ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन से बात कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह : दो-ढाई महीने में हजारों-लाखों लोग आये हैं। शर्म आनी चाहिये सरकार को, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकार को आश्वस्त करना चाहिये सदन को, कि हम इतने समय में व्यवस्था करेंगे। इसमें क्या है ? एक गांठ लगा दी आपने, बिलकुल बोल ही नहीं सकते। क्या मतलब है ? इतने नामी खिलाड़ी के साथ यह हुआ है। हमारे लिये सिर झुकाने वाली बात है। (व्यवधान) सरकार को कहना चाहिये।...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने व्यवस्था की थी तो फिर शिवराज सिंहजी को एम.आर.आई. के लिये ओ.के. क्यों भिजवाया ? क्यों भिजवाया आपने फिर ? जब आपकी व्यवस्था वहां पर थी और सारा माकूल इन्तजाम वहां हो सकता था तो वी.आई.पी. के लिये तो यहां भेजो और गरीबों को वहां भेजो, यह कौनसी व्यवस्था है आपकी ?...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह चौथी बार चर्चा हो रही है। चौथी बार एक विषय पर चर्चा हो रही है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट अलग-अलग लोगों का हो सकता है और सिर्फ ओ.के. की बात ही करनी है आखिर के अन्दर। सीधा मंत्रीजी के चैम्बर में जाकर कह दें ना, क्या बात है जो ? चौथी बार चर्चा हो रही है।...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ही मुद्दे को बार-बार उठाकर सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं और यह आसन को निर्देशित करने का भी प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैदजी, मेरी बात सुन लीजिये। माननीय सदस्य, आपका यह निवेदन करना बिलकुल सही है कि हास्पिटल का

(श्री उपाध्यक्ष)

स्टैण्डर्ड अच्छा होना चाहिये। आप और हमसे छिपा नहीं है इस हास्पिटल में कभी हार्ट के ऑपरेशन भी नहीं होते थे। धीरे-धीरे सुधार हो रहा है हर चीजों की सुविधा, अगर देखना चाहें तो सम्भव नहीं है और यह ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में बहुत कुछ पहले कह चुके। अब आप इसमें अगर यह आरोप लगाना चाहते हैं तो...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : सुधार का एक नमूना उपाध्यक्षजी, आपको दो दिन पहले ही देखने को मिला है कि कितना सुधार हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जान-बूझकर तथ्य ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, यह कह सकते हैं और सुधार होना चाहिये। हो रहे हैं सुधार।...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह ओ.के. को ओ.के. क्यों करवाना चाहते हैं ?...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हर वी.आई.पी. को ओ.के. में क्यों भेजते हो ? प्रश्न तो सरकार का है। वी.आई.पी. को क्यों भेजते हो ओ.के. में ? जब यह जगह ठीक नहीं है बकौल कालीचरणजी के, तो इलाज कराने के लिये ओ.के. क्यों भेजते हो ? (व्यवधान)

डा. राजेन्द्र राठौड़ : वह घनश्यामजी के रहते ओ.के. नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : टैस्ट कराने के लिये ओ.के. क्यों भेजते हो ? वी.आई.पी. को वहां भेजते हो ? आप क्यों भिजवाते हो फिर ?... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित करवा दिया कि अस्पताल में अच्छी सुविधा हो और होनी चाहिये। आपका यही मकसद है। आज कम्पलीट अप-टू-डेट हिन्दुस्तान के अन्दर एक भी ऐसा हास्पिटल नहीं है जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। फिर भी लोग फोरेन जाते हैं तो यह कोई ऐसा

(श्री उपाध्यक्ष)

मुद्दा नहीं है जिसके लिए आप बड़ा भारी दोष...(व्यवधान) ऐसी कौनसी बात है कि जिसके अन्दर हम पूरी डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति के लिये यह सदन चलेगा क्या?...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय महोदय, पूरी बात तो रखने दें। सरकार को इतनी कहां चिन्ता हो रही है। कोई तथ्य आयेंगे तो सरकार जवाब दे देगी...(व्यवधान) क्या पता क्या हो जायेगा ?...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी व्यक्ति कहां पर इलाज करवायेगा, यह सदन तय करेगा क्या ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यवधान मंत्री।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या व्यवधान है। कौन व्यक्ति कहां इलाज करायेगा, यह उसके घरवाले तय करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों मरीज मर रहे हैं। सैकड़ों गरीब इस प्रदेश के वासी आज भी मौत और जिन्दगी से जूझ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने एक की चिन्ता नहीं की। (व्यवधान) यह मुम्बई और अमरीका में इलाज करवाते हैं तो वह वहां क्यों गये ? महामहिम उप राष्ट्रपतिजी भी अमरीका गये। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : गरीबों की कितनी जानें गयीं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों गरीब आज भी जूझ रहे हैं। सैकड़ों गरीबों की बोल रहा हूं, आप व्यवस्था करवाइये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जब आप लोग गये वहां। (व्यवधान) राजा का बेटा राजाओं के खेल में घायल हो गया। यह कोई गरीब का खेल नहीं है पोलो। पोलो तो राजाओं का खेल है। राजाओं के खेल में राजा का बेटा घायल हो गया। तो वहां मुख्य मंत्रीजी भी बिराज रही हैं दो दिन से। उप राष्ट्रपतिजी बिराज रहे हैं। मिनिस्टर भी आ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) किसी की चिन्ता नहीं की, कोई गरीब का नाम नहीं लिया। अब वह यहां इलाज करायेगा क्या ? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार का सारा अमला वहां मौजूद है। इसके बाद भी वहां इन्तजाम नहीं होता तो फिर गरीब आदमी का तो क्या होगा ?...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप गरीब की कोई चिन्ता नहीं करते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उसके बाद भी आपके बिराजने के बाद भी मुख्य मंत्रीजी वहां सीटी स्केन का इन्तजाम नहीं कर सकते तो फिर गरीबों का तो क्या हाल होगा ?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सीटी स्केन का इन्तजाम भी है। बहुत-सी जगह ऐसी, मैं भी कई जगह अच्छे हास्पिटल में...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यही व्यवस्था चलेगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आप तो, यह फाइण्डिग करवा दें सरकार की कि हम तो ऐसी व्यवस्था रखेंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। हम बैठ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसा कौन कह रहा है ? आप यह कह रहे हो कि जान-बूझकर रखी गयी है, अच्छी नहीं लगायी गयी।...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उप राष्ट्रपति महोदय, कितने चिंतित हैं पता लगा लेना आप सारी व्यवस्था का। आप पता लगा लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उप राष्ट्रपति महोदय तो जब पूनम चंदजी बिश्नोई बीमार पड़े, उस समय भी चिंतित थे और उन्होंने एस्कोर्ट अस्पताल में भेजा, जब हरिदेवजी जोशी बीमार पड़े उस समय भी चिंतित थे, चंदनमलजी बैद भर्ती थे उनको भी घर मिलने गये। यह तो उनकी सहृदयता है। वह चिंता करते हैं और चिंता करेंगे लेकिन आप किसी गरीब की चिंता नहीं करते। आप भी चिंता करो किसी की।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं कह रहा हूं व्यवस्थाओं से कितने चिंतित थे। मैं व्यक्ति के लिये नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एस.एम.एस. की व्यवस्था से महामहिम उप राष्ट्रपति कितने चिंतित थे, आप मिल लेना और पूछ लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारी चिंता हम पर ही छोड़ रखी है आपने।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बात पूरी करने का मौका दिया जाये। मैं आपसे सुरक्षा चाहता हूं। मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दिया जाये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर : मैं एक मिनट बोल लूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप मंत्रीजी, बिराजें। मैं मेरी बात तो कह लूं। आप बिराजें। यह ऊर्जा का सवाल नहीं मेडिकल एण्ड हैल्थ का है। आप बिराजें, मैं कह रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (ऊर्जा राज्य मंत्री) : मुझे एक मिनट समय देगें। आप बहुत बोल चुके। उपाध्यक्ष महोदय, शिवराज सिंह मेरे भांजे हैं। मैं उनके साथ जब से एक्सीडेंट हुआ, से लेकर आज सुबह जब उनको मुम्बई ले जाया गया, मैं वहीं पर था हास्पिटल में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी यहां की जो टीम है डाक्टर्स की इट इज टॉप क्लास: डाक्टर भगवती हैं, डा. भगवती बोम्बे से आकर गये और डा. धारकर ने जो ट्रीटमेंट बताया था,

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

उन्होंने, ही एग्रीड विद इट हण्डरेड परसेंट और उनको हमारा जो आई.सी.यू. वार्ड है, मेरे ख्याल में जितने यहां पर प्राइवेट हास्पिटल हैं, इट इज आई थिंक दे बेस्ट इन जयपुर और इनको जो यहां से ले जाया गया, अव्यवस्था के कारण नहीं ले जाया गया क्योंकि इनके पहले ही एक एक्सीडेंट हो चुका था और वह एक्सीडेंट में जो डाक्टर मुम्बई में देख रहे थे, उनके माता-पिता चाहते थे कि उसी डाक्टर के पास ले-जाकर, क्योंकि वे उनको ट्रीट कर चुके हैं, इसलिये ले जाया गया और जो डाक्टर धारकर कर रहे थे, डा. भगवती ने उसको अप्रूव किया। जो उनका ऑपरेशन आज हो रहा है वही ऑपरेशन डाक्टर धारकर कल रात को करने वाले थे। यह आपको सूचित करना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपरेशन में एस.एम.एस. बिलकुल ठीक है। लेकिन डायग्नोसिस की जो व्यवस्था है, सवाल उसकी कमी का है। डाक्टर धारकर की कमी का नहीं है। बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हम मानते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की कमजोरी का है जिसके कारण यह परिस्थितियां पैदा हुईं। सवाल तो यह है।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय बैदजी, मुझे समझ में नहीं आता। आपकी इसमें क्या रुचि है कि रोज कोई न कोई बहाने से आप इस प्रकार लगाते हैं। मैने उस दिन भी कहा था आपको, आपका यह पेशा है, आप डाक्टर है और आपको इस प्रकार से बेहूदा आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिये और इस प्रकार के आरोप आपको नहीं लगाने चाहिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप बैठिये, आपके कहने की कोई अहमियत नहीं है। आपकी आदत है...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह जांच का विषय होना चाहिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैने आपको उस दिन भी कहा था, आप उस दिन कह रहे थे कि ओ.के. डाइग्नोसिस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। आज इस बात से सिद्ध होता है कि ओ.के. डाइग्नोसिस से आपका सम्बन्ध है।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसके बिना आपका काम नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : और आप इसको फायदा पहुंचाने में ... (व्यवधान) इसलिए कृपा कर के सदन के पटल का दुरुपयोग नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय मंत्रीजी, मैंने बात पूरी की ही नहीं, बीच में ही आप दे रहे हैं। किस चीज का जवाब दे रहे हो आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप इनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी, बार-बार में क्या सुनना, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो नट-शैल में कह दो न मेरी मांग यह है कि ओ.के. को ...(व्यवधान)... सीधी कह दो न, दो टप्पे की बात है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, नहीं। मेरे को बोलने तो दो आप। मेरे बोलने के अधिकार पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : (व्यवधान) ऐसे बोलने का अधिकार नहीं है आपको।

श्री अमराराम (धोद) : ऐसे कौनसे पहाड़ टूट रहा है, आप इतने भयभीत हैं जैसे कोई पहाड़ टूट रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहने दीजिए इनको।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं और इनको आप बोलने की अनुमति मत दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समझ गया मैं, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्ची पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्ची पर किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं ? आपने पर्ची पर अलाउ किया है...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : आप इतनी लिबर्टी कैसे दे रहे हो इनको ?

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पर्ची पर प्रश्न कैसे कर सकते हैं ? यह पर्ची पर किस प्रकार का प्रश्नोत्तर हो रहा है ? यह पर्ची पर बोल रहे हैं, पर्ची पर किस प्रकार प्रश्न करेंगे यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस.एम.एस. अस्पताल में काम करने वाले डाक्टर्स पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, हमारे यहां पर जो डाक्टर्स उपलब्ध हैं वो पूरे देश में...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो मशीन के बारे में...(व्यवधान)... ठहरिये, माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप एक मिनट बात सुन लें। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लाभ नहीं उठा सकते सदन का। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बैदजी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो ही शब्दों में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, अब क्या बाकी रह गया ? इन्होंने बता दिया, खतम बात। अब बैठाइये इनको आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार में आपकी सदाशयता का फायदा उठा कर सदन का दुरुपयोग करना चाहते हैं, इनको आप बैठाइये, कोई मैटर नहीं है इनके पास। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय पर आरोप मत लगाइये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। इनको शिवराज सिंहजी कि लिए दुआ करनी चाहिए कि जल्दी ठीक हों।

डा. चन्द्रशेखर बैद : कर रहे हैं, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यहां पर शिकवा शिकायत क्या करना है। इनको यहां बैठ कर, सदन को और सब को इस बारे में विचार करना चाहिए कि उनके लिए दुआ करें अपन सब।

डा. चन्द्रशेखर बैद : इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं, और किसलिए बोल रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अब सीटी स्केन खराब है, अच्छी है, जो है जो है। आप तो पिछले पांच साल का ब्यौरा दो। इनको यह बात करनी चाहिए आज के दिन, यह शिकवा शिकायत करने का टाइम है क्या ? ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा : पूरा सदन उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता है और हम दुआ करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हों। ...(व्यवधान) कह रहे हैं न, सब एक मत हैं जहां उनका सवाल है...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आपको यह दुआ करनी चाहिए, क्या बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय बैदजी, कह दिया ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पर्ची पर काहे को बोलते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : इनको कहो विराजें, कोई मैटर नहीं है इनके पास।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : कालीचरणजी, आपके नम्बर पूरे बढ़ गये हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी आपके बारे में विचार कर रहीं हैं, आप चिंता मत करो।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप चिंता मत करो, आप मेरे नम्बरों की चिंता मत करो, आप तो अपने नम्बरों की चिंता करो। विराजो आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अगले एक्सपान्सन में आपके बारे में विचार कर रही हैं वो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस इस तरह से नहीं चल सकता, हाउस को आर्डर में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। बैदजी, आप अपना समाप्त करें। बीच में नहीं, लैट हिम से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सदन में उत्तेजना आयेगी अगर एक विषय चार-चार बार उठेगा तो सदन में उत्तेजना वाजिब आयेगी। किस बात पर बात कर रहे हैं ? चार बार एक विषय को उठायेंगे यह ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? उनसे पूछिये तो सही, इसका उनसे स्पष्टीकरण लो कि वो इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के आधार पर सदन में कितनी बार चर्चा हो सकती है ? किसी विषय पर पर्ची के माध्यम से सदन में कितनी देर चर्चा हो सकती है ?...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना गम्भीर मामला है, आपने तीन मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया और इनको 15 मिनट दे दिये, क्या भेदभाव हो रहा है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा का सवाल नहीं है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य पर्ची के जरिए अपनी बात कहते, स्वास्थ्य मंत्रीजी जवाब दे देते। पर्ची पर कोई बहस होती है क्या ? आप बीच में खड़े होकर इसको लम्बा तूल देना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : एक मैटर को चार बार किसी भी हालत में नहीं उठाने दिया जायेगा, क्या बात कर रहे हो आप।

श्री संयम लोढ़ा : यह सब मंत्री पद की होड़ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है कि सदस्य पर्ची के जरिए अपनी बात कहेगा और सम्बन्धित मंत्री कोई उत्तर देना चाहे तो दे देंगे। (व्यवधान) आपके पेट में मरोड़ी क्यों उठती है, आप बार -बार खड़े होकर इसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रियों के कितने पद खाली हैं ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : आप बार-बार क्यों बोलते हैं ? आपका क्या लेना-देना इस बात से ?...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका है क्या ?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माहिर आजादजी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : शिवराज सिंहजी आपके रिश्तेदार हैं क्या ? (व्यवधान) सवाल यह है कि खिलाड़ी मुम्बई जा सकता है, एक गरीब आदमी को दिक्कत होती है। पर्ची पर बहस का मुद्दा आप बनाते हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप क्यों बहस कर रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आप कहने दीजिए, आप काहे के लिए बीच में इन्टरफेयर करते हो, लेट हिम से आप समाप्त कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री पद की होड़ मची है। यह सारे मंत्री पद के दावेदार मुख्य मत्रीजी क सामने अपने नम्बर बढ़ा रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : चिंता मत करो आप।

श्री जोगाराम पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं, यह कौनसी चर्चा हो रही है, यह किस की इजाजत से बोल रहे हैं बीच में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : यह बैठे-बैठे बोल रहे हैं आपका हो जायेगा, उसका हो जायेगा, क्या मंत्री आप बनाते हैं ? आप मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं आप तो सदन का समय व्यतीत कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल : बैठे-बैठे बोल रहे हैं बिलकुल नियमों के विपरीत। माननीय सदस्य से कहा जाए बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। हां, बैदजी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह बिलकुल नहीं था, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में काम करने वाले डाक्टर्स पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। मुझे इस बात की खुशी है और सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सवाई मानसिंह

(डा. चन्द्र शेखर बैद)

चिकित्सालय एक प्रसिद्ध चिकित्सालय है और वहां नामी-गिरामी डाक्टर्स काम करते हैं ज़िनको दिखाने के लिए दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं।

मैं चर्चा कर रहा था वहां पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की। पिछले दो दिनों में हमारे नामी खिलाड़ी, जिसके लिए हम भी दुआ कर रहे हैं, वह आपके किसी एक आदमी की प्रोपर्टी नहीं है, वह पूरे राजस्थान का गर्व है, गौरव है और शान है, उसके लिए नहीं, उसके साथ-साथ मैं उन गरीब मरीजों की बात करना चाहता हूं कि जब इतने वी.आई.पी. के साथ यह हरकत सवाई मानसिंह चिकित्सालय में हो रही है तो एक गरीब आदमी के साथ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनें, एक गरीब आदमी का क्या हश्र हो रहा होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब इन्होंने फिनिश कर दी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब देंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब की कोई बात नहीं है ?...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, देंगे। मैं दूंगा जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ज़वाब इसके अन्दर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, चार्ज लगाया है तो।

उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर एक मामला उठाया कि हमारे पोलो के विख्यात खिलाड़ी, शिवराज सिंहजी पोलो ग्राउंड पर गिर गये और बहुत युवा अवस्था में हैं, उनको गम्भीर चोट लगी। चोट लगते ही उनको संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल में ले जाया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मैं, दोनों तत्काल संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल पहुंचे गये। उसी समय सवाई मानसिंह हास्पिटल के डाक्टर, धारकर साहब को भी वहां बुला लिया गया। सारे विचार-विमर्श के बाद में दुर्लभजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अस्पाताल के डाक्टर्स ने यह कहा कि, साहब, इनका धारकर साहब की देखरेख में इलाज होना चाहिए और इनको सवाई मानसिंह अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए। उस समय उनकी कैट मशीन, एम.आर.आई. जो भी होनी थी, हो गयी थी और नीचे लाते समय फिर उनका यह वहीं पर मशीन से हो गया था। उसी समय डाक्टर धारकर साहब ने कहा था कि हमारी इस समय मशीन हास्पिटल की खराब है इसलिए अगर बार-बार, इनको दोबारा कराना पड़ा तो लाना पड़ेगा। तो उनके घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस प्रकार से करते रहे हैं, कोई आपत्ति इसमें होती नहीं है, मरीज को नुकसान नहीं होता है। इसके बाद में उनको सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बदल दिया गया और वहां का जो बार्ड था, तीन बजे जब डाक्टर भगवती मुम्बई से आये और न्यूरो सर्जरी के अपने आई.सी.यू. को उन्होंने देखा तो देखने के बाद में स्वयं डाक्टर भगवती ने कहा कि हिन्दुस्तान के सबसे बढ़िया न्यूरो सर्जरी का आई.सी.यू. मैंने राजस्थान में देखा है। यह उन्होंने कहा है। मुझे खुशी और गर्व इस बात का है कि डा. भगवती ने मेरे सामने यह भी कहा है कि यहां के दोनों चिकित्सक डाक्टर धारकर और पी.पी. एस. माथुर हैं, और सारे चिकित्सक थे, उन लोगों ने जो ट्रीटमैंट की व्यवस्था की है और जिस प्रकार का किया है इसे अलावा दूसरा कोई ट्रीटमेंट मैं भी नहीं कर सकता। यह उन्होंने कहा। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर भगवती यह कहकर चले गये कि जो चिकित्सा कर रहे हैं वह चिकित्सा ठीक है। उसके बाद उनकी हालत में यहां निरन्तर सुधार हुआ। किसी प्रकार की गिरावट नहीं हुई लेकिन कल मां-बाप सबसे बढ़िया जगह अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं। एक ही लड़का है, उदीयमान लड़का है, वह बीमार है। हमारे डाक्टरों ने तो उस समय भी कहा, हम सब थे, उन्होंने कहा कि हम यहां चिकित्सा कर रहे हैं, हम यहां चिकित्सा करेंगे और आप बाहर ले जाना चाहें तो बाहर ले जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने फिर वहां से हवाईजहाज मंगवाया और रात को उनको हवाई अड्डे पर जाकर भेजा। बहुत अच्छी तरह से वह मुम्बई चले गये। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह ठीक हो जाएं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहूंगा, मैंने इसी सदन में कहा कि मशीन खराब है, फरवरी के महीने में मशीन नई लग रही है। यह कोई नई बात पहले नहीं हुई है। इसमें कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं 3-1-2001 को आदेश निकला, राज्य में कई स्थानों पर एम.आर.आई टैस्ट की सुविधा निजी क्षेत्र में उपलब्ध होने के कारण अब एम.आर.आई. टैस्ट राज्य के स्थान पर सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय से एन.ओ.सी. प्राप्त करके किया जा सकता है और यदि मशीनें खराब हों तो एन.ओ.सी. लेकर राजकीय चिकित्सालय से दूसरे में कराई जा सकती है। लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती रही हैं। जब हमने एक अनुबंध कर लिया कि इस फरवरी से सी.टी. स्कैन की मशीन लग जाएगी और अप्रैल में एम.आर.आई. की मशीन लग जाएगी, उसके बाद में यहां पर होगी और इसलिए जब मशीन खराब हुई और उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि चार लाख रूपये लगेंगे, एक महीना ठीक करने में लगेगा और इसकी दो महीने की गारंटी है तो फरवरी में जब नई मशीन लग रही है, जनवरी में मशीन खराब हो रही है, एक महीना उनको लगाने मे लग रहा है, एक महीना वहां चिकित्सक जाएंगे और मैं सदन में यह विश्वास के साथ कह रहा हूं जब से यह मशीन खराब हुई है, माननीय शिवराज सिंहजी का सवाल नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सामने एक गरीब आदमी जिसको कोई देखने वाला नहीं हो उसके भी टक्कर लगकर अगर गिर गया है तो हमारे लिए वह भी शिवराज सिंह ही है। उसका भी हम उसी प्रकार इलाज करेंगे जैसे शिवराज सिंहजी का किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा एक भी घटना...

श्री रामनारायण चौधरी : (व्यवधान) उसके लिए तो आप दुर्लभजी गये, किसी एक आदमी को आप लेकर गये थे क्या दुर्लभजी में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, ले गये थे।

श्री रामनारायण चौधरी : किसको लेकर गये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, बताओ, आप बताओ मुख्य मंत्रीजी बताओ किसी को लेकर गये क्या कभी ? (व्यवधान) शिवराज सिंहजी के तो आप साथ गये, वहीं जाकर सेठों के वहां सिफारिश की, राजस्थान सरकार व्यवस्था कर नहीं सकी इसलिए वहां करवाई। यह आपके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल, मैं बता रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या बात कर रहो आप गरीब आदमी, गरीब आदमी, कौन पूछता है गरीब आदमी को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं, 4 दिसम्बर के बाद जितने भी मरीज सवाई मानसिंह हास्पिटल में भर्ती हुए और उनका कैट स्कैन काराना था उन सबको हमने दुर्लभजी में, वर्द्धमान में कैट स्कैन कराने के लिए भेजा है, यह मै कहना चाहता हूं। शिवराज सिंहजी का ही सवाल नहीं है, एक नहीं बहुत को भेजा है।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मैंने बात कही है, मैं आज एक छूट भी दे रहा हूं हमने वहां पर यह घोषणा की, उपाध्यक्ष महोदय, हमें किसी की नीयत पर शंका नहीं, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि यह फरवरी में लग जाएगी और अप्रैल में लग जाएगी। जब तक यह मशीनें लगेंगी तब तक वर्द्धमान की नहीं है, कोई भी मशीन जो पास में है, जो सरकारी रेट सरकार ने तय की है उस पर ओ.के. वाला करे, उस पर वर्द्धमान वाला करे, उस पर नीरज वाला करे, आज से मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं जब तक मेरी मशीन नहीं लग जाती सरकार की निर्धारित रेट पर कहीं से भी करा सकते हैं। किसी से भी सरकार जुड़ी हुई नहीं है। यह बात मैं इस बात पर कहना चाहता हूं किस बात की बात की जा रही है। लेकिन एक बात मुझे दुख के साथ कहनी पड़ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, इसी आसन

पर, मैं माफी चाहूंगा कल्ला साहब, कल्ला साहब सभापति के आसन पर बैठे थे, मैं तीन दिन तक बोला नहीं हूं लेकिन मैं याद दिला रहा हूं, एक प्रश्न उठा था, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, कल्ला साहब उस समय आसन पर थे आपने निर्णय दिया था कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी संस्था में काम कर चुका हो और अब छोड़ दिया हो और उसके बाद में वह इस सदन का सदस्य बन जाता है तो उस संस्थान के बारे में उसको प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। यह कल्ला साहब ने कहा था। यह नैतिकता भी थी। इस पर कई व्यवस्थाएं हैं। मैंने आज भी तीन चार बार, मुझे यह व्यवस्था याद थी, मैंने उठाया नहीं लेकिन बार-बार (व्यवधान) आप सुन लीजिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप एग्जाम्पल कोट नहीं, आप लिखा हुआ दिखाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, लिखा हुआ है। कल्ला साहब यहीं तो बैठे हुए हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं है लिखा हुआ (व्यवधान) कल्ला साहब के मौजूद होने से यह बात... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : इनको, यह भी जांच होनी चाहिए वह डाक्टर साहब कितने दिन हास्पिटल गये, उनके हस्ताक्षर कौन करते थे, यह भी जांच हो जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बिलकुल सही बात है। बिरला साहब ने कहा है, कल ही प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा ने वहां अधिकारियों से कहा है कि यह डाक्टर बैद प्रश्न उठाता है, इसका पुराना रिकार्ड देखो और जांच कराओ। वह यह चाहते हैं अगर हमारी बात हम यहां कहते हैं और आपके जो शिक्षा सचिव हैं, प्रमुख शासन सचिव हमारे अधिकारों का हनन कर इस प्रकार दवाब डालना चाहें तो हम प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, कर लेना (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों में कितनी बार तो यह मशीन खराब हुई और कितनी बार बाहर जांच कराई गई ? (व्यवधान) नहीं, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज लड़ाई यह नहीं है, आज लड़ाई यह है कि जब से हमने यह कान्ट्रेक्ट किया है और यह मशीन लगने वाली है जिसमें 700 रुपये में सी.टी. स्कैन होगा और इतने कम रुपये में एम.आर.आई होगा तो सारा मार्केट क्रेश हो गया। आज पांच हजार के बजाए 1600 रुपये में एम.आर.आई. होने लगी है और आज 700 रुपये में सी.टी. स्केन होने लगी है। सारे मरीजों को फायदा हो रहा है तो यह डायग्नोस्टिक लाबी वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग इस सदन के प्रांगण का दुरुपयोग करना चाहते हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी कीमत पर दुरुपयोग नहीं करने दूंगा। राजस्थान की सरकार गरीब आदमी के हित में जो भी आदमी आएगा चाहे शिवराज सिंहजी भी आ जाएं, सड़क पर पड़ा हुआ आदमी आ जाए, उसकी चिकित्सा राज्य सरकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को रोज-रोज एक ही विषय उठाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। आज मैंने कुछ समय के लिए ओ.के. को भी ओ.के. कर दिया है और अब तो शायद आपको शांति मिलेगी। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको शर्म आ रही थी इसलिए किया है। यह आपकी मजबूरी थी कि 1.5 की मशीन जहां आपने ठेका दिया वहां नहीं थी। यह तो आपकी मजबूरी है। ओ.के. काहे को किया है, नहीं करना चाहिए था (व्यवधान) आपकी मजबूरी थी।

श्री कालीचरण सर्राफ : क्यों बैदजी बताइये (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपकी चिकित्सा व्यवस्था का खुलासा तो इसी से हो जाता है आपके पास मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एम्बुलैंस ही नहीं है (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप एस.एम.एस. हास्पिटल से जुड़ें हुए हैं केवल एस.एम.एस. की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने पहली बार दस जिला हैडक्वार्टर्स पर सी.टी. स्कैन लगाने का वायदा किया था 15 मार्च तक 10 जिला हैडक्वार्टर पर सी.टी. स्कैन लगेगी (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर : यही तो मैं कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके पास तो सीरियस मरीजों को शिफ्ट करने के लिए एम्बुलैंस ही नहीं है। एम्बुलैंस ही आपने प्राइवेट अस्पताल की मंगवाई है, एम्बुलैंस ही नहीं है आपके पास मरीज को शिफ्ट करने के लिए, आपने खुद ने ही वो दूसरे के यहां से मंगवाई है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : कितनी शर्मनाक बात है कि एम्बुलैंस तक नहीं है (व्यवधान) आपके पास यह देखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जितनी एम्बुलैंस की जरूरत पड़ेगी उतनी भेज दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके पास एस.एम.एस. में थी तो क्यों मंगवाई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। इस पर चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री युनूस खान।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फार्मेशन क्या है ?

अनुरोध एवं मांग

केसरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से नष्ट फसल का मुआवजा

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 17 और 18 तारीख को मेरे निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर का ऐसा क्षेत्र जो भारत पाक सीमा पर पड़ता है उसके गांव खखा कोट, हिन्दुमल कोट, इसमें भारी ओलावृष्टि हुई है और इस ओलावृष्टि से सरसों की खड़ी फसल पूर्णतः नष्ट हो

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

गयी है। इससे एक माह पूर्व इसी स्थान पर खखा कोट और हिन्दुमल कोट आदि क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई थी जिसमें तीस पर्सेण्ट के लगभग खराब आया था उसी स्थान पर फिर ओलावृष्टि हुई है और पूर्ण रूप से वहां हमारा जो किसान था उसके खेतों में बहुत बुरी तबाही हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है, माननीय राहत मन्त्रीजी से अनुरोध है कि पहले उस स्थान पर तीस पर्सेण्ट था अब वहां फिर ओलावृष्टि हुई है, पूर्ण रूप से वह क्षेत्र तबाह हो गया है तो इसकी गिरदावरी तुरन्त करवाकर जो इससे प्रभावित किसान हैं, ओलावृष्टि के कारण से, उनकी जो फसल तबाह हुई उसका मुआवजा दिया जाए। यह विषय केवल मेरा ही नहीं है इससे पहले गंगानगर जिले के हमारे बीझबांयला और क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, तो इसके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तुरन्त कदम उठाकर इसका मुआवजा दिया जाए। आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : टीकम चन्दजी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबरदस्त शीत प्रकोप के कारण, पाला पड़ने के कारण सिवाना विधान सभा क्षेत्र, सिवाना तहसील के अन्दर इस बार की जो फसल थी गेहूं, रायड़ा और विशेषकर अरंडी, सारी की सारी बरबाद हो गयी है। किसान इस प्रकार से, पिछले पांच सालों से भी अकाल भुगतता आ रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है। इस बार जो आशा लिये हुए था उसकी सारी फसल समाप्त हो गयी है। इसलिए मेरा भी इस सरकार से निवेदन है कि कुछ न कुछ राहत ऐसे किसानों को, जिनकी शीत प्रकोप के कारण सम्पूर्ण फसल बरबाद हो गयी है सिवाना तहसील के अन्दर, उन्हें राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री सुरेश मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : गंगानगर जिले में, सूरतगढ़ में, टौंक जिले में ओलावृष्टि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने...(व्यवधान) यह कोई परम्परा नहीं है...

श्री सुरेश मीणा : सांगानेर इलाके में एक दलित महिला को पींट-पीटक़र मार दिया गया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सरकार के ध्यान में आ गया...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई नियम प्रक्रिया से सदन चलाएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक ओलावृष्टि का मामला है...

श्री सुरेश मीणा : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है जिन लोगों ने उस महिला को मारा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या पूछना चाहते हैं आप... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : उस दलित महिला को जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं...

श्री सुरेश मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक महिला को मारा है। उस महिला को पीट-पीटकर मारा है और उसको हमारी तरफ से क्यों नहीं सुना जा रहा है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज हो नहीं सकती...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : क्या आर्थिक सहायता दी सरकार ने ? हमारी बात पर थोड़ा गौर किया जाए...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि नागौर जिले में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या कहना चाहते हैं। आप अपना बता दीजिये लिख करके...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से यह एक जिले और तहसील की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में ओलावृष्टि हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ओलावृष्टि में कुछ नहीं किया पंर मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर काश्तकारों के मन में जगह बनानी है तो ओलावृष्टि का मुआवजा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में मंत्रीजी की तरफ से जवाब आ चुका था कि हम गिरदावरी करवा रहे हैं इसलिए उचित कार्यवाही की जायेगी। इसमें आगे कोई चर्चा नहीं।

माननीय श्री युनूस खान...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। अभी कोई बिजनस...(व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

खेलकूद विभाग

श्री युनूस खान (युवा एवं खेलकूद मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या-एफ.13(15)स्पोर्टस/2004 दिनांक 09-11-2004 जिसके द्वारा राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) नियम, 2004 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह।

प्रतिवेदन

जयपुर विद्युत वितरण निगम का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष, 2003-2004

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवदेन एवं लेखे वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2004 (वर्ष 2002 का अध्यादेश संख्या-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

व्यवस्था का प्रश्न

पंचायती राज के विधेयक का प्रस्ताव पंचायती राज्य मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं अन्य मंत्री नहीं

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर :

यह जो विधेयक जिस पर आपने माननीय मंत्रीजी को प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर प्रभारी मंत्री का नाम लिखा हुआ है घनश्यामजी तिवाड़ी संविधान की धारा 243(जी) के अन्तर्गत जिसमें लिखा हुआ है।

Powers, authorities and responsibilities of Panchayat.

यह बनाने का जो इलैवंथ शैड्यूल था उसमें अधिकार दिया था राजस्थान असेम्बली को। कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ पंचायती राज का और कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इलैवंथ शैड्यूल के अन्दर यह लिखा हुआ है कि कौन-कौनसे सब्जेक्ट हैं जिसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार नियम बनायेगी। इलैवंथ शैड्यूल में यह लिखा हुआ है कि जो एजुकेशन है उसमें एजुकेशन इनक्लूडिंग प्राइमरी एंड सैकण्डरी स्कूल के सम्बन्ध में सरकार नियम बनायेगी। सरकार ने नियम बनाये और 1994 के अन्दर सरकार ने नियम बनाये कि एजुकेशन में पंचायती राज को क्या-क्या शिड्यूल इलैवेंथ के अन्दर काम दिया हुआ है। उसके अन्तर्गत पंचायती राज को एलीमेंटरी

(डा. सी.पी. जोशी)

एजुकेशन का काम सौंपा गया। अब पंचायती राज को सौंपा गया उसी दृष्टि से उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये इसमें लिखा हुआ है कि

Constitution of Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service.

Appointment by direct recruitment on the posts specified in cluse (iii) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad.

यह रिक्रूटमेंट का अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद को है। केवल मात्र सरकार ने आर.पी.एस.सी. से एग्जामिनेशन कराने का काम हाथ में लिया, जो कानून के अन्तर्गत आप ले सकते थे। आपने किया। एग्जामिनेशन किया, कोई तकलीफ नहीं है लेकिन रिक्रूटमेंट करने का अधिकार आज भी पंचायत समिति और जिला परिषद को है। जब पंचायत समिति और जिला परिषद को रिक्रूटमेंट करने का अधिकार है तो इसके जो रेलेवेंट मंत्री हैं वह पंचायती राज मंत्री हैं, इसका इंचार्ज, मंत्री प्रभारी मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि कानून की दृष्टि से जो संविधान का संशोधन है, जिस संशोधन को पार्लियामेंट में पास किया राष्ट्रपति के उस पर साइन हैं, जिसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने नियम और कानून बनाये हैं, उन नियम और कानून के अन्तर्गत यह बिल प्रस्तुत करने का अधिकार केवल मात्र पंचायती राज मिनिस्टर को है। बिजनस रूल अलाउ करते हैं। बिजनस रूल आपके बिजनस को ट्रांजेक्शन करने के सम्बन्ध में हैं। केबिनेट में बिजनस रूल में परिवर्तन करके शिक्षा मंत्री को यह काम दिया है, यह बिजनस रूल के अन्तर्गत आप कर सकते हैं लेकिन जो कानून बनाया है संविधान संशोधन के अन्तर्गत, कानून के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा ने नियम और कानून बनाये हैं, इलैवंथ शैड्यूल के अन्दर एजुकेशन का सब्जेक्ट पंचायती राज को दिया गया है, उस बिल को लाने का काम निश्चित तौर पर केवल मात्र पंचायती राज मंत्री कर सकता है।

(डा. सी.पी. जोशी)

यहां जो यह लिखा गया है कि प्रभारी मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी हैं, वह कानून का खुला उल्लंघन है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय. इस पर आप डिबेट करें और यह गलत परम्परा नहीं डालें, यहां परम्परा को ठीक करने के लिये प्रभारी मंत्री का नाम कालू लालजी गुर्जर होना चाहिये। बिल भले ही घनश्यामजी तिवाड़ी प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें कोई डिबेट नहीं है। कोई भी मंत्री इसमें बिल को प्रस्तुत कर सकता है लेकिन इस बिल के अन्दर जो हम पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2005 इसमें प्रभारी मंत्री घनश्यमजी तिवाड़ी लिख रहे हैं, यह संवधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है और न यह परम्परा की दृष्टि से ठीक है। इसलिये मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का काम अलग है, बिजनस रूल में ट्रांजेक्शन करने का नियम और कानून अलग है, केबिनेट में बिजनस रूल में परिवर्तन करके यह काम शिक्षा विभाग को दिया गया है, वह अलग बात है, लेकिन यहां पर बिल आयेगा, उस बिल को पंचायती राज के संशोधन में प्रभारी मंत्री का नाम पंचायती राज मंत्री का होना चाहिये और आज के दिन मुझे पता नहीं है आपने कोई परिवर्तन किया हो तो खुशी होगी मुझे कि पंचायती राज मंत्री कालू लालजी गुर्जर नहीं हैं और पंचायती राज मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी हैं। तब तो निश्चित रूप से घनश्यामजी तिवाड़ी प्रभारी मंत्री के रूप में इस बिल को यहां प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा यह बिल जो आपने लिस्ट किया है, जिसको आप सदन में चर्चा के लिए ला रहे हैं, यह कानून-सम्मत नहीं है। इसलिए इस बिल पर यहां, सदन में चर्चा नहीं करवायी जाये और सरकार को यह निर्देश दिया जाये कि प्रभारी मंत्री के रूप में कालूलालजी गुर्जर इस बिल को प्रस्तुत करें फिर सदन में चर्चा हो तब तो यह चर्चा सार्थर होगी, कानून-सम्मत होगी, संविधान के परिवर्तन के सम्मत होगी अन्यथा नियमों और कानून का खुला उल्लंघन होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप खुद एडवोकेट हैं, इस सदन की जो गौरवशाली परम्पराएं हैं उनमें एक काला अध्याय नहीं जुड़े। प्रभारी मंत्री के रूप में जो जिम्मा जिसके पास है वहीं इसको प्रस्तुत करे, तब हम चर्चा करें,

(डा. सी.पी. जोशी)

तब यह चर्चा सार्थक होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप इस बिल को यहां पर विथड्रा करवायें, वापस सरकार को निर्देश दें कि जो प्रभारी मंत्री है बिल को लायें फिर चर्चा कराई जाये।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं भी आर्टिकल 243(जी), शिड्यूल पेज-17 की तरफ दिलाना चाहूंगा। जो आपका कोट किया है उसी की तरफ, एजुकेशन इनक्लूडिंग प्राइमरी एण्ड सैकण्डरी स्कूल। उपाध्यक्ष महोदय, आप भली-भांति परिचित हैं कि पहले प्राइमरी स्कूल ही पंचायत राज संस्थाओं के अन्तर्गत थी। आपकी गवर्नमेंट ने ही उसमें मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल शिक्षा मंत्री के अन्तर्गत रखी। उस समय आपको यह संविधान की धाराएं याद नहीं आयी। उस समय जितने भी अमेंडमेंट आप लाए शिक्षा विभाग में...।

डा. सी.पी. जोशी : नाथूसिंहजी करेक्ट कर लें। आप तो विद्वान हैं। बिल सदन के अन्दर प्रभारी मंत्री, पंचायत राज के अलावा नहीं आये हैं, Please don't misquote. I am once again saying with full knowledge and confidence. यह आप प्रभारी मंत्री जो कोट कर कर रहे हैं, ईर्रलेवेंट कोट कर रहे हैं, आज भी आपकी सरकार जब आप पंचायत राज मंत्री थे, तब राजस्थान विधान सभा में इस 73 में अमेंडमेंट के बाद कानून में और नियमों में जो परिवर्तन किया वह कानून और नियम आज भी राजस्थान में लागू हैं। बिजनेस रूल्स में किसको पावर दें, किससे काम करवायें, यह बिजनिस रूल्स अलग चीज है। बिजनिस रूल्स में कोई रिलेवेंसी नहीं है। आप विद्वान मंत्री रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय में 73 अमेंडमेंट के सम्बन्ध में जो नियम ओर कानून बने हैं, जिसमें शिड्यूल बनाया गया है कि पंचायत को देंगे, पंचायत समिति को देंगे, जिला परिषद को देंगे। वह राजस्थान विधान सभा ने पास किया है। उसको जब तक राजस्थान विधान सभा में मोडिफाई नहीं करें, तब तक प्रभारी मंत्री का काम पंचायत राज मंत्री ही करेगा, शिक्षा मंत्री नहीं करेगा। आपने जो कोट किया है बिजनस रूल्स पर

कोट करें, बिजनस रूल्स में कोई रिलेंवेसी यहां पर नहीं है। यहां पर रिलेवेंसी यह है कि कानून सम्मत बात है, उसमें प्रभारी मंत्री पंचायत राज मंत्री ही होगा। उसी को बिल रखने का अधिकार है। यह हमारा निवेदन है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी मिडल स्कूल की शिक्षा, प्राइमरी स्कूल और सैकण्डरी से सम्बन्धित जितने भी प्रावधान पहले यहां आये वह एजुकेशन मिनिस्टर लेकर आये हैं। यह सही है कि पंचायत राज एक्ट में आप अमेंडमेंट करते हैं तो पंचायत मंत्री प्रभारी मंत्री होता है। लेकिन चूंकि यह एजुकेशन से सम्बन्धित है और जब एजुकेशन को सारी को एक साथ कर दिया...(व्यवधान) एक मिनट, लैट मी कंपलीट प्लीज।

डा. सी.पी. जोशी : रिक्रूटमेंट का अधिकार पंचायत समिति, जिला परिषद को है, एजुकेशन से नहीं है...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : लैट मी कंपलीट प्लीज।

डा. सी.पी. जोशी : यह अमेंडमेंट आप पढ़ लीजिये, जिला परिषद और पंचायत समिति में...(व्यवधान) कोई शिक्षा से सम्बन्ध नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे मालूम है, मुझे सब पता है।

डा. सी.पी. जोशी : आप एक विद्वान साथी हैं, एक विद्वान साथी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो कानून की बात करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे सब पता है। आप बिराजें तो सही। मुझे सारा पता है...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं पंचायत राज मंत्री था उस समय की बात बता रहा हूं...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा : You, as minister for Panchayati Raj, have piloted a Bill. You have brought two amendments in that as minister in-charge. When you are reading a Bill, it is the duty of the Panchayati Raj Minister to put the Bill forward to the House.

डा. एन.एस. गुर्जर : आप मेरी बात पूरी सुन लें...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : तिवाड़ीजी दे देंगे ना जवाब।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, रिक्रूटमेंट के मामले में भी आपने कहा, ग्राम सेवक रिक्रूट किये थे, यह राज्य सरकार को पावर है उस समय हमने जिला स्थापना समितियां जो बनी हुई थीं उनकी पावर्स लेकर के आर.पी.एस.सी. को पावर दिये। उन्होंने एग्जाम करवाया, वहां उनकी मेरिट लिस्ट बनी और मैं उस समय की बात बता रहा हूं कि आपका पंचायत राज एक्ट जब एग्जिस्टेंस में था 1994 और उसके बाद हमने उन ग्राम सेवकों की भर्ती की। जबकि हिसाब से जिला परिषदों को उनकी भर्ती करनी चाहिए थी लेकिन यह राज्य सरकार को पावर है कि इस एक्ट में भी कि ज़ब चाहे सरकार अपने पावर्स अपने पास ले सकती है, डिवोल्युशंस कर सकती है। जब सरकार पंचायतों को अधिकार दे सकती है तो वापस भी ले सकती है और उस समय हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया इस मामले को, ग्राम सेवकों की भर्ती के मामले को, सवाई माधोपुर के जिला प्रमुख ने राजस्थान हाई कोर्ट में उस मामले को चैलेंज किया कि राज्य सरकार को ग्राम सेवकों की भर्ती आर.पी.एस.सी. के माध्यम से कराने का कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को कि उस समय होई कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह उनकी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया कोई भी कर सकती है। मैं रिक्रूटमेंट की ही बात करना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट किस तरह किया जाये यह राज्य सरकार का अधिकार है और वह आर.पी.एस.सी. के माध्यम से कर सकती है और उन्होंनें कहा कि आपको क्या आपत्ति है। इस प्रक्रिया में कौनसी गड़बड़ी हो रही है। उस समय हमारे स्टैप को राजस्थान हाई कोर्ट ने सहीं ठहराया था। आज भी इसमें केवल इतना है, जो अमेंडमेंट आया है इसमें रिक्रूटमेंट में जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, विडोज हैं, इन महिलाओं के रिक्रूटमेंट का मामला है कि इन्हें नियुक्ति किस

(डा. एन.एस. गुर्जर)

तरह से दी जाये। इतनी सी बात है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा है। अभी दो-तीन दिन पहले ही एक अमेंडमेंट आया था उस समय आर.पी.एस.सी. का, यह इसी में हैं, आर.पी.एस.सी. से शिक्षकों की भर्ती करायी। वहां पर उनके एग्जाम कंडेक्ट करवाये। हमने उनकी लिस्ट बनवाई है, मेरिट लिस्टें। यह पंचायत राज विभाग करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन राज्य सरकार ने शक्तियां लेकर के काम करवाया है। वह अमेंडमेंट भी लाये हैं। यह इतना सा है कि इन महिलाओं की भर्ती किस तरह से होगी और उसमें ज्यादातर यह शिक्षा विभाग की है। स्कूलों में ही इनकी नियुक्तियां होती हैं ज्यादातर 99 प्रतिशत मामलों में, इसलिए इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि कोई संविधान का उल्लंघन हो रहा हो। संविधान के 11 शिड्यूल 24(3)(जी) में सैकण्डरी स्कूल भी हैं। लेकिन मैंने देखा कि आज तक सैकण्डरी स्कूल के मामले में कोई भी अमेंडमेंट आया हो, वह पंचायत राज मंत्रीजी लाये हों इस सदन में, मिडिल स्कूल के मामले में कोई अमेंडमेंट आया हो वह पंचायत मंत्रीजी लाये हों, कई बार मिडिल स्कूलों को पंचायत राज को दिया है, कई बार हमने पंचायत राज से लेकर के शिक्षा विभाग को दिया है। आपकी सरकार में आपने यह काम किया है इसलिए यह सरकार का इंटरनल मामला है कि सरकार किस तरह से उसको कंडक्ट करती है, किस तरह से नहीं करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक है कि सैक्रेटरीज और विभाग उन विभागों का प्रबन्धध किस तरह से कर सकते हैं यह भी अधिकार राज्य सरकार को है कि कौन से विभाग को तोड़कर किस विभाग में कितना पोर्शन किस में मिलाया जाये, किसमें नहीं मिलाया जाये। किस विभाग को किस तरह से रखा जायेगा। किस तरह से नहीं रखा जाये। यह अधिकार भी राज्य सरकार को है। अगर आप इस तरह से संविधान में बांधकर कह देंगे कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो जिस तरह से केन्द्र सरकार इलेक्टेड है इसी तरह से राज्य सरकार भी इलेक्टेड है और इस विधान सभा को पूरा अधिकार है कि किसी भी तरह का अमेंडमेंट किसी तरह से वह कर सकती है। यह विधान

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सभा को अपने आप में पूरा अधिकार है। बिजनस रूल्स में भी चेंज कर सकती है और किसी भी तरह का अमेंडमेंट लाया जा सकता है। कंसर्न भी लाया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब अमेंडमेंट लाया जाता है या कोई रिप्लाई दिया जाता है, रिप्लाई तो मामूली चीज है लेकिन अमेंडमेंट भी अगर कंसर्न लेकर लाया जाता है तो उसमें आपत्ति नहीं है। इसलिए कंसर्न लेकर के लाया जाता है या बिजनस रूल्स के हिसाब से लाया जाता है तो उसमें संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसको खारिज़ करें और इस बिजनस को आगे बढ़ायें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है और उसके ऊपर माननीय टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि, जिस तरह से केन्द्र सरकार इलेक्टेड है उसी तरह से राज्य सरकार भी इलेक्टेड है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहीं नहीं कहा है कि सरकार को अधिकार नहीं है या विधान सभा में अमेंडमेंट नहीं आ सकता। सवाल यह है कि आप ला रहे हैं राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक-2005. आपत्ति साफ सी है जब पंचायत राज मंत्री पृथक रूप से कैबीनेट दर्जा मौज़ूद हैं, तो आपत्ति है और यह जेनवीन आपत्ति है। अगर आज आप संवैधानिक दृष्टि से इस आपत्ति को किसी दबाव से या हलकेपन से लेते हैं तो यह गलत परम्परा इस सदन में पड़ जायेगी। यह पंचायत राज संस्थान में अमेंडमेंट आ रहा है तो प्रभारी मंत्री पंचायत राज मंत्री के नाम से आना चाहिए था। वह अलग बात है कि सामूहिक जिम्मेदारी है कैबिनेट की, कोई भी मंत्री इसको प्रजेंट कर देता है, पुरःस्थापन कर देता है। लेकिन यहां पंचायती राज मंत्री को प्रभारी मंत्री के रूप में नाम नहीं लिखकर शिक्षा मंत्री का नाम लिखा जाना बहुत ही आपत्तिजनक है, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और मंत्री महोदय से कहिए कि पंचायती राज मंत्री दुबारा से इस अमेंडमेंट को लाए।

(श्री जुबेर खान)

इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि शिक्षा विभाग सरकार किसको दे, कौनसा सचिव देखे, यह उनका इन्टरनल मैटर है लेकिन यह मामला विधान सभा का है क्योंकि विधान सभा में जब पंचायती राज अधिनियम पास किया है तो उन्हीं को अधिकार मिलता है। आप इसका इत्मिनान से सुनिए, माननीय सदस्यों के सुझावों को और बाद में निर्णय लीजिए क्योंकि आपका निर्णय आने वाले समय के लिए प्रिसीडेंट बनेगा, उदाहरण बनेगा इसलिए आप इस पर सोच समझकर निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी, आप इसमें कोई नई बात कहना चाहते हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : हां, हां, नई बात कहना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को रखने के लिए अपने विचार रखे हैं उनसे मैं पूर्ण सहमति व्यक्ति करता हूं। लेकिन टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर अभी यह कहा कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के सैक्शन में परिवर्तन करके पी.एस.सी. से भर्ती कराने का कोई अमेंडमेंट किया है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उस सैक्शन में परिवर्तन नहीं किया है। माननीय नाथूसिंहजी साहब, यह सैक्शन-89 में किया है और एस्टेब्लिशमेंट कमेटी है, 90 में तो आप सुधार कर लें, मान लें कि हमने गलती की थी।

डा. एन.एस. गुर्जर : 89 रिक्रूटमेंट का है।

श्री हरिमोहन शर्मा : एस्टेब्लिशमेंट उसमें नहीं है, 90 में है।

डा. एन.एस. गुर्जर : 89 में, जो अमेंडमेंट किया है वह 89 में आया है, मैं भी यह कह रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने कहा है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट कमेटी से अधिकार लेकर करे, वह तो 90 में है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप जो कह रहे हैं उसका मैंने उदाहरण दिया है, मुझे भी मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट किसमें है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी कर रहे हो ?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री के बारे में जो आपत्ति माननीय सी.पी. जोशी ने उठाई है वह भी सही है। यह जो विधेयक पेश किया जा रहा है, उन्होंने जो शिड्यूल-11 बताई है, 1994 में जब टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य इस बिल को पेश कर रहे थे तो पेश करते हुए उन्होंने एक संदेश दिया था कि गांवों का राज गांव देखे और संविधान की 11वीं अनुसूची में जो प्रोविजन किया है, इस लेजिस्लेचर को पावर नहीं है कि एक बार जो अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया उसको वापस ले, इससे 243(जी) हिट होता है। आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं, यही बात सी.पी. जोशी साहब उठा रहे हैं। इस लेजिस्लेटिव असेम्बली को यह पावर नहीं है कि एक बार दिए हुए पावर को विथड्रा कर ले। यह संविधान की धारा 243(जी) को हिट करेगा। इसलिए उन्होंने जो बात कही है, उन परिस्थितियों में इस बिल को नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस बिल को विथड्रा करना चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि आपने तो बिना विधान सभा में लाए ही 16 सब्जैक्ट्स (व्यवधान) आपने जो उठाया मुद्दा, उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : पिन पाइण्ट सवाल है। आप पुराने उदाहरण क्यों देते हैं ? आपके पास कोई जवाब नहीं है इसलिए इसको घुमाना-फिराना चाहते हैं, आप सत्य बात कीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय मदेरणा साहब ने कहा है कि हम पंचायती राज को दिये हुए अधिकार को विथड्रा नहीं कर सकते, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा...।

डा. सी.पी. जोशी : इश्यू सिम्पल है, प्रभारी मंत्री कौन है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : जोशी साहब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : प्रभारी मंत्री कौन है, यह मोटी-सी बात है। प्रभारी मंत्री फिर महावीरजी को रखो न, व्हाई घनश्यामजी ? फिर यह श्रेय आप भी लो, घनश्यामजी को क्यों दे रहे हो ?

डा. एन.एस. गुर्जर : जोशीजी, मैं आपकी बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं। माननीय मदेरणा साहब ने जो कहा है कि एक बार जो अधिकार दे दिया, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 16 अधिकार दिए थे, तीसरे दिन ही, तीसरे ही दिन, पी.एच.ई.डी., महिला बाल विकास, इस तरह के कुछ विभाग आपकी सरकार ने एक आदेश से दिए और दूसरे आदेश से उसको विथड्रा भी कर लिया। यह आपकी ही सरकार ने अधिकार देकर विथड्रा किया है। आप चाहेगें तो मैं वह लिस्ट दे दूंगा कि कौन-कौनसे अधिकार आपने विथड्रा किए हैं। उसके बाद आपने यहां बहस करवाई और आदेश देकर उनको विथड्रा कर लिया। आपने फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज की बात की, उसमें तीनों को छोड़कर, एक फंक्शनरीज दी थी, फण्ड तो दिया ही नहीं, फंक्शनरीज को भी तीसरे ही दिन कई विभागों से विथड्रा कर लिया था। तो क्या वह कानून सम्मत था ?

डा. सी.पी. जोशी : डाक्टर साहब, काम की बात बोलो। प्रभारी मंत्री कर सकता है कि नहीं कर सकता ? बाकी बातों का कोई मतलब नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने तो मदेरणा साहब को जो बात उन्होंने कही, उस पर कहा है। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक बार अधिकार और शक्तियां दे दी जाती हैं विधेयक के रूप में, यह कह रहे हैं कि दिया नहीं गया। 89(6) के अन्दर 2 सितम्बर को 2 आर्डिनेंस आपके अधिकार देने के बाद तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी के समय उन अधिकारों को छीना है, शक्तियां देने के बाद। आप हमारे ऊपर इतना दोषारोपण मत करो। इस 89 जिसका हो रहा है, उसकी शुरूआत आपने की है। आज घनश्यामजी तिवाड़ी 89 के तहत जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, These are wholly unconstitutional, illegal and without jurisdiction.

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ ऑर्डर के माध्यम से आपत्ति उठाई वह अपने आप में बड़ा मौज़ूं है। उसके बाद भोपालगढ़ और अन्य स्थानों से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बात कही उसके बारे में मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि संविधान की जो मूल भावना है, 243(जी) की, उसके बिलकुल विपरीत एक है। एक बार आप किसी को अधिकार दे देते हैं उसके बाद उसको छीन लें, यह उचित नहीं है।

आप जातने हैं कि पंचायती राज में जिला परिषदें जिला स्थापना समिति के माध्यम से अध्यापकों की नियुक्ति करती आई हैं। यह स्पष्टतः पंचायती राज को कमजोर करने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहस तो अमेंडमेंट के बारे में चर्चा करते समय कर लेना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : दूसरी बात जो मूल रूप से उठाई गई कि शिक्षा का जूरिस्डिक्शन पंचायती राज के पास भी है और शिक्षा विभाग के पास भी है। पंचायती राज के पासं गांवों की शिक्षा है, पांचवी तक की शिक्षा है लेकिन शहरी शिक्षा पांचवी तक की वह माननीय शिक्षा मंत्रीजी के पास है। लेकिन यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, पंचायती राज एक्ट में 82 सैक्शन में 6 के बादं आप परन्तुक जोड़कर अमेंडमेंट ला रहे हैं, यह अमेंडमेंट प्योरली पंचायती राज से सम्बन्धित है।

पंचायती राज मंत्रीजी बीमार हो, और वह कंसेंट देकर शिक्षा मंत्रीजी को कहें कि आप इसको पारित करवा दें, यह अलग बात हो सकती है लेकिन इसमें यह प्रभारी मंत्रीजी के रूप में जिसे तरीके से ड़स एक्ट को पास करवाने जा रहे हैं, यह कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्रीजी कालूलालजी और आप हैं शिक्षा मंत्रीजी। शिक्षा मंत्रीजी, आप बताएं कि क्या आपने इनकी कोई कंसेंट फाइल ले रखी है ?

एक माननीय सदस्य : वह इनसे पूछ कर ही गए हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह एक अलग चीज है। वह यहां मौजूद हैं, मान लो, बीमार हो, वह इनको अधिकार दें कि बिल को आप पायलट कर लें, आप कर सकते हैं। लेकिन प्रभारी मंत्री के रूप में नहीं कर सकते।

डा. एन.एस. गुर्जर : कंसेंट लेने के बाद तो कर सकते हैं न ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन कंसेंट कहां है ?

डा. सी.पी. जोशी : नोट एट आल, नो नो नो ।

डा. एन.एस. गुर्जर : लेने के बाद तो कर सकते हैं न ? कंसेंट लेने के बाद, यह कुछ कह रहे हैं और यह कुछ कह रहे हैं, इनका आपस में विरोधाभास है।

श्री जुबेर खान : प्रभारी मंत्री का नाम पंचायती राज मंत्री नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : विरोधाभास नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : आपका नाम लेने में क्या तकलीफ है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : आप कह रहे हैं कि कंसेंट लेने के बाद कर सकता है और सी.पी. साहब कह रहे हैं कि नहीं कर सकता है। दोनों में से कौन सही है, पहले आप तय कर लो, आप दोनों तय कर लो।

डा. सी.पी. जोशी : नोट एट आल, कुर्सी बताएगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : कल्ला साहब ने कहा है कि कंसेंट लेने के बाद कर सकते हैं, जोशी साहब कह रहे हैं कि कंसेंट के बाद भी नहीं कर सकते। Who is right and who is wrong ?

डा. सी.पी. जोशी : He is right. वह कह रहे हैं कि कंसेंट से कर सकते हैं पर प्रभारी मंत्री के रूप में नहीं कर सकते।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं कर सकते, यही कह रहे हैं। आप बदलते रहो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बिलकुल नहीं बदला हूं, नो, नो, नो।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप कुछ कह रहे हो और आप कुछ कह रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप इनको टिवस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वे ट्विस्ट होने वाले नहीं हैं। मैं यह कह रहा हूं कि प्रभारी मंत्री के रूप में आप कतई इसको यहां पर पायलट नहीं कर सकते। मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी के नाते कोई भी मंत्री किसी भी मंत्री के बिल को पायलट कर सकता है लेकिन प्रभारी मंत्री के रूप में जो कर रहे हैं वह विधि सम्मत नहीं है, संविधान और विधि के प्रतिकूल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें आप संशोधन लाकर पंचायती राज मंत्रीजी प्रभारी मंत्री के रूप में लिखवाइए, तभी यह बिल पायलट हो सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मुद्दे हैं, एक तो पंचायती राज से अधिकार लेने-देने का मामला है...।

श्री उपाध्यक्ष : वह इश्यू अलग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस समय इसका जवाब नहीं दूंगा।

इसका जवाब दूंगा तब कहूंगा। पंचायती राज एक्ट में संशोधन इसलिए हो रहा है कि पिछली सरकार के समय एलिमेंटरी का डाइरेक्ट्रेट अलग से बना दिया और उसको शिक्षा मंत्री के अधीन किया। उसके हिसाब से जो भर्ती का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, वह शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है और इसके कारण से पिछली बार जब हमने अमेण्डमेंट पेश किया था उसमें भी एतराज उठा था। उस समय भी प्रभारी मंत्री घनश्याम तिवाड़ी लिखा हुआ था और इसी विधान सभा में, इसी एक्ट में यह संशोधन हमने पारित किया है और उसमें विधवाओं का नहीं था इसलिए इसमें छोटा-सा परन्तुक विधवाओं को जोड़ा जा रहा है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें व्यवस्था की थी मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी है। और इसी हिसाब से पेश किया गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं इस आपत्ति को निरस्त किया जाए और इसके बाद पुरःस्थापित करने की आज्ञा दें।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय करेक्ट करें प्रभारी मंत्री का आब्जेक्शन उस समय भी नहीं उठाया था, यह पहले उठाया है। यह रिकार्ड में नहीं, यह मारा अधिकार है हम कब पाइंट आउट करें। पहले भी आपने रखा होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री के शब्द से तकलीफ है। घनश्याम तिवाड़ी पायलट कर सकते हैं इसमें यह इश्यू नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उस समय नहीं उठाया, उस समय तो बड़ा मामला था।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं उठाया, क्या तकलीफ है।

डा. एन.एस. गुर्जर : टीचर्स के रिक्रूटमेंट का मामला था।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं उठाया क्या तकलीफ है। (व्यवधान) यह हमारा राइट था। आज हमारा राइट खतम हो जाता है क्या ? आप मंत्री थे, आपने पायलट किया। आज उल्टा बोल रहो हो। आप बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो ? आपको अधिकार है, आज-आज मंत्री हो, कल मंत्री नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं आप इसको गम्भीरता से लें। इश्यू यह नहीं है, सिम्पल इश्यू यह है कि यह बिल पायलट हो रहा है जिसमें आपने यह लिखा है, जो हमको कागज मिला है, घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री। हमारा इस पर ऑब्जेक्शन है। हमारा यह ऑब्जेक्शन नही है ये पायलट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह इश्यू नहीं है। यह राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक में प्रभारी मंत्री का नाम घनश्याम तिवाड़ी नहीं हो सकता। यह हमारा ऑब्जेक्शन है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं आप इसको गम्भीरता से लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वहीं मैं बताना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, डेफिनेशंस में साफ लिखा है - 'Member in-charge of the Bill' means in the case of a Government Bill any minister and in any other case the member who has introduced the Bill..."

डा. सी.पी. जोशी : एग्रीड। आप कर सकते हैं, हम यह नहीं लिख सकते। आपका कोई आब्जेक्शन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदाय, मुझे तो पता है घनश्यामजी ला मिनिस्टर भी हैं, यह ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है ? घनश्यामजी इस बिल को पायलट नहीं कर सकते, यह ऑब्जेक्शन नहीं है। घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री नहीं कर सकता। सिम्पल इश्यू यह है।

व्यवस्था

कोई भी मंत्री विधेयक को पायलट कर सकता है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, जरा आप इसको पढ़ें। अगर हिन्दी का अनुवाद पढ़ेंगे तो भी इसका मतलब यही आता है।

'Member in-charge of the Bill' means in the case of a Government Bill any minister and in any other case the member who has introduced the Bill..."

अब इसका हिन्दी में अनुवाद देखेंगे तो यही है, विधेयक का प्रभारी सदस्य। प्रभारी शब्द जो आप कह रहे हैं प्रभारी का मतलब बता दिया, विधेयक का प्रभारी सदस्य का तात्पर्य सरकारी विधेयक की अवस्था में किसी मंत्री से तथा अन्य किसी अवस्था में ऐसे सदस्य से है जिसने विधेयक पुरः स्थापित किया हो। इसलिए प्रभारी का मतलब भी वो का वो ही आता है जो मंत्री करता है, वह ही आएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो बात कह रहे हो हम इससे कहीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, वे एग्री भी कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय...

डा. बुलाकीदास कल्ला : कानून की बहस होती है तो आप मेहरबानी किया करो, उसमें व्यवधान मत किया करो। आप कृपा करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो यही पता नहीं है सी.पी. जोशी साहब ने क्या मूव किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कानून के कब से ज्ञाता हो गये ? आप मास्टर हो सकते हो, कानून की बात छोड़ो। आपको तो यही ज्ञान नहीं कि उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन किया है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे ज्ञान नहीं है, आपको बहुत अथाह ज्ञान है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : है नहीं क्या ? आपसे ज्यादा है।

(समय : 14.15 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बिल तो कोई भी मंत्री, किसी का भी पायलट कर सकता है, लेकिन जो जिस विभाग का मंत्री नहीं है वह प्रभारी मंत्री कैसे बन सकता है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। पंचायत राज मंत्री हमारे यहां बिलकुल अलग बने हुए हैं। पंचायत राज मंत्रीजी पंचायत विधेयक में संशोधन के लिए प्रभारी मंत्री हो सकते हैं, लेकिन पंचायत राज में संशोधन के लिए प्रभारी मंत्री शिक्षा मंत्री कैसे हो सकते हैं ? वो इस सदन में बिल को पायलट कर सकते हैं उनके बिहाफ पर, यह हमारा विरोध नहीं है। इस सदन में भी आज तक कोई भी किसी विभाग का प्रभारी मंत्री दूसरा नहीं बना है। कम से कम 25 साल का मेरा अनुभव है इस सदन में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एक दूसरे मंत्री ने एक-दूसरे के बिलों को पायलट किया होगा आपकी आज्ञा से, लेकिन प्रभारी मंत्री उस विभाग का वो नहीं हो सकता। आज वित्त मंत्री का बिल शिक्षा मंत्री पायलट कर सकता है, पास करा सकता है, लेकिन बिल के ऊपर वित्त मंत्री के ही दस्तख्त होंगे उस पर शिक्षा मंत्री के दस्तख्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रभारी मंत्री का आब्जेक्शन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लगाया है वह बिलकुल सही है। पंचायती राज में अमेंडमेंट हो रहा है और पंचायती राज में अमेंडमेंट करने के लिए प्रभारी मंत्री केवल मात्र पंचायत राज मंत्री ही हो सकता है शिक्षा मंत्री नहीं हो सकता।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां जो रेफरेंस दिया गया वो इस सम्बन्ध में था कि जो पहले के पाइंट आफ आर्डर का हवाला दिया गया, विधेयक के पुरःस्थापन के लिए प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में अन्य मंत्री को प्राधिकृत करने की स्वीकृति। अगर मान लो बिल किसी पर्टीकुलर मंत्री के नाम से आया हो और वो मौजूद नहीं हो तो अन्य मंत्री कर सकता है। यहां बेसिक सवाल यह है कि पंचायत राज एक्ट के अन्दर संशोधन के बिल के लिए प्रभारी मंत्री पंचायती राज मंत्री ही होगा शिक्षा मंत्री नहीं हो सकता। मैं कोट करना चाहूंगा यह 1978 का मामला है जिसके ऊपर स्पीकर ने रूलिंग दी है वो यह दी है 5 अक्टूबर, 1978 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त संशोधन विधेयक 1978 को विधि मंत्री द्वारा पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय श्री मूलचंद डागा, सदस्य ने एतराज किया कि मान्यवर, इसमें श्री भैरोसिंह, प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है अतः विधि मंत्री इसको नहीं रख सकते। उस पर व्यवस्था दी थी कि मंत्री की अनुपस्थिति में कोई भी सामूहिक जिम्मेदारी है, केबिनेट का कोई भी मंत्री इसको प्रस्तुत कर सकता है। यहां सवाल यह है कि पंचायत राज का जो संशोधन आ रहा है उसके शिक्षा मंत्री प्रभारी कैसे हो सकते हैं ? आप कराइए किसी से, लेकिन बिल पर लिखा हुआ होना चाहिए था कालूलाल गुर्जर, पंचायत राज मंत्री, या प्रभारी, पंचायत राज मंत्री, चाहे कोई भी मंत्री करता। आप इसको गहनता से देखिए, बहुत गलत परम्परा पड़ जाएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है और सरकार के अधिकारियों ने गलती की है तो इस बिल को विथड्रा करके कल या परसों दुबारा लाना चाहिए। यह गलत परम्परा मत करिए और टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो सवाल नहीं

(श्री जुबेर खान)

है। सवाल यहां सैद्धान्तिक है, लेजिस्लेटिव सवाल है। यहां सवाल यह नहीं है किसने क्या किया, किसने संशोधन किए, किसने किसको अधिकार दिया। विधान सभा में कौन मंत्री कौनसा विधेयक पेश करेगा यह सवाल है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और एड करना चाहता हूं। यह 89 सैक्शन का हैड बेस है। "Constitution of the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishad Services." यह अधिकार पंचायत राज का डोमैन है, यह डोमैन शिक्षा का नहीं हो सकता। जिस समय अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं उसका आप हैडिंग देख लीजिए। Constitution of the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishad Services. पंचायत समिति, जिला परिषद सर्विसेज का डोमैन This is exclusively the domain of the Panchayats. It cannot be the domain of the Education Department.

अब एलिमेंटरी डाइरेक्ट्रेट बन गया, एलिमेंटरी डाइरेक्ट्रेट रिक्रूट कर रहा है, आपको आर.पी.एस.सी. से करवाने का अधिकार है, लेकिन यह बेसिक अमेंडमेंट हो रहा है वह अमेंडमेंट जिला परिषद और पंचायत में सर्विसेज का अमेंडमेंट हो रहा है इसलिए मूल प्रिंसिपल है अमेंडमेंट किस पर हो रहा है। अगर अमेंडमेंट पंचायत राज एक्ट के अन्दर हो रहा है, पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत हमने सूचना नहीं दी है, हमें सूचना दी गई है पंचायत राज मंत्री कालूलालजी गुर्जर है। बिजनेस रूल के अन्तर्गत यदि चेंज किया हो तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते। बिजनेस रूल में आपने एलिमेंटरी एजुकेशन में यह करने का काम कर रखा है, वह अलग इश्यू है, लेकिन यह जो अमेंडमेंट हो रहा है, आप देख लीजिए सेक्शन 89. Section 89 pertains to services.

सर्विसेज में जिला परिषद और पंचायत का है, इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। यह अमेंडमेंट जो मूलभूत अमेंडमेंट है वह पंचायत राज एक्ट का अमेंडमेंट

(डा. सी. पी. जोशी)

है एजुकेशन का अमेंडमेंट नहीं है और कांस्टीट्युशन में आपने देखा है गोलकनाथ के केस में क्या हुआ है, संविधान में, संविधान के जो मूलभूत प्रिंसिपल हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। इस पंचायत राज की जो मूल भावना है वाह पंचायत राज की पंचायत समिति और जिला परिषद की जो उसकी डोमैन सर्विसेज को रेगुलेट करने का, उस रेगुलेट करने के अमेंडमेंट को शिक्षा मंत्री पायलट नहीं कर सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं पायलट करने का प्रभारी मंत्री का नाम है यह आप हटा दीजिए। आप प्रभारी मंत्री कालूलालजी गुर्जर के स्थान पर घनश्यामजी कराओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पंचायत राज एक्ट में जिसकी मूल आत्मा पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विसेज है इन सर्विसेज में, यह एक सर्विस नहीं है, यह तो टीचर के सम्बन्ध में कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज में ग्राम सेवक भी आता है, दूसरी सर्विसेज भी आती है। All services are included in Section 89.

89 सैक्शन एक्ट में केवल मात्र शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं उस सर्विसेज़ में सारा डोमैन जो पंचायत समिति, जिला परिषद का है उस डोमैन में अमेंडमेंट करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इतने साल विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, पंचायत राज के सम्बन्ध में आप जानते हैं, मैं समझता हूं आप कम से कम यह जो सरकार पिछले दो-तीन साल से नियमं और कानून नहीं मान रही है, विधान सभा चले तब जस्टिस अपाइंटमेंट कर दें, सर्वदलीय समिति हो, अध्यक्ष को इंफार्म नहीं करें, ये नई परम्पराएं चल रहीं हैं। इन परम्पराओं को यदि आप प्रोत्साहित करेंगे तो मैं समझता हूं जिस गौरवशाली परम्परा की बात आप कर रहे हैं वह गौरवशाली परम्पराएं कम होंगी, कमजोर होगी। सदन कल भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनको प्रताड़ना दीजिए और कहिए कल बिल लेकर आएं और उसको इंट्रोड्यूस करें।

हमको तकलीफ नहीं है, हम तो अमेंडमेंट कर लेंगे लेकिन पहले

(डा. सी. पी. जोशी)

आर.पी.एस.सी. से करवाया आर.पी.एस.सी. से करवाते समय ध्यान नहीं रखा, विडो का क्या करेंगे, अब आर.पी.एस.सी. से आगे स्क्रीनिंग करके लेकर आ रहे हैं। यह एक के बाद एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, यह अमेंडमेंट करने का अधिकार पंचायत राज मंत्री को है क्योंकि पंचायत राज से सम्बन्धित है इसलिए मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, इनकी मेजोरिटी है, बिल पास होगा, हम चाहें या नहीं चाहें, जैसे ये चाहेंगे वैसे पास होगा। यह तो इश्यु है नहीं लेकिन यह जो डिबेट हमारे हाउस की, सदन की, सर्वोच्च कानून बनाने का काम है, उस कानून बनाने के काम में इतनी बड़ी खामी रह जाए, माननीय अध्यक्ष महादेय, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा रिफ्लेक्शन विधान सभा का जनता के बीच में कुछ नहीं होगा। आपसे अपेक्षा करते हैं, आप प्रोटेक्ट करिये, कानून की रक्षा करिये, कानून सम्मत काम करिये और इस सरकार से कहिये कि इस बिल को विथड्रा करें और कानून सम्मत बिल लाकर चर्चा करके पास करवायें। यहीं हम आपसे गुजारिश करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस पाइंट आफ आर्डर पर आप कानून सम्मत अपना निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष इस सम्बन्ध में पहले गलती कर चुका है। सन् 2004 में यह राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004, यह भी पायलट घनश्यामजी तिवाड़ी ने ही किया था जो एजुकेशन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं उस समय चूंकि आप यह बात ध्यान में नहीं लाये, उस समय यदि आप यह बात ध्यान में लाते तो निश्चित रूप से वह वापस बिल आता लेकिन चूंकि एक गलती आप कर चुके हैं एक बार इसलिए अब इस बारे में...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : On account of waiver, you have waived your right.

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप जो कहेंगे हम वह मानेंगे, आपको अधिकार है पर आप यह तो मानिये कानून सम्मत नहीं है।

श्री जुबेर खान : कम से कम इनको प्रताड़ना तो दीजिए कि ये गलत कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : यह तो सही है बाकी आप जो भी बात कहेंगे हम मानेगें।

श्री जुबेर खान : पहले भी किया तो गलत किया । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह तो हमारा राइट है, अध्यक्ष महोदय, कभी भी पाइंट आफ आर्डर कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस समय आपको नोटिस में लाना चाहिए था। (व्यवधान) उस समय तो नोटिस में लाये नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, हम नहीं लाये। (व्यवधान) नहीं लाये तो इनको विवेक से काम करना चाहिए था (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एक बार कोई गलती कर दे तो उस गलती को आप रिपीट करते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उससे हमारा अधिकार तो खतम नहीं हो जाता। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : एक दफे हम ध्यान में नहीं लाये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, चोरी तो जब पकड़ी जाए तब ही होती है न ? आज पकड़ी गई। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे से गलती हो गई और अब अगर ये सुधार कर रहे हैं तो सुधार करवा दो। आज हमारे से पहले गलती हो गई तो आज सुधार करवा दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी जब इसका बिल पास किया था उस समय आपत्ति उठाई थी।

श्री अध्यक्ष : आप सुनें उनकी पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुन लें आप। आराम से सुन लें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस समय आपने यह तो नहीं उठाई थी कि प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है, आपने उठाई थी कि पंचायत राज मंत्री के बजाय पायलट शिक्षा मंत्री कर रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही व्यवस्था दी थी कि सभी मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संयुक्त जिम्मेदारी है, वह पायलट कर सकते हैं, पायलट कर लिया। यह भी अध्यक्ष महोदय, कोई गलती नहीं है, इसका कारण है कि एलीमेंटरी डायरेक्ट्रेट पिछली सरकार के समय मिलाकर एक कर दिया गया था, उसका सचिव भी एक कर दिया गया था और उसका मंत्री भी एक कर दिया गया था। अब इसमें भर्ती शिक्षा विभाग कर रहा है और चूंकि हो रहा है पंचायत राज एक्ट के अमेंडमेंट के साथ और भर्ती की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया केवल चयन का अधिकार आर.पी.एस.सी. को दिया गया है। पहले विधवा और विच्छिन्न महिलाओं को अपने सामान्य नियम भर्ती के हैं उनके अन्तर्गत भर्ती करते थे चूंकि हमने आर.पी.एस.सी. कराया और बी.एड. और बी.एस.टी.सी. की योग्यता धारक ने होने के कारण से विधवाओं को इसका लाभ नहीं मिलता था तो उस बिल के समय ही मैंने कह दिया था कि इसके लिए अलग से प्रावधान करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि न तो प्रभारी मंत्री लिखने में कोई गलती है न पायलट करने में कोई गलती है। माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाकर यह व्यवस्था ठीक कर दी कि अब लेजिस्लेशन के बारे में डिस्कस करें तो तथ्यामक रूप से विवेचना हो, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बाकी ये दोनों बात सही है और आपने व्यवस्था दे ही दी, अध्यक्ष महोदय, और पहले यह बात हो ही चुकी है इसलिए एक बार होने के बाद में इसको आप लागू करें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं का मामला है, आप महिला अध्यक्ष, महिला मुख्य मंत्री हैं, करिये।

श्री अध्यक्ष : चूंकि यह महिलाओं का, विधवाओं का परित्यक्ताओं का मामला है।

डा. सी.पी. जोशी : मान रहे हैं न लेकिन कानून सम्मत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसमें खामख्वाह में देरी होगी, कर लेने दीजिए आप इसे।

डा. सी.पी. जोशी : कानून सम्मत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बाकी आप करिये, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पारित करने में क्या तकलीफ है, अध्यक्ष महोदय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय।

डा. सी.पी. जोशी : सत्यानाश कर दिया न, पास ही कर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, कर दो, कर दो। इसमें कोई चर्चा की बात भी नहीं, बहस की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को सदन में विचारार्थ लिया गया है, मुझे इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहना। राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 के बाद एक विसंगति पैदा हो गई थी कि जब रिक्तियों भरने का काम आर.पी.एस.सी. के माध्यम से तय कर दिया, जिला परिषद और पंचायत समितियों की स्थापना समिति जो पहले यह काम किया करती थी इस बारे में विधवाओं परिपक्ताओं के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, इस सामान्य आशय से यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है इसलिए मैं अपने इस जनहित में परिचालित किये जाने के प्रस्ताव को वापस लेने का प्रस्ताव रखता हूं, केवल इतना सा विषय आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री के सामने रखना चाहता हूं कि इसमें जो परंतुक जोड़ा जा रहा है विधवा और विच्छिन्न विवाह स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों के मामलों में चयन ऐसी रीति और ऐसी छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जानी। इस छानबीन समिति का स्तर क्या होगा और इसके कौन-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कौन सदस्य होंगे, इस बारें में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, बस इतना ही मुझे कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो विद्वान आदमी हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं आपके जैसा कहां हूं अभी विद्वान, आपके जैसा बन जाऊंगा तब बोलना छोड़ दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी संशोधन यह इस विषय के माध्यम से ला रहे हैं, अगर रूल्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता है ? आपको रूल्स में परिवर्तन करने का अधिकार है और रूल्स में परिवर्तन आप कर सकते हो तो फिर इस संशोधन को यहां लाने का क्या औचित्य है ? मैं दूसरा, निवेदन करना चाहता हूं जो रूल्स फ्रेम करने का अधिकार आपके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, उस रूल्स में परिवर्तन करके जो अपाइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के द्वारा दिया जाने वाला है, प्रक्रिया, आप इसको चला रहो हो सलेक्शन तक की कि स्क्रूटनी होकर ठीक ढंग से पी.एस.सी. के माध्यम से यह चयन हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी है जो इनको अपाइंटमेंट देने जाएगी जो भी पी.एस.सी. जिस लिस्ट को अप्रूव करेगी तो उसी रूल्स में आप क्यों नहीं परिवर्तन कर देते हो अपने स्तर पर, यह अमेंडमेंट लाने की क्या आवश्यकता है। उसके हिसाब से इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब रूल्स बनाने का अधिकार आपको है तो उन रूल्स में इस प्रकार का परिवर्तन कर दें कि हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी जो भी कोटा तय करे, आप इन विधवाओं और परित्यक्ताओं को उसी हिसाब से अगर वहां पर कर दें तो इसमें परिवर्तन की कौन सी आवश्यकता है ?

दूसरा आखिर में मेरा निवेदन करना यह है कि अब आपसे कहें तो क्या कहें, आप पंचायत राज मंत्री तो हो नहीं, विधेयक हैं पंचायती राज का, कहना चाहते थे पंचायती राज से कि इस विधेयक के तहत कैसे-कैसे क्या-क्या

(श्री हरिमोहन शर्मा)

घोटाले और क्या-क्या काम किये हैं लेकिन विधेयक वह प्रस्तुत कर नहीं रहे हैं लेकिन कुछ बातों को तो मैं रिजर्व करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस परिस्थिति में रूल्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए, के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो यह इसमें मेंशन करना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें लिखा है "...such Screening Committees as may be prescribed by the State Government."

अब आपकी स्क्रीनिंग कमेटी आप बना नहीं रहे हैं तो इस स्क्रीनिंग कमेटी को इसमें अगर स्पेसिफाई कर दिया जाता।

स्क्रीनिंग कमेटी आप इस लेवल पर बना रहे हैं, अगर यह स्क्रीनिंग कमेटी पंचायत के लेवल पर बन जाती तो वह ज्यादा उचित नहीं रहता ? दूसरा, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने विधवाओं और परित्यक्ताओं को एक दूसरे दरवाजे से अन्दर डालने की कोशिश की है, आप उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि ये उपेक्षित थीं और यह बहुत जरूरी था कि इनको किसी माध्यम से सुचारू तरीके से ऐसी जगह फिट किया जाए जिससे इनकी भर्ती की प्रक्रिया सरल हो जाए। लेकिन इसमें एक प्रश्नचिह्न और लगता है कि इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकारीकरण के कारण नार्मल प्रक्रिया तो इनको हटा दिया गया लेकिन दूसरी तरफ स्क्रीनिंग कमेटी इसका डिसीजन लेगी तो स्क्रीनिंग कमेटी अगर सोती रह गई तो ये दोनों तरफ से कहीं वंचित नहीं हो जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नार्मल प्रक्रिया से जो आर.पी.एस.सी. में कोटा है विधवाओं को उसमें से नहीं हटाया गया, वो तो है ही, यह तो इसलिए क्योंकि उसमें बी.एड. और बी.एस.टी.सी. की योग्यताधारी विधवा ही आ सकती हैं इसलिए जो बी.एड. और बी.एस.टी.सी. की योग्यताधारी विधवा नहीं है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। उनको नहीं हटाया गया वह तो है ही उसमें कोटा।

श्री हरिमोहन शर्मा : लागू तो सभी के लिए होगा, केवल उनके लिए ही नहीं होगा। लॉं तो जो बनेगा एज ए ऑल बनेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बनेगा लेकिन वहां तो बी.एड. और बी.एस.टी.सी. की ही जा सकती है उनको निकाला नहीं गया है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : उनको निकाला नहीं गया है लेकिन इसमें मेरा छोटा-सा निवेदन यह था कि पहले इनकी भर्ती कर ली जाए उसके बाद में जो स्थान बचे उसमें दूसरों की भर्ती की जाए तो क्या यह ज्यादा उचित नहीं होगा ? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

"Provided further that these reserved posts shall be filled-in in first instance before filling up the other posts."

जिससे कम से कम जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, कि इन विधवाओं को, परित्यक्ताओं को पहले भर्ती दी जाए, पहले इनकी सीटें भरी जाएं उसके बाद में जो सीटें बचें उसके ऊपर आपकी जो भी चयन प्रक्रिया है उसके माध्यम से चयन किया जाए, यह मेरा निवेदन है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो गैर कानूनी प्रोविजन किया जा रहा है उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 89 में हमने यह कहा कि हम आर.पी.एस.सी. के माध्यम से करायेंगे, इसका मतलब यह है कि आपने एक

(डा. सी.पी. जोशी)

तरीका बनाया चाहे विकलांग हो, चाहो विडो हो, चाहे और किसी सैक्शन में हो, सबको आर.पी.एस.सी. के माध्यम से करायेंगे। अच्छा, उद्देश्य है, आपने खुद ने कहा कि राजस्थान में यूनिफार्म होना चाहिए, अच्छा उद्देश्य है। अब आप उसमें प्रोवाइडेड क्लॉज लगाकर उन लोगों को आर.पी.एस.सी. से वंचित कर रहे हैं। यह कैसा कानून बन रहा है ? इस कानून में आपको आर.पी.एस.सी. की डोमेन के अन्दर ही ये चीजें लेकर के उसमें विडो और डाइवर्सी, उनको भी एग्जामिन आर.पी.एस.सी. के माध्यम से करके आप करते तो कानून ठीक बनता। अब आप कानून बना रहे हैं जिसमें ऊपर अमेंडमेंट किया कि हम आर.पी.एस.सी. से करवा रहे हैं। अब इसके लिए आर.पी.एस.सी. लागू होगी। इसका मतलब आप जो कानून बना रहे हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। एनी लॉ, जो डिस्क्रिमिनेट करता है वह अच्छा कानून नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो कानून है उस कानून में आपने कमी या खामी रख दी लेकिन यह जो प्रोविजो लगाकर के आप यह कर रहे हैं इसमें फिर लिटिगेशन के एवेन्यूज को खोलेंगे क्योंकि आज एक और आदमी कहेगा कि आप इन केटेगिरी के लोगों के लिए तो अलग तरह से कानून और नियम बनायेंगे और बाकी सब केटेगिरी के लिए आर.पी.एस.सी. में जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कानून सम्मत राय लेते समय माननीय विधि मंत्रीजी भी हैं उसको देखा जाना चाहिए था कि यह कानून डिस्क्रिमिनेटरी कानून नहीं बन रहा है जिस कानून के कारण और लिटिगेशन कल स्टार्ट हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे पता नहीं है माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अभी कहा कि एलीमेंट्री एजुकेशन का डायरेक्ट्रेट एक है। अब आर.पी.एस.सी. में आप करा रहे हैं तो आपके नियम और कानून बने हुए हैं कि 75 प्रतिशत जो वैकेंसी है वो पंचायती राज में होगी थर्ड ग्रेड की ओर 25 प्रतिशत वैकेंसी एजुकेशन विभाग में होगी। अभी आर.पी.एस.सी. में 25 प्रतिशत जो शहर के टीचर हैं उनको आप रिक्रूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? उसमें तो आप अमेंडमेंट लाये ही नहीं। इसका मतलब 34 हजार टीचर जो आप भर रहे हैं वो 34 हजार टीचर केवल मात्र आप पंचायत राज में भरेंगे।

(डा. सी.पी. जोशी)

वह जो आपका कानून बना हुआ है उसका वायलेशन है क्योंकि आपने कहा है जितनी वैकेंसी होगी उस वैकेंसी का 25 प्रतिशत एलीमेंट्री एजुकेशन से आयेगा और इधर पंचायती राज से होगा और जैसे-जैसे एलीमेंट्री एजुकेशन में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होगी वैसे-वैसे पंचायती राज में टीचर एलीमेंट्री एजुकेशन से आयेंगे। उसके कोरस्पोंडिंग जो चैंजेज करने हैं वे कोरस्पोंडिंग चैंजेज के सम्बन्ध में हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं समझता हूं कि वो भी एक आवश्यक चीज है। आप इस बात को चैक कर लें कि जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उस रिक्रूटमेंट में थर्ड ग्रेड के टीचर शहर के अन्दर लगाने की तो आप व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। जो शहर के स्कूल खाली हैं उसमें एलीमेंट्री एजुकेशन के टीचर लागू नहीं होंगे। जब ये लागू नहीं होंगे तो थर्ड ग्रेड के टीच जो थर्ड ग्रेड की वैंकेसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगी तब 75 प्रतिशत जो पंचायती राज में आयेगा उतने टीचर्स की संख्या कम हो जाएगी। इसका फॉल-आउट यह होगा अध्यक्ष महोदय you are depriving a number of panchayati raj teachers जो एलीजेबल होंगे एजुकेशन में जाने के लिए उतनी संख्या उनकी कम हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में भी हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हम अच्छे उद्देश्य के लिए, हम हेस्ट में जो प्रोविजन कर रहे हैं, सरकार का आलरेडी प्रोविजन है कि विडो और डाइवोर्सी के लिए ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने नियम बना रखे थे कि दो साल में ट्रेनिंग दी जा सकती है। प्रोविजन है, आज दिन तक एजुकेशन में यह प्रोविजन कर रखा है कि विडो और उनके लिए आप जॉब कर लें और दो साल के अन्दर आप उनको ट्रेनिंग करने की व्यवस्था कर दें। वह नियम आज भी सरकार के अन्दर लागू किया हुआ है। फिर हम नई व्यवस्था क्या कर रहे हैं ? सिम्पल है कि आपने जितनी वैकेंसी निकाली है उस वैकेंसी का एक फार्मूला निकाल दें कि मैरिट के आधार पर करेंगे या किसके आधार पर करेंगे। इसमें ज्यादा जरूरत माननीय शिक्षा मंत्री, यह है कि आज मैरिट का आधार क्या है ? सबसे बड़ी जो राजस्थान में प्रॉब्लम आ रही है वह यह आ रही है कि टैंथ तक का एग्जामिनेशन कॉमन होता है। वोकेशनल एजुकेशन के लड़कों के मार्क्स ज्यादा आते हैं। आर्टस के लड़कों के मुकाबले साइंस के लड़कों के मार्क्स ज्यादा होते

(डा. सी.पी. जोशी)

हैं। हमने यह प्रोविजन किया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके वेटेज दीजिये कि टैंथ का बोर्ड का एग्जामिनेशन है वह यूनिफार्म है, उसमें कोई आर्टस, साइंस, कॉमर्स नहीं है। टैंथ के मार्क्स को आप 75-80 प्रतिशत वेटेज दीजिये और बारहवीं के मार्क्स हैं उनको 20 प्रतिशत वेटेज दीजिये तब तो आपकी मैरिट बनेगी वह जैन्युअन बनेगी अन्यथा टैंथ में जिस लड़के के 80 प्रतिशत मार्क्स हैं वह लड़का आर्टस के अन्दर आ रहा है उसके 65 प्रतिशत मार्क्स हैं, साइंस में आ रहा है उसके 90 प्रतिशत मार्क्स हैं। अब आप बारहवीं की मैरिट को बनायेंगे तो 90 प्रतिशत वाला ऊपर आ जाएगा और सैकण्डरी वाला नीचे आ जाएगा। हमने भी शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, मैं आपका फिर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि बोर्ड की सैकण्डरी एजुकेशन थ्रो आउट यूनिफार्म है, एक ही तरह का है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपको वेटेज देना चाहिए जिससे मेरिट आपकी ठीक बने और मेरा फिर आपसे निवेदन है कि यह चैक करवा लें कि एक ही कानून में दो तरह की आप व्यवस्था कर रहे हैं, वह कानून सम्मत व्यवस्था नहीं होगी। एक तरफ तो आर.पी.एस.सी. से एग्जामिनेशन करवार रहे हैं और उसी में प्रोवाइडेड क्लॉज लगाकर आर.पी.एस.सी. से आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं। यह कानून में संशोधन है। डिस्क्रिमिनेटरी संशोधन नहीं हो, कोई भी कानून डिस्क्रिमिनेट संशोधन के अन्दर अलाऊ नहीं हो, अच्छे उद्देश्य के लिए आप काम करने जा रहे हैं और कल लिटिगेशन में यह काम हो जाए, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो अच्छी भावना से आप कर रहे हैं, आप कानून सम्मत देख लें। ऊपर आप आर.पी.एस.सी. लिख रहे हैं, आपने सारा लिखा है, मैं समझता हूं कि आप यह इसमें पढ़ लें, यह अमेंडमेंट किया पहले जिसमें लिखा है

".... as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government from out of the persons selected for the posts of.... by the Rajasthan Public Service Commission in accordance with the rules made by the State Government."

(डा. सी.पी. जोशी)

तो आर.पी.एस.सी. के रूल में तो यह प्रोविजन लाये नहीं और अब प्रोवाइडेड करके यह रूल ला रहे हो उसमें आर.पी.एस.सी. को जरूरी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कानून की दृष्टि से इसको वापस देखा जाना चाहिए कि एक अमेंडमेंट के अन्दर दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन के प्रोविजन रखेंगे तो कानून में लिटिगेशन के एवेन्यूज नहीं खड़े हों, यह देखने की आवश्यकता है।

स्क्रीनिंग कमेटी के सम्बन्ध में आप आब्जैक्टिव क्राइटेरिया पहले से बना दें तो लोगों को मालूम रहेगा कि यह आधार आपका रहेगा। आप तभी तो लोगों को बतायेंगे कि डाइवोर्सी और विडो को किस आधार पर करेंगे। आप आब्जैक्टिव क्राइटेरिया जो आपका बनाना चाहते है, उस आब्जैक्टिव क्राइटेरिया का भी पब्लिक के सामने पहले पता होना चाहिए जिससे लोगों में कोई मोटिव एट्रिब्यूट करने का मौका नहीं मिले। इन्हीं भावनाओं से कहना चाहता हूं कि यह हेस्ट में लाया गया है, कानून सम्मत नहीं है। मैं समझता हूं कि डिस्क्रिमिनेटिव कानून, एक ही सैक्शन में दो तरह के प्रोविजन नहीं हो सकते हैं। एक को आर.पी.एस.सी. में रख दिया, दूसरे को आर.पी.एस.सी. में नहीं रखा। लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए नियम और कानून को तोड़ने का काम करना है तो किया जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं की सरकार है, महिला मुख्य मंत्री है, महिला अध्यक्ष है, महिला गवर्नर है इसलिए पुरुष कुछ बोले तो जेंडर बॉयस होगा, अच्छा नहीं लगेगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप यदि फैसला करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह दिखायें कि यह कानून सम्मत अमेंडमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि यह कानून सम्मत अमेंडमेंट नहीं है लेकिन उद्देश्य अच्छा है इसलिए इसको पास करना है तो निश्चित तौर पर पास किया जाना चाहिए लेकिन कानून सम्मत कोई चीज है तो उसको दिखवाया जाना चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अच्छा होता, आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो रहे हैं, मार्च महीना है, जुलाई में चलेगा काम, आप इसको हेस्ट नहीं करते, आप अमेंडमेंट को इस ढंग से लाते जिससे कि यह सब चीजें मीट-आउट हो जातीं तब तो मैं समझता हूं कि जनमत जानने का जो हमारा उद्देश्य है वा हम विथड्रा कर लेते लेकिन मुझे

(डा. सी.पी. जोशी)

लगता है कि हम आज भी जो महसूस कर रहे हैं उसमें हमारा अधिकार बनता है कि हम आपका ध्यान आकर्षित करें, निवेदन करें कि जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री खुशवीर सिंह जोजावर (अनुपस्थित) श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2005, यह विधवाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है। वास्तव में बहुत ही सोच समझकर जनहित को ध्यान में रखकर यह विधेयक है इसमें संशोधन किया जा रहा है, इसके जनमत के लिए जो मैंने निवेदन किया था वह मैं वापस लेता हूं। साथ ही कुछ और अलग से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के संशोधन यदि लाये जाएं तो जनहितकारी रहेंगे।

जैसे अभी पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। उनके पास में कोई अधिकार नहीं है। उनको जब अधिकार नहीं दिये गये हैं तो इसके प्रति लोगों में रूचि कम हो गई है और सरपंच बनना हर कोई चाहता है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य का काम केवल प्रधान या प्रमुख के लिए मतदान करने तक ही सीमित रह गया है। इसके लिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि पंचायत समिति का सदस्य ग्राम पंचायतों पर निगरानी रखे और जिला परिषद का सदस्य पंचायत समिति के द्वारा किये गये विकास कार्यों के ऊपर निगरानी रखे। इस प्रकार का भी एक संशोधन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जब जनगणना होती है तो परिसीमन वार्डों का किया जाये, उस समय आरक्षण भी तय कर दिया जाना चाहिए। वे घूमता हुआ आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। यदि आज जैसे कोई ओ.बी.सी. के लिए रिजर्व वार्ड है तो उसको यह पता है, आज जो चुना हुआ है कि यह अगली बार ओ.बी.सी. के लिए नहीं रहेगा तो वह उपेक्षा करेगा उस क्षेत्र के मतदाताओं की, उसके प्रति वह चिंतित नहीं

(श्री मदन राठौड़)

रहेगा। यदि कोई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और उसको यह जानकारी है कि यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं रहेगा तो वह भी वहां की उपेक्षा करेगा इसलिए यह तय किया जाये कि जब कभी भी जनगणना हो और वार्डों का परिसीमन हो, उस समय अगले परिसीमन तक, अगली जनगणना तक निश्चित रूप से किसी वर्ग के लिए आरक्षित हो, वह वार्ड उसी वर्ग के लिए अगली जनगणना तक, अगले परिसीमन तक आरक्षित रहना चाहिए।

इसी प्रकार से मेरा एक और निवेदन है, जब पंचायत समिति के सदस्य के और जिला परिषद के सदस्य के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं तो दल-बदल विरोधी विधेयक लागू किया जाना चाहिए। यह बाड़ाबंदी बन्द हो जाएगी, इस प्रकार से खरीद-फरोख्त भी बन्द होगी और बाहुबल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार का संशोधन भी मैं लाने के लिए निवेदन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया जना चाहिए और इन्टरनेट के माध्यम से मंत्रालय से उनको जोड़ा जाये तो मंत्री महोदय से या सरकार की ओर से जो घोषणाएं की जाएंगी, वे त्वरित गति से तुरन्त पंचायत स्तर पर पहुंच जाएगी, इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

एक और छोटा सा निवेदन है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव, इसके कुछ महीने बाद में, महीने-डेढ़ महीने में ये सरपंच के चुनाव होने चाहिए। तुरन्त बाद में चुनाव करवाने से और व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं और असंतुलन होता है, कई बार तो झगड़े-फसाद की स्थिति भी बनती है। ये मेरे कुछ निवेदन हैं और फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जन हितकारी है। यह संशोधन जनमत जानने के लिए, जो मैंने निवेदन किया था, वह मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरदेव बाबर-(अनुपस्थित)। श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2005 का प्रस्ताव है, उसको जनमत जानने के लिए किया है। मैं समझता हूं, कि जिस भावना के साथ विधवाओं और परित्यक्ताओं को नियुक्ति के लिए जो संशोधन लाया गया है, ये नियुक्तियां पहले भी शिक्षा विभाग में होती रही हैं और दो साल के बाद में उनको ट्रेनिंग करने के लिए छूट रही है और करते रहे हैं। आप संशोधन भी करें लेकिन प्रमुख रूप से मैं एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की भावना के साथ जो संविधान संशोधन किया गया है और हर विधान सभा में एक्ट भी पास किया गया है लेकिन लगता है, यह राजस्थान की सरकार उन अधिकारों को वापस, उन पंचायती राज संस्थाओं में राजस्थान की 80 प्रतिशत आबादी है, उनसे अधिकार वापस छीनने का चाहे वह आर.पी.एस.सी. के माध्यम से छीने या दूसरे नाम से छीने। जो आज से पहले पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत समिति में भी नियुक्ति शिक्षकों की करने का अधिकार था, उसको आर.पी.एस.सी. के माध्यम से कर दिया गया है और यह इस भावना के साथ किया गया है, वहां जो स्थापना समिति है, उससे किया जाता है तो लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। मैं समझता हूं, आर.पी.एस.सी. से कराने के बाद में भी सुप्रीम कोट तक लिटिगेशन में कोई कमी नहीं है और ये लिटिगेशन इसलिए हैं कि जिस भयंकर रूप में बेरोजगारी बढ़ रही है और उसमें भी लोगों के अन्दर आने की कोशिश है और हम केवल राजनैतिक स्वार्थ के लिए चाहे वह पैराटीचर्स हो चाहे शिक्षाकर्मी हो या शिक्षक लगने वाले हों, उन सबके साथ मे जो व्यवहार करते हैं, अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण सबसे ज्यादा लिटिगेशन होते हैं। इसलिए एक तो मुझे यह कहना है कि इस तरह से हम केवल वाहवाही लेने के लिए संशोधन करें या पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के नाम पर आप कितने ही भाषण दें लेकिन अपने हाथ से अधिकार छोड़ने की राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, न केवल पंचायती राज संस्थाओं के साथ बल्कि जिस तरह का भेद राजस्थान में पंचायती राज

(श्री अमराराम)

संस्थाओं के चुने हुए जन प्रतिनिधि, नगर निगम और नगरपालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जितना भेद है, मैं समझता हूं, बहुत ही असमानता का है। एक छोटी से छोटी नगरपालिका मण्डल के जन प्रतिनिधि जो मुश्किल से 500 से 700 वोटर का प्रतिनिधि होता है, उसको भी भत्ता दिया जाता है 800 रुपये और नगरनिगम को शायद 2000 रुपये मंथली उसको भत्ता अपनी ड्यूटी तय करने के लिए दिया जाता है लेकिन 25000 से 35000 मतदाताओं के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य को कोई भी किसी प्रकार का भत्ता, न तो भत्ता पंचायत समिति के मेम्बर को दिया जाता है न जिला परिषद के मेम्बर को दिया जाता है। एक विधान सभा क्षेत्र में मुश्किल से 4-5, कहीं बड़ा विधान सभा क्षेत्र है उनकी बात छोड़ दीजिये, बाकी अमूमन एक विधान सभा क्षेत्र में चार या पांच जिला परिषद के सदस्य हैं और उनको कोई भी भत्ता अपनी जन प्रतिनिधि की ड्यूटी तय करने के लिए नहीं दिया जाता है। एक तरफ तो नगर निगम के प्रतिनिधियों को 2000 रुपये भत्ता दिया जाता है और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं, टेलीफोन का भत्ता दिया जाता है और जो ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, जो 25 से 35,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको एक भी नया पैसा भत्ते के रूप में नहीं दिया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : अधिकार क्या दे रखा है ?

श्री अमराराम (धोद) : न अधिकार है, न भत्ता है और केवल हम यहां भाषण देते रहे हैं उनका मत प्राप्त करने के लिए कि जो ग्रामीण जनता है, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम स्वराज के उनको अधिकार की, 29 सब्जैक्ट की, लेकिन मैं समझता हूं जितने सब्जैक्ट थे उनको वापस ले करके, इसलिए मेरा तो मंत्री महोदय और सरकार से इतना ही निवेदन है कि जो भेद ग्रामीण जन प्रतिनिधि और शहरी जन प्रतिनिधि के बीच मे राजस्थान की सरकार के माध्यम से पिछले समय से लगातार चल रहा है, इसको निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए और यह जो शिक्षा की व्यवस्था है, अराजक व्यवस्था गांवों में है, उसको मिटाने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए।

(श्री अमराराम)

इसलिए इसको लोगों के बीच में जाना चाहिए और यह जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि यह विधेयक पास होने पर ही उनको नियुक्ति दी जा सकती है, जो पहले से दी जा रही है, यह लोगों के बीच में जाये इसलिए मैं जनमत जानने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाताराम गुर्जर। डाक्टर जालम सिंह रावलोत।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संशोधन विधेयक को मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, वह विधवाओं का सर्विस में इनका कोटा निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव है, इसलिए जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेता हूं। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में मेरे से पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने भी कहा और उसमें मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाएं सुदृढ़ बनें, इसके लिए एक तो पंचायत समिति में जो प्रधान बनते हैं, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्योंकि करोड़ों रूपयों का बजट आता है और आज मात्र साक्षर कोई भी प्रतिनिधि चुनकर आता है...

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, म्हारो तो भट्टो ही बैठ जासी ई हिसाब सूं. प्रधाना पर ही लागू हो जासी जणा म्हारी के हालत होसी ?

श्री दाताराम गुर्जर : आज प्रजातंत्र में यह बहुत जरूरी हो गया है और पंचायत समिति के सदस्यों का और जिला परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, यह मात्र प्रधान और प्रमुख के निवार्चन तक ही सीमित है। उनको भी कुछ अधिकार दिये जायें। आज पंचायत समिति का सदस्य सरपंच से ज्यादा जनता के द्वारा चुना जाता है लेकिन वह मात्र मूल निवास प्रमाण-पत्र बनाने तक ही सीमित नहीं है, उसको कम से कम इतना अधिकार तो दिया जाना चाहिए कि पंचायतों के द्वारा जो कार्य किये जायें उनका आंकलन करें, उसकी समीक्षा करें और इनको जो भत्ते दिये जाते हैं, उसमें भी इनको कुछ नहीं मिलता है। मैं एक यह भी प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों को उसी प्रकार, जिस प्रकार नगर निगम और नगर

(श्री दाताराम गुर्जर)

पालिका के प्रत्येक सदस्य को विकास कोष दिया जाता है, उस हिसाब से इनका भी कुछ निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि एक जिला परिषद का सदस्य आठ पंचायतों पर बनता है तो कम से कम अपने वार्ड में तो कुछ विकास कोष से खर्चा करे। वैसे तो जिला परिषद का जो बजट आता है, वह खर्च तो गांवों में ही होता है मगर इन माननीय सदस्यों के माध्यम से जैसे विधायक कोष बना हुआ है, उस हिसाब से इनका कुछ निर्धारण कर दिया जाये तो निश्चित रूप से गांव में विकास की गति बढ़ेगी और माननीय सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, उसका परिलाभ भी इन लोगों को मिल सकेगा ताकि जनता में ये अपने आप यह बता भी सकें कि निर्वाचन होने के बाद हमने अपने-अपने वार्डों में निम्न कार्य करवाये हैं और जनता में यह त्रिस्तरीय निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद में जैसे आजकल प्लास्टिक के ग्लास में चाय पीकर फैंक देते हैं उसी प्रकार की एक प्रकिया बन गई है कि वोट डालने के बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए मेरा यह सुझाव है, पंचायत राज निर्वाचन में अगर सरकार कोई ऐसा संशोधन विधेयक लाये तो उसमें यह बातें जोड़ी जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत : अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज संशोधन अधिनियम, 2004 में मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मैं जनहित में उसको वापिस लेता हूं। आपसे अनुरोध यह है कि...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो अभी-अभी निर्वाचित होकर आयें हैं, तो जनमत जानने का प्रस्ताव तो दे दिया, अब वह सब भयभीत हो रहे हैं घनश्यामजी तिवाड़ी से कि तुम सरकार के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हो, तो उठते ही, यह पढ़ाया गया है कि यह तो मैं वापिस लेता हूं। वापस लेने की भी मान्यवर, एक प्रक्रिया है, प्रस्ताव करना पड़ता है कि वापस लेने की मुझे अनुमति दी जाए। आप अनुमति देती हैं।

श्री अध्यक्ष : जब मूव करें, तभी होता है, यदि मूव नहीं करें तो आवश्यक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, तो फिर, मैं वापस लेता हूं और फिर भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मूव नहीं किया अगले ने, कह दिया कि मैं नहीं बोलूंगा। कह दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंनें भयभीत कर रखा है कि अपनी सरकार के खिलाफ बोलोगे तो, भयभीत कर रखा है।

श्री मदन राठौड़ : यह तो नये सदस्य की भांति व्यवहार कर रहे हैं, आप तो वरिष्ठतम सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई भयभीत नहीं कर रखा है। किसी को भयभीत नहीं कर रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : ट्रांसफर नहीं करूंगा, अब कैसे आये हो, तुम तो प्रस्ताव लेकर आये हमारे खिलाफ। हम जो एक्ट लाये हैं उसको जनमत के लिए भेज रहे हो।

श्री अध्यक्ष : यह काम तो आप लोगों पर छोड़ रखा है, उन्होंने आपके लिए।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा नहीं लगता। माननीय सदस्य हाथ जोड़ते हैं कि वापस लेता हूं। क्यों इतना आप उनको, कोई मुंह में डाल रहे हैं क्या आपके।

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा नहीं साहब। ऐसा है...

श्री रामनारायण चौधरी : आप अपने विचार व्यक्त करें न खुले...

डा. एन.एस. गुर्जर : भयभीत नहीं कर रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : जनमत जानने का मतलब, जनमत है, इसमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं होता, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, जनमत जानना, मतलब हम कह रहे हैं कि जनता की राय क्या है, वह है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

हम भी देते रहे हैं सत्ता पक्ष में थे तो, हम जनमत के लिए देते थे लेकिन ऐसे डरते नहीं थे, ऐसे नहीं कहते थे कि हम इसको वापस लेते हैं। मान्यवर, आप तो रही हैं, ऐसे कभी नहीं किया कि मान्यवर, मैं वापस लेता हूं। आप निर्वाचित सदन के माननीय सदस्य हैं, आपको अधिकार है सब, आप बोलिये, जनता के हित की बात बोलिये, यह मत कहिये कि वापस लेता हूं और जो भी कहें, उस वक्त ले लेना जब यह वोट के लिए रखें।

श्री श्रवण कुमार : आप इनको हां पक्ष, हां पक्ष कहने के लिए बोलो।

श्री रामनारायण चौधरी : वापस लें तो भी उस वक्त कह देना जब यह वोट पर रखें।

श्री अध्यक्ष : मूव ही नहीं किया उन्होंने तो।

श्री रामनारायण चौधरी : मूव तो हो गया न बोलते ही साहब।

श्री अध्यक्ष : मूव करें तभी तो वापस लेने का प्रश्न आयेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : देखिये माननीय, आपने कहा है कि भयभीत किया है, भयभीत कुछ नहीं किया है, हम तो बिलकुल सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, हम पहले ही विचार-विमर्श कर लेते हैं पूरा, हम आपकी तरह विभाजित नहीं है...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप अमेंडमेंट वापस नहीं लेंगे तब समझूंगा कि भयभीत नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : भयभीत ही नहीं कर रहा, आप तो... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप तो यहां मुझे देखते हैं, हमारा फ्लोर मेनेजमेंट अच्छा है।

श्री मदन राठौड़ : नहीं, यह प्रस्ताव नहीं, यह माननीय सदस्य को बताया जाय।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको जब देखते हैं, एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, हमारे एक हैं, एकमत हैं सब लोग, इसलिए हम वापस लेते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, आप एकमत रहो। हम भी चाहते हैं एकमत रहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा माननीय रामनारायणजी से कि भयभीत करने का काम तो आप लोगों के जिम्मे है, हम तो गरीब ब्राहम्ण हैं, हम किसको भयभीत कर सकते हैं, इसलिए किसी को भयभीत करने का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वापस लेता हूं, यह तो कह रहे हैं, जब माननीय सदस्य मूव ही नहीं कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रहता है, वैसे आप लोग समझदार आदमी हैं, इसलिए वह मूव नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब यह है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, विधान सभा में जातीय आधार पर भयभीत नहीं होते, सत्ता पक्ष से भयभीत होते हैं लोग।

डा. एन.एस. गुर्जर : इन्होंने आपसे भयभीत होने के लिए नहीं कहा है, उनसे भयभीत होने के लिए कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो हमेशा आसन से भयभीत रहता हूं अध्यक्ष महोदय...

श्री श्रवण कुमार : आसन से तो सभी भयभीत रहते हैं लेकिन आप एक बात तो बताओ। आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं पंचायत राज को। आप इस पंचायत राज को बहुत प्रस्फुटित करना चाह रहे हैं, आप पंचायत समितियों में जाकर पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, पंचायत समितियों को भी इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, आपके पास गाडियां है नहीं, ड्राईवर आपकी पंचायत समितियों में है नहीं, काम की कोई व्यवस्था है नहीं, नीचे के धरातल को तो साफ करते जा रहे हो, ऊपर इंटरनेट से जोड़ते जा रहे हो, नीचे धरातल को तो देखो आप कम से कम।

डा. जालम सिंह रावलोत : माननीय सदस्य, आप अपनी सीट से बोलिए।

श्री मदन राठौड़ : यह अपनी सीट से तो बोलें।

श्री श्रवण कुमार : सीट वही है, और कहां से बोल रहां हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिराजो श्रवण कुमारजी।

श्री अध्यक्ष : डा. जालम सिंह रावलोत अपना भाषण प्रारम्भ करें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिन बिन्दुओं पर संशोधन के सुझाव देना चाहता था वह सारे विषय आ गये हैं लेकिन संक्षेप में मैं उन सुझावों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पंचायत राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में इस बार स्थिति थोड़ी भिन्न प्रकार की हुई है। कई प्रकार की ऐसी स्थितियां ध्यान में आई हैं, जिससे जिस भाव से पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव का जो सोचा था जनहित में और ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी का सपना था उसको पूरा करने में कुछ बाधा पहुंची है। उसके लिए मेरा सुझाव है कि एक तो सरपंचों के चुनाव तथा पंचायत राज के चुनाव, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों के बीच में कम से कम चार माह का अंतराल होना चाहिए ताकि ग्रामीण मतदाता अपने ढंग से अपने जन प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। पंचायत समितियों के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्यों को विकास के नाम पर कोई इनका फण्ड नहीं होता है, कोई इनके पास कोष नहीं होता है जिसके कारण यह जो उनके मतदाता हैं उनके उपहास का शिकार बनते हैं और इनकी इस तरह से हंसी उड़ाई जाती है जैसे इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है, केवल प्रधान और प्रमुख के लिए वोट देते हैं और उसके बाद उनकी कोई शक्ति नहीं होती है। इस हिसाब से निश्चित रूप से ध्यान देना उचित रहेगा। इनको खास कर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या उस मीटिंग में भाग लेने के लिए भी कोई भत्ता दिया जाये तो उचित रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. एन.एस. गुर्जर। श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधयेक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए मैंने मेरा प्रस्ताव दिया था। इसमें विधवा और विच्छिन्न विवाह स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों के मामलों में चयन की रीति तय करने के लिए सरकार ने यह विधेयक संशोधन के लिए पेश किया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके सैकण्ड पैरा में जो दिया है कि छानबीन समिति द्वारा ऐसा किया जायेगा, माननीय महोदय, मैं आपके

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समिति का क्या स्वरूप होगा और विधवा और विच्छिन्न विवाह स्त्रियों की क्या कैटेगरी होगी, उसको तय करने के लिए क्या नियम बने हैं उसको भी अगर सदन को बताया जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता। इसके साथ-साथ चूंकि विधवा महिलाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं की स्थिति की बात है, जहां तक हम देखते हैं प्रदेश के अन्दर, जो परित्यक्तता महिलाएं हैं या जो विधवा महिलाएं हैं उनकी दयनीय स्थिति है उसको देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि उनकी नियुक्ति की जायेगी और उनकी दशा में सुधार किया जायेगा, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि जैसा देखने में आया है राजस्थान के अन्दर, इन ग्रुप की महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति हो रही है और उनके प्रति किसी का भी सकारात्मक सोच सहयोग करने का नहीं रहता जिस कारण उन महिलाओं को ग्रामीण परिवेश में रहते हुए या शहरी परिवेश में रहते हुए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके छोटे-छोटे बच्चे जब उनके साथ रहते हैं तो उनकी जीविकोपार्जन का कोई साधन उनके पास नहीं होता तो बड़ी मुश्किल से उनको गुजारा करना पड़ता है, उसके लिए सरकार ने जो यह रखा और जो यह संशोधन यहां पेश किया, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ में एक और सुझाव देना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, अगर एक प्रस्ताव यह भी लेकर आयें इसमें, पिछले समय 1995, 2000 और 2005 में तीन चुनाव सम्पन्न हो गये नये त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम के तहत और जैसा इन तीनों बार में देखने को मिला, यहां राजस्थान के अन्दर दोनों पार्टियों ने अपने चुनाव चिन्हों के ऊपर पंचायत राज में चुनाव लड़ा, चुनाव चिन्हों के ऊपर पार्टियों से चुनाव करवाना इन्होंने तय कर लिया और उस चुनाव में स्थितियां यह होती हैं कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर आने वाला आदमी कांग्रेस में चला जाता है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाला आदमी बीजेपी में चला जाता है। मतदाताओं की भावनाओं का दमन होता है, मतदाता को जिस प्रकार जो भावना पेश की जाती है उसका विरोध होता है और उन भावनाओं का ध्यान रखे बिना वह चुना हुआ प्रतिनिधि अपने

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने घर में पैसा लाने के लिए और पैसे के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वह एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में रातों-रात चला जाता है जिससे प्रदेश की जनता और प्रदेश के लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है, उनके द्वारा दिये गये मत का जो गलत इस्तेमाल होता है उसके कारण एक तो भयंकर भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसको रोकने के लिए मेरा सुझाव यह है। अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा था कि एन्टी डिफेक्शन बिल लाना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें सुझाव दूसरा है कि वास्तव में अगर योग्य व्यक्ति को चुनाव में लाना है, वास्तव में योग्य व्यक्ति और ईमानदार आदमी को सामने लाना है, भ्रष्टाचार को रोकना है और इस परिपाटी को बंद करना है तो इन पदों के ऊपर जो प्रधान का पद है, जिलाप्रमुख का पद है इसके ऊपर सीधा इलेक्शन करवाया जाना चाहिए, आम जनता के द्वारा इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति चुने जाने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार बंद हो सके और पार्टियों में इधर से उधर भागने की जो होड़ लोगों में लग जाती है उसके ऊपर अंकुश लग सके।

इसके साथ-साथ दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जिला परिषद के मेम्बर या पंचायत समिति के मैम्बर चुने जाते हैं, कानून के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया कि उनको क्या काम करना है ऐसा कोई नहीं है एक अलग से काम करना चाहें तो उसको कहीं रोक नहीं गया गया है। कोई भी व्यक्ति जाकर के कहीं भी किसी भी कार्य का निरीक्षण कर सकता है, देख सकता है अपनी सूचना दे सकता है सम्बन्धित पंचायत राज विभाग को, पंचायत राज मंत्री को अपनी जानकारी दे सकता है, जिला परिषद को दे सकता है, पंचायत समिति को दे सकता है लेकिन अगर नियमों के तहत उनको कोई एक ऐसा काम दिया जाता जिसके कारण सामाजिक सेवा के काम हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान की बात है, समाज कल्याण के काम हैं, बच्चों के उत्थान की बात है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने की बात है, टीकाकरण का काम है, बीमारियों के

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

खिलाफ काम करने की बात है ऐसे कुछ काम अगर उनको जिम्मेदारीपूर्वक दिये जाते तो मैं समझता हूं कि चुनकर आने वाले उन प्रतिनिधियों को. उनकी अपनी भावनाओं को सम्बल मिलता और उनको काम करने में एक इन्ट्रेस्ट रहता। जनता के प्रति जो चुनाव जीतकर के आते हैं उनके पास जब काम नहीं होता है तो हालात ये होते हैं कि जो जनता मत देती है वो पिछले साल के अन्दर उसकी हालत यह खराब करती है कि आपने हमारे क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद काम क्या किया ? वो काम बताने की स्थिति में नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब भी आप इस बात पर विचार करें और सरकार विचार करे अगर गम्भीरता से तो मैं समझता हूं कि कोई बिल इस प्रकार का लाया जा सके अगर उसमें यह संशोधन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, आम मतदाता के हित में होगा। विधेयक परिचालन के लिए जो मेरा प्रस्ताव दिया गया था उसके ऊपर आपकी अनुमति से में उस प्रस्ताव को रखते हुए वापसी का निवेदन करता हूं। इसमें महिलाओं की बात, विधवा महिलाओं की बात है, परित्यक्ता महिलाओं की बात है, इसलिए उनके हित के लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता। (अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं और मैं मेरी बात पर अब भी कायम हूं, उसके कारण हैं केवल ना पक्ष में होना ही कारण नहीं है, सबसे बड़ी बात तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जो अभी बहुत वाद-विवाद में आयी थी, पंचायत राज विधेयक में संशोधन हो रहा है और शिक्षा मंत्रीजी संशोधन कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पंचायत राज मंत्रीजी नाराज

(श्री रामचन्द्र सराधना)

होकर चले गये हों और कल उनको मालूम पड़े कि मेरे अधिकारों में कहीं कमी आ गयी है और कल नयी बीमारी पैदा कर दें क्योंकि यदि पंचायत राज मंत्री की सहमति से यह पंचायत राज संशोधन विधेयक लाया जाता, इसमें बहुत सारे संशोधन होने की जरूरत थी। जो माननीय सदस्य अलग-अलग अपनी राय दे रहे हैं ये तो केवल मात्र शिक्षा मंत्रीजी ने अपने इन्ट्रेस्ट का जो विषय था इसको उनसे छीन करके संशोधन करने की कोशिश की है। यह एक गलत परम्परा है, गलत रास्ता अपनाया है इन्होंने। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि शिक्षा मंत्रीजी, आपने उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की है लेकिन हम सब लोगों की भावनाओं को भी आप ध्यान में रखते हुए संशोधन लाने की कोशिश करें क्योंकि आज सबसे बड़ा संशोधन लाने की बात तो यह थी, मैं यह मानता हूं कि पूर्व में मुख्य मंत्री रहे श्री भैरोसिंहजी शेखावत इस देश और प्रदेश की जनगणनना को कंट्रोल करने के लिए एक विधेयक लेकर आये थे और यह बताया था उन्होंने कि 27 नवम्बर, 1995 के बाद दो संतान वाला कोई भी पंचायत राज का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह आ गयी कि पहले जो साक्षर हुआ करता था, धारा प्रवाह हिन्दी पढ़ लिया करता था उसको पंचायत राज का सरपंच बना दिया जाता था और आज आपने निरक्षर आदमी को पंचायत राज का सरपंच बनाने की बात कर दी और कहते हैं हम उसको इन्टरनेट से जोड़ेंगे और वो वो ग्राम सचिवालय बनायेंगे और जाने कैसे-कैसे करेंगे। वो निरक्षर बैठा हुआ है, उस हिसाब से आप कुछ भी करो, बिना पढ़ा-लिखा आदमी काला अक्षर भैंस बराबर हो गया और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, भगवान की मर्जी है उस पर आज कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें संशोधन करने की जरूरत है कि सरपंच पढ़ा-लिखा होना चाहिए बिना पढ़ा-लिखा सरपंच गांव की पंचायत को नहीं चला सकता है, लोगों का भला नहीं कर सकता वो डरा-डरा पंचायत के अन्दर बैठता है और वो समझ नहीं पाता कि यह सैक्रेट्री हमारा भाग्य विधाता है यह क्या लिख जाएगा और उसके हाथ जोड़ता रहता है कि कोई गलत बात

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मत लिखना, सैक्रेट्री साहब कोई गलत बात मत लिख देना इसलिए शिक्षा मंत्रीजी, इस बात पर भी गौर करें।

दूसरी बात यह अध्यापकों के चयन के लिए आर.पी.एस.सी. में भेजा है। मैं समझता हूं कि आपकी भावना बहुत शुद्ध थी और उसके साथ हम भी सहमत हैं कि आपने गुणात्मक बात को ध्यान में रखते हुए कि यह गुणात्मक अपेक्षाएं की गयी हैं जो आर.पी.एस.सी. भर्ती करेगी अच्छे लोगों की भर्ती करेगी और ढंग से भर्ती करेगी हम इस बात से तो सहमत हैं और यह होना भी चाहिए क्योंकि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा आधार लोगों को आगे बढ़ने के लिए बनाता है, लोगों का जीवन बनाता है। शिक्षा विभाग में गुणात्मक दृष्टि से यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें कोई कमी पैदा नहीं होनी चाहिए। यह भी मैं समझता हूं कि आपने विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उसमें प्रदान करने की कोशिश की है लेकिन मैं इसमें सहमत होते हुए भी, इन महिलाओं को शिक्षा विभाग में ही आप अनट्रेन्ड को नौकरी देने की बात करें, आप उनको पिछले दरवाजे से भरने की बात करें, ऐसा क्यों करना चाहते हैं ? इनको रोजगार दूसरी सेवाओं में भी दिया जा सकता है, एल.डी.सी. बनाया जा सकता है अपने परिवार का भरण-पोषण एक जगह रहकर कर सकती है। गांवों में जाना पड़ेगा उन लेडीज को उनको कई तकलीफें होंगी इसलिए शिक्षा विभाग में इतना जोर देकर के आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं?

दूसरी, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी, कि शिक्षा मंत्रीजी ने गयी बार कहा था, गये अधिवेशन में, गये साल में कि एक जुलाई से सब स्कूलों में टीचर पहुंच जाएंगे लेकिन इनके पास करामात थी, पैसा बचाने के लिए राजस्थान के इन छात्रों के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने अध्यापक नहीं भेज करके। यद्यपि इन्होंने यह वाहवाही लूटी है मुख्य मंत्रीजी से कि आपका बहुत पैसा बचा दिया टीचर्स की भर्ती नहीं करके, एक वर्ष बिना

(श्री रामचन्द्र सराधना)

टीचर्स के निकाल दिया लेकिन यह राजस्थान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और अब भी लिटिगेशन पैदा करके अगले साल भी जुलाई में ,नहीं भरना चाहते हैं। आपने सबसे बड़ा यह लगाया है कि परित्यक्ता और विधवा महिलाओं के लिए आप अलग से एक कमेटी बनाना चाहते हैं, वो कमेटी कैसे बनेगी, क्या आधार होगा, कौन-कौन लोग उसमें होंगे, उसके लिटिगेशन पैदा होंगे और वो जुलाई में टीचर नहीं पहुंच पाएंगे यह शिक्षा मंत्रीजी की जो दुर्भावना है इस राजस्थान के छात्र वर्ग के प्रति वो परिलक्षित होती है।

मान्यवर, शिक्षा मंत्रीजी, खास तौर से मोटी-मोटी बातें मैंने आपको निवेदन कर दी हैं। पंचायत राज मंत्री कभी आएंगे तो उनको सुनायेंगे क्योंकि ये तो शिक्षा की बात सुनने के अलावा पंचायत राज की बात तो ये सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि पंचायत राज तो इनके पास है ही नहीं। पंचायत राज के लिए तो मैं एक निवेदन करना चाहता था कि आप शिक्षा विभाग की भर्ती करने के लिए तो आर.पी.एस.सी. के लिए अमेंडमेंट लेकर आ रहे हो यह बात तो सही है लेकिन पंचायत राज की बहुत सारी सेवाएं, बी.डी.ओ. आप उधार लेते हैं वो जाने क्या करेगा और कहां जाएगा, कौनसी शिक्षा लेकर आया है लेकिन हमारा विकास करने के लिए तैयार हैं। अब वहां पर जो बी.डी.ओ. है एस.डी.आई. है और बहुत सारी सेवाएं हैं उनके लिए आप सबसे बड़ा अमेंडमेंट यह क्यों नहीं लेकर आते लेकिन आपका इन्ट्रेस्ट नहीं है उसमें क्योंकि पंचायत राज का होता है वो पंचायत राज मंत्री अमेंडमेंट लेकर आते तो राजस्थान पंचायत राज सेवा आयोग बनाते और इसके कारण बी.डी.ओज की भर्ती हो जाती और एक क्वालिटी मिलती और उसको डर रहता। आज पंचायत राज मंत्री नाराज हो जाएं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बी.डी.ओ. का, उसके पेरेंटल डिपार्टमेंट में भेज देगा वो वहां चला जाएगा। आपके तो कोई कंट्रोल में रहा नहीं और पशुओं का डाक्टर आएगा वो हमारा विकास करेगा, कोई एस.डी.आई. होकर भी आ जाएगा वो हमारा विकास करेगा, कितना बड़ा देश का और प्रदेश का विकास करना चाहता है उसके बारे में सोचा ही नहीं कि

(श्री रामचन्द्र सराधना)

हमारा विकास करने वाला आदमी कौन है और इसका क्या ज्ञान है और इसके क्या विचार हैं, वह क्या करना चाहता है उसको कोई लेना-देना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये तो हमारा दुर्भाग्य है आपने पंचायत राज मंत्री को नाराज करके यहां से भी भेज दिया और उनके अधिकारों को आपने छीनने की कोशिश की लेकिन आपने अपने इन्ट्रेस्ट का विषय लिया इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, इसमें तो कम से कम क्वालिटी को बनाये रखिये और विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के लिए उनका जीवन सुखी रखने के लिए वो अपने बच्चों का ढंग से पालन-पोषण कर सके इस बात के लिए कहीं न कहीं आफिसेज में उनको एल.डी.सी. बनाइये ताकि आने-जाने में दिक्कत नहीं हो और अपने घर को भी संभाल लें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : टीचर्स के लिए तो मेहरबानी करके ऐसे टीचर्स को भेजिये गांवों में आप देखते हो आपको भी मालूम है शिक्षा मंत्रीजी आपको भी सब कहते होंगे मुहाना से और मम्माना से जो आती हैं वो शाम को ही आ जाती हैं तीन बजे ही और गांव वाले आपको भी कहते हैं कि मंत्रीजी वो आती ही नहीं। मैं क्या कहूं अब। तो इन बातों को ध्यान में रखिये। शिक्षा विभाग आपने संभाला है, सौभाग्य से आपको शिक्षा विभाग मिला है इस बारे में गम्भीरता से विचार कीजिये। एक वर्ष बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निकला। एक लड़का, एक टीचर और 170 पर बढ़ा दिया आपने 169 होंगे तब तक आप दूसरा टीचर नहीं लगायेंगे ओर 170 होने के बाद दूसरा टीचर लगायेंगे। आप बताइये उन लड़कों को पानी पेशाब की छुट्टी देने में ही टाइम बीत जाता है उसका तो वो कुछ कर ही नहीं पाता। आपने कभी गम्भीरता से नहीं सोचा और सारे विभाग में कम कर दीजिये आप भले ही लेकिन शिक्षा विभाग को आपको गम्भीरता से लेना चाहिए था। आपने पहले जो गैस्ट फैक्ल्टी वाले टीचर थे उनको बंद कर दिया था। हमने आपको निवेदन किया था उस समय पहले विधान सभा जब

(श्री रामचन्द्र सराधना)

चली थी कि कम से कम उनको तो चालू करें, वो काम तो पूरा कर दिया लेकिन गैस्ट फैकल्टी वाला अपने सौ रुपये का ध्यान रखता है लड़कों का. ध्यान नहीं रखता न तो उसका रिजल्ट पर असर होने वाला है न उसकी कोई जिम्मेदारी है मेहरबानी करके इनको जल्दी से जल्दी भर्ती करें...।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : ...और लिटिगेशन पैदा नहीं करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विचार पर कायम हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी ऐसा ही प्रस्ताव प्रेषित किया है कि जनमत जानने के लिये इस विधयेक को परिचालित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा मकसद यह था कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन उद्देश्य, इनके फंक्शन, इनकी ड्यूटी, इनके पावर यह बिलकुल अलग हैं और संविधान में इनका प्रावधान इसलिए डाला गया कि यह संस्थाएं इंडिपेंडेंट हो, स्वावलंबी हो इस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था और मैं भी इसी मत का हूं कि केवल शिक्षा का हिस्सा इस पंचायत विभाग से लेकर अलग सरकार को दे दिया जाये मैं इसको उचित नहीं समझता। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्रीजी इस उद्देश्य को नहीं समझ पायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का उद्देश्य और फंक्शन वगैरह क्या हैं वह नहीं समझ कर यह कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, जिसको अपन जिला स्थापना समिति कहते हैं वह अभी तक कायम है, वह पहले से नियुक्त हैं और एक्ट में और रूल्स में उनके प्रोविजन को हटाया नहीं गया है। उनको चयन का अधिकार था। चयन का अधिकार 80 में केवल टीचर्स का लेकर आर.पी.एस.सी. को दिया। ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं मानता लेकिन बाकी सारे चयन डी.ई.सी. ही करती है हमारे यहां अभी तक चाहे मृतक

(श्री गंगाराम चौधरी)

के आश्रित के चयन का सवाल हो, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे टीचर हो, पंचायती राज संस्थाओं का कर्मचारी है तो उसके आश्रित क़ा सलेक्शन कौन करेगा, डी.ई.सी. करेगी, आज भी वही प्रावधान है। इसको अलग से क्यों जोड़ा गया कि सरकार एक अलग से स्क्रीनिंग कमेटी बनायें चयन के लिए, क्यों डी.ई.सी. को दे दिया जाये और अलग स्क्रीनिंग कमेटी बनायें तो मेरा निवेदन यह है इसको जिला स्तर पर अलग स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिये। आप इसको वहां पर नहीं कर सकते। इसका थोड़ा ढांचा आप हमको बताते तो हम कुछ कह पाते इस बारे में।

कुछ और बातें जो पंचायती राज मंत्रीजी से सम्बन्धित हैं वह भी मैं आज कहना चाहूंगा हालांकि थोड़ा विषयान्तर हो रहा हूं क्योंकि यह शिक्षा से सम्बन्धित हैं लेकिन यही एक मौका है जब हम कुछ कह सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह स्थाई समितियां जब बनाई हैं, इसका जो प्रावधान किया है। पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति, जिला परिषद सबकी स्थाई समितियों का एक सा प्रावधान है। हरेक में पांच सदस्य हों। एक सदस्य एक से ज्यादा स्थाई समिति का सदस्य नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह रेशनल नहीं है। एक पंचायत में 9 से लेकर 23 तक सदस्यों की संख्या होती है। जिसमें 9 सदस्य हैं उनमें भी 5 स्थाई समितियां 1 पंचायत समिति में 25 सदस्य हैं उसमें 5 स्थाई समितियां ठीक समझ में आता है। जिला परिषद, 36 -37 सदस्य होते हैं उसमें 5 ही सदस्य तो सबकी बारी ही नहीं आती। इसका रेशनल प्रावधान ऐसा होना चाहिये जहां पर मैम्बर कम हैं, स्ट्रेन्थ कम है पंचायत समिति की या ज्यादा है जिला परिषद की तो उसमें सदस्यों की संख्या कुछ ज्यादा रखी जाये यह जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि स्थाई समितियों का प्रावधान किया ही क्यों आपने जब उनके पास कोई काम ही नहीं है। 10 साल से आप देखिए, 1994-95 में लास्ट ईयर तक किसी जिला परिषद की किसी स्थाई समिति की मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। उसके पास कोई काम हीं नहीं है। उसको कोई ड्यूटी ही नहीं दी गई है तो फिर स्थाई समितियों

(श्री गंगाराम चौधरी)

के गठन की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, प्रावधान है, मैन्डेटरी है इसलिए आपने बना तो दिया लेकिन उसके पास काम कुछ भी नहीं है तो वह स्थाई समितियां क्या कर पायेंगी, कुछ नहीं कर रही हैं। आपने आयोजना समिति बना दी। आयोजना समिति के पास कुछ भी काम नहीं है। केवल मैन्डेटरी है इसलिए आपने गठन किया है। कांस्टीट्युशन के 243(जी) जो आर्टिकल है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें यह है कि स्टेट लेजिस्लेटर के जरिये प्रावधान करेगी कि पंचायती राज संस्थाओं को उचित शक्तियां देगी, किस परपज से, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधार के लिये योजनाएं बनायेगी। आगे दिया है इन योजनाओं की क्रियान्विति जिसमें 29 विषय दिये हैं वह भी शामिल हैं। अब आप बताइए इन विषयों की पूर्ति होती है क्या। सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधार के लिये योजना बनाने का काम 10 साल से हमने दिया पंचायती राज संस्थाओं को तो फिर इस आयोजना समिति का मकसद क्या है। इसमें मैम्बर आपने म्युनिसिपैलेटी को भी ले लिया, नोमिनेटेड मैम्बर भी है। यह सब आयोजना समिति का जो फंक्शन है वह पूरे जिले का एक प्लान बनाना है। वह प्लान कब बनेगा जब आप उनको कुछ पैसा दोगे। पैसा किसमें से देंगे हमारे प्लान का जो पैसा है उसमें कुछ परसेंट पैसा आपको जिलों को देना पड़ेगा। दूसरी स्टेट्स ने दिया है, हम नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है 10 साल से नहीं दे रहे हैं। केरल ने तो 41 परसेंट पैसा अपने प्लान में से दे दिया जिलों को और महाराष्ट्र ने दिया है, आन्ध्र दे रहा है, कर्नाटक दे रहा है, गुजरात भी देना चाहता है लेकिन उत्तर भारत की हमारी सारी स्टेट अभी तक कुछ भी नहीं दे रही है, पार्ट विथ करना नहीं चाहते। दो साल पहले स्टेट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें एम.एम.के. वली आये थे प्लानिंग कमीशन के सदस्य। उन्होंने कहा था प्लानिंग कमेटी को कि आप 8 परसेंट प्लान का पैसा कम से कम जिलों को दे दें। उस वक्त तो मान लिया लेकिन हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट कहता है कि हम 2 परसेंट देंगे, फिर कहता है हम कुछ भी नहीं देंगे, तो कुछ भी नहीं दिया। आज तक इस आयोजना समिति के

(श्री गंगाराम चौधरी)

पास कुछ काम नहीं है। मकसद यह है कि उस कांस्टीट्यूशन का और हमारे एक्ट का, हमारे एक्ट में भी हमने लिख दिया, एक्ट में 50, 51, 52 तीन चार सैक्शन हैं जिसमें यह बात आई है कि यह विषय हमारी पंचायती राज संस्थाएं देखेगीं। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया तो मकसद यह था कि वार्ड से हमारा प्लान बनेगा। ग्रासरूट प्लान बनना क्यों जरूरी है और जरूरी है तो इसमें प्रावधान किया है तो इसमें होना चाहिये। ग्रासरूट प्लान बनाने के लिए वार्ड से प्लान बने, पंचायत बनाये, ग्राम सभा बनाये, फिर समिति बनाये, फिर जिला बनाये और वही एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इस तरह का प्रावधान है। लेकिन इस तरफ हम कुछ नहीं कर रहे। कभी सोच भी नहीं रहे, इस पर विचार ही नहीं हो रहा और शिक्षा मंत्रीजी जवाब भी नहीं दे पायेंगे उन्हें कुछ पता भी नहीं है। इस एक्ट के बारे में पंचायती राज मंत्रीजी को पता है। ठीक है मैं विषयान्तर होकर कह रहा हूं लेकिन मुझे कहना जरूरी था। उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्रीमती अनिता भदेल (अनुस्थित) श्री बत्तीलाल।

श्री बत्तीलाल (टोड़ाभीम) : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2005 जिसको मैने जनमत जानने के लिये प्रस्ताव किया है उसको मैं इसलिए वापस लेता हूं कि यह संशोधन जन कल्याणकारी है, सरकार की पारदर्शी नीति के अनुरूप है और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला है। मान्यवर, आर.पी.एस.सी. से जो सलेक्शन होता है पहली बार यह देखा गया है कि वास्तव में सरकार भ्रष्टाचार पर चोट करना चाहती है। हम भी प्रधान रहे थे और उस वक्त रिक्रूटमेंट अच्छी तरह देखा है 8वीं पास तो भर्ती कर लिये जाते थे और बी.ए. पास छोड़ दिये जाते थे क्योंकि वह पार्टी और उस नीति के अनुसार थे। मान्यवर, जिन गरीब आदमियों को इस जमाने में नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था वह इस विधेयक के माध्यम से अब निष्पक्ष भर्ती होगी

(श्री बत्तीलाल)

आर.पी.एस.सी. के माध्यम से। हमारे शिक्षा मंत्रीजी हैं, जो हिन्दुस्तान में आदर्श हैं उन्होंने यह बता दिया है कि हमारी कथनी और करनी समान है।

श्री अध्यक्ष : आपको तो अच्छा काम्प्लीमेंट मिल गया।

श्री बत्तीलाल : मान्यवर, मैं कन्क्लूड करता हूं क्योंकि मुझे इस पंचायती राज का अच्छी तरह से अनुभव है जब हम इस सदन में नहीं आते तो हम वहीं जाकर रूकते थे और उसका मुझे ज्ञान होने की वजह से एक-दो मिनट ज्यादा लग जाये तो मुझे माफ करोंगे। हमारी जो 6 प्राथमिकताएं हमने निर्धारित की हैं उसमें सबल महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए कहा है कि, हमारे विपक्षी बन्धु बता रहे थे कि इसके लिये क्या प्रोविजन है। इसके लिये 10 परसेंट जो इसमें रखा गया है यह वास्तव में मानवता के अनुरूप है। जिनका कोई धणीधोरी नहीं था, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था उनको सरकार इसके माध्यम से संरक्षण देगी। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि इस समय यदि महात्मा गांधी होते तो इस सारे का ही संशोधन कर देते।

वह यह नहीं देखना चाहते थे कि किस तरह भेड़-बकरियों की तरह, जिसके पास ज्यादा पैसा है वह प्रधान बन जाए या जिला प्रमुख बन जाए, पार्टी की सारी बातें धरी रह गई। पहली बार हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री ने सोचा। वास्तव में जब यह संशोधनों का इतिहास इस सदन के अन्दर लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि अब हमने भ्रष्टाचार को मिटाने की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।

वैसे तो कई चीजें कहनी हैं, मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा कि एक तो बिलकुल पंचायती राज को महात्मा गांधीजी की भावनाओं के अनुरूप बनाना है तो प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव पृथक प्रणाली द्वारा होने चाहिए।

(श्री बत्तीलाल)

सन् 1988 में जब हमको तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने प्रधान और जिला प्रमुखों को बुलाया तो हमको यह बताया गया कि हम भारतीय पंचायती राज में एकरूपता लाने के लिए पृथक प्रणाली द्वारा चुनाव करेंगे। हमको बड़ी खुशी हुई कि पहली बार सरपंचों को, मैम्बर को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा और सस्ता चुनाव हासिल होगा लेकिन वह उल्टा हो गया। पहले जब चुनाव मे एक-एक, दो-दो लाख रुपये लगते थे आज 50-50 लाख में जिला प्रमुख और प्रधान बन रहे हैं। वह बिलकुल हतोत्साहित हो जाएंगे। वह सोचेंगे कि अब मास्टरों की भर्ती में पैसे मिलने वाले हैं नहीं वह आर.पी.एस.सी. से कर दी राज्य सरकार ने, तो इससे भ्रष्टाचार के बढ़ावे को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के घोड़े पर सब लोग सवारी करके जाना चाहते थे उस पर लगाम लगेगी। मैं आपके माध्यम से अधिक समय नहीं लेते हुए बार-बार इस सरकार के लिए, संशोधन लाने वाले मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछली सरकार जो काम नहीं कर सकी, भ्रष्टाचार पर सोच करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी वह आपने किया इसलिए सदन की ओर से हमारी ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह का संशोधन भ्रष्टाचार के खिलाफ करते जाए, यही हमारी शुभकामना है।

श्री अध्यख : श्री कालीचरण सर्राफ (अनुपस्थित), श्री रामकिशोर मीणा (अनुपस्थित) श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पंचायती राज विधेयक के बारे में है। इस विधेयक मे सरपंच तो सब बनना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टर के चुनाव होते हैं, पंचायत समिति के डायरेक्टर, डायरेक्टर कोई नहीं बनना चाहता, सब प्रधान बनना चाहते हैं इसलिए ऐसा इसमें संशोधन कर दीजिए जैसे एम.पी., एम.एल.ए. पर होता है। आजकल खरीद फरोख्त बहुत होने लगी है। सारे लोग इधर से उधर चले जाते हैं इसलिए जो अपने सिम्बल पर लड़ते हैं उनको हम....

श्री अध्यक्ष : विधवा महिलाओं और परित्यक्त महिलाएं हैं उनको नौकरी देने के खिलाफ हैं क्या ?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : जी...

श्री अध्यक्ष : खिलाफ हैं ?

श्रीमती राजुकमारी शर्मा : नहीं, खिलाफ नहीं है (व्यवधान) महिलाओं के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए मैं आपसे यह बताना चाहूंगी कि जो पढ़ी लिखी विधवा महिलाएं हैं उनको तो नौकरी मिल जाती है लेकिन जो बगैर पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, इन्होंने वास्तव में अपने फील्ड में देखा है उस पर प्रतिक्रया व्यक्त कर रही हैं। पंचायती राज के अमेंडमेंट में उनको बोलने का अधिकार है। आपने तो ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है कि इनको उलझा दिया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज आप क्या कहना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह कहना चाहते हैं कि यह पंचायती राज का स्वरूप है इसको बदलो।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी जगह पर हैं बोलो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बत्तीलालजी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : यह हमारी सरकार, आपकी सरकार की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाह रही हूं कि अभी जो चुनाव हुए थे उनमें हमने देखा कि जो अपने सिम्बल पर लड़ते हैं या किसी के सिम्बल पर लड़ते हैं या उनकी खरीद फरोख्त होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन था, महिलाओं के बारे में, (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वैसे ही की गड़बड़ सब जगह। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अब आप बोलने दीजिए। मैं महिलाओं के बारे में यह कहना चाहती हूं कि जिनके पास शिक्षा है उन विधवाओं को तो आप जरूर कोटा दीजिए लेकिन जिनके पास चार-चार बच्चे हैं और आधी उम्र निकल गई है उन विधवाओं के लिए भी नौकरी का प्रस्ताव कीजिए।

श्री अध्यक्ष : यही तो है इसमें, और क्या है ?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : उनकी आधी उम्र हो जाती है उनके लिए आप नौकरी का प्रस्ताव कीजिए। ऐसी महिलाएं हमारे पास बहुत आती हैं। उनके लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको लगवाइये या फिर राज्य सरकार की कोई नौकरी दिलवाइये, जो कुछ भी हो, मैं उनका समर्थन करती हूं।

पंचायत समिति के जो डायरेक्टर होते हैं उनको न तो कोई भत्ता मिलता है और न ही कोई कोटा मिलता है इसलिए डायरेक्टर का कोई लड़ना नहीं चाहता इसलिए उन डायरेक्टर्स के लिए तो आप कुछ सोचिए। अधिकतर यह लोग सोचते हैं कि हमको क्या मिलेगा सरपंचों को आजकल सारे अधिकार दे दिए हैं, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहती हूं।

जिला परिषद के जो मैम्बर हैं उनको तो शायद कुछ भत्ता मिलता भी है या अपने अधिकार से कुछ काम करवा लेते हैं। भत्ता उनको नहीं मिलता है पर जिला परिषद के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्यों के साथ उनके वोट पड़ते हैं उनका अंतर दो महीने या डेढ़ महीने के अंतराल से रखा जाए। साथ-साथ में ऐसे वोट पड़ने से लोग इधर भी भ्रमित होते हैं और उधर भी भ्रमित होते हैं कि किसको दे और किसको नहीं दें, इसलिए थोड़ा अंतराल रखे तो अच्छा है।

विकलांगों के लिए मेरा निवेदन है कि जो विकलांग है उनको बीपीएल में चयनित कीजिए। अभी हमने चुनाव के दौरान देखा कि सरपंच बन तो जाते हैं लेकिन उन्हीं को चयनित कर लेते हैं जो उनके सम्बन्धी हैं या कुछ और हैं। निष्पक्षता से उनका चयन करें जो सही है जिनको जरूरत है उनको बीपीएल में चयनित कीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें बहुत प्रमुख कहीं हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। पहली बात तो मैं बिलकुल साफ कहना चाहता हूं कि यह विषय बहुत बार सदन में आया और कम से कम यह साफ होना चाहिए कि पंचायती राज के बारे में और शिक्षा के बारे में विशेषकर कभी हम देते हैं और कभी हम वापस लेते हैं, कभी हम कुछ करते हैं। अन्य राज्यों में भी यही है। अभी मैं बैंगलोर गया था वहां भी मैंने सारी स्थिति देखी। कर्नाटक और अन्य स्टेट को हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया करके दिया है, उन्होंने दिया भी और वापस भी ले लिया। आन्ध्र ने भी दिया और वापस भी लिया। यहां भी अपन ने पहले कई बार देखा कि प्राथमिक था फिर आठवीं तक, दिया फिर वापस लिया, फिर वापस दिया, कुल मिलाकर इन सारे मामलों पर विचार करने के लिए गुलाबजी कटारिया की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डल की उप समिति बनी हुई हैं, वह पंचायत चुनावों का इंतजार कर रही थी कि बीच में आचार संहिता, आप आरोप लगा देते कि पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए आप लोगों ने जल्दी रिपोर्ट दे दी, इसलिए वह अपनी समय पर रिपोर्ट देगी (व्यवधान) और उस रिपोर्ट के बाद में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा मेरा कोई मोह नहीं है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मैं शिक्षा मंत्री ही रहूं और मेरे पास ही यह रहे, इस प्रकार मेरा कोई मोह नहीं है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब मंत्रिमण्डल की समिति की रिपोर्ट आएगी तो इस पर विचार होगा।

दूसरी बात मैं कहूंगा, माननीय सदस्यों ने पंचायत के बारे में जब पंचायत का बिल आया तो उस पर सारा डिसकशन तो हो ही सकता है लेकिन उन्होंने कृपा करके इसको सीमित रखा। माननीय गंगारामजी ने दो-चार बातें पंचायत के बारे में बहुत अच्छी बताई हैं।

दो-तीन प्रश्न हैं पंचायतों के, उसका केवल सत्ता पक्ष ही फैसला नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर सकता। आज पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य कई बार कहते हैं कि साहब मुझे एक बार ,जब जीतकर आए और प्रधान का वोट दिया तब पता लगा कि हम पंचायत समिति के मैम्बर हैं। या फिर कमेटी का चुनाव हुआ तो पता लगा कि पंचायत समिति के मैम्बर हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव आया तो पता लगा कि पंचायत समिति, जिला परिषद के मैम्बर हैं, बाकी उनके साथ किसी प्रकार वह नहीं है, तो इस पर विचार दोनों पक्षों को मिलकर करना ही चाहिए।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि जब अपन एक सिम्बल के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद अपन फिर प्रधान के चुनाव क्यों कराए, कोई ऐसी व्यवस्था मिल जुलकर क्यों नहीं निकाल लेते कि जब पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए हैं तो सबसे बड़ा जो दल है उसके नेता को आप प्रधान या प्रमुख के लिए बुलाओ, तो खरीद फरोख्त, दल-बदल के सारे मामले हैं, इन मामलों को एक बार सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष को मिलकर निश्चित रूप से फैसला करके, पंचायतों के बारे मे निश्चित प्रक्रिया निश्चित रूप से तय करनी चाहिए ताकि हम इस ओर आगे बढ़ सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है मैं दो-तीन बातें इसमें इसलिए बताउंगा कि बहुत जरूरी हैं। एक तो मैं यह बहुत साफ करना चाहता हूं कि यह जो बिल है वह इसलिए है कि पहले विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को अपने अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के अन्तर्गत हम लोग उनको नौकरी दिया करते थे। दस प्रतिशत कर रखा था, 8 प्रतिशत विधवाओं को और 2 प्रतिशत परित्यकताओं को। इसके बाद में जब ये इतने मुकदमे बन गये, किसी भी प्रकार के अधिकार को लेने की आवश्यकता नहीं थी, इतने मुकदमे बने और राजस्थान के बच्चों के जब न आने का खतरा पैदा हो गया, कारण क्या था, आप जिला परिषदों में लेते थे तो बोनस अंक देकर के राजस्थान के लड़कों को उसमें भर्ती करने की प्रक्रिया थी। लेकिन जो बाहर की डिग्रियां मिलती थीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बी.एड. की और दूसरी, उन डिग्रियों में 90 प्रतिशत, 85 प्रतिशत डिग्रियां फर्जी लेकर आते थे और उसके. कारण से राजस्थान के लड़के रह जाते थे। इस हेतु अपन ने बोनस अंक तय किये। लेकिन बोनस अंक को जब 1998 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने हटा दिया, उसके बाद यह समस्या पैदा हो गयी कि किस प्रकार से हमारे लोग आयें। फिर तत्कालीन सरकार ने 7 हजार वेकेंसीज निकालीं और 75 प्रतिशत आरक्षण पैराटीचर्स का किया, उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने, माननीय परिहार साहब की कोर्ट ने स्टे कर दिया। जब मैं शिक्षा मंत्री बना, उस मुकदमे को देखा और हमने न्यायालय से दरख्वास्त की कि इसका फैसला जल्दी कर दीजिए। किसी भी प्रकार से यदि पैराटीचर्स के रिजर्वेशन का फैसला कर देते तो सरकार बिलकुल खिलाफ नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है इसलिये आप इसको वापस क्यों नहीं लेते हैं। जब सारा उन्होंने कहा तो इसके बाद वापस लिया। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया तय की जाए। फिर प्रक्रिया तय की गयी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की।

अब मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आर.पी.एस.सी. की भी टोटल, सराधना साहब नहीं हैं, मैं मान लेता हूं कि 12 महीने की मेरी गलती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि 12 महीने तक में भर्ती नहीं कर सका लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 12 महीने में कोई सा भी दिन ऐसा नहीं गया हो कि जिस दिन यह चिन्ता नहीं रही कि यह भर्ती हो जाना चाहिए। इसके लिए 3-3 बेंचों में 500 से अधिक मुकदमों, रिट-याचिकाओं का फैसला हुआ। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सारा फैसला सरकार के हक में हुआ। यही नहीं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर को, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मोड को चैलेंज किया गया। यह कहा गया कि कोई आदमी इसको जांच नहीं रहा है। यह कहा गया कि इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है।

यह कहा गया कि सारा कम्प्यूटर की स्क्रीनिंग के द्वारा हो रहा है तो इसमें गलती की जा सकती है। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र ने एक कमेटी भी बनायी एक्सपर्टस लोगों की, जो कम्प्युटर को जानते हैं। एक्सपर्टस की कमेटी की रिपोर्ट ली, रिपोर्ट लेकर यह कहा कि कमेटी रिपोर्ट देगी तो मैं इस बात को सही मानूंगी। उस रिपोर्ट में कहा कि इस प्रकार का नायाब तरीका है, जिसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती है, ठीक है, यह दिया। इसके बाद भी उन्होंने जजमेंट यह दिया कि एक महीने तक रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद में आप भर्ती नहीं करेंगे, 'की' प्रकाशित करेंगे और जो लोग अपना पेपर लेकर आयेंगे उनको सामने बैठाकर इसकी जांच करेंगे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आर.पी.एस.सी. ने वह "की" प्रकाशित की और "की" प्रकाशित करने के बाद में हजारों लोगों ने, 7-8 हजार लोगों ने, वह संख्या मुझे पूरी याद नहीं है, उन्होंने पुनर्मूल्यांकन का प्रार्थना-पत्र दिया। पुनर्मूल्यांकन कराने वाले लोग स्वयं गये उनके सामने, जो कॉपी वह खुद लेकर गये थे, वह कापी और जो उनकी कापी वहां पड़ी थी, वह कापी और कम्प्यूटर से मिलाकर तीनों को देखा गया और सारा देखने के बाद में एक नम्बर का भी, एक व्यक्ति का भी संशोधन नहीं किया गया और सारा का सारा सही पाया गया।

इस प्रकार पारदर्शी तरीके से यह होने के बाद में फिर ज्ञानसुधाजी की कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब आप अपना निर्णय घोषित कर दीजिए। इसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्णय आ गया और उस निर्णय में स्थिति रही। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस निर्णय के आधार पर जो हमने भर्ती की है और जो लोग आये हैं उनकी संख्या, भर्ती करने वाले जो लोग हैं, पहली बार राजस्थान में एक भी बैक-लॉग नहीं है, मैं सदन में कहना चाहता हूं। कि कई बार प्रश्न उठाया गया है। कुल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, कल्ला साहब, दोनों में मिलकर इस समय एक लाख 62 हजार 295 अपने अध्यापक कार्यरत हैं। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के 16 प्रतिशत के हिसाब से 25967 होने चाहिए। इस प्रकार से 12 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब के 19475 होने चाहिए। इन दोनों को मिलाकर 9 हजार के बैक लॉग की कमी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

थी कि एस.सी. और एस.टी. का बैकलॉग था, वह 9 हजार का बैकलॉग पूरा कर दिया गया रिजल्ट में। अब राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है कि एक भी शिक्षा विभाग में बैकलॉग नहीं है। इस बैकलॉग के बाद में जो भर्ती के लिये लिस्ट जारी की गयी हैं उसमें 14102 सामान्य वर्ग के हैं। इसलिये कई बार आरोप लगाया कि सामान्य का कोटा दूसरे को दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया। सामान्य 14102 हैं और सामान्य में जिन्होंने एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. किसी का लाभ नहीं लिया है, फीस को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था और पिछली सरकार का उस निर्णय के आधार पर एक परिपत्र था, उस परिपत्र के आधार पर फैसला किया गया तो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग जो मैरिट लिस्ट में आये हैं और जिन्होंने ओ.बी.सी., या एस.सी., एस.टी. का फायदा नहीं उठाया है, उनके साथ सामान्य श्रेणी के सभी लोगों की, 14102 की है, ओ.बी.सी. की 5663 की है, नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र अनुसूचित जाति 4836 है, टी.एस.पी. क्षेत्र 215 है, नॉन टी.एस.पी. अनुसूचित जनजाति 7299 है, टी.एस.पी. अनुसूचित जनजाति 2121 हैं।

कुल मिलाकर यह सारा बैकलॉग करके इस प्रकार इस सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अब केवल उस सूची में विधवाएं हैं, परित्यकताएं हैं। केवल बी.एड. और बी.एस.टी.सी. किये हुए जो अभ्यर्थी हैं, वही मैरिट के आधार पर इस कोट में हैं तो वह जो बच गयी हैं उन बचे हुए लोगों को भर्ती करने के लिये यह 3700 कुछ का प्रावधान है। अब इसमें एक प्रश्न उठाया गया कि कैसे कमेटी बनेगी, क्या बनेगी। केवल चयन का अधिकार है, गंगारामजी। वह जिला स्थापना समिति ही नियुक्ति करेगी और जिला स्तर पर भी कमेटी बनेगी। यह कमेटी जो है वह इस प्रकार और यह जो आर.पी.एस.सी. के लोग भी चयन होकर जा रहे हैं, इनकी भी नियुक्ति जिला स्थापना समिति के द्वारा ही होगी। पंचायत का जो नियुक्ति का अधिकार है, वह अधिकार नहीं लिया गया है। केवल चयन करने की प्रक्रिया को बदला गया है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने स्टेट लेबल की कमेटी बनायी है, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे। उप विधि परामर्शी-शिक्षा, सदस्य होंगे, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर सदस्य होंगे, विशेषाधिकारी-शिक्षा सदस्य होंगे और ये सदस्य मिलकर...। इसी प्रकार की कमेटियां जिला स्तर पर बनेंगी और वह स्क्रूटनी करके जो विधवा और विच्छिन्न महिलाएं सरकार के उपबन्धों के आधार पर आएंगी, उनका सलेक्शन कर उनको उन्हीं नियमों के अन्तर्गत कि वे 2-3 सालों के अन्दर डिग्री प्राप्त करेंगी, जिसकी आवश्यकता है। इसके लिये यह सारे नियम बनाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन नियमों के अन्तर्गत न किसी प्रकार की राजनीति है, ने किसी प्रकार का विशेषाधिकार है। अतः इसको विचारार्थ...जनमत जानने का माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उसको निरस्त किया जाना चाहिए और इसको विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल पूछना चाह रहा था, दो, क्वेरीज करना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष : तो आप तृतीय वाचन के समय पूछियेगा।

खण्ड एक में कोई संशोधन नहीं है।

खण्डा दो में डा. एन.एस. गुर्जर संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 के खण्ड दो के उप खण्ड दो में जो मैंने प्रस्ताव मूव किया है, इसको वापस लेने की इजाजत दी जाए, अनुमति प्रदान करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह अनुमति आप दे दें लेकिन इसके बारे में यह चूंकि अमेंडमेंट आ चुका है, हाउस की प्रापर्टी है। इसलिये मैं दो बातें कहना चाहता हूं। इन्होंने जो अमेंडमेंट दिया है, वह बिलकुल सही है। यह काम सब अकोर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मूव उन्होंने किया नहीं है। मूव नहीं किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : न करें, लेकिन जब अनुमति, सदन में आ गया तो कोई भी बोल सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं दी हुई हैं पहले। प्रस्ताव वापस लेने की आप इनको इजाजत दे देना लेकिन बोलने की अनुमति इसमें हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : कैसे होगी बोलने की अनुमति जब मूव नहीं किया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : तब तक तो यह चला...मैं तो यह कहता हूं कि अकोर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए, जो भी समिति बने। इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वही बोल सकता है जिसने अमेंडमेंट दिया है। चूंकि आपने दिया थोड़े ही है। इसलिये आपको बोलने की अनुमति कैसे मिल सकती है, बताइये।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मुझे वापस लेने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इब इन्होंने किया ही नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

विधेयक का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : कोई बोलना चाहते हैं, माननीय सदस्य ?

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि मंत्री महोदय ने कहा कि डी.ई.सी. को नियुक्ति का अधिकार है, चयन का अधिकार जरूर उस समिति को दिया जा रहा है। आप डी.ई.सी. के प्रावधान पढ़ें। डी.ई.सी. का अधिकार नियुक्ति का नहीं है। डी.ई.सी. चयन करती है और डी.ई.सी. नियुक्ति के लिए भेजती है पंचायत समितियों को और पंचायत

(श्री गंगाराम चौधरी)

समितियां नियुक्ति देती हैं इसलिए मैं कह रहा था जब पहले से ही चयन का अधिकार डी.ई.सी. को है तो यह अधिकार उसको क्यों नहीं दे देते ? दो मैम्बर आप जोड़ देते और डी.ई.सी. के साथ में स्क्रूटनिंग कमेटी बन जाती, यही मेरा निवेदन था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले राजस्थान में विधवाओं और परित्यक्ताओं की नियुक्ति देने का प्रावधान 1989 में किया गया था। एजुकेशन सबोर्डिनेट रूल्स, 1971 के 22वें नियम में एक प्रोविजो लगाकर तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी माथुर साहब ने विधवाओं और परित्यक्ताओं को नौकरी देने का प्रावधान किया और यह सैकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, दोनों ग्रेड्स में लागू होता था और उनका कोई कोटा निश्चित नहीं था। कोई भी विधवा एप्लाई करती थी जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी को और उनको रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति मिल जाती थी। उसके बाद में सन् 1996 में एक परिवर्तन किया गया और विधवाओं को कोटा 8 परसेंट और परित्यक्ताओं का कोटा 2 परसेंट रखा गया और इस प्रकार जो पहले असीमित कोटा था उनका वह 10 परसेंट तक सीमित किया गया। आप जानते हैं कि विधवा कोई होती है उसके ऊपर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौन से सन् में किया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : 1996 में। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मंत्रीजी करेक्ट कर देंगे मुझे।

श्री अध्यक्ष : 1996 में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सही है। आप तो गलत बोलते ही नहीं, आपकी स्मरण शक्ति बहुत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से विधवाओं का कोटा कम किया उसको आपको जब इस समय आप यह संशोधन ला रहे थे तो मैं चाहता था कि वह 10 परसेंट से आप कुछ बढ़ाते।

श्री अध्यक्ष : बढ़ाना चाहिए, आपका कहना सही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्योंकि पहले असीमित था विधवाओं के लिए, मतलब प्रदेश की कोई बहन यदि विधवा होती है तो उसको तत्काल एप्लाई करने के बाद नौकरी मिल जाती थी। महीने, दो महीने में, अब पिछले वर्षों में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार वर्ष तक एप्लीकेशन दे दी जाती थी, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलती थी। आप जानते हैं कि सामाजिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके पुनर्वास के लिए यह जरूरी था कि इस प्रकार के प्रावधान करने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका पुनर्वास होता था। अब जो इन्होंने प्रावधान किया है, इसमें भी मैं यह चाहता हूं कि इसको अकोर्डिंग टू रूल्स किया जाए और आप जिस प्रकार से समिति बनाकर और पुरानी परिपाटी जो बनी हुई है उसकी जगह कोई संशोधन ला देंगे तो इससे विधवाओं के वास्तविक अधिकार के ऊपर रोक लगेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उसके लिए जो मैरिट उनकी है, राजस्थान की उस मैरिट लिस्ट के आधार पर उनका सलेक्शन कर लीजिए और दो वर्ष में जब वह ट्रेनिंग पूरी कर लें बी.एस.टी.सी. की तो उसके आधार पर उनको नौकरी में जिस तरह से दूसरे टीचर्स होते हैं उस तरीके का उनका ओहदा हो जाएगा। एक सैकण्ड ग्रेड टीचर्स के लिए आपने विधवाओं की नियुक्ति बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सैकिण्ड ग्रेड में भी आप विधवाओं की नियुक्ति के लिए कोई आरक्षण रखने जा रहे हैं या आपके मन में कोई योजना है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ?

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा चूंकि यह थर्ड रीडिंग है और पंचायती राज में एक तरह से संशोधन आ रहा है 89 धारा में और इसमें आप धारा 6 के बाद में 6(क) के बाद में यह परन्तुक जोड़कर जो चीज ला रहे हैं, इसमें मेरा आपसे यह कहना है कि इसमें राजस्थान के लोगों को बोनस अंक मिलने चाहिए। राजस्थान की विधवाओं को, परित्यक्ताओं को, आज पूरे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हिन्दुस्तान के लोग यदि यहां एप्लाई करेंगे तो पहले जो बोनस अंक दिये जाते थे, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उन रूलिंग्स में राजस्थान के बोनाफाइड रेजिडेन्स को 10 परसेंट मार्क्स मिलने का किसी ने विरोध नहीं किया लेकिन गांव और जिले के 15 नम्बर दिये जाते हैं, उसका विरोध किया गया था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राजस्थान के गांव से जो लोग आते हैं, राजस्थान के शहरों से जो लोग आते हैं, उन सब लोगों को राजस्थान के बोनाफाइड रेजीडेंट को कम से कम 15 या 20 परसेंट आपको बोनस अंक देने चाहिए। इसके लिए किसी कोर्ट की मनाही नहीं है ताकि यहां से जो बोनाफाइड रेजीडेंट हैं, उनको कम से कम मास्टर की नौकरी तो मिल सके। इसके अलावा पैराटीचर्स की बहुत बड़ी समस्या है। आज राजस्थान में इतने अधिक पैराटीचर्स हैं उन पैराटीचर्स को यदि आपने नियम बनाकर नियमित नहीं किया तो उनकी पांच-पांच साल की सेवाएं हैं, उन सेवाओं को ध्यान मे रखते हुए उनके लिए भी रूल्स बनाने चाहिए और रूल्स बनाकर उनके नियमितीकरण का कार्य करना चाहिए।

इसी प्रकार शिक्षाकर्मी, मुक्ताकाश और लोक-जुम्बिश में जो लोग वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति भी नियमित करने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान आपको करने चाहिए। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने पंचायती राज के बारे में स्वयं ने थ्री-टियर सिस्टम को एक तरह से प्रोत्साहित करने की बात की। जब से पंचायती राज में फाइव टियर सिस्टम आया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य यह चुनकर आये हैं, वास्तव में इनका कोई फंक्शन नहीं है वोट देने के अलावा एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव के वक्त के अलावा। तो, इसके लिए यह जरूरी है कि हम वापस पूरा का पूरा सदन जब इसके बारे में, आप स्वयं कह रहे हैं और हम कह रहे हैं, थ्री-टायर सिस्टम क्यों नहीं लागू करते ? पंचायत के चुनाव, पंच और सरपंच के हो जाएं, प्रधान के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव, कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये कि इनको डाइरेक्ट चुनावों में ले जाएं तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार होता है वह समाप्त हो जाएगा और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

प्रधान और जिला परिषद के प्रमुख सीधे चुनकर आएंगे। (व्यवधान) पहले एक मिनट मैं बोल लूं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : कल्ला साहब, एक मिनट अगर आप बिराजें तो।

यह 89 अमेंडमेंट जिसके बारे में आप अभी बोल रहे थे, हमने भी इसको उठाया था। आपके और दूसरे प्रदेश के मंत्रियों ने भी इसको बार-बार केन्द्र के सामने उठाया। तीन-चार प्रधान मंत्री बदल गये। ज्योंहि प्रधान मंत्री एग्री होता था कि हम यह करने जा रहे हैं और वह प्रधान मंत्री बदल जाता था। ज्योंहि यह होता था और लास्ट में जब यह एग्री हो गया तब अटलजी प्रधान मंत्री थे, शांताकुमारजी ने राज्य सभा में 89 अमेंड़मेंट, सब्जैक्ट टू करेक्शन, जहां तक मुझे याद है, 89 अमेंडमेंट मूव किया था राज्य सभा में कि यह जो थ्री-टायर सिस्टम, सरपंच और पंच चुनाव करें प्रधान का और सरपंच और प्रधान चुनाव करें प्रमुख का, जो अपने पुरानी व्यवस्था थी लेकिन उस समय जब चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस बुलायी। पार्टीज से राय ली तो पार्टीज ने भी हां कर दी लेकिन जब चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस बुलाकर चीफ मिनस्टिर्स से राय ली तो दो चीफ मिनिस्टर्स थे, एक तो कर्नाटका ने चीफ मिनिस्टर और एक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन दोनों ने डिफरेंट राय व्यक्त की कि यह नहीं होना चाहिए। जिसके कारण वह जो 89 अमेंडमैंट बिल जो राज्य सभा में मूव हुआ, अभी तक वह पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं अब आप ?

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। इस समय केन्द्र में आपकी सरकार है। आप प्रयास करें और आपकी सरकार को कहें कि 89 अमेंडमैंट बिल जो राज्य सभा में पैंडिग है, उसको स्वीकृत करवाये। वह हमारी सरकार, क्योंकि हमारे जो भी घटक दल हैं, उस समय एग्री थे, हमारी सरकार भी एग्री करती है उसको। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : You are beating about the bush.

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह आप लोगों ने बैठाया था भट्टा। राजीव गांधी जो लाये थे बिल उसमें यह...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप कृपा कर विराजिये। आप कृपा करिये, आपके हाथ जोड़ता हूं। आप कृपा करके विराजिये।

श्री अध्यक्ष : 1991 में हुआ है यह तो नरसिम्हा रावजी के समय हुआ था, क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप तो कृपा करो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनो। आप यूं ही मार रहे हो। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अब आप कृपा तो करो एक मिनट। आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। अब विराज जाओ प्रभु।

श्री विष्णु मोदी : यह सारा सिस्टम मणिशंकर अय्यर ने पंचायती राज में लागू किया और राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी ने किया पंचायत राज का बंटाधार। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, ऐसा है अध्यक्ष महोदय, वह कांकरेंट लिस्ट में है इसलिये पंचायती राज के बारे में राजस्थान सरकार स्वयं कानून बनाने के बारे में सक्षम है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : और यह सब मणिशंकर अय्यर साहब की देन है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट साहब, आई एम आन द फ्लोर, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय प्रतिपक्ष के नेता सुनें। इस सम्बन्ध में जब यह कानून आया, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो इसका ड्राफ्टिंग, यह सही कह रहे हैं, मणिशंकरजी अय्यर ने किया और जब राव साहब प्रधान मंत्री थे तो हमने इसका राव साहब के सामने यह कहकर विरोध किया कि मणिश्ंकर अय्यर साहब ने काउंटी सिस्टम है यूरोप और अमेरिका में,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उसके आधार पर यह सिस्टम लाया गया जिसमें पंचायती राज का सदस्य और जिला परिषद का नया सदस्य खड़ा किया गया। यह काउंटी सिस्टम के आधार पर है। हिन्दुस्तान के जो गांव हैं उनका कल्चर है, उसके आधार पर नहीं। मणिशंकरजी ने हिन्दुस्तान को हवाई जहाज से देखा, नीचे उतरकर नहीं देखा। हमने वहां इसका विरोध किया। मैंने ही नहीं, कांग्रेस के माननीय मंत्रियों ने भी विरोध किया उस समय। मैं माननीय कल्ला साहब की जानकारी के लिये कह दूं, आपके मंत्रियों ने भी विरोध किया। लेकिन उस समय चूंकि कांस्टीट्यूशन में यह अमेंडमेंट कर दिया गया और आप कह रहे हैं कि आप इसको बदल सकते हैं। हमने उस समय कोशिश की थी। हमने राय ली कि इसमें पहले वाला सिस्टम रख सकते हैं क्या तो हमको एडवोकेट जनरल ने भी यह राय दी, बाकी लोगों ने भी राय दी कि इस कांस्टीट्यूशन के तहत हम वह पुराना सिस्टम नहीं रख सकते। यही कारण था कि 89वां अमेंडमेंट शांता कुमारजी को राज्य सभा में मूव करना पड़ा। इसलिए आप कृपया परश्यू करें आपकी गवर्नमेंट को केन्द्र में। हम सहयोग देने को तैयार हैं। वह पुराना सिस्टम ठीक था और वही पुराना लागू करें। मैं समर्थन करता हूं इस बात का।

श्री जुबेर खान : माननीय मंत्रीजी, यह भी मालूम है आपको मणिशंकरजी के सलाहकार कौन थे उस टाइम, विष्णु मोदीजी थे। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह बात ठीक हो सकती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : सैंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सात राउंड टेबल कान्फ्रेन्सेज की गयी और उसमें भी राजस्थान की ओर से मैने पूरा सहयोग दिया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करे और यह जो फाइव टायर सिस्टम था, उसके बजाय थ्री टायर सिस्टम ही ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे राजनीति भी होती है और खर्चा भी बहुत होता है। पब्लिक को बहुत बड़ी परेशानी इतने लम्बे-चौड़े चुनाव में होती है। लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और वह चाहे तो कर सकती है। इसलिये मेरा तो निवेदन है

(श्री कालूलाल गुर्जर)

माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कि आप वहां जाकर बात करें और उनको मनायें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, समय पर इस पर कोई विचार आये और अभी जैसा टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि एन.डी.ए. सरकार के वक्त में दो मुख्य मंत्रियों के कहने से इनकी सरकार नहीं लाई। इसका मतलब उनकी मंशा नहीं थी इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने की। यदि लाते तो वह आराम से ला सकते थे। (व्यवधान) और इसके बावजूद भी...

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा नहीं है। (व्यवधान) फिर आपकी अनुमति से...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा रही है कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो बीच में टोकना और बीच में उन्हें व्यवधान नहीं करते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं टोक नहीं रहा हूं। इसलिये मैंने पहले परमिशन ली है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता की परमिशन लेकर बोल रहा हूं। मैं जानता हूं नियम क्या है। पहले मैंने प्रतिपक्ष के नेता महोदय से परमिशन ली। उसके बाद बोल रहा हूं मैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं परमिशन नहीं दे रहा।

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर आप नियम जानते तो परमिशन अध्यक्षजी से लेते।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्षजी से भी परमिशन ली है। देखिये, अध्यक्षजी से भी परमिशन ली है और प्रतिपक्ष के नेता महोदय से भी परमिशन ली है। इसलिए मैं जानता हूं नियम क्या है। एक मिनट, आप इजाजत दीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बोल लूं उसके बाद बोल लें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपका ज्ञानवर्द्धन कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरा ज्ञानवर्द्धन तो दिन भर आप भी करते रहते हैं। आप से बड़ा ज्ञानी इस विधान सभा में है क्या कोई ?

श्री अध्यक्ष : चार-पांच ज्ञानी हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, लेकिन हमारे सरकारी मुख्य सचेतक के बराबर यहां इस विधान सभा में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं ढूंढ रहा हूं लालटेन लेकर। इनके मुकाबले में कोई ज्ञानी नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप भी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको तो आपका विधेयक भी नहीं लाने दिया गया। हमको बड़ा अफसोस हो रहा है। आपका पक्ष ले रहे थे। आप कहां गुम हो गये थे इतनी देर ?

श्री कालूलाल गुर्जर : आपकी सहमति के लिये धन्यवाद। पर हम एक हैं इसलिये हमारे कोई भी लाये, कोई फर्क नहीं पड़ता।

डा. कालूलाल गुर्जर : एक तो रहना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : चलिये, विराजें आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि इसके बारे में राज्य सरकार को प्रयत्न करने चाहिये। इसके अलावा जो पंचायत समिति के चुने हुए डायरेक्टर्स और जिला परिषद और पंचायत समिति के जो सदस्य चुनकर आते हैं वह दल-बदल नहीं कर सकें, इसके लिए तो आप कानून में प्रावधान कर सकते हैं। जब पंचायती राज से सम्बन्धित बिल आ रहा था तो इसका प्रावधान करने के लिये आपकी मंशा भी थी, मैं समझता हूं कि बार-बार एक्ट बनते नहीं है। इसके बारे में भी राज्य सरकार को एक काम्प्रीहेन्सिव बिला लाना चाहिये ताकि इसके बारे में आइन्दा जो दल-बदल करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर रोक लग सके और ग्रामीण जनता ने जिन पार्टियों को वोट दिया, उसी के अनुरूप यह वोट आगे पड़ सकें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा जिला स्थापना समिति, जिला आयोजना समिति, इसके प्रावधान जो एक्ट में दिये गये हैं ...

श्री अध्यक्ष : अयोग्य घोषित कौन करेगा ? वह भी फैसला करो। जैसे विधान सभा में स्पीकर सदस्य को अयोग्य घोषित करता है, उसी तरीके से उनको अयोग्य घोषित करने का भी तो अधिकार किसको हो ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसका अधिकार कलक्टर को दिया जा सकता है, डिवीजनल कमिश्नर को दिया जा सकता है। जिला परिषद के प्रमुख को दे दो, पंचायत समिति के प्रधान को दे दो, किसी को भी दिया जा सकता है। वह तो प्रावधान जब आयेगा, विधान सभा की प्रवर समिति बनाकर इसको कर लिया जायेगा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं जिला स्थापना समिति का अब कोई मतलब नहीं रहा है और जिस तरीके से पंचायती राज को पंगु बनाया गया है, उसको अधिकारविहीन बनाया गया है, उसके बारे में आज के दिन विचार करने की आवयश्यकता है। धीरे-धीरे इन्होंने पंचायती राज के पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकार छीन लिये, वन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकार छीन लिये और मास्टरों की नियुक्ति का अधिकार तो, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आर.पी.एस.सी. में तो आर.ए.एस. और मजिस्ट्रेट के सलेक्शन होते हैं वहां थर्ड ग्रेड के टीचर्स के अधिकार भी जिला परिषदों से छीन लिये। अब जिला परिषद के पास पंचायती राज का झुन्झुना है, जिसको बजाते रहो और झुन्झुने के अलावा और कुछ नहीं रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में पुन: विचार करें।

श्री अध्यक्ष : झुन्झुनूं शब्द का आप मजाक न बनाएं प्रतिपक्ष के नेता।

डा. बुलाकीदास कल्ला : झुन्झुनूं नहीं, झुन्झुना होता है न खिलौना। झुन्झुना जिसको कहते हैं, वह खिलौना पकड़ा दिया पंचायत राज...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : खुनखुनिया नाम हौवे, खुनखुनिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अन्त में यही कहना है कि आप इस बिल को तो पास करायेंगे लेकिन साथ-साथ यह विचार भी करें कि पहले हमारे वक्त में प्रावधान था कि विधवाओं को पूरे राज्य में सैकिण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में असीमित अधिकार थे कि जितने भी इस प्रकार के केसेज हैं उनको नौकरी मिलती थी। आपने उसको सीमित किया है। आप क्या उसको बढ़ाने का विचार रखते हैं और विचार रखते हैं तो आपकी क्या योजना उसके लिए है। उसके बारे में आप प्रकाश डालें। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि पंचायती राज और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए ऐसे अध्यापक और अध्यापिकाएं, जो वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं, उनको नियमित करने के बारे में आप क्या कानून बनाने जा रहे हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक बात...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : नाथूसिंहजी, आप ही बोलेंगे क्या ?

डा. एन.एस. गुर्जर : बोल लेना, आप जो बोल रहे हैं, एक मिनट के बाद ही आप बोल लेना। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो अभी कहा है, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। अभी आपने यह कहा कि उस समय एन.डी.ए; गवर्नमैंट यह चाहती नहीं थी, आपको ध्यान होना चाहिये कि इम्पार्टेन्ट कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी आते हैं, वह सर्वानुमति से आते हैं, सभी दलों की, सभी मुख्य मंत्रियों की अधिकतर...(व्यवधान) एक मिनट बिराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप लेकर क्यों नहीं आये ?

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरी सुन लो उसके बाद बोलना। जिस तरह से पंचायती राज अधिनियम जब हमने पंचायत राज एक्ट पास किया राजस्थान में तो हमने प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से राय ली। सभी राजनीतिक दलों से राय ली और जब सबमें सहमति बनी, तब उसी के अनुरूप हमने पंचायती राज एक्ट राजस्थान में पास किया। इसलिये इस तरह के जो अमेंडमेंट आते हैं, वह सबकी सर्वानुमति से पास किया जाता है इसलिए एन.डी.ए. सरकार का उस समय कोई मकसद नहीं था या वह चाहते नहीं थे, यह बात कहना गलत है। इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सर्वानुमति की जरूरत नहीं है, टू थर्ड मैजोरिटी की जरूरत पड़ती है अध्यक्ष महोदय। सर्वानुमति की जरूरत नहीं होती।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, पढ़े-लिखे तो बहुत बोल लिये, एक मिनट का समय मुझे दें। एक मिनट का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलो रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अभी विधेयक पर चर्चा हो रही थी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पूर्व में जो सिस्टम था, वह बहुत बढ़िया था।

एक तो इस सिस्टम से सरकार का खर्चा इतना बढ़ गया कि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव के बराबर खर्चा होता है और काम के नाम पर ना पंचायत समिति के सदस्यों के पास कुछ है ना जिला परिषद के सदस्यों के पास है। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई महिला को विधिवत रूप से तलाक नहीं मिला हुआ होता है और पति ने उसको दस साल से छोड़ रखा है, वह हालत इन पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्यों की हो रही है।

डा. सी.पी. जोशी : यह पढ़े-लिखे अनपढ़ बात कर रहे हैं ?

श्री रामप्रताप कासनिया : देखो अनुभव होता है, पढ़ा-लिखा होने से क्या होता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैंने इन चुनावों के अन्दर इतनी धांधली देखी है मेरी आंखों से, बोली लगती है जैसे भैंस और गाय की मेले में बोली लगती है इस तरह। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं, पचास हजार, एक लाख, डेढ़ लाख, यह कोई चुनाव है ? यह कोई प्रजातंत्र है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो भी संशोधन है, चाहे विपक्ष है, केन्द्र में इनकी सरकार है, कम से

(श्री रामप्रताप कासनिया)

कम हम पक्ष और विपक्ष दोनों मिल कर यह संकल्प पारित करें और आप भी, विपक्ष के माननीय सदस्य केन्द्र से इसको पारित करवाएं, पुराना. सिस्टम लागू करवाएं, गांव का भट्टा बैठ गया, कोई हालत है। चुनाव होने के बाद में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य की कोई अहमियत नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता है।

अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि एक तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और दलबदल विधेयक तो लागू करवाया ही जा सकता है, यह तो इसी हाउस में ही हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बस, हो गयी समाप्त।

श्री महीपाल मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल मदेरणा।

श्री महीपाल मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने आज जो पंचायती राज अधिनियम पेश किया है, मैं समझता हूं कि यह पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर कुठाराघात है। यह एक सोची-समझी चाल के तहत इनको पंगु बनाने का बहुत बड़ा जो हथियार आप ले रहे हैं, इनको पंगु मत बनाइये। इसलिए जिला स्थापना समिति जो जिला परिषद की है वह एक नोन-फंक्शन बॉडी हो गयी है। आपने पिछली बार बड़े ओजस्वीपूर्ण भाषण से इस बात का तर्क दिया था और यह कहा था कि हम निष्पक्षता के नाम से 35 हजार लोगों को, स्कूलें खाली हैं, उन स्कूलों को भरने के लिए आर.पी.एस.सी. से इसका प्रोविजन किया। उस समय आपने जो 89 सैक्शन के अन्दर डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश कमेटीज को अबोलिश किया और उसको अबोलिश करने के बाद आपको पता लगा कि हम हमारी मनमर्जी से जो कुछ करना चाहते हैं, यह इन विधवाओं

(श्री महीपाल मदेरणा)

को देने का जो भी डाइवर्सी वूमैन का, स्क्रीनिंग कमेटी का जो प्रोविजन किया है, जिला स्थापना समिति का जो प्रोवीजन पिछले संशोधन में था उसको विथड्रा कर लिया और अब एक स्क्रीनिंग कमेटी के नाम से यह लेकर आये हैं। एक तरफ जो चुनी हुई संस्थाएं हैं, जिनको अधिकार सम्पन्न बनाया है, महात्मा गांधीजी ने कहा था कि The true democracy cannot be worked by 20 men sitting at the centre. It has to be worked from the below people of every village.

जब 1994 में मंत्री महोदय बिल पेश कर रहे थे, उनका एक संदेश था कि यह बिल राजधानी से प्रदेश के गांव तक शासन की ताकत पहुंचाने के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है, यह सत्ता का हरण हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इस माध्यम से मैं आपको स्क्रीनिंग कमेटी का बताऊंगा कि इस स्क्रीनिंग कमेटी के अन्दर वो लोग होंगे जो नौकरशाह हैं। यह हर समय ही इस तरीके से करते रहे हैं। पिछली बार जब हुआ थर्ड ग्रेड टीचर्स के अपाइंटमेंट्स में, उसमें भी इन्होंने एक तरीके से अलग से कलक्टर्स को पावर्स दिये हैं और इन्होंने जिला स्थापना समिति से सिर्फ उनका एडवरटाइजमेंट निकलवाया। एडवरटाइजमेंट निकाल कर सारी प्रक्रिया को, सारी मैरिट लिस्ट को इन्होंने अपने डाइरेक्टरेट के अन्दर बैठ कर तैयार किया और उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एस्टब्लिशमेंट कमेटी के अन्दर लाकर मोहर लगाने का काम करवाया।

अब यह स्क्रीनिंग कमेटी है इस कमेटी में सारे के सारे पावर्स स्क्रीनिंग कमेटी के स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। पंचायती राज का यह उद्देश्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि पंचायती राज संस्थाओं को 1994 का जो संविधान संशोधन आया है, उसके अन्दर इनको संवैधानिक दर्जा है और जब इनको संवैधानिक दर्जा है तो जो 1994 का राजस्थान अधिनियम आया, उसके अन्दर इन्होंने जो प्रोविजन्स किये, यह पहले जिला स्थापना समिति नहीं थी,

(श्री महीपाल मदेरणा)

पहले 1959 के एक्ट में राजस्थान पंचायती राज सर्विस कमीशन था। 1988 के अन्दर उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री जो नया पंचायती राज को बनाना चाहते थे, श्री शिवचरणजी माथुर के टाइम में यह महसूस किया गया कि यह जो नियुक्तियों के अधिकार हैं, प्राइमरी टीचर्स की नियुक्तियों का अधिकार है यह जिला परिषदों को दे दिया जाए और पहली बार डी.ई.सी. का प्रोविजन, जिला स्थापना समिति का उस समय हुआ। फिर भारत का संविधान आ गया, उसके अन्दर 94 के अन्दर यह बिल पेश किया गया। जब यह बिल पेश किया गया था तब यह बात डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी का प्रोविजन 90 में दिया। 89 के अन्दर यह प्रोविजंस किये, इनके तीन मोड थे। एक तो डाइरेक्ट सलैक्शन से, एक प्रमोशन से और एक बाई-वे आफ ट्रांसफर से इसलिए डाइरेक्ट के प्रोसेस को, प्रमोशन तो हो ही नहीं सकता, इतनी सारी मैरिट लिस्ट है, किसी भी जिला परिषद के अन्दर आज तक किसी की मैरिट लिस्ट नहीं बनी है, अब आप बनवा देंगे तो ठीक है क्योंकि 25 परसेंट जो आप कहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कहीं भी यह नहीं बनी है। संविधान निर्माताओं ने यह बात सोची और यह बात सोच कर कही कि नीति निर्देशक तत्व में यह बात आयी कि

The State shall take steps to organize the village panchayat and panchayats and endorse them with such powers and authorities, as may be necessary, to enable them to function as a unity of the self-government.

क्या आप यह सैल्फ गवर्नमेंट का काम कर रहे हो ? आप बिलकुल ही नहीं कर रहे हो। आप जो स्क्रीनिंग के माध्यम से करोगे या तो इनके अन्दर प्रोविजन कर देते कि इतनी महिलाएं आयेंगी, 8 परसेंट या 20 परसेंट और इनके लिए एक कट आफ मार्क्स रख देते या इनके सलैक्शन का क्राइटेरिया रख देते और उस क्राइटेरिया के अन्दर इनके लिए रिजर्वेशन कर देते। आर.पी.एस.सी. के अन्दर की करवाते सारा काम जब आप कहते हैं इतनी पारदर्शिता की है, तो सारा का सारा इनका, डाइवर्सी वूमैन का, वूमैन्स का सारा

(श्री महीपाल मदेरणा)

कर देते। इस स्क्रीनिंग कमेटी में जो काम करेंगे वह अपनी मनमर्जी से चयन करेंगे। इनके पास लिस्ट जायेगी, वह. एप्लाई किया है या नहीं है, डाइवर्सी है, इनके पास जायेगी। इनके तीन अधिकारी बैठेंगे और इसके सबसे ज्यादा जो बात आयेगी, भेदभाव तो होगा ही। भेदभाव तो होगा ही और उनके साथ शोषण भी होगा क्योंकि उसको नौकरी लेने के लिए इन अधिकारियों के तलवे चाटने पड़ेंगे। अगर यह प्रोविजन पारदर्शिता के कारण आर.पी.एस.सी. को ही दे देते, कोई क्राइटेरिया नहीं है, इन्होंने कहा कि कोई भी लेडी आये, अगर आप यह मानते हैं डाइवर्सी वूमैन का है तो इस राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर एक-एक महिला लगायी उनको भी रेगुलराइज कर दो स्क्रीनिंग कमेटी में, आपका पैराटीचर्स का झगड़ा खतम हो जायेगा, जिसके लिए आप यह सारी कसरत कर रहे हो और जिस कसरत के कारण आपने पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को चरमरा दिया है। तो जब आप डाइवर्सी वूमैन के लिए रिलैक्सेशन कर रहे हो और वह महिलाएं हैं। आज महिला मुख्य मंत्री है, महिला अध्यक्ष है, सारा का सारा महिलाओं को सशक्तिकरण का है और 1994 के एक्ट में यही बात कहीं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है 1994 का एक्ट पास करने का।

तो मैं तो यह कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं करके, आपको कानून बनाने के पावर्स हैं, स्क्रीनिंग कमेटी से आपने इन पंचायत राज संस्थाओं को और जिला स्थापना समिति को नोन-फंक्शनल और सब कुछ बनाया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी एरोगेंस इसमें किस बात के लिए और अगर आप यह चाहते हो कि नहीं, पहले वाले शासन में, आपके शासन में भी गलती हुई है, यह नहीं है कि आपके शासन की गलतियों को...।

इसी जिला परिषद ने उनके रेगुलराइजेशन के जो कोई भी पूर्ववर्ती सरकारें आयी हैं, 1984 से यह यूनिवर्सलाइजेशन आफ एजूकेशन का आपने अभियान चलाया। उन सभी को कांग्रेस की सरकार ने रेगुलराइज किया। वह बिलकुल किसी भी तरीके से नहीं थे। न उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशन थी,

(श्री महीपाल मदेरणा)

न इन्वीटेशन आफ एब्लीकेशन्स थी, सिर्फ स्टेट गवर्नमैंट ने एक आर्डर निकालकर जिनको हमने इस काम में लगाया है क्योंकि साक्षरता करना आप का मूल उद्देश्य था और आपकी पार्टी ने 350 नया संविधान के अन्दर आर्टिकल जोड़ा है (व्यवधान) क्यों बात करते हो, बात तो सुनो, आपने 35 जोड़ा है, 21-ए जोड़ा है और उस बात को कहा है कि छह साल से ग्यारह साल तक, ग्यारह साल से चौहद साल तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी और उसका मौलिक अधिकार है उसी के लिए आप यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते रहे। उसके अन्दर आपने टीचर्स अपाइन्ट किये, उन टीचर्स का भी रेगुलराइजेशन हुआ है। राजीव गांधी पाठशालाओं का मतलब ही यह था कि सभी को साक्षर करें और उसके अन्दर जो सैकण्ड टीचर महिला लगी है, अगर डाइवर्सी का करने का आपने मानस बना लिया है तो रूल के माध्यम से इन जिला स्थापना समिति को आप जितना कह रहे हो उसके अन्दर इन महिलाओं को भी आप रेगुलराइज कर दें तो सारा का सारा यह जो आपको जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट तक, सारी की सारी व्यवस्था आपकी सूचारू रूप से चल जाएगी। यही मुझे आपसे निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के साथ चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे पहले बी.जे.पी. की रही, अब बी.जे.पी. की है, हमेशा नये-नये रूल पैदा करती है। पंचायत राज का दिन प्रतिदिन स्तर गिरता जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में एक सरपंच को सीधा पैसा आता है और चालीस प्रतिशत, पचास प्रतिशत उसको यूज किया जाता है, तीस चालीस प्रतिशत ढर्रे में चला जाता है। इसका रूप इस तरह का हो गया है कि गांव में डेलीगेट बनना नहीं चाहते, पंचायत समिति के सदस्य तो बहुत मुश्किल से कोई धक्का मारकर खड़ा किया जाता है और सरपंच एक -एक गांव में बीस-बीस खड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि घनश्यामजी कल कह रहे थे कि इंटरनैट से जोड़ रहे हैं पंचायत समितियों को, पंचायतों को जोड़ रहे हैं। जब इनका छोटा सा मामला रखा था...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं नहीं कह रहा था।

श्री श्रवण कुमार : आप नहीं कह रहे थे, मुख्य मंत्रीजी कह रही थीं, एक ही बात है। Heart is one part is two no difference.

एक ही बात है जब आप विधेयक पास कर सकते हो तो सब कुछ आप ही कर सकते हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायत समितियों में क्रांग्रेस सरकार के टाइम में पी.डी. अकाउंट से शिक्षकों की तनख्वाह नहीं उठी थी। उस समय खूब आवाजें उठीं और हड़ताल हुई और आपने सबने बोला था कि तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो। पंचायत समितियों को पी.डी. अकाउंट से उठाकर के तनख्वाह दे दी, तीन साल पहले मैं कांग्रेस के राज की बात कह रहा हूं वह पैसा आज तक शिक्षा विभाग ने पंचायतों को नहीं दिया। पंचायतों से चाहते क्या हैं मुझे मालूम नहीं। पहले ग्राम सेवक होते थे, ट्रेनिंग किए हुए होते थे, अब नगरपालिकाओं में नाकेदार जो पांच-पांच रुपये लेते थे, उनको उठाकर पंचायत समितियों में भेज दिया। वन विभाग से सरप्लस हुए तो उनको उठाकर पंचायत समिति में भेज दिया, कृषि विभाग से सरप्लस हुए तो उनको उठाकर पंचायत समिति में भेज दिया। आखिर पंचायत समिति को गौशाला समझ लिया जो भी कोई सरप्लस हो जाती है उसको उठाकर पंचायत समिति में लगा दो फिर पंचायतों में अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। एक तरफ आप यह कहते हो गांव का विकास गांव में होना चाहिए और आप विकास की जगह विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हो। गांवों में आप पंचायत समितियों में देख लें बाबू नहीं हैं, गाडियां नहीं हैं, पुलिस में आप दे रहे हो दो-दो गाड़ी, नई गाड़ी खरीदकर दे रहे हैं क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं।

आप देखिए जिन पंचायत समितियों में करोड़ों रुपये का बजट आता है उसके सुपरविजन के लिए बी.डी.ओ. के पास गाड़ी नहीं है, जहां गाड़ी है वहां ड्राइवर नहीं है। इस तरह की अव्यवस्था को तो आप देख नहीं रहे, धरातल को तो खतम करते जा रहे हैं और इंटरनेट का सहारा लेते जा रहे हैं। यह इंटरनेट तो खतम करिए। पाश्चात्य सभ्यता जब से इस देश में आयी है तब से इस देश का

(श्री श्रवण कुमार)

विनाश हुआ है और आप देखते जा रहे हैं कि चाहे कांग्रेस का राज आया हो, इस गैलेरी में बैठते हैं वह कहते हैं, पहले तो कहते थे महान् अशोक, अब कहते हैं महान् वसुन्धराजी। आपको इसलिए छह करोड़ जनता ने नहीं भेजा है कि महान्-महान् करते रहो, स्थिति को मत गिराओ, एक एम.एल.ए. का दायित्व होता है उस पर आकर रूको कि जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है।

घनश्यामजी, आप शिक्षाबिद्ध हो, मैं मानता हूं हमारे जोशीजी और आपकी टक्कर होती रहती है (व्यवधान) लेकिन आप पंचायतों के बारे में सोचें, आप शिक्षा मंत्री हो और हमारी पंचायत समितियों के चालीस-चालीस लाख रुपये आपके शिक्षा विभाग में खर्च करवा दिए। आज तक आपने वापिस नहीं दिए। पी.डी. अकाउंट खाली पड़ा है। किसी का पी.एफ. भी जमा है तो वापिस दे नहीं सकते। इस तरह की भ्रांतियों को दूर करना नहीं चाहते। अभी बद्रीलालजी कह रहे थे इन पंचायतों को नीचे-नीचे खोखला करते जा रहे हो। न तो कोई प्रशासनिक कमेटी छोड़ी आपने, न जिला परिषद की कोई कमेटी छोड़ी। अब जिला परिषद को पावर दे दिये, हमारे जोशीजी ने दिये थे आप वापिस विथड्रा करने जा रहे हो। मुझे लगत है आपकी मंशा तो नहीं है इस तरह की। आपकी मंशा क्या है ? केवल अध्यापक भर्ती करने की है (व्यवधान) हम तो यह कहते हैं कि आप पंचायत समितियों में इस तरह का ड्रा बनाइये कि कुछ काम करने का सपना बढ़े। जीपें दीजिए, ड्राइवर दीजिए और वहां बाबू और पूरा स्टाफ दीजिए। इस तरह का जो नीचे का धरातल है उसको मजबूत कीजिए। जिससे जड़ मजबूत होगी उसका कंगूरा अपने आप ठीक हो जाएगा। आप कंगूरे तो मजबूत करते जा रहे हो और कहीं भूकंप आ गया तो धराशाही हो जाएगी।

इस तरह मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि इस कंगूरे को हटाइये और धरातल को मजबूत करिये और पंचायत समितियों में जो पावर आज से तीस साल पहले थे उसका धीरे-धीरे क्षरण, तो पंचायत समितियों को गांवों का विकास खेत और खलिहान से गुजरना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ घनश्यामजी, पुनः आपसे विनती करता हूं कि पंचायत समितियों और पंचायतों को मजबूत करिये, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइये क्योंकि सरपंचों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि वास्तव में भ्रष्टाचार सर्व सीम पर पहुंच चुका है। चालीस प्रतिशत वास्तव में पैसा नहीं लगता है और आप जाइये सीमेंट की रोडें, सी.सी. रोड बनती है, मकान बनते हैं। एक किसान बीस हजार में कमरा तैयार करता है, कभी पानी उसमें नहीं टपकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद देखकर आयी परसों हमारी पंचायत समिति में छह लाख की जो हॉल बनी हुई थी वह टपक रही थी।

श्री अध्यक्ष : इनकी पुत्रवधु पंचायत समिति की प्रधान बनी हैं इसलिए कम से कम वहां तो व्यवस्था कर दो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बधाई हो साहब बधाई हो।

श्री श्रवण कुमार : मेरी पुत्रवधु से मतलब नहीं है। मैं पूरे राजस्थान की 237 पंचायत समितियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं तो खुद सक्षम हूं गाड़ी भेज दूंगा लेकिन गाड़ी है नहीं वहां। मेरे को इस बात की चिन्ता नहीं है पर आप खुद देखकर आयी हैं कि छह लाख के हॉल में पानी टपक रहा था।

श्री अध्यक्ष : इसलिए गाड़ी का भी इंतजाम करो और भी करो।

श्री श्रवण कुमार : गाड़ी हमारी पंचायत समिति में तो है पर मैं पूरी 237 के बारे में बोल रहा हूं। मैं हां पक्ष ना पक्ष की सीढ़ी पर नहीं हूं। मैं उस बात में मूल रूप से जाना चाहता हूं जहां सत्यता निखरती है। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं न बी.जे.पी. के खिलाफ हूं। मैं उस जनता के साथ जो मतभेद हो रहा है उस जनता के साथ दुराचार हो रहा है, उस जनता के साथ जो छह करोड़ जनता ने महावीरजी जैसे लोगों को यहां भेजा है ज्ञानवर्द्धन कराने के लिए, उन लोगों को यह बात कहना चाहता हूं कि केवल हाथ ऊपर करने के लिए हां पक्ष और ना पक्ष के लिए नहीं भेजा है। जनता ने आपको आशा की किरण बनाकर भेजा है (व्यवधान) आप बैठ जाओ आपको ज्ञानवर्द्धन करा देंगे।

(श्री श्रवण कुमार)

मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि छह करोड़ जनता ने जिस रूप् में आपको भेजा है उस जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। एक छोटे से प्रश्न पर दिन भर बहस होती रहती है और जब मूल बात पर आकर रूकते हैं तब वह बातें शुरू कर देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा, बिजली, पानी छह-सात मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रवण कुमारजी को तो बधाई दूंगा। आपने मुझे सूचित किया कि उनकी पुत्रवधु प्रधान बन गयी हैं, ठीक है, साथ-साथ पिलानिया साहब के पास नाम भी भेज दूंगा कि वह एक लिस्ट प्रकाशित कर रहे हैं प्रजातांत्रिक पारिवारिक सामन्तवाद की तो आपका नाम भी भेज दूंगा।

श्री श्रवण कुमार : मैं तो बनाना नहीं चाहता था जबरदस्ती, हमारे तो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थीं उनमें से पहली महिला वह थी, डबल एम.ए. थी, खुद कहा है लोगों ने 21 में से 14 सदस्यों ने कि इनको बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष : सफाई देने की क्या जरूरत है, सब लाए हैं तो आप भी ले आए, क्या बात हुई, क्या सफाई दे रहे हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद उसी पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी हैं यह आपको ज्ञान नहीं है क्या।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब भी पंचायतों के...

श्री अध्यक्ष : प्रमुख रहे हैं फास्ट टर्म।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ज्ञाता हैं और कानून के भी ज्ञाता हैं। दो तीन बातें कहीं हैं। मैं एक तो आपसे निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ठीक है ए पार्ट फ्राम पार्टी लाइन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबसे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वरिष्ट सदस्य है इस सदन में माननीय माथुर साहब भी हैं। मैं एक ही आग्रह करूंगा, पंचायतों के बारे में हम राजनीति न करके तय करें कि वास्तव में इनको किस प्रकार के कितने अधिकार देने चाहिए। इसका एक जनरल कांशस है कि राजस्थान में बननी चाहिए। हम एक दूसरे को दोष नहीं देते हैं। अपन सब जानते हैं कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप एक बार पंचायत की अपनी जो समिति है उसके माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक बार सबकी बनाकर हम पहल कर सकते हैं और हम पहल इसलिए कर सकते हैं कि इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि अपनी जैसी विधान सभा राजस्थान की है, हम बैठकर कोई निर्णय कर सकते हैं, आपस में लड़ाई भी नहीं है, तनाव भी नहीं है और व्यक्तिगत मतभेद भी नहीं है, ऐसा वातावरण दूसरी विधान सभा में नहीं है। इसलिए आपको इसके लिए पहल करनी चाहिए। उस विषय पर मैं ज्यादा न जाकर इतना ही कहना चाहूंगा दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण इस समय उठे हैं। एक मुद्दा माननीय कल्ला साहब ने उठाया।

पैराटीचर्स के बारे में, लोक जुम्बिश के कर्मचारियों के बारे में, शिक्षाकर्मियों के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है, दुख भी है। मैं ईमानदारी से, निष्ठा से यह चाहता था कि इन समस्याओं का समाधान हो और जब-जब समाधान करने की कोशिश की इसमें कोई न कोई बाधा आती गयी। आज भी मैं चाहता हूं, मैंने कल आकाशवाणी पर भी कहा था कि यह जो पैराटीचर्स हैं इनकी समस्या का समाधान होना चाहिये।

यह जो शिक्षाकर्मी हैं, यह योजना बंद हो गयी थी। कल्ला साहब आपको पता ही है। इसके बाद में दो साल की इनकी योजना बढ़ा कर इनको फिर लागू किया है। लेकिन जब तक यह सर्व शिक्षा अभियान चलेगा तब तक। फिर आगे क्या होगा ? लागू किया। इनमें वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाये। आज वह आठ-आठ हजार की संख्या में आ गये। यह भी नियम पास किया है चाहे शिक्षाकर्मी है, चाहे शिक्षा सहयोगी है, चाहे लोक जुम्बिश के लोग हैं इन सबको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक समान वेतन मिल जाए और यह वेतन उनको मिलने लगा। मैंने यह भी उनको साफ-साफ कहा है कि एक को भी इस नियुक्ति के बाद एक भी पैराटीचर को, शिक्षाकर्मी या शिक्षा सहयोगी, किसी को नहीं हटायेंगे। इनकी वेतन श्रृंखला में वृद्धि भी करेंगे। मैंने यह भी कहा है कि धीरे-धीरे आपको तृतीय श्रेणी के वेतनमान के बराबर ले आयेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक कानून, एक नियम, एक संवैधानिक बाध्यता है जो रिजर्वेशन के बारे में बनी हुई है उनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। आज सरकार किसी को भी नौकरी लगाये उसको एस.सी. का रिजर्वेशन करना पड़ेगा, एस.टी. का रिजर्वेशन करना पड़ेगा, ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन करना पड़ेगा और इसके करने के बाद ही वह नौकरी में नियमित श्रृंखला में आयेगा। इसका रास्ता निकलना चाहिये। इसका रास्ता निकालने के लिये ही एक उच्च स्तरीय कमेटी चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बनायी है। उसमें ए.सी.एस. मैम्बर हैं, उसमें फाइनेंस सैक्रेटरी भी मैम्बर हैं, हमारे शिक्षा सचिव मैम्बर हैं। सब मैम्बर्स बनाकर उनको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट को दे दें ताकि इन लोगों के बारे में एक रास्ता साफ हो सके। सरकार इस रास्ते को ठीक करना चाहती है। उनको किसी भी प्रकार से करके हटाने का मानस बिलकुल नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा। कल्ला साहब ने यह कहा कि इनकी संख्या बढ़ानी चाहिये। यह ठीक है कल्ला साहब, इनकी संख्या बढ़नी चाहिये और बढ़ी है। अभी जो यह बिल लाये हैं इसके होने से बढ़ रही है। इसका मैं कारण बताता हूं। यह जो 30 परसेंट आरक्षण अपन ने किया हुआ है उसके अलावा है। 30 परसेंट आरक्षण आर.पी.एस.पी. उस श्रृंखला में हो गया है उसके अलावा यह 10 परसेंट है इसलिये बढ़ी है। जो अभी आपने एक आदेश निकाला था 26 अप्रैल, 2001 को उसमें कहा था। उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में निर्देशानुसर लेख है कि विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के लिये नियुक्ति हेतु 10 परसेंट आरक्षित कोटा महिलाओं के लिये आरक्षित 30 परसेंट कोटे के अन्तर्गत ही होगा। इसको अब बदल दिया है। इसको बदलकर वह जो

आरक्षित कोटा था वह तो हो गया, उसमें महिलाएं आ गयी लेकिन इसके अलावा विधवा और परित्यक्ता.. जो उसमें नहीं आ सकती उनके लिए 10 परसेंट अतिरिक्त हो गया है इसलिये उसको हमने बढ़ा दिया है। उसमें भी कोई दोराय नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि सारी प्रक्रिया इसी प्रकार चले।

माननीय मदेरणा साहब ने जो दो-तीन बातें कहीं हैं, जिला स्थापना समिति है तो मैंने उस समय भी कहा था कि जिला स्थापना समिति नियुक्ति करेगी। अब वह जैसी स्थिति में आज है, चाहूंगा कि वह और अधिक मजबूत हो। हमारे पंचायती राज मंत्रीजी हैं। बाकी सारी बातें आपकी जो मैंने सुनी हैं, वह पंचायती राज मंत्रीजी को बताउगा और उसके बाद में उसमें जो रास्ता निकले वह निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये इस बिल पर जो माननीय सदस्यों ने राय दी है, उनको सबको तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको पारित किया जाये।

डा. सी.पी. जोशी : सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक चलेगा। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के केन्द्र जिन के बेसिस पर आज आप राजीव गांधी पाठशालाओं में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको थर्ड ग्रेड की पोस्ट मिल रही है, पैसा सर्व शिक्षा अभियान से मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो आप एक किलोमीटर का स्कूल खोलने जा रहे हैं उनको यदि आप सर्व शिक्षा अभियान में ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर नीचे के लेवल पर जो राजीव गांधी पाठशाला की टीचर है, आपके 34,000 में आयेंगे, वहां पर कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप स्वयं इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के कारण यदि हम राजीव गांधी पाठशाला को सर्व शिक्षा अभियान में नहीं बनाते तो आज आपको थर्ड ग्रेड के टीचर नहीं मिलते। इसलिये यह जो व्यवस्था है, हम कितना ही कंडेम करें

(डा. सी.पी. जोशी)

लेकिन इस व्यवस्था का जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है वह इसलिये मिला है कि उस सरकार ने राजीव गांधी पाठशाला को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा। सर्व शिक्षा अभियान का अब जो पैसा आ रहा है जिसमें नये केन्द्र खोलने और स्कूल की व्यवस्था करनी है, मेरा यह अनुरोध है कि उसके सम्बन्ध में भी आपको कोई न कोई नीति बनानी पड़ेगी। You may condemn the para teachers but आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिस व्यवस्था के अन्तर्गत वह शिक्षा के केन्द्र भी आपके धीरे-धीरे खर्च करते रहे, जो बच्चे स्कूल के नैट में नहीं आए वह स्कूल के नैट में आएं। हंड्रेड परसेंट हम इसको ले सकें और उसके केन्द्र के अनुसार हमें थर्ड ग्रेड की पोस्ट्स और मिल सके। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर आप ज्यादा जानते हैं पर कुछ सूचना आप विद हैल्ड कर रहे हैं। कुछ सूचना के सम्बन्ध में आप पुरानी सरकार को श्रेय नहीं देना चाहते हैं। पर मैं आपको गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं आपका प्रयास और हमारा प्रयास हंड्रेड परसेंट लिटरेसी को अचीव करने का होना चाहिये। हमारा प्रयास और आपका प्रयास गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को कम से कम आठवीं तक हम रिटेन कर सकें पर्टिक्यूलरली एस.टी., एस.सी. की बच्चियों को। तो इससे बड़ा और कंट्रीब्यूशन राजस्थान में नहीं हो सकता है जब माननीय महिला मुख्य मंत्रीजी और अध्यक्षजी हैं।

आपने मिड डे मिल स्कीम में अच्छी चीजें की। अच्छी चीज है उसको करना चाहिये लेकिन निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में भी आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है, आप भी मानते हैं, आप कहते थे कि बारह सौ रुपये कम हैं, अब तो सरकार ने 73 रुपये मिनिमम वेजेज कर दिये। कल तक तो हमको कह रहे थे। जब हमने 1200 रुपये किये तब वेजेज चालीस रुपये था। हमने उस समय भी कहा। वेजेज एक इश्यु बना था। आज जब आपने वेजेज 73 रुपये कर दिये तो निश्चित तौर पर शिक्षाकर्मी या राजीव गांधी पाठशाला में जो भी काम कर रहे हैं, सर्व शिक्षा

अभियान में आप ले रहे हो उनको कम से कम, मैं नहीं कहता थर्ड ग्रेड टीचर आप कब बनाएं, लेकिन उनको चार हजार, पांच हजार रुपय का एक कंसोलिडेटेड फंड दे सकें और उनकी कोई व्यवस्था कर सकें तो यह एक बहुत बड़ा आपका इंसेंटिव होगा। इस सम्बन्ध में भी इस सरकार को निश्चित तौर पर कुछ सोचना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ठीक बात है कि राजीव गांधी पाठशालाएं जो खुली हैं उसके कारण से वह जो कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको जो नये पद मिल रहे हैं वह मिल ही रहे हैं। इसमें दो राय थोड़ी है, मिल रहीं है। जी.एस. के अन्तर्गत जो आपने खोली थी उसका हमको फायदा मिलेगा ही।

दूसरी बात आपने जो कही है कि इन सबका पैसा बढ़ाने की बात है, इसका प्रस्ताव भी हम भेज रहे हैं भारत सरकार को। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि इनको कम से कम इतना पैसा तो मिले जिससे बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है।

तीसरी जो आपने बात कही है किसी भी सरकार ने किया है। सब जानते हैं पिछले एक दशक में हमारी साक्षरता में बहुत वृद्धि हुई है। एक दशक में पांच साल आपके भी थे, पांच साल हमारे भी थे इसलिए इसमें छिपाने की बात ही नहीं है और हम सब मिलकर राजस्थान को साक्षर कर सकें इसलिए ब्रिज कोर्सेज की बात की है, कैम्पों की बात की है। अध्यक्ष महोदय, हमने भी पांच सौ ऐसे कैम्पों की बात की है जिसमें 9-9 महीने तक हम बच्चियों को जो छूट गये हैं उन बच्चियों को रखकर पढ़ायेंगे। उनको 9 महीने में तीसरी या चौथी में भर्ती होने लायक बनायेंगे। उनके रहने का खर्चा भी देंगे, खाने का खर्चा भी देंगे और किताबें भी देंगे। यह व्यवस्था भी कि है तो इससे साक्षर बनाने की है।

मैं पुनः आग्रह करूंगा कि राजस्थान शिक्षित, विकसित बने इसमें हम सबका साथ हो इसलिये आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया गया।

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005, श्रीमती वसुन्धरा राजे...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : करें...(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

कैबिनेट मंत्री के होते संसदीय सचिव विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर सकते

डा. सी.पी. जोशी : फिर मेरा पाइन्ट आफ आर्डर होगा।

अध्यक्ष महोदय, पता नहीं इतने मंत्री बैठे हुए हैं, केबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अच्छा होता कि यह जी.ए.डी. मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी अफैयर्स मिनिस्टर को आप करना चाहें तो मुझे जानकारी नहीं, पता नहीं, संसदीय व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे नहीं कहना लेकिन मुझे जहां तक याद है पार्लियामेन्टरी अफेयर मिनिस्टर बिल को पायलट कर रहा है यह व्यवस्था तो संसदीय परम्परा नहीं है, अध्यक्ष महोदय...

श्री रामनारायण चौधरी : आसन के पास क्या सूचना है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है यह सूचना है मेरे पास कि कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग और मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, इनके जो कोई भी यहां पर प्रश्न होगा या इनके कोई बिल होंगे उनको पायलट ओम बिरला करेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : ठीक है आप करेंगे तो। मैं तो आपसे अध्यक्षीय व्यवस्था चाहता हूं कि पार्लियामन्टरी अफेयर मिनिस्टर पार्लियामेन्टरी अफेयर सैक्रेटरी जो हैं, उसका फंक्शन क्या है अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आपने....

डा. सी.पी. जोशी : आप उनको स्टेटस दे सकते हैं केबिनेट मिनिस्टर का। आपका स्टेटस है स्टेट मिनिस्टर का। फार आल प्रेक्टिकल परपजेज जो हमारी व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था उसमें पार्लियामेन्टरी जो सैक्रेटरी है उसका फंक्शन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि कुछ तो संसदीय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में हम ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगा। आप जो फैसला करें, हमें कुछ नहीं बोलना है लेकिन आज इससे बडा दुर्भाग्य नहीं हो पायेगा कि यह राजस्थान सिविल सेवा के बिल को पायलट करना चाहते हैं और पार्लियामेन्टरी अफेयर सैक्रेटरी जिसको ट्रेनिंग करने के बाद डिप्टी मिनिस्टर से भी नीचे का स्टेटस है, अब आप एक व्यवस्था दीजिये। पार्लियामेन्टरी अफेयर सैक्रेटरी जिसका एक ट्रेनिंग करने के बाद डिप्टी मिनिस्टर से नीचे स्टेटस है। आज आपकी व्यवस्था देखिये, केबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर एण्ड दैन पार्लियामेन्टरी अफेयर्स सैक्रेटरी। पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी का तो फंक्शन है कि वह लर्न करे उसके बाद व्यवस्था करे। यदि आपको करना था तो पार्लियामेन्टरी अफेयर्स सैक्रेटरी को डिप्टी मिनिस्टर बना देते, स्टेट मिनिस्टर बना देते। लेकिन पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी के हिसाब से आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बडा दुर्भाग्य इस सदन का नहीं हो सकता। वह व्यवस्था उन्होंने कुछ भी की लेकिन असेम्बली सैक्रेटेरिएट की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय

(डा. सी.पी. जोशी)

की है। हो सकता है राज्य सरकार ने आपको जानकारी दी वह संवैधानिक जानकारी के अनुसार सही नहीं हो लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कई बातें आवश्यक हैं, लेकिन इसको देखने का पेरोगेटिव तो अध्यक्ष महोदय को ही है। इसलिए मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है, मेरे मित्र हैं ओम बिरलाजी, मैं चाहता हूं कि वह संसदीय मंत्री केबीनेट मंत्री बनकर के पायलट करें लेकिन जो संसदीय व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में तो अध्यक्ष महोदय, हम कम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। यह संसदीय परम्पराओं को कहां जाकर के खतम करेगा। मैं समझता हूं आपने स्वयं ने यदि इसे रिसीव किया सी.एम. सैक्रेटेरिएट से तो आपको यह कनवे करना चाहिए। आज जी.ए.डी. मंत्री फूलफ्लेज्ड मंत्री हैं, कैबीनेट मंत्री है, जी.ए.डी. मंत्री के पेरोगेटिव में चीजें आती हैं, जी.ए.डी. मंत्री का बाइपास करके हम पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि एक तरफ तो जी.ए.डी. मंत्री बना रखा है, दूसरी तरफ जी.ए.डी. की सारी पावर को हम विथड्रा कर रहे हैं। फिर जी.ए.डी. मंत्री क्यों बना रखा है। उनको अधिकार है कि जी.ए.डी. मंत्री की सारी पावर को विथड्रा करके दूसरों को दे दें इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय परम्पराओं की आप ज्यादा ज्ञाता हैं, ज्यादा जानकार हैं लेकिन ऐसी व्यवस्था करके हम सदन की गरिमा को बढा रहे हैं या घटा रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी आपको विचार करना चाहिए।

व्यवस्था

मंत्री की परिभाषा में संसदीय सचिव शामिल है

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अपने ही यह रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली में स्पष्ट प्रावधान है, "Minister" means a member of the Council of Minister, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary. अपने ही रूल्स में है।

डा. सी.पी. जोशी : इसमें कहां आपत्ति है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके एजेन्डे की जो कार्यसूची प्रकाशित की है और बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय में यह है कि श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री हैं वह इसको जारी करेंगी और एजेण्डे में भी यही है। आपने मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नाम से पुकारा है और खडे होते हैं राज्य मंत्री यह आसन के लिए, सदन के लिए और पूरे हाउस के लिए अच्छी चीज नहीं है। यह गलत परम्परा है। आप उसी का नाम पुकार देती राज्य मंत्री का नाम, आप उनका नाम भी पुकार सकती थी। आपके पास जब अथोरिटी है कि वह देंगे।

श्री अध्यक्ष : उनके पास अथोरिटी है उनकी कि मेरा बिल वह करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन आपने पुकारा है वसुन्धराजी का, अब वसुन्धराजी नहीं खड़ी होती हैं और राज्य मंत्री खड़ा होता है। वह आसन का अपमान है, इस सदन का अपमान है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पहली बार नहीं है। इसी सदन की परम्परा रही है। इससे पहले भी कई बार संसदीय सचिवों ने यहां प्रश्नोत्तर भी दिये हैं। कई बार बिल भी पायलट किये हैं, आपकी आज्ञा से, आपकी अनुमति ले ली है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं ना। श्री ओम बिरला।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार विधेयक लायी है राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 मैंने प्रस्ताव दिया है कि इसको जनमत जानने के

(श्री जुबेर खान)

लिए तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए। यह इसलिए कि यकायक सरकार द्वारा जिन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही विभागीय स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर हो चुकी है, उनके लिए इस तरह से करना कि वह महीनों के अन्दर कभी भी दुबारा से अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर इसकी मंशा ठीक है तो ठीक है। मगर यह लगता है कि जो पूर्व सरकार के समय में जिन कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। यह राज्य सरकार और उनको इस एक्ट की आड़ में उनसे दुबारा आवेदन दिलाकर उनको जो कुछ घुमाना होगा, घुमा लिया होगा और उनको बैक डोर से दुबारा से बहाल करने की प्रक्रिया करना चाहती है या फिर यह चाहती है कि जब मर्जी आये उनको सस्पैण्ड कर दिया, कार्यवाही कर दी। जब हाथ-पैर जोड लिया, सब सरेण्डर हो गये उसके बाद वापस दरख्वास्त दिलायेगी क्योंकि इसमें सीधा-सा एक वर्ड है कि जब कभी भी, सुओमोटो स्वतः ही री-ओपन कर सकती है अधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अपने स्वयं के विनिश्चय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके प्रति निर्देश से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे।

अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है। आज तो किसी अधिकारी को या कर्मचारी को कह रहे हैं कि आपको टर्मिनेट किया जाता है और कल ही सुओमोटो यह कह सकते हैं कि नहीं यह न्यायसंगत नहीं हुआ। या तो उसमें यह होता कि उसका उच्चाधिकारी, एक सरटेन लेवल के अधिकारी ने कोई निर्णय दिया या तो उसके ऊपर के अधिकारी को ही यह अधिकार होना चाहिए कि उससे ऊपर पुनरावलोकन कर सकता है। री-एग्जामिन कर सकता है। यह इस तरह का लग रहा है कि सरकार इसके माध्यम से गलत तरीके से लोगों को ....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपके ही नियमों की अवहेलना हो गयी है। यह क्या कर रहे हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : इन्होंने खुद ही बुलाया है।

श्री अध्यक्ष : यह आपके वरिष्ठ सदस्य कर रहे हैं मैं क्या करूं।

डा. सी.पी. जोशी : आपकी जेनरोसिटी बहुत ज्यादा हो गयी आज... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कई बार पुराना माहौल जागृत हो जाता है आप में।

श्री संयम लोढ़ा : झुन्झुनूं वालों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जिले का माहौल तो होता ही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो वर्तमान को देखो...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, फिर आगे इसमें यह भी कहा गया है, Provided also that an application may be entertained after the said period of 30 days if the applicant satisfies the Tribunal. इसमें यह मंशा लगती है सरकार की कि जिसके भी खिलाफ कार्यवाही होगी उनको प्रभावित करके उनको वापिस किसी तरह भी लिया जा सकता है।

(समय : 16.30 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी जिन्होंने इस बिल को पायलट किया है वह स्पष्ट करें कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि आप बैकडोर से, अब किसी का पनिशमेन्ट हो गया, दुबारा किसी न किसी स्वार्थ से या दबाव से या राजनीतिक कारण से उनसे दुबारा से आवेदन लगाकर बहाल करने की मंशा रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जनमत जानने हेतु तीन माह के लिये परिचालित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह तो रिव्यू की पावर दी है। श्री संयम लोढ़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कभी संयम तो रखो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जो यह राजस्थान सिविल सेवा (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया है इसमें स्वप्रेरणा के आदेश से पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल के कार्यकाल पर आप गौर करें चाहे वह सरकार की है या अधिकरण की। इस संशोधन को लाने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का पूरे तंत्र पर कब्जा करने का प्रयास है और इस अधिकरण का भी वह बहुत निर्ममता से दुरुपयोग करना चाहती है। इसलिए इसमें यह प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कारण बताये गये हैं कि प्रस्तावित उपायों से सेवा मामलों की रिट याचिकाओं की संख्याओं में भी प्रभावी रूप से कमी होगी। आपको तो कानून के क्षेत्र में बहुत लम्बा अनुभव है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस ट्रिब्यूनल में आया है और उसको न्याय नहीं मिला तो वह क्या रिट याचिका का सहारा नहीं लेगा और उसके फैसलों के बाद भी संविधान के अनुच्छेद 227 और 236 में जो प्रावधान हैं उसके ऊपर रिट में तो जायेगा ही जायेगा तो फिर इस प्रावधान को लाने का क्या मतलब है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस ट्रिब्यूनल में गवर्नमैन्ट ने पब्लिक सर्वेन्ट बिठाये हुए हैं ओर इस प्रावधान को लाकर के सरकार पूरे अधिकरण की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करना चाहती है, तहस-नहस करना चाहती है और सबसे अनर्थकारी प्रावधान तो यह है कि इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर ऐसी गडबड़ियां की गई हैं और उन गडबड़ियों को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए यह भूतलक्षी प्रभाव का प्रावधान इसके अन्दर किया गया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ट्रिब्यूनल शासन से पीड़ित कर्मचारियों के न्याय प्राप्त करने की एक जगह है और इसमें इस तरह की व्यवस्था लाने के बाद उन कर्मचारियों के पास न्याय प्राप्त करने का क्या साधन रह जाएगा ? उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा और

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक सरकार लाई है इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 विचार के लिये सदन में लाया गया है। मैंने इसमें जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें आपके माध्यम से संसदीय सचिव महोदय से जानना चाहता हूं।

अधिनियम का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के बाद जब हम इसको पढते हैं, "1976, (1976 का अधिनियम संख्या 34) की धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात निम्नलिखित नई उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, और सदैव से जोड़ी हुई समझी जाएंगी। ''सदैव से जोड़ी हुई समझी जाएगी'' इसमें मेरा कहना है कि कर्मचारियों को न्याय दिलाने की यह वास्तव में एक बहुत बडी संस्था है और ट्रिब्यूनल के फैसले पारदर्शी हो, ठीक मूल्यांकन हो, त्वरित निष्पादन हो, इससे कर्मचारियों की कार्य दक्षता भी बढ़ती है और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस सेंस में राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम की धारा 6 का प्रस्तावित संशोधन इस अधिकरण को न्याय निर्णय की शक्ति प्रदान करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत किसी भी न्यायालय और अधिकरण का काम पूर्ण न्याय प्रदान करना है। प्रथम दृष्टयता जब हम देखते हैं तो यह अधिनियम भी ऐसा लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 की भावना के अनुरूप अधिकरण को मजबूत करने के लिए लाया गया है और इसमें उपरोक्तानुसार भारतीय संविधान की भावना, पुनर्विलोकन के माध्यम से, अधिकरण से त्रुटिवश गलत निर्णय हो जाने की स्थिति में पक्षकारों को सत्ता, त्वरित और सम्पूर्ण न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में कुछ भ्रांतियां है जो मैं माननीय संसदीय सचिव से दूर करवाना चाहता हूं। हम इन दो चीजों को अलग-अलग जोड़कर देखें। उप-धारा-4 के बाद दोनों धाराएं, उपधाराएं जोड़ी जाएंगी और सदैव से जुड़ी हुई समझी जाएंगी। यहां में समझ नहीं पा रहा हूं कि "अधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अपने स्वयं के विनिश्चय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके प्रति निर्देश से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे, परन्तु अधिकरण अपने स्वयं के विनिश्चय या आदेश का तब तक पुनर्विलोकन नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे नये और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता चला है जो सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात उस समय, जब ऐसा विनिश्चय या आदेश किया गया था, ऐसे पक्षकार की जानकारी में नहीं था उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका था।"

इसको मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं दूसरा पढ़ रहा हूं छठा, जो उप-धारा इसमें जोड़ी गई है, "किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या) के प्रारम्भ के पूर्व, अधिकरण के अपने स्वयं के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने की उसकी तात्पर्यित शक्ति के अनुसरण में पारित उसके आदेश उप धारा (5) के उपबन्धों के अधीन विधि मान्य रूप से पारित किए हुए समझे जायेंगे और तदनुसार प्रभावी होंगे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें लिखा है, "उप धारा (5) के उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से पारित किए हुए समझे जायेंगे और तदनुसार प्रभावी होंगे।"

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वह आदेश जो इस अधिनियम के पारित होने के पहले ट्रिब्यूनल को रिव्यू करने का पावर नहीं था और ऐसे सैकड़ों केसों में ट्रिब्यूनल ने रिव्यू के आदेश दे दिए, इसमें मुझे यह शंका हो रही है कि यह जो अधिनियम की धारा 6 है, इसको अपने स्टेटस और अधिकारों का वायलेशन करके सैकड़ों मामलों में रिव्यू कर दिया उसको कानूनी अमली जामा पहनाए जाने के लिए तो यह धारा 5 स्थगित नहीं की जा रही है ?

एक और शंका है कि कुछ निर्णय अधिकारियों ने स्वविवेक से, इसमें जो लिखा हुआ है, "उसकी तात्पर्यित शक्ति के अनुसरण में" अब यह तात्पयित शक्ति क्या है ? यह मैं नहीं जानता, इसका कानून में कहीं उल्लेख हो मुझे ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय अधिकारियों को जिस मामले में उनकी तात्पर्यित शक्ति का ज्ञान हो गया, अनुमान हो गया और उन्होंने रिव्यू कर दिया उसको तो हम आज कानूनी अमली जामा पहना रहे हैं लेकिन उस समय जिस कर्मचारी को यह जानते हुए कि ट्रिब्यूनल का फैसला न्यायबद्ध नहीं है, न्याय हित में नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है, इससे मुझे न्याय नहीं मिला और उसको इस व्यवस्था का ज्ञान था, ट्रिब्यूनल को रिव्यू करने का पावर नहीं है, जो उसका प्रिविलेज है, रिव्यू का, उस समय खतम हो गया, क्या तत्समय से जोड़ी हुई उस धारा में आज उसको दुबारा से रिव्यू करने का अधिकार मिलेगा ? सदैव से उसे जोड़ा हुआ मानेंगे तो यह जो बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है और हम उसको यह प्रिविलेज देते हैं तो हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि यह जो हमने इसमें उल्लेखित किया कि हम इसको पारित कर रहे हैं, इसको केन्द्रीय अधिनियम, सिविल न्यायालयों की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विचारण करते समय होंगे, वह सारे अधिकार अधिकरण को मिल जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सी.पी.सी. 1908 की धारा, की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उसको मान्यता प्रदान कर रहे हैं तो हमको यह भी यह विचार करना पड़ेगा कि नियम 114, आदेश 147 पढ़े

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और उसको जब हम पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट लिखा है कि रिव्यू के पावर के बाद भी यह तथ्य कि किसी विधि प्रश्न का विनिश्चय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, ऐसे मामलों में वरिष्ठ न्यायाल के पश्चातवर्ती विनिश्चय द्वारा उलट दिया गया है या उपान्तरित कर दिया गया है उसमें पुनर्विलोकन के लिए आधार नहीं होगा। ऐसे कितने मामले होंगे जिसमें ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने पलट दिया, अब हम यह धारा उप धारा-6 इसमें जोड़कर, इसको कानूनी जामा पहनाने की ओर है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारी परिस्थितियों में जो उच्च न्यायालय में जेरकार रिट याचिका है, इसमें किसी प्रकार का आदेश प्रभावी हो गया है, उस स्थिति में पुनर्विलोकन से एक बहुत गम्भीर प्रकार की न्यायिक विसंगति पैदा होगी, वह अपने आप में बहुत बड़ा विकट सवाल होगा इसलिए इस कानून का मैं समर्थन तो करूंगा, जनमत हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव भी वापस लूंगा लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह आशय स्पष्ट होना चाहिए कानून बनाते समय कि हम केवल उप धारा 6 जो इसमें हम जोड़ रहे हैं, जिसमें ट्रिब्यूनल में बैठे हुए लोगों का अधिकारों को अतिक्रमण करने के लिए रिव्यू करने का पावर नहीं और हम यह धारा-5 जोड़कर इसमें कह रहे हैं कि धारा-5 के उपबन्धों के अधीन विधिमान्य होंगे।

आप उन्हें विधि मान्य ठहरा दीजिये लेकिन उनके विपरीत हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, कोई फाइन्डिंग दे दी कि ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकारों से ज्यादा अतिचार किया है, अतिक्रमण किया है तो इस हाई कोर्ट की फाइन्डिंग के बाद इस धारा-5 के उपबन्धों के अधीन हम इस धारा 5 में किए गए निर्णय को कितना लीगलाइज साबित करना चाहते हैं ? यह बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे उपबन्धों पर एक बार इनको पारित करने से पहले माननीय संसदीय सचिव महोदय का स्पष्टीकरण चाहता हूं, यह बहुत अच्छा रहेगा। जिस आशय से सरकार इस बिल को लेकर आई है, मैं समझता हूं कि यह न्याय की भावना से लाई है। 1976 से ही यह जयपुर में ट्रिब्यूनल कार्यरत है। यह ट्रिब्यूनल जयपुर में है, जोधपुर में इसका कैम्प होता है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हम कानूनी तौर से ट्रिब्यूनल को बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए और ट्रिब्यूनल जब पावरफुल बनेगा तो उससे निश्चित रूप से पक्षकारों को लाभ मिलेगा, प्रभावितों को लाभ मिलेगा। इसमें जो हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्तियां दी हैं इसका पूरा अध्ययन करके उसके स्पष्टीकरण के मामले को समझना चाहिए और उसमें जो दोनों पक्षकारों को सुनने की प्रक्रिया का उल्लेख है उसको भी हमारे संशोधित अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमारी जन-कल्याण की भावना है जिसमें हम कर्मचारी को न्याय दिलाने की दृष्टि से जिस प्रकार से जयपुर में हमारा अधिकरण स्थापित है, जोधपुर में कैम्प करते हैं, ऐसी सम्भागवार बैंचों की स्थापना राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। सम्भागवार राजस्थान सरकार जब बैंचों की स्थापना करेगी तो न्याय की प्रक्रिया थोड़ी तेज होगी, त्वरित न्याय मिलेगा और सम्भागवार जो अधिकरण की बैंचें होंगी उनको रिव्यू करने की पावर निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन रिव्यू के लिए ऐसा मापदण्ड तय किया जाना चाहिए कि कोई न कोई इसमें उल्लेख है, 1908 में इस बात का उल्लेख है कि यह आवेदन नामंजूर हो। जब पुनर्विलोकन का आवेदन एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है और न्यायालय राय में बराबर बंट जाता है तो आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था में 1908 सी.पी.सी. के बराबर देकर इसको पावरफुल बनाना चाहिए, लेकिन उसके एक्जिट पूरे के पूरे मापदण्डों को इसमें कहीं उतार नहीं रहे हैं। जिसमें यह भी उल्लेख है अधिकरण के एक व्यक्ति ने फैसला सुना दिया, लेकिन अधिकरण में तीन या चार सदस्य हैं और उसका रिव्यू 2-2, 3-3 की राय में बंट गया तो उनकी बराबर की राय के आधार पर उसको नामंजूर किया जाता है और राय बहुमत के आधार पर हो तो उसको मंजूर किया जाता है। ऐसे तमाम मामले जिनमें यह प्रिविलेज लोगों के पास नहीं था क्योंकि धारा-5 स्थापित नहीं थी। आज यह शुरू से जोड़ी गई है। क्या ऐसे तमाम मामलों में प्रिविलेज पैदा करेगी जिनमें प्रभावित हुए, जिनको न्याय नहीं मिला ? यह सारी स्थितियां मैंने आपके माध्यम से सरकार के सामने रखी हैं इनमें स्पष्ट रूप से कोई न कोई जवाब माननीय संसदीय सचिव महोदय को देना चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अंत में मैं अपने इन सारे विषयों पर विचार रखते हुये कि इसको न्याय की भावना से लाए हैं और जो शक्तियां 1908 के सिविल न्यायालय की दे रहे हैं इसके अधिकरण को उचित न्याय और निर्णय का अधिकार प्राप्त होगा और इसका लाभ सीधा-सीधा राजस्थान के कर्मचारी वर्ग को मिलेगा, यह बहुत बड़ी जनकल्याण की भावाना सरकार की रही है। इसमें न्याय की भावना सरकार के मन में निहित है। इसका लाभ राजस्थान के कर्मचारी वर्ग को निश्चित रूप से मिलेगा, इसलिए मैं इसको जनहित में परिचालित करने के प्रस्ताव को वापस करने की आपसे अनुमति मांगते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन गम्भीर बातों की ओर और जो इस विधेयक में कमियां हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। हमारी बात पर सरकार चाहे विचार करे या न करे, लेकिन जो गम्भीर सुझाव आपने अपने दल के किसी व्यक्ति ने दिये हैं, किसी विधायक ने दिये हैं आपकी मेहरबानी हो जाये कम से कम आप उन बातों पर तो विचार कर लो चाहे हमारी मत सुनो। इसलिए सबसे पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यह सही है आपने 6 के अन्तर्गत रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया। जब से ही लागू हो जाएगा जब से वो गलत फैसले किए हैं वे सही मान लिए जायेंगे। (व्यवधान) आप तो अपने काम को सही कर लो वही ठीक है, नहीं तो चार साल बाद वापस यहां आना है। आप तो चिन्ता मत करो उसमें भी आपका नम्बर नहीं आयेगा। (व्यवधान) इतना सा तो मुख्य सचेतकजी, उनके पक्ष में आपको बोलना ही है। (व्यवधान) जिन्दा कौम है, पांच साल तक इन्तजार नहीं करेगी तब ही तो हमारी बात सच होगी और आपने अभी इन्तजार नहीं किया इनकी गलतियों का। सुरेन्द्र जी, आप तो मुबारकबाद के पात्र हैं कि आपने समय रहते ही सरकार को ऐसा लतेड़ा कि इधर-उधर घूमती रहीं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने सच कहा, सरकार के कुकृत्यों पर आपने समय रहते सार्वजनिक रूप से प्रचार किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : डा. राममनोहर लोहिया ने कहा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो प्रोविजन आपने 6 में जोड़ा है यह शत-प्रतिशत गैर-कानूनी, अवैधानिक और अल्ट्रा वायरस आफ दी कान्सटीट्यूशन है। हमने पहले भी आपको सुझाव दिया था क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की धारा 167 में आपका अमेण्डमेन्ट गलत है, आपने नहीं माना बहुमत के आधार पर। यह मानकर चलो दुबारा इसी सदन में आप और हम जब बैठेंगे तो यह सेक्शन-6 में किया गया अमेण्डमेन्ट है रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से, निश्चित रूप से मैं रामगंजमण्डी से आये विधायक ने सुझाव दिया है, मैं सहमति व्यक्त करता हूं कि सारा का सारा संशोधन फिर राजस्थान हाई कोर्ट इसको अल्ट्रावायरस डिक्लेयर करेगा। वैसे तो राज्यपाल महोदय ही सोच-समझकर आपके द्वारा गलत रूप से पास करवाये जाएंगे तो शायद वो खुद ही वापस कर दें, लेकिन मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं और इस बात की गम्भीरता से चिन्ता करनी चाहिए, अधिकारियों को भी करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए, माननीय संसदीय सचिव को भी करनी चाहिए और मुख्य मंत्रीजी के अधीन है विभाग, यह विधेयक अगर वापस लौटकर आया तो यह तो संसदीय सचिव पायलट कर रहे हैं, लेकिन इसका असर माननीय मुख्य मंत्रीजी पर भी जाएगा यह मानकर चलना चाहिए। इसलिए समय रहते आपको इस बात पर गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए कि यह जो हमसे धारा 6 का संशोधन है यह शत-प्रतिशत अवैधानिक, गैर कानूनी, अल्ट्रा वायरस आफ दी कान्स्टीट्यूशन है इस बात को आप लीगली और दिखवा लें और इसको पोस्टपोन कर दें और समय मांग लें तो ज्यादा बढ़िया इसी में रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार से क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के अमेण्डमेन्ट पर राष्ट्रपतिजी से अस्वीकार होकर यहां आना पड़ा और आपकी नीचे गर्दन करके उनको वापस यहां रखना पड़ा वैसी की वैसी हालत आपकी हो जाएगी। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं ट्रिब्यूनल को...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बिल पास होने तक समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बिल पास होने तक बढ़ाया जाता है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कम ही बोलता हूं, लेकिन इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर बाद में अनुमति आ जाती है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामले के लिए अपील अभिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस ट्रिब्यूनल को अपने आर्डर को इंप्लीमेन्ट करने का कोई इफेक्टिव अधिकार नहीं है। जो ट्रिब्यूनल को आपने बना रखा है, आप उठाकर देख लें ट्रिब्यूनल आर्डर तो दे सकता है, ट्रिब्यूनल फैसला भी दे सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल इस फैसले को कैसे इंप्लीमेन्ट करवाएगा, यह पूरे के पूरे कानून में आपको दुबारा रिव्यू करने की जरूरत है। इंप्लीमेन्ट नहीं करवा सकता। इंप्लीमेन्ट हाई कोर्ट करवाएगा। ट्रिब्यूनल फैसला दे देगा, फैसला देकर देखते रहोगे। इस ट्रिब्यूनल में वर्तमान में आप जानो, इस ट्रिब्यूनल का पूरा का पूरा इतिहास उठाकर देखें जब से ट्रिब्यूनल बना है उस ट्रिब्यूनल में पहली बार इस वर्तमान सरकार के किये गये फैसलों के विरुद्ध करीब चार हजार अपीलें विचाराधीन हैं। जो आपने ट्रांसफर्स किये हैं, आपने राजनैतिक द्वेष से इधर से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उधर हटाये, राजनैतिक द्वेष के आधार पर राजनैतिक दृष्टिकोण से मंत्रियों के माध्यम से जो गलत फैसले किये, यह रिकार्ड क़ायम किया है इस ट्रिब्यूनल ने। चार हजार अपीलें इस ट्रिब्यूनल के पास पेन्डिंग है और यह ट्रिब्यूनल जब अपने आर्डर को इंप्लीमेन्ट इफेक्टिव नहीं करा सकता, जो पावर्स इसको होना चाहिए उस पर तो आपने विचार किया नहीं और आपने इस बात पर विचार किया कि अगर कोई गलत काम हो गया है, कहीं भी, किसी भी प्रकार का तो उसको आप रिवेलिटेड करना चाहते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप इसको लागू करना चाहते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको लागू करके उन गलतियों को छिपाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कोई अलग से फैसले दे दिये होंगे। अलग-अलग बात हो गयी और आप इस रिव्यू के आधार पर पुराने किये हुए फैसलों को भी बिना लिमिटेशन के व किसी भी आधार पर आप करना चाहते है, आप सुओमोटो करना चाहते हैं, ट्रिब्यूनल को सुओमोटो करने का आप अधिकार दे रहे है, सुओ-मोटो काहे का अधिकार ? जो एग्रीव्ड पार्टी है जो इससे परेशान है, जो गलत आर्डर है वह दरख्वास्त दे और उसमें रिव्यू करें। सुओ-मोटो का मतलब यह है कि जो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे उनको यह ख्याल हो जाएगा कि हमने कानूनी रूप से गलती की है और कोई हल्ला हो गया फिर उसी फाइल को खुद ही उठा लेंगे और खुद ही कर देंगे कि हमने हमारी गलती सुधार ली है, सुओमोटो का किसी भी कानून में किसी को अधिकार नहीं है, जो लीगल प्रोसीडिंग से कोई एक एफेक्टेड हो, वह एप्लाई करें, आप रिव्यू करें, आप उसमें सोचें और सोचने के बाद जो भी न्याय संगत फैसला आपका हो, आप उन फैसलों को करें। इस सरकार ने अन्धाधुन्ध स्थानान्तरण मनमर्जी से करके राजनीतिक द्वेष से इन्होंने स्थानान्तरण किये हैं, वह रिकार्ड कायम किया है कि 4 हजार अपील इस ट्रिब्यूनल के पास पैन्डिंग हैं, आज तक 4 हजार अपीलें इस ट्रिब्यूनल के पास कभी भी पेन्डिंग नहीं रही तो राजनीतिक द्वेष तो आप छोड़ो और जो भी ईमानदारी की छवि है, इन स्थानान्तरणों से इस सरकार की ईमानदारी की छवि को गहरा आघात लगा है। आप मानो, या मत मानो महावीरजी, लेकिन आघात तो लगा कि 4 हजार अपीलें हुई हैं, इतिहास में नहीं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हुई, जिस प्रकार से एक आदमी के 10-10 जगह ट्रान्सफर, 4 ट्रांसफर 5 ट्रांसफर, एक ही आर्डर में, वह आर्डर ही नहीं पढ़ा तब तक, बूंदी से पाटन, पाटन से हिण्डौली, एक ही आर्डर में। इस प्रकार से जो गैर-जिम्मेदाराना काम आपके द्वारा हुए हैं, आप इस रिव्यू के पावर से किसी भी प्रकार का दबाव डालकर उस ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता में असर डालेंगे। आप उन कामों को, पुराने मामलों को भी ठीक करवाना चाहते हैं जो शत प्रतिशत गलत हैं।

मेरा तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि यह सैक्शन-6 का आपका अमेन्डमेन्ट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह अल्ट्रावायरस डिक्लियर होगा, यह गैर कानूनी डिक्लियर होगा, यह भी सोच लें व विधिवेत्ताओं की राय भी ले लें कि आप जिस तारीख से पुरानी तारीख से करना चाहते हैं, आप कब से करना चाहते हैं, शुरू से ही जब से ट्रिब्यूनल बना है। जब ट्रिब्यूनल ने कोई गलत-सलत फैसले दे दिये उस आधार पर रिव्यू करने का आप शुरू से ही अधिकार दे रहे हो। यह कौन सी बात है इसमें ? आप कम से कम यह तो सोचें कि अगर लागू भी करना था प्रजेन्ड डेट से जिस तारीख को आपने आर्डिनेन्स निकाला, उस तारीख से लागू करते। आप यह सब पुराने फैसले जो गलत-सलत कर दिये और जो हाई कोर्ट के आदेशों के विरूद्ध कर दिये उनको आप रिवैलीडेट करना चाहते हैं, यह तो आपकी मर्जी है, बहुमत आपका है, पहले भी आपने 167 सी.आर.पी.सी. का हमारे सुझावों के बाद कानून बनाया था, क्या हश्र हुआ जब राष्ट्रपतिजी ने वापस भेजा, कानून सम्मत नहीं है, वैसा ही हमारा सुझाव है, मानना नहीं मानना आपके हाथ की बात है। आपके जंचें तो मानों, आपको नहीं जंचे तो मत मानो लेकिन यह विपक्ष की और एक सदस्य की भूमिका के नाते हमारा काम आपको आगाह करना है और आपका काम पुरानी तरह अगर मनमर्जी से, मनमाने ढंग से, बिलकुल अलग दृष्टिकोण से सही बात को नहीं मानकर आप इसको आगे ले जाओगे तो मैं दावे से कहता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय, भी इस विधेयक का वैसा ही हश्र करेंगी जो आपका महामहिम राष्ट्रपति ने किया है। (धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद। कोई डा. साहब, आपके कहने लायक बात तो है नहीं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे को बोलने नहीं देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे को बोलने नहीं देते हैं तो फिर मैं करूं क्या यहां पर ? (व्यवधान) मेरे बोलने से कोई परेशानी हो गयी आपको ?

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, आप बोलो, आप बोलो। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ है ही नहीं, एक मनोज यादव की रिट थी उस पर हाई कोर्ट के जस्टिस आनरेबल शिवकुमारजी ने एक फैसला दे दिया। (व्यवधान) काहे के लिये बहस कर रहे हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप संसदीय सचिव जो जवाब देंगे, उनको इनकाम्पीटेन्ट मानते हैं ? आपको मिनिस्टर नहीं बनाया तो नहीं बनाया ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : कुछ है ही नहीं क्यों बहस कर रहे हो, इतनी बहस कुछ है ही नहीं। (वयवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब तो वो ही दे सकते हैं, जवाब तो संसदीय सचिव ही दे सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपका भी संशोधन है।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तो विदड्रा कर लेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले विधायक ने अभी कहा कि साहब, इसके अन्दर ज्यादा कुछ नहीं है, खाली एक केस के पीछे ही यह सारा कुछ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसके इतने फारफेचेड कांसीक्वेसेज होंगे और यह इतने फ्लड गेट्स खोल देगा केसेज के जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : यह न्याय हित में होगा डा. साहब, यह तो न्याय हित में ही होगा काम। किसी का अहित होने वाला नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आपको भ्रम है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भ्रम है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा यह।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, आप पढ़ लो उसको रिट्रोस्पेक्टिव है सैक्शन।

श्री उपाध्यक्ष : रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आपको भ्रम है।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिट्रोस्पेक्टिव है, सैक्शन-6 पढ़ लें आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्होंने जो स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टिव एण्ड रीजंस दिया है उसकी दो लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"...the Tribunal should be empowered to review its own decision or orders and to rectify patent errors,....." अब आप देखें कि यह जो ट्रिब्यूनल जिसके लिए आपने नो पावर आफ रिव्यू सुओमोटो इसका रिव्यू करेंगे, कब से रिव्यू करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव ही रिव्यू करेंगे और रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करने के अन्दर इन्होंने कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : यह नीचे दिया हुआ है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो यह तो कब के केस पता नहीं कब खोल देंगे। दूसरी चीज, अगर आपको करना ही था तो आपसे मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो वह नैचुरली कोई अपील करेगा ही, जब वह अपील करेगा तब उसको रिव्यू कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : 30 दिन का समय दिया है, डा. साहब।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, उसको दिया है, 30 दिन का समय।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब आप आगे देख लो अनलिमिडेट पावर हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपने सही फरमाया 30 दिन का समय दिया है। एग्रीव्ड पार्टी को, उन्होंने सुओ-मोटो अपने आप स्व-विवेक से अगर वह करना चाहें उसका कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं किया है, जब उसका कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं किया है जब तो यह तो पता नहीं कितने पुराने केसेज कब-कब खुल जायेंगे और राजनीतिकरण हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसको भी इतना खुला नहीं रखा है कि अपने आप चाहे उसका कर सकते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह मंशा इसकी नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सुओ-मोटो के लिए लिमिटेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सुओ-मोटो होल्ड नहीं कर सकता।

श्री हरिमोहन शर्मा : है उसमें सुओ-मोटो लिख रहा है, सुआ-मोटो है आप देख लें इसको।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, जी।

श्री हरिमोहन शर्मा : है साहब, "The Tribunal may, on its own motion or on the...." पहली स्टार्टिंग लाइन ही यहां से चालू होती है।

श्री अशोक (खण्डार) : नाथूसिंहजी आप विराजो, आपसे नहीं पूछेंगे जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़िये आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper..." अब इसके अन्दर मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो ट्रिब्यूनल सुओ-मोटो डिसीजन लेकर पुराने केसेज स्व-विवेक से खोलेंगे उसमें इतना भारी राजनीतिकरण होगा कि पुराने केस किसी का 10 साल का, किसी का 5 साल का, सारे खोलकर आप खड़े कर दोगे वहां पर और वह इस आधार पर कि जब ओरिजिनल केस किया गया था उस समय वह फैक्ट आपने नजरन्दाज कर दिये, क्योंकि दूसरा सर्क्यूलर आ गया, कोई फैक्ट आ गया, कोई कानून की धारा नहीं देखी गई, उसको आप दस साल बाद खोलोगे तो कितना बड़ा फ्लड गेट खुल जायेगा और दूसरा राजनीतिकरण यह होगा, आज अगर किसी का फैसला हो गया है, पांच साल बाद भी उसको आप स्व-विवेक से खोलकर पलट सकते हो इसलिए यह अवैधानिक और अनुचित है। दूसरा यह है कि इसमें अगर आपको करना ही था तो देखिए, इसके जो कांटेम्परेरी कानून बने हुए हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूं यह इनकम टैक्स एक्ट, 1994 में भी सिमिलर टाइप का कांटेम्परेरी कानून बना हुआ है जिसके अन्दर स्व-विवेक से उसको खोलने का निर्णय उन अधिकारियों के पास नहीं होकर उससे ऊंचे अधिकारियों के पास होता है। इसके लिए मैं दो लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"The Commissioner may call and examine the record of any proceeding under this Act and if considers that any order passed therein by the Assessing Officer is erroneous....and prejudical to the interest of revenue, he may after giving the Assesses an opportunity of being heard and after making and causing made, such inquiries deemed fit by the higher authorities" तो मेरा निवेदन यह है कि अगर इनकी स्व-विवेक से रिट्रोस्पेक्टिव केसेज को खोलना था तो उसके भी कोई कानून कायदे बनाने चाहिए थे। कानून कायदे यह बनाने चाहिए थे कि उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फ्लड गेटस को खोलने से रोकने के लिए उसको कोई ऐसा इन्तजाम

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

करना चाहिए था कि और कोई ऐसी अथोरिटी के पास अपील करने से या कोई वैलिड रीज़न बनाने के बाद ही उसे इस तरह से खोला जाता।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, इसका प्रोविजो देखेंगे नैक्स्ट पेज पर तो लिमिटेशन का प्रोविजो है वह गवर्न करेगा। सुओमोटो भी गवर्न करेगा और एप्लीकेशन पर भी गवर्न करेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : लिमिटेशन के प्रोविजन के नीचे दूसरा प्रोविजो भी देखें आप। चाहे जब भी कर लेंगे यही तो है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा भी यही है, चाहे जब का नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : चाहे जब ही कर लेंगे वो तो आन इनिशियेटिव के लिए लिमिटेशन नहीं हैं। आन इनिशियेटिव...(व्यवधान) आन इट्स आन मोशन, उसमें लिमिटेशन नहीं है, आन मोशन की चाहे जब ही कर लो आप। यह तो एप्लीकेन्ट के लिए है, आन मोशन के लिए तो कोई पाबन्दी नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सुओमोटो के लिए लिमिटेशन नहीं है, यह सही कह रहे हैं। कहां है यह बताइये आप ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नैक्स्ट प्रोविजो है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप आन मोशन डिलीट कर दो। प्राब्लम ही खतम हो जाएगी। विदिन लिमिटेशन आन मोशन है, लिमिटेशन जोड़ने के बाद में आन मोशन नहीं होगा। मेरा अभिप्राय है वह यह है कि आन मोशन को आप ट्रिब्यूनल से पावर हटा दें। एक सैकण्ड। आन मोशन का जो राइट इसमें दिया हुआ है कि, एक सैकण्ड आप सुन लो। आन मोशन का जो ट्रिब्यूनल को स्वयं को ही पावर दिया है कि वो अपनी मर्जी से ही उसका खोल देगा उसकी बजाय आप आन मोशन वाले को हटा दो तो अपने आप लिमिटेशन हो जाएगी हमारे लिये लेकिन उनके लिए तो लिमिटेशन नहीं है वह तो चाहे जब ही खोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आवश्यकता नहीं थी इसकी। आगे जो प्रोविजो दिया है– आन इट्स आन मोशन एट एनी टाइम लिख देते विदाउट जुरिस्डिकशन तो बात थी कोई।

श्री हरिमोहन शर्मा : आन मोशन वाला कभी भी खोल सकता है। आन मोशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्शा यह नहीं है ट्रिब्यूनल की। यह मन्शा नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आन मोशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस एक्ट की, अमेन्डमेन्ट की मन्शा नहीं है कि ट्रिब्यूनल को तो चाहे जितना समय दे दो और पार्टी को समय एक महीने के अन्दर बाउन्ड कर दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आन मोशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरेस्ट तो पार्टी के इन्टरेस्ट है..

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिव इनको क्लियर कर दें कि उनकी क्या मंशा है। क्या सुओमोटो कोई भी ट्रिब्यूनल का अधिकारी इसको कभी नहीं खोल सकेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसके लिए कोई लिमिटेशन है क्या ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सरकार की भावना थोड़े ही व्यक्त की गई है। इसमें तो जो लाइनें लिखी गई हैं, बाद में इन्हीं को इन्टरप्रेट किया जाएगा, इसमें सरकार की भावना को नहीं इन्टरप्रेट किया जायेगा। आज आपकी भावना कुछ भी हो और यही तर्क जब पहले सी.आर.पी.सी. का केस था उसके अन्दर दिया गया था कि हमारी भावना कुछ है लेकिन इसमें गलती से लिख कुछ दिया गया है इसलिए वो लौटकर के वापस आ गया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से इसके अन्दर लिमिट फिक्स नहीं की गई है,

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इसकी लिमिट को अनलिमिट कर दिया गया है। नम्बर दो, अगर सुओमोटो करना था तो आप यह देखिये स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स, इसके अन्दर और जो आपने प्रपोज किया है उसके अन्दर बहुत क्लियर कन्ट्राडिक्शन है। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसको करेक्ट करके फिर पेश किया जाए जिससे इस तरह की अड़चन आगे आने वाले समय में नहीं हो। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जितने तर्क अभी आपके सामने माननीय सदस्यों ने रखे उनमें कुछ नई चीज मैं आपके सामने एड करना चाहता हूं। कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 323 (ए) के अन्तर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का प्रोविजन किया गया है इसलिए हमारे यहां प्रोविजन बनाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस ट्रिब्यूनल में कौन है ? एक जुडिशियरी का आदमी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आदमी है और बनाई किसलिए गई है ? बनाई इसलिए गई ".....with respect to recruitment and conditions of services of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or any State or any Local Body...." इसके पीछे मंशा थी कि जो हमारे सर्विस में काम करने वाले आदमी हैं उनकी सर्विस कण्डीशन और उनके बारे में हम ट्रिब्यूनल बनायेंगे उनको डीबार किया गया है कोर्ट से। अब जो मन्शा इसके पीछे थी और हम यहां कह रहे हैं, जैसा अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट का एक जजमेन्ट हो गया, कोर्ट का जजमेन्ट हो गया इसका मतलब हमने यह बात तो मान ली कि ट्रिब्यूनल को रिव्यू करने का अधिकार नहीं था और ट्रिब्यूनल ने रिव्यू किया। यदि ट्रिब्यूनल ने रिव्यू किया तब हाई कोर्ट ने जजमेन्ट दिया इसलिए हम रिट्रोस्पेक्टिव डेट से क्यों ला रहे हैं। इसमें जो क्लाज लिखा हुआ है जो 6 क्लाज लिखा हुआ है और जो आब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ है।

(डा. सी.पी. जोशी)

" It is also proposed that amendment should be given retrospective effect with a validating clause so as to validate the decisions of the Tribunal passed in its purported power of review."

इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने यह माना है कि ट्रिब्यूनल को रिव्यू करने का अधिकार नहीं था और ट्रिब्यूनल ने आउट आफ वे में जाकर रिव्यू किया उसके ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला किया, उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए...(व्यवधान) जवाब देंगे न, मैं तो नहीं समझ पाया, आप विद्वान हैं, आप जवाब दें। इस क्लाज का मतलब तो यही है, वैलिडेट करने का मतलब ही यही ही है कि ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दे दिया, उस फैसले को हाई कोर्ट ने ठीक नहीं माना, उस फैसले को वापस वैलिडेट करने के लिए ला रहे हैं या फिर जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे है वह ठीक कह रहे हैं कि आप इतनी पावर लेना चाहते हैं कि आप किसी भी फैसले को रिव्यू करने का अधिकार लेना चाहते हैं और उसको बैक डेट में वैलिडेट करना चाहते हैं। दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। या तो कोर्ट के फैसले के आधार पर किया या आपकी नीयत को हमने उस दिन भी कहा था कि डेमोक्रेसी में फोर द पीपुल, वाई द पीपुल, आफ द पीपुल है पर यह सरकार यह बिल लाकर के यह प्रूव कर रही है, यह गवर्नमेन्ट फोर द एम्प्लोई, वाई द एम्प्लोई एण्ड आफ द एम्प्लोई है। उनकी मन्शा ही यही है कि हम कैसे सरकार के निर्णय जो आप एक ट्रिब्यूनल में जज बैठा हुआ है, ज़ुडिशियरी का आदमी है, ब्यूरोक्रेसी का आदमी है, कांशस डिसीजंस हुए हैं, उन डिसीजंस को रिव्यू करने का काम करना चाहते हैं। इसका मतलब हमारा कमिटमेन्ट उन एम्प्लायज के इन्टरेस्ट को प्रोजेक्ट करने का है जिन एम्प्लाय ने सरकार बनाने में हमारी मदद की अन्यथा तो यह बिल लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आलरेडी कोई नियम कानून के अन्तर्गत फैसला हो गया, उस फैसलें में उस एम्प्लोई को अधिकार है कि हाई कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन करे और रिट पिटीशन करके अपनी ग्रिवेंसेज को रिड्रेशन करावे। हम उस अधिकार को वापस रिव्यू करने का अधिकार ले रहे हैं। इसका मतलब की जो कांस्टीट्यूशन में यह अधिकार दिया गया है कि ट्रिब्यूनल बनाने के बाद यदि फैसला ठीक नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाए उसके

बीच में हम एक और रिव्यू करने का फैसला करना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, वो आपने परपज लिखा उसमें ठीक नहीं है।

मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, सदन को बतायें कि यह आपने लिखा है इसमें "...It is desirable that the Tribunal should be empowered to review its own decisions or orders and to rectify patent errors, so that an aggrieved party may not be left to take recourse to writ petitions only to get such errors rectified. The proposed measure will also reduce considerably the number of writ petitions in service matters."

आप सदन को बतायें कि अभी तक हाई कोर्ट में कितने सर्विस के रिट पिटीशन के मैटर गये, कितन रिटपिटीशन के फैसलों में हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रिव्यू किया। यदि उनके नम्बर बहुत ज्यादा हैं तब तो निश्चित तौर पर कानून में प्रोविजन किया जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल ने 500 फैसले किये उनमें से 300 फैसलों में हाई कोर्ट की रिट पिटीशन में ट्रिब्यूनल के खिलाफ फैसला हुआ तब भी एक आधार बनना चाहिए निश्चित तौर पर। जब आप जवाब दें तब बतायें कि 1976 से लेकर 2004 तक कितने केसेज हैं जो ट्रिब्यूनल ने फैसले किये उन ट्रिब्यूनल के कितने फैसलों को हाई कोर्ट ने रिट में रिवर्स किया। वह फीगर आ जाए, एक्यूरेट फीगर नहीं हो, वो 4-5 कोई एवेरेशन और एक्सप्शल होंगे जिन केसेज में ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट की रिट ने रिव्यू किया होगा। यह आधार नहीं बन सकता। आप यदि बतायें इस बात को कि 300 केसेज की जगह दो केसेज हो जायेंगे तब भी समझ में आता है। आप आब्जेक्टिव में तो बात यह लिख रहे हैं और आपकी मन्शा और है इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय जवाब दें तो बतायें कि 1976 में जब यह ट्रिब्यूनल बनी तब से आज दिन तक इनके फैसले को हाई कोर्ट के कितने फैसलों की संख्या में जजमेन्ट रिवर्सल हुए जो अब जाकर के नहीं होगा रिव्यू करने के कारण। तो आप रिव्यू का पावर क्यों लेना चाहते हैं ? रिव्यू का पावर इसलिए लेना चाहते हैं कि आपके फैसले के बाद हाई कोर्ट

(डा. सी.पी. जोशी)

में नहीं जाये और हम इस फैसले को यहीं रिड्रेशल कर दें। यदि यह मन्शा है तो आपका आधार यह होना चाहिए कि आप संख्या बतायें। संख्या नहीं बतायेंगे तो हम यह मानेंगे कि आपकी मन्शा कुछ लोगों को, कुछ एम्प्लोई को कुछ पनिशमेन्ट जो दिया गया उनको रिव्यू करके उनको बेनिफिट देने का हमारा इन्टेंशन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर यह बात आनी चाहिए। जैसे रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इन्होंने जो बातें उठाई हैं कि जब आप इसमें रिट्रोस्पेक्टिव डैट से वैलिडेट करना चाहते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव डैट की लिमिटेशन तो करनी पड़ेगी। 1976 से लेकर 2004 तक कोई न कोई तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि 30 दिन का आप प्रोविजन कर रहे हैं यह तो प्रोस्पेक्टिव लगायेंगे। 30 दिन में एप्लीकेन्ट अपना काम कर सकता है। 30 दिन में नहीं है तो ट्रिब्यूनल उसको माफ कर सकता है, यह प्रोविजन करो। यह तो आगे वाले केस में लगेगा। पिछले वाले केस में तो डैट ही नहीं है। वैलिडेटरी का क्लाज लगा दिया इसलिए एक फैसला जो 1976 में ट्रिब्यूनल ने किया उस फैसले को भी रिव्यू करने का अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1976 से लेकर 2004 तक जितने ट्रिब्यूनल के फैसले हुए उन सब फैसलों को सुओमोटो यह मानकर के हमें रिव्यू करने का अधिकार है तो फिर तो हम कुछ अधिकारियों को केवल मात्र फायदा देने के लिए यह कानून ला रहे हैं जिससे कानून की परिधि में आदमी को फायदा मिल जाए और लोग प्रश्न नहीं उठावें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इसके पीछे मन्शा लग रही है।...

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रिब्यूनल की मंशा थी इस कान्स्टीट्यूशन में, यह तो 1976 में थी, 1976 में पहली बार इन्ट्रोड्यूस हुआ, till 1976 there was no provision for Tribunal in the Constitution. तो 1976 के बाद कान्स्टेंट डिसीजन लिया गया कि सरकार का काम करने वाला जो एम्प्लाय है, जो अधिकारी है क्योंकि वह सरकार का अंग होता है, उसकी सर्विस कण्डीशन के सम्बन्ध में, पोस्ट क्रिएशन के सम्बन्ध में, उसकी पैनल्टी

के सम्बन्ध में, ट्रिब्यूनल के माध्यम से ही उसकी समस्या का निदान हो जाये क्योंकि उसमें सर्विस के आदमी होते है, आई.ए.एस. आफिसर होते हैं जो विभाग में काम किये हुए हैं। वे इस बात का जानते हैं कि सर्विस कण्डीशन में क्या बात है, जो शायद कोर्ट नहीं जानता होगा, यह इसके पीछे मंशा थी। उस मंशा को अतिरेक करके हम अब जो पनिशमेन्ट हो गया है और जो केसेज फाइनल हो गये हैं, उन केसेज को रिव्यू करने का पावर लेना चाहते हैं, यह तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के ऊपर जो हमारा आरोप है, इससे सरकार की लालेसनैस की स्थिति एम्पलोयी के बीच में क्रिएट करेगी क्योंकि कुछ केसेज में डिसाइड हो गया, कुछ को पनिशमेन्ट दे दिया, उसको सर्विस से टर्मिनेट करेगी। उनकी यदि आपने सर्विस वापस ली, That will be an example कि पांच साल बाद कोई भी सरकार आएगी, वह सरकार उन चीजों को पेटनेज करके वापस रिव्यू करना चाहती है You are sending wrong signals with regard to the discipline of the employee. जो इस सरकार की मंशा नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकार की मंशा नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। चुने हुये लोकतंत्र की सरकार की यह मंशा नहीं होनी चाहिए कि हम अपने एम्प्लायी को यह सिगनल दें कि हम आपके डिसीजन के मैटर को भी रिव्यू कर सकते हैं और पैनलाइज कर सकते हैं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के साथ में एक चीज और है, मुझे पता है, मैं नहीं जानता कि उपाध्यक्ष महोदय इसको कितना एप्रिशिष्ट करेंगे। इसके डिसीजन से फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन भी लगा हुआ है। आपने फैसला किया कि कुछ सर्विस कण्डीशन में उसके इन्क्रीमेन्ट लगेंगे, उसके चार साल का पांच साल का इन्क्रीमेन्ट लगेगा तो फाइनेन्शल लाइबिलिटी राज्य पर बढ़ेगी। आपने इसे फाइनेन्शल बिल के रूप में यह भी नहीं बताया कि कितना खर्चा आएगा इसमें। इसका जवाब आप रिव्यू करने का पावर ले रहे हो तो सर्विस कण्डीशन में उसको जो दो इन्क्रीमेन्ट रोके हैं, तीन इन्क्रीमेन्ट रोके हैं, वे भी रिवोक होंगे तो स्टेट के कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा जाएगा और कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा जाएगा तो इसमें फाइनेन्शल

(डा. सी.पी. जोशी)

इम्लीकेशंस भी हैं। उस फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन का माननीय नाथूसिंहजी, कहीं इसमें मेंशन नहीं है। यह जरूरी था कि यदि फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन हैं तो इसके साथ में यह भी एक स्टेटमेन्ट आना चाहिए था कि इसमें फ़ाइनेन्शल इम्प्लीकेशंस हैं और गवर्नर के इसमें साइन होने चाहिए। इसका मतलब मैं यह मानूं उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद विद्वान हैं, इसके फैसले से कोई भी फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन स्टेट गवर्नमेन्ट के कन्सोलिडेटेड फण्ड पर नहीं आएगा। यदि इसमें कोई स्टेटमेन्ट नहीं लिखा हुआ है तो यह जो रिव्यू करने का अधिकार ले रहे है इसमें इन्क्रीमेन्ट इनको डिबार किया हुआ है, उनके इन्क्रीमेन्ट को रिव्यू करने का काम नहीं करोंगे इसलिए उसको पैसा मिलेगा, स्टेट के कन्सोलिडेटेड फण्ड से मिलेगा, वह तो आटोमैटिक उसमें डिबार है क्योंकि आप इसमें फाइनेन्शल पावर इसके साथ लाये नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अतिउत्साह में ऐसा काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए प्रश्नचिह्न खड़े होंगे। आज कोई भी चीज जो अच्छी लग रही हैं, जिस अधिकारी को आप करके जा रहे हो उस अधिकारी को हम ठीक कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, यह काम आपको साइड करेंगे। यह बैठे हैं राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, हमने बहुत भाषण सुने हैं, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ यहां बैठकर, फिर ये बैठेंगे.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस कानून को आप पहले लाये थे, पारित ही नहीं करवा सके बस, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : मान गये इस बात को, हम जो काम कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। आप तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हो खुद। अभी तो यह कह रहे हो कि हम लाये थे तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार वही काम कर रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं, मैं यह कर रहा हूं, नहीं, आप ले आये थे, पारित नहीं हुआ, पारित नहीं करवा सके पर यह कानून आप ले आये थे, इसलिए यह कानून....

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसमें कमी थी इसलिए पारित नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये तो आपको चक्कर में डाल रहे हैं, आप कभी लेकर ही नहीं आये।

डा. सी.पी. जोशी : महावीरजी, मैंने तो क्या ओथ ले रखी है, इसलिए बोलना नहीं चाहता हूं यह लेकर आये कि नहीं आये, यह जो हमने ओथ ले रखी है, We don't want to speak about it. आज हम जिस जगह बैठे हैं उपाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि यह कानून न ट्रिब्यूनल में सर्विसेज के इन्ट्रेस्ट को प्रोटैक्ट करेगा, न डिसीप्लीन को रेगुलेट करेगा। इस कानून के बनने के बाद, 1976 से लगातार अभी तक के जो केसेज हैं, वे भी रिवोक हो जायेंगे। फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन्स होगा, उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई। अच्छा यह होता, उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें आब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाते, अब आप, उपाध्यक्ष महोदय, यह बतायें कि एक आदमी ने निर्णय लिया, वह खुद फैसला करेगा कि मैंने निर्णय गलत ले लिया। मैं समझता हूं कि इसमें तो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले, सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। फिर काहे को हम यह सिस्टम रखें कि, कल कोई एक लोअर कोर्ट का आदमी कहेगा कि मैंने फैसला गलत किया, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मैं खुद वापस ठीक कर लूंगा तो फिर यह सी.जे.एम. और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सारे अलग-थलग रह जायेंगे, इर्रेलेवेन्ट हो जाएगी। एक कोर्ट की सैंक्टिटी यह होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कांशस डिसीजन लेने के बाद उस समय जो आर्गूमेन्ट और कागज पेश किये गये हैं, उसके आधार पर कोई फैसला होता है, उस फैसले के बाद कोई कमी और खामी होती है तो हायर कोर्ट में उसकी अपील होती है। यह जुडिशियरी का सिस्टम है, उपाध्यक्ष महोदय, कोई जुडिशियरी के सिस्टम के अन्तर्गत हम एक नई चीज डालना चाहते हैं, कि यह ट्रिब्यूनल के फैसले को रिव्यू करने का अधिकार दे रहे हैं, सुओमोटो अधिकार दे रहे हैं, एप्लीकेशन के आधार पर अधिकार दे रहे हैं, एप्लीकेशन में टाइम लिमिट को भी खतम करने का अधिकार दे रहे हैं और बैक डेट में वैलीडेट करने का भी अधिकार दे

(डा. सी.पी. जोशी)

रहे हैं, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इतना रेट्रोगेटिव कानून, आप इतने वर्षो से हाई कोर्ट में प्रेक्टिस कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यह कोई प्रोग्रेसिव कानून बनाया है। यह कानून कुछ लोगों के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ राजस्थान की सारी सर्विस कण्डीशन में काम करने वाले आदमी को रोंग सिगनल देंगे। ऐसे कानून के सम्बन्ध में हम सरकार से यहां अपील कर सकते है कि उनका बहुमत है, खोटे काम भी करेंगे तो पास होगा, फिर उसका फैसला गवर्नर करेगा, प्रेसीडेन्ट करेगा और कोर्ट करेगा। वह तो इनका अधिकार है लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, आप कानूनवेत्ता है, कम से कम इनसे यह कहिये कि ऐसा कानून नहीं लाये, जिस कानून में इतनी विसंगतियां हों कि आगे जाकर कानून में हाई कोर्ट भी इसका फैसला रिवर्स करे और गवर्नर भी रिवर्स करें, ऐसा कानून नहीं बने इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये और इसको बिलकुल सोच समझकर लाये जिससे आने वाले समय में एम्प्लोयी को गलत सिग्नल नहीं जाये और उनकी कमिटमेन्ट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति रहे। नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का, मंत्री का मानने वाला जो सैक्रेटरी है वह काम नहीं करेगा, सब-आर्डिनेट काम नहीं करेगा। आप एक्शन लेना, दूसरी सरकार आएगी और वह कहेगा कि साहब, मैं तो पिछली सरकार का विंडिक्ट आदमी हूं मेरा कोई फैसला करो, फिर अपील करके अपनी व्यवस्था कर लेंगे। यह ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जो लोकतंत्र की कमजोर करेगी। हम सबको मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम नहीं करना चाहिए। वैसे ही चुने हुए प्रतिनिधियों का सारा काम आजकल डेमोक्रेसी के हाथ में है। हमने सुना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजनेस रूल में आज के दिन केबिनेट मंत्री बैठे हैं, उनके हाथ में क्या है ? वह सी.एम. का सैक्रेटेरिएट है, एक आर.ए.एस. लेवल का आदमी है, वह डी.एस. है, वह ज्यादा पावरफुल है वनिस्बत केबिनेट मंत्री के। उनको तो मालूम ही नहीं कि फैसला क्यों हो रहा है। उनको तो अखबार से मालूम पड़ता है कि फैसला क्या हुआ है। एक मुख्य मंत्री, दो केबिनेट मंत्री और चार आदमी

मिलकर सरकार चला रहे हैं और हम सब इतने आदमी चुनकर आयें, इसका तो मखौल हो जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए ऐसा कानून पास करवाकर आप इस लोकतंत्र को कमजोर नहीं करें। मेरा यही निवेदन है कि जनमत जानने के लिए इसे प्रसारित करें और एक कांशस डिसीजन लेकर हम वापस दुबारा इस कानून को ठीक करके लायें, यही आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दिल्ली में आपकी सरकार है। वहां भी आप कह दें यह जो सैन्ट्रल ट्रिब्यूनल है उसके पास रिव्यू करने का अधिकार है।

डा. सी.पी. जोशी : ऐसा खोटा प्रस्ताव पास नहीं किया वहां सैन्टर में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिव्यू का है, मैं बडी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रिव्यू का है। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसमें रिव्यू का अधिकार है, मेरे पास कागज है, दिखाऊं आपको।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, रिव्यू का नहीं है। आप ले आना, आप ले आना। वह जो सैन्टर के आदमी हैं, वही खोटी राय दे रहे हैं। राजस्थान के आदमी तो ऐसी राय नहीं देते, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से पूछा करो।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है और आपका ट्रिब्यूनल आज तक बना हुआ है और जो भी सिविल सेवा में है और उनके जो भी सरकार में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सेवा शर्तो के साथ जो भी कोई परेशानी है, उनको सुनते रहे हैं। जो कोई भी उनके निर्णय से असन्तुष्ट रहा है, उनको हाई कोर्ट जाने के लिए निश्चित रूप से उसमें प्रावधान है, फिर क्यों सरकार इसको इस तरह से राजनैतिक हथियार बनाकर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को यह मैसेज देने के लिए निश्चित रूप से मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने काफी विस्तार से इसमें रखे हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें संशोधन करके सरकार की कोई प्रशासनिक सुधार करने की मंशा हो,

(श्री अमराराम)

केवल राजनैतिक प्रतिबद्धताएं हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि इसको परिचालित किया जाये। जिससे जनता की राय इस सम्बन्ध में आ सके और सही कानून बन सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बहुत बहस कीं गुन्जाइश नहीं हैं। एक हाई कोर्ट की सिंगल बैंच का फैसला आया कि वह रिव्यू करना चाहिए और इनके ही शासन में 1998 से लेकर 2001 तक रिव्यू हुए केसेज, उसके बाद डबल बैंच का फैसला आ गया कि नहीं, यह ऐसा ठीक नहीं है तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए लाया गया है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो लाया गया है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो हुआ है उसके लिए लाया गया है। अवधि दे रखी है 30 दिन की। उसमें कोई ऐसा कारण है, जिसमें रह गया हो, फिर आदमी नई चीज लाकर प्रस्तुत करे तो 30 दिन की वह छूट दे सकेगी, यह चीज दे रखी है। इसमें कुछ भी नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में इस तरह का प्रोविजन है और यहां पर भी उसी का है, हाई कोर्ट के अन्दर रिट पिटीशन ज्यादा नहीं हो। समय-समय पर जजेज ये बात कहते हैं कि छोटी-छोटी चीजों के अन्दर लोग हाई कोर्ट में लेकर आ जाते हैं, उसको रोकने के लिए है। इतने सारे कर्मचारी हैं 6-7 लाख, इसमें ज्यादा कुछ सोचने को है ही नहीं इसलिए आप इसमें इतनी ज्यादा लम्बी बहस मत कराइये, जवाब दिलवाइये, पास कराइये और मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, वह मैं विदड्रा करता हूं और अब ज्यादा बहस नहीं कराकर इसको पास कराइये, जवाब दिलवाइये, कुछ है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सब लोग बोल चुके हैं तो एक मिनट के लिए मुझे इस बारे में कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता। इसमें कुछ है ही नहीं।

श्री शांतिलाल चपलोत : इसमें बहुत कुछ है। 1976 में यह एक्ट इसलिए लाया गया था, उस समय इमरजेन्सी थी। सब लोग विपक्ष के जेलों में बन्द थे, किसी की बात नहीं सुनी गई और कर्मचारियों को प्रताडित करने के लिए उदयपुर के कर्मचारी जयपुर आकर अपील करें, जोधपुर का कर्मचारी जयपुर आकर अपील करे, बीकानेर का कर्मचारी आकर के जयपुर अपील करे। पहले यह सब पावर सिविल कोर्टस, नीचे की अदालतों में उपलब्ध थे इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि 1976 के एक्ट के बारे में विचार करने की आज आवश्यकता है और इतना मुझे कहना है। आप और हम सब लिमिटेशन एक्ट को जानते हैं, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन-5 है, सैक्शन-5 लिमिटेशन एक्ट के बारे में सारा स्पेसिफिकेशन है। अब उसके बारे में, सेक्शन 5 के बारे में क्या होगा जो सेन्ट्रल एक्ट है और इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो आब्जेक्टस में बताया है, इसलिए इसमें थोडी सी शंका हो रही है कि 1976 के इस काम को और जब हम अमली जामा पहना रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, इट इज आलसो प्रपोज्ड, स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टस मैं कह रहा हूं, "It is also proposed that the amendment should be given retrospective effect with a validating clause so as to validate the decisions of the Tribunal passed in its purported power of review." रिव्यू तो कर सकता है पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसकी लिमिटेशन क्या होगी और What will happen to the Sec.-5 of the Limitation Act ? सैक्शन-5 जो सैन्ट्रल एक्ट है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप उपाध्यक्ष हैं और आप सब स्वयं कानून के ज्ञाता हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं इतना ही नहीं है, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, इसको सेंट्रलाइज कर दिया यहां जयपुर में ट्रिब्यूनल लाकर के, लोगों के अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है, इसको क्यों न जिस तरीके से जोधपुर में बैंच है, क्यों न डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर इसकी बैंच जाये, क्यों यहां पर सेन्टर हो। आज भी उदयपुर से और हमारे वहां कुशलगढ़ से आदमी चलकर आयेगा और जयपुर आकर ट्रिब्यूनल में पेश करेगा, कुशलगढ़ के आदमी को

(श्री शांतिलाल चपलोत)

जोधपुर जाने में भी चांद नजर आ जाता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप 1976. के एक्ट को बदल नहीं सकते तो कम से कम यह तो सुविधाएं मुहैय्या करा सकते हैं कि 1976 से एक्ट के तहत डिविजनल हैडक्वाटर्स पर इसकी सुनवाई होगी जिससे कर्मचारियों की और जो वहां के लोग फेस कर रहे हैं उनको ज्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। वहां से जो भी आदमी चलकर आता है, हाई कोर्ट के बराबर उसको यहां फीस वकीलों को अदा करनी पड़ती है जबकि उसको फुट-स्टेप्स पर, थोड़ा सा ही जाय, एक घंटे की ही यात्रा करे और उसको सस्ता न्याय अपने स्थानों पर मिल सकता है। क्यों नहीं आज जब सारी स्थितियां बदल गई हैं तो ट्रिब्यूनल की बैंच क्यों नहीं डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर की जा सकती है। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है, इस बारे में सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह इमरजेन्सी में लोग विपक्ष में थे वह सब बन्द थे और उसमें किसी की बात सुनी नहीं गई थी और यह एक्ट पास किया गया था, इस पर वापिस रिव्यू करने की आवश्यकता है। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा...

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो चांस उनको दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधन) विधेयक, 2005 का जो मकसद था वह 1998 में एक सिंगल जज का फैसला था और उस फैसले में यह कहा था कि एकपक्षीय या अभिलेखों की त्रुटि का अस्पष्टता के आधार पर रिव्यू हो सकता है। एरर आफ क्लेरिकल टाइप, एनी टाइपिंग एरर, कोई मिस्टेक, अपरेन्ट दन द जजमेन्ट उस आधार पर रिव्यू करने की पावर एकल पीठ ने दी थी, उसको पूर्ण पीठ ने 2001 में खतम कर दिया। अब इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी त्रुटि को जज तो ठीक कर सकता है, उसकी पावर तक तो ठीक है, इसके स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टस में भी यह लिखा हुआ है-

"It is desirable that the Tribunal should be empowered to review its own decisions or orders and to rectify patent errors, so that an aggrieved party may not be left to take recourse to writ petitions only to get such errors rectified." एरर को रेक्टिफाई करने की पावर की मंशा सिंगल पीठ की थी, उसको पूर्ण पीठ ने खतम कर दिया और हमारी भी यही मंशा है लेकिन जो संशोधन आया है वह है, इसके प्रोवीजो 5 में है-

" Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence.." यानि इस एरर को ठीक करने के चक्कर में अधिकारियों ने "....discovery of new and important fact or evidence..." उसको भी इन्क्लूड करके उसके पावर भी हम देने जा रहे हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। इम्पोर्टेन्ट फैक्टस, तो फिर जज को अपने ही डिसीजन्स को रिव्यू करने की इतनी बडी पावर हो जायेगी कि वह हर बार जजमेन्ट देगा हां, और फिर दोबारा कह देगा अच्छा ठीक है, ओके, क्या दिक्कत है मेरे पास लाओ, ठीक कर देता हूं। नये फैक्टंस और नया एवीडेन्स, उसके आधार पर तो अपने डिसीजन्स को रिव्यू करने की कोई पावर किसी भी जज को कहीं भी नहीं है और न ही होनी चाहिए। यह न्यायिक प्रक्रिया के हित में नहीं है। एरर आफ जजमेन्ट, कोई अपेरेन्ट एरर हो, कोई क्लेरिकल एरर हो और कोई बात हो, उसको ठीक करने की, रिव्यू करने की पावर हो तो उसको दी जा सकती है। यह आप जरा इसमें देख लें और अगर इसको ठीक समझते हैं तो इसमें संशोधन कर लें। बाकी मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल का होने के नाते वापस लेता हूं। धन्यवाद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। श्री कालीचरण सर्राफ। श्री रामकिशोर मीणा। अब प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, टोंडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य और किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामर्मो के लिए अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर अपना संशय जाहिर किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस बिल में स्पष्ट प्रावधान है और यह ट्रिब्यूनल जिसमें उच्चतर प्रशासनिक सेवा के उच्चतम वेतन प्राप्त अधिकारी, उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी और एक राज्य सरकार से मनोनीत वर्तमान सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त अधिकारी, तीन लोग इसमें सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष, उच्चतर प्रशासनिक सेवा के उच्चतम वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी इसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है। इसमें 1976 के अधिनियम की धारा-34 की धारा-6 की विद्यमान उपधारा 4 के बाद पांच जोड़ी गई है। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि परन्तु अधिकरण अपने स्वयं के विनिश्चय या आदेश का तब तक पुनर्विलोकन नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे नये और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता चला है जो सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात उस समय, जब ऐसा विनिश्चय या आदेश किया गया था, ऐसे पक्षकार की जानकारी में नहीं था, उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका था या ऐसी कोई भूल या गलती रह गई थी जो अभिलेखों के देखने से ही प्रकट होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अधिकरण को पुनर्विलोकन करने का एक आदेश पारित जारी किया। उस आदेश के अनुरूप इस ट्रिब्यूनल को यह रिट पिटीशन वापिस करी लेकिन उसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय की... खण्डपीठ ने डबल बैंच ने यह आदेश

(श्री ओम बिरला)

दिया कि ट्रिब्यूनल अपने आदेशों को पुनः रिव्यू नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने यह भी आदेश दिया कि विधायिका द्वारा ही संशोधन होने के बाद ही इसको ट्रिब्यूनल रिव्यू कर सकता है। अलग-अलग सदस्यों की जो मंशा नजर आयी उसमें सरकार की कतई यह मंशा नहीं है कि हम किसी कर्मचारी के पुराने केसेज को खोल कर उनका पुनरावलोकन करेंगे। इसमें स्पष्ट प्रावधान दिया है कि 30 दिन की अवधि के अन्दर ही वह व्यक्ति अगर अपील करता है तो ही उसको पुनरावलोकन का सुना जाएगा लेकिन फिर भी ऐसे कोई तथ्य नजर आते हैं जिसके माध्यम से ट्रिब्यूनल उचित समझता है तो ही रिट पिटीशन सुनी जाएगी। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से ठीक से वाकिफ हूं और सरकार का स्पष्ट रूप से मत है कि हम राज्य सरकार के कर्मचारी जो छोटी-छोटी त्रुटि के कारण जिनको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती है उन लोगों को इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से न्याय मिल सके और माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इससे वित्तीय भार पड़ेगा, किसी को इन्क्रीमेन्ट का पैसा देना पड़ेगा, किसी को अन्य सर्विस का पैसा देना पड़ेगा। मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि ये तो ट्रिब्यूनल में पहले भी कोई अगर अपील करता था और उसको इन्क्रीमेन्ट दिया जाता था तो वित्तीय भार पड़ता था, इस संशोधन के माध्यम से कोई नया वित्तीय भार सरकार पर नहीं होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार का स्पष्ट रूप से मत है कि उच्च न्यायालय के अन्दर दबाव को देखते हुए राज्य कर्मचारियों को यहां न्याय मिल सके और छोटी-मोटी त्रुटियों को जिसको ट्रिब्यूनल यह समझता है कि इसको यहां पर ही ठीक करना उचित रहेगा उसको यहां पर भी पुनरावलोकन करने का यह संशोधन विधेयक हम लाये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : Sorry to interrupt you but कितनी रिटों के फैसले आपके ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट ने दिये वो संख्या भी बता दें तो ठीक रहेगा। थोड़ा आइडिया बन जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : वो अभी फिगर्स थोड़े ही लाये हैं।

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया था और माननीय नाथद्वारा से आने वाले ने भी उठाया था। 2001 में 3329 अपीलें प्राप्त हुईं, 2002 में 3431 प्राप्त हुई, 2763 2003 में प्राप्त हुई, 2004 में ....।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं-नहीं ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने दिये वो बताइये। आप तो यह बता रहे हो।

श्री ओम बिरला : 2004 में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2750 अपीलें प्राप्त हुई थीं। मैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा अपना संशोधन कर लें चार हजार अपीलें आन रिकार्ड ट्रिब्यूनल में दायर नहीं की गयीं। 2750 अपीलें दायर की गईं, जिसमें 2285 अपीलों का निस्तारण कर दिया गया। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जो बता रहे हैं कि कितने हाई कोर्ट के अन्दर अपीलें गयी हैं जो ट्रिब्यूनल के खिलाफ गयी हैं।

डा. सी.पी. जोशी : ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने कितने फैसले दिये ? यह पूछ रहा हूं मैं। ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया, एम्प्लोई हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले में कितने आदमियों को रिवर्स किया वो ही तो संख्या कम करने का मापदण्ड होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने कहा है क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : आपने ओब्जेक्टिव में लिखी हैं ये बातें। यह मैं आपको बता रहा हूं ओब्जेक्टिव में बताया है रिट कम होगी।

श्री उपाध्यक्ष : वो फीगर्स थोड़े ही लाये हैं ये।

श्री ओम बिरला : संख्या कम करने का मापदण्ड हमारा इस मकसद से है कि जरा-जरा सी त्रुटियां, जिसको संशोधन ट्रिब्यूनल ही कर सकता था और जो साक्ष्य के अन्दर स्पष्ट दिखती थी उनके लिए हाई कोर्ट में न जाए इसलिए हम यह संशोधन लाये हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय, मैं यही कह रहा था आपने यह जो प्रोविजो-5 दिया है इसमें न्यू इम्पोर्टेन्ट फैक्ट और एवीडेंस तो, उनके आधार पर तो आप जा सकते हो न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बैठो-बैठो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य बोल रहे है और चीफ व्हिप उनको रोक रहे हैं यह संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है। यह आवाज को दबाने का बिलकुल स्पष्ट उदाहरण है इसलिए आप माननीय सदस्य को प्रोटेक्ट करें।

श्री जुबेर खान : मुख्य सचेतक महोदय, यह काम सदन के बाहर किया करो किसको कब रोकना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं किसी को रोकता नहीं हूं। हमने तो व्हिप जारी किया हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : व्हिप वोट के लिए है बोलने के लिए नहीं है। व्हिप वोट के लिए है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, तो बोलने के लिए कौन रोक रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं बोलने के लिए आपने कहा कि आप बैठिये, आप बैठिये बार-बार। यह हम नहीं होने देंगे सदन में ऐसे चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीच में टोका-टाकी करें तो मैं तो आपको भी कहता हूं बीच में टोका-टाकी कोई भी माननीय सदस्य करे, आप जवाब देने दीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं यहां बोलने के लिए उनको मना नहीं कर सकते। आप वोट के लिए उनको कम्पेल कर सकते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने देखा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी को रोका है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, मैंने देखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोका-टाकी करेंगे तो रोकेंगे हम।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप उन्हें बोलने से कैसे रोक सकते हो ? आप रूकिये मत माननीय सदस्य, अन्तर आत्मा की आवाज से बोलिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : आप कई बार माननीय सदस्यों को हड़काते हो, मुख्य सचेतकजी हड़काया मत करो प्रेम से बोला करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट में लिखा हुआ है-

"...The proposed measure will also reduce considerably the number of writ petitions in service matters." तो मैं खाली यह पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, यह बतायें कि ट्रिब्यूनल के फैसले...।

श्री उपाध्यक्ष : वो तो भविष्य बतायेगा।

डा. सी.पी. जोशी : अभी 1976 से चल रहा है माननीन उपाध्यक्ष महोदय, 1976 से ट्रिब्यूनल फैसले दे रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य 1976 में ट्रिब्यूनल जरूर बनाया था पर रिव्यू का पावर तो अब तक ट्रिब्यूनल के पास था नहीं पहली बार दे रहे हैं। अब उसके बाद पता लगेगा।

डा. सी.पी. जोशी : आप सुनिये रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूं। सुनिये आप रिव्यू की बात कौन कर रहा है। मैं तो खाली सिम्पल पूछ रहा हूं जितने ट्रिब्यूनल ने फैसले दिये उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गये उसको रोकने के लिए आप यह बिल ला रहे हैं तो मैं यह संख्या पूछ रहा हूं। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सर्विस कंडीशन के कितने केस हाई कोर्ट में गये ? उस रिट का नम्बर पूछ रहा हूं। रिव्यू की बात कौन कर रहा है ? Why are you protecting wrong things ?

(डा. सी.पी. जोशी)

आप इसमें लिख रहे हैं कि "...The proposed measure will also reduce considerably the number of writ petitions..." तो आप बताइये आपके इस मेजर से रिट पिटीशन कम होंगी इसलिए आप ला रहे हैं। यह तो बताना पड़ेगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आप कनक्लूड कीजिये अब।

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि नम्बर आफ, कितनी संख्या इस ट्रिब्यूनल के केस के खिलाफ हाई कोर्ट में गये हैं।

श्री जुबेर खान : फैसला दिया है। कितने के खिलाफ रिवर्स किये गये है। फैसले।

श्री ओम बिरला : कितने नम्बर आफ संख्या हाई कोर्ट में कितनी संख्या में लोगों को, इस ट्रिब्यूनल के फैसले का रिवर्ट किया इसकी जानकारी मिल नहीं सकती क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वादी अपना वाद प्रस्तुत करता है हाई कोर्ट में और व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में जब प्रस्तुत करता है....।

डा. सी.पी. जोशी : वो तो मैं भी जानता हूं मंत्रीजी मैं माफी चाहता हूं ट्रिब्यूनल के केस में जब रिट होती है तो अपना आदमी भी लड़ने के लिए जाता है। ट्रिब्यूनल का कोई वकील ही नहीं होता आपके पास सूचना ही नहीं है आप अजीब बात कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जब कोई आदमी हाई कोर्ट में जाता है तो ट्रिब्यूनल भी अपना आदमी वहां खड़ा करती है।

एक माननीय सदस्य : महकमे की तरफ से जवाब जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न पूछ लेना।

डा. सी.पी. जोशी : वो तो मेरे मित्र हैं आपको पास कर लेने में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन आप थोड़ा अपने-आपको अपडेट करिये। हल्ला करने से नहीं होता है अपडेट करिये। आपको यह तैयारी करके आना चाहिए कि नम्बर

(डा. सी.पी. जोशी)

आफ रिट्स के सम्बन्ध में भी हम जानकारी लेकर आयें। आप कह रहे हैं जानकारी नहीं है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हमारा वकील खड़ा होता है हाई कोर्ट में संख्या हमारे पास होनी चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : जानकारी तो है लेकिन आपको ये अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जानकारी तो है, सब जानकारी है आपको नहीं करा रहे हैं या कुछ इधर-उधर का गड़बड़-शड़बड़ होगा तो।

डा. सी.पी. जोशी : चलो मान लिया। आप तो बोलें।

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने की राय दी है उसको खारिज करते हुये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जाने की जल्दी में हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा...

श्री हरिमोहन शर्मा : हित भी इसी में है कि जल्दी जायें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकर किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 22 फरवरी, 2005 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.53 बजे मंगलवार दिनांक 22 फरवरी, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

करौली जिले के निजी धार्मिक ट्रस्टों द्वारा संचालित संस्थाएं

98. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली स्थित कैलादेवी एवं मदन मोहनजी मंदिर की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो यह व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिरों का संचालन निजी ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके पंजीयन तथा संचालन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इन ट्रस्टों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य जनहितकारी संस्थाओं तथा इनकी संचालन प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन मंदिरों का संचालन स्वयं द्वारा कराये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) सरकार द्वारा इन ट्रस्टों को कब-कब कितनी भूमि किस-किस दर पर आबंटित की गई तथा उसका वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंदिर श्री कैलादेवीजी एवं मदन मोहनजी, करौली की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड ट्रस्ट श्री मदन मोहनजी एवं कैलादेवी ट्रस्ट, करौली द्वारा की जाती है।

(2) जी नहीं। उक्त मंदिरों का संचालन निजी ट्रस्ट द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

(देवस्थान मंत्री)

(3) श्री मदन मोहनजी एवं कैलादेवीजी पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाएं निम्नानुसार हैं :-

1. चिकित्सालय, कैलादेवी
2. प्राथमिक उपचार केन्द्र गदका की चौकी पर
3. प्राथमिक चिकित्सालय केन्द्रीय कार्यालय, करौली
4. संस्कृत विद्यालय, कैलादेवी
5. गरीब बच्चों के लिये प्राथमिक विद्यालय, कैलादेवी
6. बाल विद्यालय, करौली

ये संस्थाएं ट्रस्ट विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालित हैं।

(4) उक्त ट्रस्ट के विरुद्ध वर्तमान में कोई गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत लम्बित नहीं होने के कारण सरकार द्वारा इन मंदिरों का स्वयं संचालित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) राज्य सरकार द्वारा इन ट्रस्टों को कभी भी कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

एस्कार्ट अस्पताल को रियायती दर पर भू-आबंटन

99. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा व्यावसायिक अस्पताल (एस्कार्ट) को रियायती दर पर जमीन देने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो इसे अब तक कुल कितनी जमीन किस-किस दर से देने का निर्णय लिया गया ?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि इस व्यावसायिक अस्पताल को रियायती दर पर भूमि देने से सरकार को राजस्व की हानि हुई ? यदि हां,. तो कितनी ?

(3) क्या सरकार इस प्रकरण में किसी अधिकारी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा एस्कार्ट अस्पताल को जनोपयोगी मानते हुये विनियोजन के आधार पर 6.68 एकड़ भूमि आवासीय आरक्षित दर 6000/- रु. प्रति वर्ग मीटर के 60 प्रतिशत यानि 3600/- रु. प्रति वर्ग मीटर की दर पर आबंटित किये जाने तथा कम्पनी को वाणिज्यिक आधार पर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व में दिनांक 24-11-1999 को एस्कार्ट अस्पताल को 3 एकड़ भूमि 82.00 लाख रु. प्रति एकड़ एवं 3.68 एकड़ भूमि 1/- रु. के टोकन मनी पर किया गया था।

(2) जी नहीं। संस्था को जन उपयोगी मानते हुए विनियोजन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर भूमि आबंटन किया गया। जिसे राजस्व हानि से जोड़ा जाना उचित नहीं है।

(3) जी नहीं।

नोहर की मिसिंग लिंक सड़कें

100. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नोहर (हनुमानगढ़) क्षेत्र की आर-पार की सड़कों के मिसिंग लिंक्स को जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य के वर्तमान उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं के तहत इस प्रकार की मिसिंग लिंक्स को बनाना प्रस्तावित नहीं है।

चित्तौड़गढ़ जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

101. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में पिछले 5 वर्षों में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कहां-कहां खोले गये ? तहसीलवार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार तहसील मुख्यालय छोटी सादड़ी में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों (1999-2000 से 2004-05) में चित्तौड़गढ़ जिले में कोई नवीन आयुर्वेद औषधालय प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) राज्यादेश क्रमांक प.25(63)आयु./94 दिनांक 8-9-1998 द्वारा नवीन औषधालय खोलने के मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं, जिनकी प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट-"क" में रख दी गई है।

(3) जी नहीं। इस वर्ष के जो नये औषधालय खोले गये उस सूची में छोटी सादड़ी सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-"क"

आयुर्वेद विभागान्तर्गत नवीन औषधालय खोलने हेतु स्वीकृत मानदण्ड

प्रतिलिपि : पत्र क्रमांक प.25(63)आयु./94/पार्ट दिनांक 8-9-1998 द्वारा उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर

वास्ते - निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.25(63)आयु./94 दिनांक 26-9-1994 अतिक्रमण में राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति के नवीन औषधालय प्रारम्भ करने के लिए निम्न मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :-

1. यथा सम्भव भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।
3. नवीन औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या 2000 होना।
4. बजट प्रावधान उपलब्ध होना।

भविष्य में राज्य सरकार को नवीन औषधालय प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित करते समय उक्त मानदण्डों को दृष्टिगत रखा जावे।

आज्ञा से,

लक्ष्मी बैरवा
शासन उप सचिव

विशेष श्रेणी योजनान्तर्गत कृषि कनेक्शन

104. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डैगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार किसानों को कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु विशेष श्रेणी योजना पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले कनेक्शन की सामग्री किसान बाजार से खरीद सकेंगे ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने पर भूमिधारी के नाम कनेक्शन स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि कनेक्शन नीति, 2004 (संशोधित 18-9-2004) में इसका प्रावधान किया गया है। जो दिनांक 18-9-2004 से लागू है।

(2) जी नहीं। क्योंकि कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री का सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप होने की क्रय पूर्व जांच किसान के स्तर पर सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। भूमिधारी जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में खातेदार के रूप में अंकित है के नाम से कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने का प्रावधान कृषि नीति, 2004 में निहित है।

अजमेर शहर के विकास कार्यों में गतिशीलता

105. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अजमेर में एशियन विकास बैंक के ऋण से कौन-कौन से विकास कार्य कराये जा रहे हैं और उनकी क्या प्रगति है ?

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों की गति धीमी है तथा इससे पूरा शहर अस्त-व्यस्त हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसे गति देने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आनासागर में लगने वाला फिल्टर प्लान्ट भी योजना में है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि तोपदड़ा पर कोई ओवर ब्रिज प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक के ऋण के सहयोग से अजमेर में करवाये जा रहे विकास कार्यों एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-"क" पर है।

(2) यह सही है कि अजमेर में इस परियोजना के तहत चल रहे कुछ कार्यों की गति धीमी है, पर इन कार्यों की वजह से शहर के अस्त-व्यस्त होने की बात सही नहीं है। कार्यों को गति देने के लिये आरयूआईडीपी द्वारा ठेकेदारों से नियमित बैठकें कर कार्य निष्पादन में आने वाली कठिनाइयों के निदान के प्रयास किये जाते हैं। इसी प्रकार अन्तर्विभागीय मुद्दों पर सभी विभागों से बैठकें कर एवं जिला प्रशासन स्तर पर बैठकें कर कार्य की प्रगति बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। आनासागर पर फिल्टर प्लान्ट योजना में स्वीकृत नहीं है।

(4) जी हां। तोपदड़ा रेलवे पुल का निर्माण कार्य फिजीबल नहीं हो पाने के कारण नहीं करवाया जा सका है।

परिशिष्ट-"क"

आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत अजमेर शहर में चल रहे कार्यों की सूची

क्र. सं.	पैकेज संख्या	कार्य का विवरण	कार्य की प्रगति
1.	AJM/BR/03	सी.आर.पी.एफ. रेलवे क्रोसिंग पर पुल बनाने का कार्य।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	AJM/DR/01	समुचित जल निकासी हेतु काजी का नाला, महावीर कालोनी का नाला एवं वैशाली नगर डाइवर्सन चैनल एवं छोटे नालों का निर्माण कार्य (लगभग 4.8 कि.मी. लम्बाई में)	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3.	AJM/DR/02	शहर में विभिन्न स्थानों पर जल निकासी बाण्डी नदी, आनासागर एस्केप चैनल एवं अन्य छोटे नालों का निर्माण कार्य एवं कचरा प्रबन्धन हेतु लैण्ड फिल साइट का विकास कार्य।	कार्य पूर्ण हो चुका है।

1	2	3	4
4.	AJM/MS/01	सैटेलाइट अस्पताल बनाने का कार्य।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5.	AJM/SI/01	शहर की 24 कच्ची बस्तियों के विकास हेतु जल वितरण पाइप लाइन डालने का कार्य एवं सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	शहर की 24 कच्ची बस्तियों में से 17 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 7 में कार्य प्रगति पर है।
6.	AJM/ST/02	रामगंज से ट्रांसपोर्ट नगर तक 5.9 कि.मी. लम्बाई में ब्यावर रोड को चौडा करने (2 एवं 4 लेन) एवं सुद्धढ़ीकरण करने का कार्य तथा मार्टिण्डल पुल पर अप्रोच रेम्प का निर्माण कार्य।	ब्यावर रोड़ का चारलेनीकरण पूर्ण हो चुका है एवं मार्टिण्डल ब्रिज की ब्यावर भुजा का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7.	AJM/ST/03	बस स्टैण्ड से विश्वविद्यालय चौराहे तक लगभग 5 कि.मी. जयपुर रोड को चौडा करने (4 लेन) का कार्य।	कार्य पूर्ण हो चुका है।
8.	AJM/WS/02	एस.आर. संख्या सात से अलवर गेट तक जल वितरण हेतु 100 एम.एम. का पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	लगभग 50 प्रतिशत पाइप लाइन डाली जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
9.	AJM/WS/03	शहर के माखूपुरा, फायसागर, वैशाली नगर, रातीडांग, चौरसियावास, अन्तेण, तोपदड़ा, शक्ति नगर एवं कल्याणीपुरा क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था हेतु लगभग 103 कि.मी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	103 कि.मी. में से लाइन डाली जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।
10.	AJM/WS/04	माखूपुरा, फायसागर, वैशाली नगर, रातीडांग, चौरसियावास, आंतेड़, तोपदड़ा, शक्ति नगर एवं कल्याणपुरी क्षेत्र में कुल 10 स्वच्छ जलाशयों एवं उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य।	लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।
11.	AJM/WW/04	आनासागर क्षेत्र में मुख्य एवं ब्रांच सीवर लाइनों को बिछाने का कार्य।	निविदाऐं तकनीकी कारणों से पुन: आमंत्रित की जा रही है।
12.	AJM/WW/04	शास्त्री नगर एवं पुलिस लाइन क्षेत्र में मुख्य एवं ब्रांच सीवर लाइनों को बिछाने का कार्य।	356 कि.मी. में से 111.43 कि.मी. सीवर लाइन डाली जा चुकी है। शेष में कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
13	AJM/WW/05	तोपदड़ा, कुन्दन नगर, गुलाब बाड़ी एवं मेयो कालेज क्षेत्र में मुख्य एवं ब्रांच सीवर लाइनों को बिछाने का कार्य।	
14.	AJM/WW/06	केसरगंज, पहाडगंज, भगवानगंज, शान्ति नगर ब्यावर रोड, सुभाष नगर एवं रामगंज क्षेत्रों को आउट फाल सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सीवर लाइन डालने का कार्य	
15.	AJM/WW/08	जोन्सगंज, आदर्श नगर, गढ़ी मालिन एवं सुभाष नगर क्षेत्रों को आउट फाल सीवर से जोड़ने हेतु सीवर लाइन डालने का कार्य।	
16.	AJM/FR/01	शहर के लौंगिया दिल्ली गेट एवं सैदरियां गांव के निकट अग्निशमन केन्द्र के निर्माण का कार्य	कार्य पूर्ण हो चुका है।

1	2	3	4
17.	AJM/W5/01	शहर में घूघरा घाटी, गुलाब बाड़ी एवं कल्याण पुरी क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था हेतु लगभग 33.7 कि.मी. पानी की पाइप लाइन बिछाने एवं घूघरा घाटी में 3 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय, 7.25 लाख लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय एवं पम्प हाउस के निर्माण का कार्य	कार्य पूर्ण हो चुका है।

संगरिया में नवीन चिकित्सालय

106. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र खोले गये ?

(2) उक्त में से कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र विधान सभा क्षेत्र संगरिया में खोले गये ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में मरू क्षेत्र होने के कारण जिला हनुमानगढ़ में 27 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये। गंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2004-05 में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कोटपूतली नगरपालिका में गंदे पानी की निकासी हेतु योजना

108. **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र कोटपूतली में शौचालयों, नालियों आदि के गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हा, तो क्या सरकार इस गन्दे पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्थित योजना यथा सीवर लाइन आदि का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

नगरपालिका क्षेत्र कोटपूतली में शौचालयों, नालियों आदि के गन्दे पानी की निकासी हेतु छोटी नालियां पूर्व से उपलब्ध हैं तथा इन छोटी नालियों के गन्दे पानी को पालिका क्षेत्र से बाहर निकालने के लिये पालिका द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से बड़े नालों का निर्माण कराया गया है, लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

नगरपालिका क्षेत्र में इस गन्दे पानी की निकासी के लिये पालिका द्वारा 3 बडे नाले जिनकी लम्बाई 1020 मीटर है, का निर्माण प्रस्तावित है। इनकी तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर, कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्दे पानी के स्थाई समाधान हेतु सीवर लाइन का प्रस्ताव नगरपालिका द्वारा दिनांक 7-4-1999 को लिया गया है। इस हेतु संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सीवर लाइन का कार्य करवाया जावेगा।

तारानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

109. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ?

(2) इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 2004 में कितने प्रसव करवाये गये तथा कितनी महिलाओं की प्रसव दौरान मृत्यु हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों से कितनी महिलाओं को प्रसव के दौरान रैफरल अस्पताल चूरू में भेजा गया ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारानगर संचालित है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारानगर में वर्ष 2004 में 82 प्रसव करवाये गये। जिनमें से किसी भी महिला की मृत्यु प्रसव के दौरान नहीं हुई।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तारानगर से वर्ष 2004 में 2 महिलाओं को प्रसव के दौरान रैफरल अस्पताल चूरू रैफर किया गया। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती सुनिता पत्नी श्री रोहिताश्व कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी ढाणी बड़ी को प्रसव के दौरान कान्ट्रेक्टेड पेलविस होने के कारण।

2. श्रीमती ओमपती पत्नी श्री महेन्द्र सेनी उम्र 22 वर्ष वार्ड नं. 4 तारानगर को प्रसव के दौरान कान्ट्रेक्टेड पेलविस होने के कारण।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में नाकाबिल काश्त भूमि पर काबिज कृषकों का भू-नियमन

110. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आने वाले उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं सिरोही जिले के जनजाति कृषक जो पहाड़ी, पठारी, अनुपयोगी बंजर भूमि पर कृषि पैदावार ले रहे हैं, को भूमिहीन काश्तकार होने के कारण उसकी कब्जा शुदा भूमि को इनके नाम आबंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर की तहसील सीमलवाड़ा एवं आसपुर में एक-एक कृषक को तथा जिला बांसवाड़ा में 2525 कब्जाधारियों में से 173 कृषकों को कब्जा भूमि का नियमन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बकाया जिलों के आदिवासी कृषकों को विशेष राजस्व अभियान चलाकर भू-आबंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16-10-2007 द्वारा दिनांक 15-7-1994 तक भूमिहीन कृषकों द्वारा राजकीय सिवाय चक एवं गैर मुमकिन भूमियों पर किये गये अतिक्रमणों में पात्र व्यक्तियों को नियमन का प्रावधान है।

(2) जी हां। तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर में 8 कृषकों का कब्जा नियमन किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजस्व अभियान आयोजित कर पात्र भूमिहीन कृषकों को भूमि का आबंटन नियमन किया जाता है। वर्तमान में उक्त अभियान दिनांक 27-11-2004 से 28-12-2004 तक चलाया गया था, जिसे आचार संहिता एवं विधान सभा सत्र होने के कारण स्थगित कर दिया गया। शेष रहे कैम्पों का आयोजन विधान सभा सत्र के बाद आयोजित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेवानिवृत्त अनुदानित विद्यालयकर्मी का संशोधित पेंशन प्रकरण

138. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जी.पी.एफ. विभाग ने वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(38)वित्त/ग्रुप-2 दिनांक 30 नवम्बर, 1978 की पालना में पी.पी.ओ. संख्या 125208 (आर.) के पेंशनर से सी.पी.एफ. की राशि मय ब्याज के जमा करके उक्त आधार पर प्रार्थी की दिनांक 24-7-1961 से 5-10-1966 तक की अनुदानित विद्यालय की सेवाओं को पेंशन योग्य सेवा में पेंशन लाभ के लिये मान्य कर लिया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पेंशन के लिये जी.पी.एफ. विभाग ने पेंशन विभाग को दिनांक 17-1-2001 को उक्त की पेंशन संशोधित करने के लिए कोई पत्र भिजवाया है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जी.पी.एफ. विभाग ही अब तक अनुदानित विद्यालय की सेवाओं को मान्य करने के लिये अधिकृत है ? क्या उक्त आधार पर पी.पी.ओ. संख्या 130704 (आर.) व 57430 (आर.) की पेंशन निदेशालय, पेंशन विभाग द्वारा संशोधित की जा चुकी है ? यदि हां, तो पी.पी.ओ. संख्या 125208 (आर.) की पेंशन संशोधित नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर (द्वितीय) ने अपनी टिप्पणी के साथ उपरोक्त पेंशन संशोधन के लाभों के लिये पेंशन विभाग को अपना संस्तुति पत्र दिनांक 17-7-2002 को ही भिजवा दिया था ? क्या उक्त तिथि से पूर्व में भी उक्त प्रकरण कई बार तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाया गया ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण के निस्तारण में देरी के कारणों की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अब उक्त पेंशनर का संशोधित पी.पी.ओ. शीघ्र जारी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो संशोधित पी.पी.ओ. कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रति संलग्न है।

(3) अधिगृहीत अनुदानित विद्यालयों के कर्मचारियों के समबन्ध में अंशदायी प्रावधायी निधि के नियोक्ता अंशदान मय ब्याज के संचित निधि में जमा कराने की पुष्टि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा की जाती है तथा इस आधार पर कर्मचारी की सम्बन्धित सेवा अवधि पेंशन योग्य माने जाने का नियमों में प्रावधान है।

जी हां। पीपीओ संख्या 130704 (आर) व 57430 (आर) का पेंशन संशोधन पूर्व में किया जा चुका है।

पीपीओ संख्या 125208 (आर) का भी पेंशन संशोधन दिनांक 9-2-2005 को किया जा चुका है।

(4) जी हां। प्रकरण में कुछ कमियां थीं अतः आक्षेपों की पूर्ति हेतु विभाग को लौटाया गया।

(5) प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। निस्तारण में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब हुआ है जिसके लिए कोई दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है।

(6) संशोधित अधिकृतियां जारी की जा चुकी है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक : प.1(42)पीएफ/संकलन/2063 दिनांक : 17-1-2001

संयुक्त निदेशक,

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,

जयपुर।

विषय : श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा दिनांक 24-7-1961 से दिनांक 5-10-1966 तक की गई प्राइवेट सेवा अवधि को पेंशन योग्य मानने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मामले में लेख है कि श्री पन्नालाल चितलांगिया उ.मा. विद्यालय, सीकर प्राइवेट शिक्षण संस्था थी। इस संस्था को राज्यादेश संख्या द्वारा राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है श्री रामस्वरूप शर्मा उक्त संस्था में अध्यापक के पद पर दिनांक 24-7-1961 से 5-10-1966 तक कार्यरत रहे है। इसके पश्चात् इन्हें निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राज., बीकानेर के आदेश संख्या शिविरा/संस्था/बी/5/10909/अर्थ/67-68 दिनांक 26-10-1967 द्वारा दिनांक 6-10-1966 से राज्य सेवा में ले लिया गया है।

राज्यादेश संख्या एफ.1(38)एफ.डी./ग्रुप-2/78 दिनांक 30-11-1978 में किये प्रावधानों के अनुसार श्री रामस्वरूप शर्मा के उक्त संस्था के अंशदान की राशि तथा इस पर 5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कुल राशि रु. 3087.00 (अक्षरे रु. तीन हजार सत्यासी मात्र) को 0071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिये अंशदान और वसूलियां, 01-सिविल, 101-अभिदान एवं अंशदान (1) पेंशन और उपदान के लिये अंशदान के बजट मद में जमा करा दिया है।

अतः श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा दिनांक 24-7-1961 से 5-10-1966 तक की प्राइवेट सेवा अवधि को पेन्शन के लाभ के लिये मान्य किया जाता है।

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक

अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के रिक्त पद

139. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के स्वीकृत सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो मार्च, 2005 तक रिक्त होने वाले पदों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माह सितम्बर, 1995 के पश्चात् अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी आशुलिपिकों के पद पर नियुक्तियां किये जाने हेतु कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त आशुलिपिकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अधीनस्थ विभागों में हिन्दी आशुलिपिकों के रिक्त पदों की कुल वर्षवार संख्या 274 है। विभागवार सूचना की सूची परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययता के कारण पदों के भरने में रोक लगी होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी।

(3) राज्य सरकार के कार्मिक एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने पर ही रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजा जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-क

हिन्दी आशुलिपिकों के रिक्त पदों की सूचना दिनांक 31-3-2005 तक वर्षवार

क्र. सं.	विभाग का नाम	सामान्य		अनु. जाति		अ.ज.जा.		अ.पि.जा.		कुल योग	
		पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	निदेशक, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1
2.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।	-	-	1	-	1	-	2	-	4	-
3.	उपायुक्त, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4.	सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5.	जिला कलक्टर, बाड़मेर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.	जिला कलक्टर, नागौर	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
7.	जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	प्रधानाचार्य, एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियन्त्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	3	1	-	-	-	-	1	-	4	1
9.	प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, डा. सम्पूर्णानन्द, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय, जोधपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10.	निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान. जयपुर (परिषद, उदयपुर)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		13	2	4	-	1	-	4	-	22	2
11.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
12.	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3
13.	जिला कलक्टर, जैसलमेर	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
14.	निदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16.	निदेशक, मूल्यांकन संगठन विभाग, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17.	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
18.	जिला कलक्टर, उदयपुर	4	1	1	-	-	-	1	-	6	1
19.	जिला कलक्टर, झालावाड़	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20.	जिला कलक्टर, जोधपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21.	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर	3	-	1	-	1	-	1	-	6	-
22.	जिला कलक्टर, अलवर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23.	जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24.	सम्भागीय आयुक्त, अजमेर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		29	6	6	-	4	1	6	-	45	7
25.	जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
26.	सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27.	आयुक्त, भू-प्रबन्ध, जयपुर	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
28.	मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
29.	मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	-	-	5	3	4	2	-	-	9	5
30.	आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
31.	जिला कलक्टर, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32.	सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
33.	सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर (मु.अ., क्षे.वि., इ.गा.न.प., बीकानेर)	1	-	2	-	1	-	1	-	5	-
35.	आयुक्त, आबकारी, उदयपुर	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
36.	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
37.	निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	-	1	2	1	1	1	1	-	4	3
38.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
39.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		36	**8**	**18**	**5**	**13**	**6**	**8**	**-**	**75**	**19**
40.	निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
41.	जिला कलक्टर, बून्दी	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
42.	जिला कलक्टर, राजसमन्द	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
44.	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर	1	-	1	1	1	-	1	-	4	1
45.	निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46.	जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
47.	निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
48.	निदेशक, कृषि निदेशालय, जयपुर (जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण/ उद्यान विभाग)	-	-	4	2	3	1	2	-	9	3
49.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
50.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, सी.आई.डी. (सी.बी.), जयपुर	-	2	9	4	7	3	8	5	24	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
52.	महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
53.	जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		49	11	32	14	24	11	19	6	124	42
54.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान, जयपुर	-	-	4	-	3	-	-	-	7	-
55.	जिला कलक्टर, बारां	2	2	1	-	1	-	-	-	4	2
56.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर	3	-	2	-	1	-	2	-	8	-
57.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	3	2	1	-	2	-	1	1	7	3
58.	जिला कलक्टर, टोंक	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
60.	उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
61.	मुख्य अभियन्ता (ग्रा.), जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर	-	-	6	3	6	2	1	-	13	5
62.	निदेशक, राजकीय वादकरण विभाग, राजस्थान, जयपुर	13	6	3	2	3	1	4	1	23	10
63.	उप शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर	11	-	3	-	3	-	4	-	21	-
	कुल-	84	21	53	19	44	14	31	8	212	62

आरक्षित वर्ग के योग्यतात्मक कर्मियों हेत जोन-आफ-कन्सीडरेशन की समाप्ति

140. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार योग्यतात्मक सेवा रखने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए "जोन आफ कन्सीडरेशन" की शर्त समाप्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार राज्य में भी जोन आफ कन्सीडरेशन की शर्त को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

योग्यतात्मक सेवा रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये जोन आफ कन्सीडरेशन की शर्त समाप्त करने के केन्द्र सरकार के कोई दिशा-निर्देश नहीं है। सरकार राज्य में जोन आफ कन्सीडरेशन समाप्त करने का विचार नहीं रखती है क्योंकि अभी हाल ही में दिनांक 7-4-2003 को एक अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा अनु. जाति/अनु. जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जोन आफ कन्सीडरेशन 5 गुणा के स्थान पर 7 गुणा कर दिया गया है।

जयपुर राजीव नगर, वार्ड नं. 5 में प्रस्तावित सीवर लाइन

141. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजीव नगर, एन.बी.सी. के सामने वार्ड नं. 5 जयपुर में सीवर लाइन डालने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है ? सरकार

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

द्वारा उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालोनी के आस-पास की कालोनी में सीवर लाइन डाल दी गई है ? यदि हां, तो इस कालोनी में सीवर लाइन नहीं डाले जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजीव नगर एन.बी.सी. के सामने वार्ड नं. 5, जयपुर में सीवर लाइन डालने की योजना नगर निगम, जयपुर में विचाराधीन है। इस योजना पर 23.00 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। निविदा प्राप्त होने के पश्चात्, वितीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) इस कालोनी के आस-पास की कुछ कालोनियों में नगर निगम द्वारा सीवर लाइन डाल दी गई है। नगर निगम में सीवर खण्ड की निविदाएं पूर्व में तीन बार आमन्त्रित की गई थी, परन्तु संवेदकों द्वारा नहीं खरीदे जाने के कारण इस कालोनी में सीवर लाइन नहीं डाली जा सकी है।

जोधपुर "बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क" के निर्माण पर व्यय

142. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महामन्दिर थाना, जोधपुर के सामने "बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क" का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इसके निर्माण में कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गई ? भूमि की कीमत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाबू लक्ष्मण सिंह कौन थे ? इनका जोधपुर के लिये क्या योगदान रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महामन्दिर थाना, जोधपुर के सामने "बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क" स्थित भवन में प्रथम मंजिल पर सामुदायिक हाल, स्टोर, टायलेट एवं भूतल पर पैसेज एवं एक स्टोर के निर्माण का कार्य आवासन मण्डल द्वारा आवास विकास लि. के माध्यम से करवाया गया था, जिस पर कुल राशि रुपये 18.495 लाख व्यय की गई। इसी क्रम में नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा निम्नलिखित विकास कार्य उक्त पार्क में करवाये गये :-

1. बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क की चार दीवारी पर लोहे की रेलिंग कार्य-29700/- रु.
2. उक्त पार्क के फव्वारे के चारों तरफ जोधपुर पत्थर की रेलिंग कार्य-216000/- रु.
3. बाबू लक्ष्मण सिंह पुस्तकालय में फर्श की टाइल्स का कार्य-353000/- रु.
4. पार्क में कर्बस्टोन एवं रंग रोगन का कार्य-165000/- रु.
5. पार्क में स्टोर एवं टायलेट ब्लाक निर्माण कार्य - 486000/- रु.
6. पुस्तकालय एवं सभा कक्ष में लोहे का फर्नीचर-374188/- रु.
7. बाबू लक्ष्मण सिंह सभा कक्ष में लकड़ी का फर्नीचर कार्य-488248/- रु.

इस प्रकार कुल व्यय 2030436/- रु. किया गया। इस पार्क की भूमि का क्षेत्रफल 21563.18 वर्गफीट है, जिसकी आवासीय दर से कीमत 64,68,940/- रुपये है।

(2) बाबू लक्ष्मण सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तथा जोधपुर नगर निगम परिषद (वर्तमान नगर निगम) में अध्यक्ष पद पर दिनांक 25-1-1960 से 26-12-1964 व 5-2-1965 से 23-8-1965 तक रहे थे। जोधपुर शहर के चहुंमुखी विकास में उनका योगदान रहा था।

जयपुर शहर की कालोनियों के निजी भवनों पर निर्माणाधीन दूरभाष टावर्स

143. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की नई कालोनियों के निजी भवनों पर दूरभाष टावर्स का निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त टावर्स का निर्माण किन नियमों व अनुबन्धों के तहत किया जा रहा है ? सम्बन्धित नियमों व अनुबन्धों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसी कालोनी के बीचों-बीच निजी भवन पर दूरभाष टावर्स का निर्माण करने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य व उनके भवनों के लिये हानिकारक हो सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्मित टावर्स को हटवाने एवं निर्माणाधीन टावर्स के निर्माण को बन्द करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) वर्तमान में जयपुर शहर में इस प्रकार के कितने टावर्स निर्मित एवं निर्माणाधीन हैं ? क्या यह भी सही है कि विद्याधर नगर के सैक्टर चार में भी इस प्रकार के टावरों का निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको बन्द करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त टावर्स का निर्माण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3(64)यू.डी.एच./3/2000-पार्ट दिनांक 20-7-2002 व दिनांक 17-11-2003 में वर्णित निर्देशों/प्रावधानों के तहत किया जा रहा है, जिनकी प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर की कालोनियों में स्थित भवनों पर दूरभाष टावर्स का निर्माण चूंकि बिन्दु संख्या 1 में वर्णित राज्य सरकार के आदेशों में अंकित

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

प्रावधानों एवं सुरक्षा उपायों को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। इसलिये वहां के निवासियों के स्वास्थ्य एवं भवनों पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं रहती है। अतः इन निर्माणाधीन टावर्स के निर्माण को हटाने अथवा बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

(3) वर्तमान में जयपुर शहर में इस प्रकार के 149 टावर्स निर्मित हैं। विद्याधर नगर के सैक्टर चार में कोई टावर का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि सैक्टर 3 के प्लाट संख्या 34 मदनबाड़ी, नयाखेड़ा में टावर निर्मित है। इस टावर का निर्माण बिन्दु संख्या 1 में अंकित राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20-7-2002 व 17-11-2003 के तहत किया गया है। अतः टावर के निर्माण को बन्द कराने का कोई औचित्य नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCALSELF GOVERNMENT AND URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

No. Pa(01)(11).................. Dated : 20-7-2002

SUB : CELLULAR PHONES INSTALLATION IN THE STATE-PERMISSION FOR INSTALLATION OF TEMPORARY EQUIPMENTS ON THE TERRACE OF BUILDINGS.

M/s. Shyam Telelink Ltd., C-30, Raghuprakash Building, Lajpat Marg, C-Scheme, Jaipur has requested for installation of Cellular Mobile Network equipment and for exemption of roof top sbelters and

antenna for telecom operations from the requirement of building permissions and from height restrictions for roof top antenna.

Government after careful consideration in the 6th meeting of BIDI on 6-6-2000 vide its agenda point No. 11, have agreed for the relaxations of Building Bye-Laws/Rules for granting building permits to install cellular mobile network equipments and exclusion of roof top shelters and antenna for telecom operations from the requirement of the building permits in Jaipur Development Authority/Urban Improvement Trusts/Municipal Corporations and Municipalities subject to the following conditions :

1. That they should obtain approval of Air Traffic Controller, Airport Authority of India for exemption of roof top antenna from height restrictions, in case such exemption is required.

2. That they should inform the local authority concerned i.e. Commissioner, JDA, Secretary. UITs, CEO - Municipal Corporations, Commissioner - Municipal Councils etc., along with necessary drawings and consent letter of the building owner before installation.

3. That they are solely responsible for any damage to the building and for public safety.

4. That they should take special precautions for fire safety and lightening etc.

K.L. MINA

SECRETARY, LSG & UDH

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCALSELF AND URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

No. F.3(64)UDH/3/2000 Part **Dated : 17-11-2003**

SUB : CELLULAR PHONES INSTALLATION IN THE STATE-PERMISSION FOR INSTALLATION OF TEMPORARY EQUIPMENTS OVER THE TERRACE OF BUILDINGS.

Government, after careful consideration in the 15th meeting of BIDI on 17-9-2003 have agreed for the relaxation of Building Bye Laws/Rules for granting building permits to install cellular mobile network equipments and exclusion of roof top shelters and antenna for telecom operations from the requirement of the building permits in Jaipur Development Authority/Urban Improvement Trusts/ Municipal Corporations and Municipalities subject to the following conditions :

1. That they should obtain approval of Air Traffic Controller, Airport Authority of India for exemption of roof top antenna from height restrictions, in case such exemption is required.

2. That they should inform the local authority concerned i.e. Commissioner, JDA, Secretary. UITs, CEO - Municipal Corporations, Commissioner - Municipal Councils etc., alongwith necessary drawings and consent letter of the building owner before installation.

3. That they are solely responsible for any damage to the building and for public safety.

4. That they should take special precautions for fire safety and lightening etc.

Ashok Sampatram

SECRETARY, LSG & UDH

गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजनाओं के सुविधा क्षेत्र एवं खाली भू-खण्डों पर अतिक्रमण

144. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की मोतीनगर योजना की द्वितीय स्तर की भवन निर्माण मानचित्र स्तर पर सातवीं बैठक दिनांक 4-4-1983 को सम्पन्न हुई थी ? यदि हां, तो समिति की उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैठक में गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की मोती नगर योजना में कितने भू-खण्डधारियों को उक्त बी.पी.सी. की बैठक में दर्शाया गया ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति का ले आउट प्लान बी.पी. में अनुमोदित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनुमोदित प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) समिति की उक्त योजना में वर्तमान में क्या राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति अथवा माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति या अन्य

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

समितियों द्वारा सुविधा क्षेत्र एवं खाली भू-खण्डों पर अनाधिकृत कब्जे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन मानचित्र समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) उक्त योजना में समिति द्वारा कुल 677 भू-खण्डों को आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां, परन्तु सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक : एफ.3(75)(1)एस-6/जविप्रा/एलसी/83/440 दिनांक 14-10-1988 के द्वारा अपनी तकनीकी राय/अनुमोदन को निरस्त कर अतिरिक्त कलक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण, जयपुर को सूचित किया जा चुका है।

(4) जी हां। इन भूखण्डों पर राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति एवं माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा शिव कालोनी, ग्रीन कालोनी, मोती नगर/पश्चिम आदि के नाम पट्टे जारी किये हुये है व आबंटी मकान बनाकर रहवास कर रहे हैं। उक्तानुसार चूंकि योजना ले-आउट प्लान का निरस्तीकरण दिनांक 14-10-1988 को किया जा चुका है। अत: अब मोती नगर योजना के सुविधा क्षेत्र के स्थान निर्धारण की स्थिति योजना मानचित्र के बिना अनुमोदन के कारण स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त यह योजना ग्राम बीड खातीपुरा के खसरा नं. 222 में स्थित होने के कारण दवें जांच आयोग से भी प्रभावित है। चूंकि उक्त योजना का कानूनी रूप से अनुमोदन नहीं किया है अत: तकनीकि रूप से योजना में सुविधा क्षेत्र के निर्धारण के अभाव में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रति/मानचित्र विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शांतिनगर आवासीय योजना दुर्गापुरा (जयपुर) का नियमन

145. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दुर्गापुरा स्टेशन के सामने स्थित शांतिनगर आवासीय योजना जो लंकापुरी गृह निर्माण समिति द्वारा बसाई गई थी, को बसे लगभग 24-25 वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो इस कालोनी का अब तक नियमन नहीं किए जाने के क्या कारण रहे।

(2) उक्त योजना के प्रत्येक भू-खण्डधारी का प्लाट नम्बर, नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आवासीय कालोनी का गृह मुस्कान योजना के तहत नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि यह कालोनी लगभग 20-25 वर्ष पुरानी बसी हुयी है। योजना में खसरा नं. 363 का वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था जिसका निर्णय डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 119/01 लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर बनाम राजस्थान गौ सेवा संघ, दुर्गापुरा में दिनांक 29-11-2004 को हुआ है। शांति नगर योजना का बजरंग योजना से तथा कृष्णापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की गोपालपुरा योजना से ओवरलेप है एवं शांतिनगर योजना के भूखण्डों पर बजरंग विहार योजना के लगभग 130 डबल पट्टे जारी होना ज्ञात हुआ है। इसलिए इनका नियमन अभी तक नहीं हुआ है।

(2) शांतिनगर योजना के सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्तुत सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) उक्त बिन्दु संख्या 1 में वर्णित ओवरलेप व डबल पट्टों के विवाद के निस्तारण के बाद ही नियमन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रशासन आपके द्वार अभियान में जिला बूंदी के निस्तारित प्रकरण

146. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाये गये "प्रशासन गांवों के संग" एवं वर्तमान सरकार द्वारा "प्रशासन आपके द्वार" चलाये अभियान में किन-किन विभागों की भागीदारी निश्चित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि "प्रशासन आपके द्वार" अभियान में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं विद्युत वितरण निगम को समस्याओं के निराकरण हेतु शामिल नहीं किया गया ?

(3) जिला बूंदी के विभिन्न तहसीलों की किस-किस ग्राम पंचायत में इस अभियान के तहत कितने-कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी सिंचित एवं असिंचित भूमि आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2001 में चलाए गए "प्रशासन गांवों के संग" अभियान में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन व डेयरी विकास विभाग, सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक

(राजस्व मंत्री)

निर्माण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, अल्प बचत विभाग कुल 17 विभागों की भागीदारी निश्चित की गई।

वर्तमान सरकार द्वारा चलाए गए "प्रशासन आपके द्वार" अभियान 2004 में राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग कुल विभाग 8 विभागों को मुख्यतः सम्मिलित किया गया है।

तत्पश्चात् जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान राज्य विद्युत निगम, राजस्थान राज्य पशु परिवहन निगम, सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, सैनिक कल्याण एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविरों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे।

(2) जी नहीं।

(3) सूची संलग्न है।

"प्रशासन आपके द्वार" अभियान 2004 के दौरान

आबंटित भूमि का विवरण

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	आबंटित भूमि का विवरण (हैक्टेयर में)				विशेष विवरण
			सिंचित		असिंचित		
			व्यक्तियों की सं.	रकबा	व्यक्तियों की सं.	रकबा	
1.	बूंदी	लाडपुर	1	1.40	-	-	-
		लक्ष्मीपुरा	32	18.41	-	-	-
2.	के. पाटन	फौलाई	-	-	2	2.00	-
		लेसरदा	2	0.60	-	-	-
		चडी	2	0.41	-	-	-
		चितावा	2	0.30	-	-	-
		बालोद	1	0.02	-	-	-
		मायजा	1	0.64	-	-	-
		चरडाना	1	0.31	-	-	-
		रडी	2	0.26	-	-	-
3.	हिण्डौली	अणदगंज	28	10.99	-	-	-
		बडानयागांव	19	6.61	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		बडगांव	17	10.04	-	-	-
		बडौदिया	7	1.56	-	-	-
		भवानीपुरा	14	5.51	81	41.19	-
		छाबडियों का नयागांव	4	1.85	-	-	-
		रोणिजा	-	-	22	15.19	-
		चेता	66	23.68	-	-	-
		डाटून्दा	-	-	8	2.46	-
		डाबेटा	-	-	76	70.24	-
		धाबाइयों का नया गांव	11	4.51	-	-	-
		धोवडा	9	3.52	-	-	-
		गोठडा	2	0.28	97	55.71	-
		रामचन्द्रजी का खेडा	32	15.21	-	-	-
		रोशन्दा	16	7.68	-	-	-
		अलोद	19	4.79	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		थाना	-	-	58	20.00	-
		काछोला	-	-	12	6.57	-
		खेरकटा	-	-	30	13.70	-
		मेंडी	-	-	61	32.16	-
		बसोली	-	-	13	7.24	-
		पगारा	-	-	27	11.22	-
		दबलाना	3	1.03	6	2.18	-
		उमर	-	-	19	9.28	-
योग			290	119.61	512	289.15	-

जिला कलक्टर, बूंदी

बूंदी नगरपालिका क्षेत्र में राजस्व कर्मियों के आवास हेतु आबंटित भूमि

147. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के आवास हेतु नगरपालिका क्षेत्र बूंदी में राजकीय सिवायचक भूमि

(श्री रामनारायण मीणा)

आरक्षित कर रखी है ? यदि हां, तो किस खसरा नम्बरान में कितनी भूमि ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आरक्षित भूमि पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सीमा ज्ञान करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो अब सीमा ज्ञान कब तक करा दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार कर्मचारियों को उक्त भूमि आवास हेतु आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा संख्या 112 मिन रकबा 50.09 बीघा किस्म जमीन गै.मु. में से 15 बीघा भूमि राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा गठित राजस्व विभागीय समिति को उनके सदस्यों के आवास हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) की गई थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं। भूमि का अभी आबंटन नहीं हुआ है, केवल सैट-अपार्ट की गई है। इसलिये राजस्व विभाग के कार्मिकों का भूमि पर स्वत्वाधिकार नहीं है। भूमि आबंटन के पश्चात् ही नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जा सकेगा।

(3) राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा गठित उक्त समिति द्वारा विधिवत आवेदन करने पर आबंटन हेतु विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय, जिला कलक्टर, बूंदी

संख्या : 36 **दिनांक : 16.12.1994**

आदेश

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आराजी ख.सं. 112 मि. रकबा 50 बीघा 9 बिस्वा में से 15 बीघा भूमि किस्म गै.मु. राजकीय सिवायचक ग्राम देवपुरा तहसील बूंदी - राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा गठित राजस्व विभागीय समिति के लिए आवास निर्माण हेतु एतद् द्वारा आरक्षित (सैट-अपार्ट) की जाती हैं।

जिला कलक्टर, बूंदी

गण्डाला ग्राम (अलवर) में भूमि की पैमाइश हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

148. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार कार्यालय बहरोड़ जिला अलवर में ग्राम गण्डाला से सम्बन्धित पैमाइश/पत्थरगढ़ी के कई प्रार्थना पत्र वर्षों से लम्बित हैं ? यदि हां, तो किस-किस के व क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम से सम्बन्धित उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर व सम्भागीय आयुक्त के आदेशों की पालना नहीं हो रही ? यदि हां, तो क्यों ? जिला कलक्टर अलवर की ओर से उक्त सम्बन्ध में समय

समय पर दिये गये निर्देश व सम्भागीय आयुक्त जयपुर के पत्र क्रमांक 1710 दिनांक 15-9-2004 की अब कब तक पालना कर पत्थरगढ़ी करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) गत पांच वर्ष में सारली बेवा मनीराम से व उसके सम्बन्ध में तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला अलवर को प्रार्थीनी सहित जिला कलक्टर अलवर, सम्भागीय आयुक्त, जयपुर शासन सचिवालय/मुख्य मंत्री कार्यालय आदि से प्राप्त प्रार्थना पत्र/पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील कार्यालय बहरोड में ग्राम गण्डाला की पत्थरगढ़ी व पैमाइश का कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

(2) जी नहीं। सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर के आदेशों की पालना में तहसील स्तर से पत्थरगढ़ी व पैमाइश कराई जा चुकी है।

(3) श्रीमती सारली पत्नी स्व. श्री मनीराम के प्रार्थना पत्रों की प्रतियां संलग्न सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवानिवृत्त पटवारी का चयनित वेतनमान प्रकरण

149. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 9, 8, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है ? यदि हां,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 31 दिसम्बर, 1992 को राजस्व विभाग में पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री मदनलाल बुनकर ग्राम रामपुरा, शाहपुरा (जयपुर) की 36 वर्ष 7 माह की सेवा के उपरान्त भी 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाले चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त पटवारी को दो चयनित वेतनमान देकर भुगतान दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। नियम की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। श्री मदनलाल बुनकर को पटवारी पद पर 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25-1-1992 से 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय था, लेकिन आदेश क्रमांक 7475-79 दिनांक 16-8-1990 के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण उनकी 18 व 27 वर्षीय सेवा पर देय चयनित वेतनमान देय तिथि से एक वर्ष बाद दिनांक 25-1-1993 को देय हुई। इसी बीच दिनांक 31-12-1992 को उक्त श्री बुनकर अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त हो गये जिससे उक्त लाभ उन्हें नहीं दिया जा सका है।

(3) नियमानुसार देय नहीं है।

(नियम की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिवार कल्याण आपरेशनों के दौरान मृतकों के परिजनों को मुआवजा

150. श्री अमराराम (धोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में गत 5 वर्षों में नसबन्दी कैम्पस में कितनी महिला व पुरूषों की मौतें हुई तथा कितने रुपयें मुआवजा राशि दी गई ?

उत्तर

राज्य में गत 5 वर्षों में नसबन्दी कैम्पस में कुल 19 महिलाओं की मौतें हुई तथा 22 लाख रुपये मुआवजा राशि दी गई।

पुष्कर की दवा विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण

151. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों द्वारा दवा विक्रेताओं की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो इन द्वारा विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में पिछले तीन वर्षों में किन-किन दुकानों का किस-किस दिनांक को निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान क्या कमियां पाई गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निरीक्षण के बाद नोटिस कितने दिनों में जारी होने चाहिये ? क्या इसकी कोई समय सीमा तय है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में निरीक्षण में पाई गई कमियों के नोटिस कब जारी किये ? यदि नहीं, तो क्यों।

(3) जारी नोटिस पर अन्तिम कार्यवाही हुई या नहीं ? यदि हां, तो कब व नहीं तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर में पदस्थापित औषधि नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा केमिस्टों की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। औषधि नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा पिछले 3 वर्षों में पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में स्थित दवा विक्रेताओं की 28 दुकानों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण की गई दुकान का नाम एवं पता तथा पाई गई कमियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत सृजित नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत किये गये निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के लिये नियम 66 के तहत कारण बताओ नोटिस दिये जाने का प्रावधान है। इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है।

(3) जारी किये गये कारण बताओ नोटिस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है। चूंकि कोई भी कार्यवाही लम्बित नहीं है, अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण की गयी दुकान का नाम एवं पता तथा पाई गयी कमियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	निरीक्षण की गई दुकान का नाम व पता	निरीक्षण की दिनांक	पाई गई कमियां
1.	मै. धनन्जय मेडिकल स्टोर, राजकीय चिकित्सालय, पुष्कर (अजमेर)	4-4-2002	1. निरीक्षण रिपोर्ट में पैरा 4 में वर्णित औषधियों के क्रय बिल निरीक्षण दौरान मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये।

1	2	3	4
			2. फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका संधारित नहीं पाई गई।
2.	मै. बालाजी मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर राज. महिला चिकित्सालय के सामने, लोहागल रोड़, अजमेर	14-5-2002	1. यह कि वक्त निरीक्षण रजिस्टर्ड, फार्मासिस्ट, श्री मुकेश खण्डेलवाल अनुपस्थित पाये गये एवं शिडयुल "एच" सहित समस्त प्रकार की औषधियों का विक्रय श्री जगदीश अग्रवाल मैनेजर फर्म द्वारा किया जाना पाया गया।
			2. यह कि विक्रय बिलों में डाक्टर का नाम नहीं लिखा जाना पाया गया।
3.	मै. जैन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पर्वतपुरा चौराहा, अजमेर	14-5-2002	1. यह कि वक्त निरीक्षण रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री महेन्द्र सिंह यादव अनुपस्थित पाये गये एवं शिडुयल "एच" सहित समस्त प्रकार की औषधियों का विक्रय

1	2	3	4
			श्री अरविन्द बोहरा प्रोपराइटर द्वारा किया जाना पाया गया, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है।
			2. यह कि वक्त निरीक्षण फार्मासिस्ट का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
			3. यह कि निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई।
			4. यह कि वक्त निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 में वर्णित औषधियों का क्रय व विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये।
			5. यह कि विक्रय बिल पुस्तिका के निम्न बिल पिछली तिथियों में खाली पाये गये - 6304, 6332, 6334, 6340, 6344, 6363, 6372 व 6384 कुल 8

1	2	3	4
4.	मै. निर्मल मेडिकल स्टोर पंचायत समिति के सामने पीसांगन, अजमेर	5-6-2002	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "बी" के अनुसार विक्रय बिलों के निर्माता का नाम लिखना नहीं पाया गया।
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "डी" के अनुसार विक्रय बिलों में बैच नं. व अवधिपार तिथि अंकित नहीं पाई गई।
			3. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 में वर्णित दवाओं के क्रय बिल मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
			4. फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाई गई।
5.	मै. शिव शक्ति मेडिकल स्टोर राज. महिला चिकित्सालय के सामने, लोहागल रोड, अजमेर	19-6-2002	1. निरीक्षण के दौरान फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाई गई।

1	2	3	4
6.	मै. भास्कर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, लाजपतराय मार्केट, पुरानी चुंगी चौकी, ब्यावर रोड़, अजमेर	15-7-2002	1. निरीक्षण पुस्तिका फार्म 35 मांगने पर प्रस्तुत नहीं की गई
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 में वर्णित रिकार्ड के अनुसार सभी औषधियों का विक्रय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में किया जाना पाया गया एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री विजय प्रकाश आचार्य अनुपस्थित पाये गये।
7.	मै. अमर मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के पास, पीसांगन, अजमेर	19-3-2003	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 में वर्णित औषधियों के क्रय व विक्रय बिल निरीक्षण दौरान मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
8.	मै. ओम मेडिकल स्टोर राज.	19-3-2003	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 में वर्णित औषधियों के

1	2	3	4
	चिकित्सालय के सामने पीसांगन, अजमेर		क्रय एवं विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये, निरीक्षण के........
9.	मै. जैन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर पर्वतपुरा बाईपास चौराहा, अजमेर	5-4-2003	1. निरीक्षण के दौरान फार्म 35 निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाई गई।
10.	मै. विश्वकर्मा मेडिकल स्टोर गोविन्दगढ़	21-5-2003	1. कोई कमी नहीं पाई गई।
11.	मै. उत्तम मेडिकल स्टोर राजकीय चिकित्सालय के सामने, गोविन्दगढ़, अजमेर	21-5-2003	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 2 के अनुसार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्रीमती दीपिका सुभाष शर्मा अनुपस्थित पाई गई एवं उनका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं नवीनीकरण मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। 2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "बी" में वर्णित बिल खाली पाये गये। 3. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "ए" के अनुसार सभी

1	2	3	4
			बिल श्री रिषभ जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, के द्वारा जारी किये जाना पाया गया।
			4. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 में वर्णित औषधियों के क्रय एवं विक्रय बिल निरीक्षण दौरान उपलब्ध नहीं कराये।
12.	मै. बालाजी मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर राज. महिला चिकित्सालय के सामने, लोहागल रोड, अजमेर	30-5-2003	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "ए" के अनुसार दवाइयों की बिक्री श्री जगदीश अग्रवाल जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, के द्वारा किया जाना पाया गया।
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 में वर्णित औषधियों के क्रय एवं विक्रय बिल निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।
			3. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "सी" के अनुसार जैनरिक

1	2	3	4
			नेम से बेची जाने वाली औषधियों के निर्माता का नाम लिखना नहीं पाया गया।
13.	मै. राज मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के पास पीसांगन, अजमेर	8-7-2003	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 में वर्णित औषधियों के क्रय बिल निरीक्षण दौरान मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
14.	मै. सतगुरू मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के सामने पुष्कर	3-12-2003	1. निरीक्षण दौरान फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाई गई।
15.	मै. शिव शक्ति मेडिकल स्टोर राज. महिला चिकित्सालय के सामने लोहागल, अजमेर	25-11-2003	1. निरीक्षण दौरान क्रय बिल मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
16.	मै. सर्वेश्वर मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के सामने, पुष्कर, अजमेर	3-12-2003	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 के अनुसार रिपोर्ट के पैरा 3 "ए" एवं 3 "बी" में वर्णित औषधियों के विक्रय विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये।

1	2	3	4
17.	मै. सोमेसर मेडिकल स्टोर , राजकीय चिकित्सालय के सामने पुष्कर, अजमेर	3-12-2003	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 6 "ए" के अनुसार विक्रय निर्माता का नाम लिखा नहीं पाया गया। 2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 6 "बी" के अनुसार विक्रय बिलों में परामर्शदाता का नाम लिखा नहीं पाया गया। 3. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 6 "सी" के अनुसार विक्रय बिलों की कार्बन प्रति पर दुकान का नाम व पता नहीं लिखा पाया गया।
18.	मै. भगवती मेडिकल स्टोर जनाना अस्पताल के सामने, अजमेर	20-2-2004	1. निरीक्षण दौरान फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई।
19.	मै. घूघरा मेडिकल एण्ड़ जनरल स्टोर, घूघरा, अजमेर	23-3-2004	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 2 के अनुसार श्री श्याम नारायण मेहरा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट निरीक्ष्ण के दौरान अनुपस्थित थे।

1	2	3	4
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "ए" के अनुसार सभी बिल श्री मोहन राजसिंह के द्वारा जारी व हस्ताक्षरित किये जाते हैं, इसमें शिड्यूल "एच" की दवाईयों का बेचान भी शामिल है, जिसकी सूची "निरीक्षण रिपोर्ट" में दर्ज है।
			3. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 बी में लिखे बिल अपठनीय पाये गये।
			4. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 में दर्ज दवाओं के क्रय बिल मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
20.	मै. मधु मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मारवाड़ बस स्टैण्ड, पुष्कर, अजमेर	24-3-2004	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 2 के अनुसार रजि. फार्मासिस्ट श्री दिनेश कुमार अनुपस्थित पाये गये।

1	2	3	4
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 "ए" में वर्णित के अनुसार सभी विक्रय बिल श्री मुकेश द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में जारी व हस्ताक्षरित किये हुये पाये गये।
21.	मै. श्री मेडिकोज बद्री घाट के पास, बडी बस्ती, पुष्कर, अजमेर	24-3-2004	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 5 में वर्णित औषधियों के क्रय बिल मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
			2. निरीक्षण पुस्तिका फार्म 35 पर संधारित नहीं पाई गई।
22.	मै. ओम मेडिकल स्टोर, पुलिस थाने के पास, बडी बस्ती, पुष्कर, अजमेर	24-3-2004	1. निरीक्षण पुस्तिका फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई।
23.	मै. अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. राज. चिकित्सालय के सामने अजमेर रोड, शाखा पोसांगन, अजमेर	5-6-2004	1. मूल औषधि अनुज्ञापत्र नियमानुसार प्रदर्शित नहीं पाये गये एवं मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

1	2	3	4
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 2 के अनुसार दवाइयों की बिक्री रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में किया जाना पाया गया।
			3. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 के अनुसार बहुत से बिलों की कार्बन प्रति अपठनीय एवं अस्पष्ट पाई गई।
			4. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 5 के अनुसार जारी समस्त बिलों में डाक्टर के नाम अंकित नहीं पाये गये।
			5. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 6 में वर्णित औषधियों के क्रय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये।
			6. निरीक्षण पुस्तिका फार्म 35 पर उपलब्ध नहीं पाई गई।
24.	मै. जे. एल. एन. मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	30-1-2004	1. कोई कमी नहीं पाई गई।

1	2	3	4
25.	मै. जे. एल. एन. मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर महिलां चिकित्सालय के सामने, अजमेर	17-9-2004	1. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 2 के अनुसार मूल लाइसेंस मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। 2. फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई गई। 3. रजिस्टर्ड निरीक्षण श्री स्वामी नारायण त्रिपाठी निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं पाये गये। 4. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 5 (III) अनुसार विक्रय बिल अपठनीय एवं उनमें बैच नं. अवधिपार तिथि लिखी नहीं पाई गई। 5. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 5 (I) व 5 (II) के अनुसार दवाइयों की बिक्री रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में अन्य के द्वारा की जाती है।

1	2	3	4
			6. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 5 (I.) में वर्णित बिलों में परामर्श दाता का नाम लिखा नहीं पाया गया।
			7. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 6 के अनुसार मांगने पर पुरानी विक्रय बिल बुकें प्रस्तुत नहीं की गई।
			8. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 7 के अनुसार दुकान में क्रय बिल नहीं संधारित पाये गये।
			9. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 8 में वर्णित औषधियों के क्रय एवं विक्रय बिल मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
26.	मै. शिव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पर्वतपुरा चौराहा, नेशनल हाइवे, अजमेर	17-9-2004	1. फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई गई।
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 1 के अनुसार लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाये गये।

1	2	3	4
27.	मै. भवानी मेडिकल्स 25, लाजपतराय मार्केट, रेलवे क्रासिंग के पास, सुभाष नगर, अजमेर	8-11-2004	1. निरीक्षण के दौरान फार्म 35 पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाई गई।
28.	मै. शिव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पर्वतपुरा चौराहा, नेशनल हाइवे, अजमेर	13-3-2003	1. निरीक्षण पुस्तिका मांगने पर उपलब्ध नहीं करवाई गई।
			2. निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 3 के अनुसार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्रीमती दर्शन देवी माथुर अनुपस्थित पाई गई एवं निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 4 में वर्णित रिकार्डानुसार दवाओं का विक्रय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में किया जाना पाया गया।

परिशिष्ट-"ब"

जारी किये गये कारण बताओ नोटिस पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	दुकान का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण	तिथि
1.	मै. धनन्जय मेडिकल स्टोर, राजकीय चिकित्सालय पुष्कर (अजमेर)	चेतावनी दी गई।	10-2-2005
2.	मै. बालाजी मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर राज. महिला चिकित्सालय के सामने, लोहागल रोड, अजमेर	10 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	7-1-2005
3.	मै. जैन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर पर्वतपुरा चौराहा, अजमेर	7 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	15-2-2005
4.	मै. निर्मल मेडिकल स्टोर पंचायत समिति के सामने पीसांगन, अजमेर	5 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	11-2-2005
5.	मै. शिव शक्ति मेडिकल स्टोर राज. महिला	मात्र निरीक्षण पुस्तिका के सम्बन्ध में उल्लंघन पाये	31-12-2004

1	2	3	4
	चिकित्सालय के सामने, लोहागल रोड, अजमेर	जाने पर उल्लंघन किये गये नियम का हवाला देकर निरीक्षण पुस्तिका प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	31-12-2004
6.	मै. भास्कर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, लाजपतराय मार्केट, पुरानी चुंगी चौकी, ब्यावर रोड़, अजमेर	07 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	10-2-2005
7.	मै. अमर मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के पास, पीसांगन, अजमेर	चेतावनी दी गई।	10-2-2005
8.	मै. ओम मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के सामने पीसांगन, अजमेर	चेतावनी दी गई।	11-2-2005
9.	मै. जैन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर पर्वतपुरा बाइपास चौराहा, अजमेर	मात्र निरीक्षण पुस्तिका के सम्बन्ध में उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघन किये गये नियम का हवाला देकर निरीक्षण पुस्तिका प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	31-12-2004

1	2	3	4
10.	मै. विश्वकर्मा मेडिकल स्टोर गोविन्दगढ़	निरीक्षण रिपोर्ट में कोई उल्लंघन न पाया जाने पर रिपोर्ट पत्रवत की गई।	4-6-2003
11.	मै. उत्तम मेडिकल स्टोर राजकीय चिकित्सालय के सामने, गोविन्दगढ़, अजमेर	07 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	15-2-2005
12.	मै. बालाजी मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर राज. महिला चिकित्सालय के सामने, लोहागल रोड, अजमेर	10 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	7-1-2005
13.	मै. राज मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के पास पीसांगन, अजमेर	नोटिस का उत्तर सन्तोषजनक पाये जाने पर कार्यवाही समाप्त की गई।	10-2-2005
14.	मै. सतगुरू मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के सामने पुष्कर	मात्र निरीक्षण पुस्तिका के सम्बन्ध में उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघन किये गये नियम का हवाला देकर निरीक्षण पुस्तिका प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	31-12-2004

1	2	3	4
15.	मै. शिव शक्ति मेडिकल स्टोर राज. महिला चिकित्सालय के सामने लोहागल, अजमेर	रिपोर्ट में मांगे गये क्रय बिलों की प्रति प्रस्तुत करने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।	6-1-2004
16.	मै. सर्वेश्वर मेडिकल स्टोर राज. चिकित्सालय के सामने, पुष्कर, अजमेर	नोटिस का उत्तर सन्तोषजनक पाये जाने पर कार्यवाही समाप्त की गई।	9-2-2005
17.	मै. सोमेसर मेडिकल स्टोर राजकीय चिकित्सालय के सामने पुष्कर, अजमेर	02 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	10-2-2005
18.	मै. भगवती मेडिकल स्टोर जनाना अस्पताल के सामने, अजमेर	मात्र निरीक्षण पुस्तिका के सम्बन्ध में उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघन किये गये नियम का हवाला देकर निरीक्षण पुस्तिका प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	31-12-2004
19.	मै. घूघरा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, घूघरा, अजमेर	07 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	11-2-2005
20.	मै. मधु मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मारवाड़ बस स्टैण्ड, पुष्कर, अजमेर	07 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	10-2-2005

1	2	3	4
21.	मै. श्री मेडिकोज बद्री घाट के पास, बडी बस्ती, पुष्कर, अजमेर	चेतावनी दी गई।	10-2-2005
22.	मै. ओम मेडिकल स्टोर, पुलिस थाने के पास, बडी बस्ती, पुष्कर, अजमेर	मात्र निरीक्षण पुस्तिका के सम्बन्ध में उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघन किये गये नियम का हवाला देकर निरीक्षण पुस्तिका प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	31-12-2004
23.	मै. अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. राज. चिकित्सालय के सामने अजमेर रोड, शाखा पीसांगन, अजमेर	07 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	15-2-2005
24.	मै. जे.एल.एन. मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, महिला चिकित्सालय के सामने, जयपुर	निरीक्षण रिपोर्ट में कोई उल्लंघन न पाया जाने पर रिपोर्ट पत्रवत की गई।	23-2-2004
25.	मै. जे.एल.एन. मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर महिला चिकित्सालय के सामने, अजमेर	10 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	15-2-2005

1	2	3	4
26.	मै. शिव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पर्वतपुरा चौराहा, नेशनल हाइवे, अजमेर	7 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	15-2-2004
27.	मै. भवानी मेडिकल्स 25, लाजपतराय मार्केट, रेलवे क्रासिंग के पास, सुभाष नगर, अजमेर	मात्र निरीक्षण पुस्तिका के सम्बन्ध में उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघन किये गये नियम का हवाला देकर निरीक्षण पुस्तिका प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	31-12-2004
28.	मै. शिव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पर्वतपुरा चौराहा, नेशनल हाइवे, अजमेर	7 दिवस के लिये लाइसेन्स निलम्बित किये गये।	15-2-2005

प्रशिक्षित नेत्र सहायकों का पदस्थापन

152. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेपन का क्या प्रतिशत है ? राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दसवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा क्या योजना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत नेत्र

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

सहायक का पद सृजित किया गया है ? यदि हां, तो कब और अब तक कितने नेत्र सहायक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं व कितनों को नियुक्ति प्रदान की गई और कितने बेरोजगार हैं ? क्या सरकार इन बेरोजगार नेत्र सहायकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नेत्र सहायकों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से कैटरेक्ट कन्ट्रोल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डार्क रूमों का निर्माण कराया है ? यदि हां, तो कितने और इनके निर्माण एवं इन्हें उपकरणों से सुसज्जित करने पर कितनी राशि व्यय हुई तथा इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि संस्थान अपग्रेड कर नेत्र उपकरणों से सुसज्जित किये गये ? क्या इन सभी डार्क रूमों एवं अन्य संस्थाओं पर नेत्र सहायकों की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई ? यदि नहीं, तो कितने संस्थान नेत्र सहायकों के अभाव में खाली हैं और इन्हें भरने की सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नवीं योजना में तो वी.एस.एस. प्लान मद में समाप्त किये गए 42 नेत्र सहायक के पदों को 30-6-2002 के बाद जिला मुख्यालयों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें वहां का नियमानुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी भत्ता मिल रहा है और क्या उनके वेतन का बजट सम्बन्धित नियुक्ति स्थल पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक स्थानान्तरित कर दिया जावेगा ?

(5) क्या भारत सरकार ने नवीं योजना में सी.एस.एस. प्लान मद में समाप्त की गई सभी नेत्र सेवाओं को मार्च, 2007 तक नियमित करने की बजट स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो इससे प्रभावित सभी आई मोबाइल यूनिट्स, उप जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि को दुबारा कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में अन्धेपन का प्रतिशत 1.54 है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त संशोधित गाइड लाइन में 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं प्रस्तावित योजना का विवरण दिया गया है जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सवाई मानसिंह मेडीकल कालेज, जयपुर एवं डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर में कुल 165 नेत्र सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

मेडिकल कालेज का नाम	वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर	1997-99 (प्रथम बैच)	30
	द्वितीय बैच	25
	1998-2000 प्रथम बैच	21
	द्वितीय बैच	12
	1999-2001	29
	2000-2002	6
डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर	1997-99	26
	1998-2000	16

प्रशिक्षित नेत्र सहायकों में से 88 को नियुक्ति दे दी गई तथा वर्तमान में 77 प्रशिक्षित नेत्र सहायक बेरोजगार हैं। विभाग में वर्तमान में मात्र 88 पद ही नेत्र सहायकों के स्वीकृत हैं। जिनमें से एक भी पद रिक्त नहीं है। इस कारण अतिरिक्त नियुक्ति देना सम्भव नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी नहीं, डार्करूमों का निर्माण नेत्र सहायकों के पदस्थापन हेतु नहीं कराया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित सामुदायि. स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से डार्क रूमों का निर्माण नेत्र/नेत्र आपरेशन की जांच कार्य हेतु करवाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 296 डार्क रूमों के निर्माणों की स्वीकृति जारी की गई। जिनमें से 211 डार्क रूमों का निर्माण पूर्ण हो चुका है 21 डार्करूमों का निर्माण कार्य प्रगति पर था एवं 64 डार्क रूमों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इनको निर्माण एवं उपकरणों से सुसज्जित करने पर अब तक अनुमानित 87.61 लाख रुपये का व्यय हुआ है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों को औजार एवं उपकरण उपलब्ध करवा कर एवं नेत्र से सम्बन्धित पदों को सृजित कर उनका सुदृढ़ीकरण किया गया। डार्क रूम वाईज नेत्र सहायकों के पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये हुये हैं। 211 डार्करूमों में से 37 स्थानों पर नेत्र सहायक कार्यरत है। शेष स्थानों पर पद स्वीकृत नहीं है।

(4) सी.एस.एस. प्लान मद में समाप्त किये गये 42 नेत्र सहायकों के पदों को दिनांक 30-6-2002 के बाद राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5(91)/ चिस्वा/3/2002 दिनांक 20-12-2002 के द्वारा 42 नेत्र सहायकों के पदों को ए.एन.एम. के पद विरुद्ध समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/पीबी/2003/76 दिनांक 18-1-2003 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के साथ कार्य सम्पादन हेतु लगा दिया गया। जिन नेत्र सहायकों को जहां ए.एन.एम. के पदों के विरुद्ध समायोजित किया है उन्हें वहां का ही नियमानुसार मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते मिल रहे हैं।

(5) जी नहीं। भारत सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सृजित पद जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू है इसके लिये संवेतन मद

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

में वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिये 207.29 लाख रु. की राशि रिलीज की है। कैटरेक्ट ब्लाइडनेस कन्ट्रोल प्रोजेक्ट की अवधि 30-6-2002 को समाप्त होने के कारण इसमें कार्यरत स्टाफ का समायोजन/स्थानान्तरण कर दिया गया था। 19 जिला मोबाइल यूनिटस को पुर्नजीवित करने हेतु राज्य सरकार विचार कर रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ उपखण्ड के चिकित्सालय

153. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप-खण्ड प्रतापगढ़ में संचालित चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल स्वीकृत चिकित्साकर्मियों के पदों के विरुद्ध कितने पद कब से रिक्त हैं ? अब सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? रिक्त पदों की सूची चिकित्सालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई चिकित्सा केन्द्र भवन रहित हैं ? यदि हां, तो भवन रहित चिकित्सा केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरिया का भवन लम्बे समय से राशि आबंटन के अभाव में पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक उक्त भवन निर्माण पूर्ण कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक-प्रथम, नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय, नर्स श्रेणी प्रथम, लेखाकार कार्यालय, सहायक रेडियोग्राफर, बी.एच.एस. एवं एस.एस. के रिक्त पद पदोन्नितियों से भरे जाने हैं जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध हो गये हैं एवं नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा पर भरने के लिये माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है अब राज्य सरकार से 100 नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है। जिनकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त करवाने के प्रयास जारी हैं। सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टैक्नीशियन एम.पी.डब्ल्यू. प्रसाविका एवं वार्ड ब्वॉय/सफाई कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) उप खण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आने वाले भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-"ब" उप उपलब्ध है।

(3) वर्ष 1995-96 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरिया के भवन निर्माण की 20 लाख रुपये की लागत से आवास विकास संस्थान के माध्यम से चरणबद्ध रूप से निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी। आवास विकास संस्थान बन्द होने के कारण उक्त निर्माण कार्य राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा पूर्ण किया जाना है, परन्तु आवास विकास संस्थान को उपलब्ध करवाई गई राशि में से खर्च की गई राशि का ब्यौरा प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया जा सका। राजस्थान आवासन मण्डल से उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-"अ"

सूची

उप खण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि के विवरण निम्न प्रकार हैं :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
सामान्य चिकित्सा प्रतापगढ़	वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडि., शल्य, गायनी, नेत्र, शिशु)	5	-	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) के पद विरुद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय) पदस्थापित है।
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र, अस्थि, शल्य, मेडिसन, रेडियोलोजिस्ट, शिशु, ई.एन.टी.एने., पैथेलोजिस्ट	9	3	7/04 (ईएनटी) 7/04 (अस्थि) 5/01 (पैथो) कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी) के पद विरुद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन) के पद

1	2	3	4	5
				विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित है।
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	1	7/03
	चिकित्सा अधिकारी	13	7	12/97, 7/00, 12/00, 7/04, 12/04, 1/05
	दन्त चिकित्सक	1	-	
	नर्सिंग अधीक्षक प्रथम	1	1	5/2000
	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	1	1	1/02
	नर्स श्रेणी प्रथम	15	5	10/04, 4/91, 4/99
	नर्स श्रेणी द्वितीय	46	15	7/97, 7/99, 6/03, 7/91
	प्रसाविका	3	1	11/02
	लेखाकार	1	1	2/05
	कार्यालय सहायक	1	1	9/03
	हैल्थ केयर टेकर	1	-	-
	रेडियोग्राफर	2	1	2/2002
	सहायक रेडियोग्राफर	1	1	2/2002

1	2	3	4	5
	वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन	1	-	-
	लेब टैक्नीशियन	2	-	-
	वरिष्ठ लिपिक	3	-	-
	कनिष्ठ लिपिक	5	-	-
	वाहन चालक	1	-	-
	डेन्टल टैक्नीशियन	1	1	8/97
	इलेक्ट्रीशियन	1	-	-
	सफाई कर्मचारी/ वार्ड ब्वाय	33	4	7/02, 6/03, 6/04
क्षय निवारण केन्द्र प्रतापगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय)	1	-	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध पदस्थापित है।
	नर्स श्रेणी द्वितीय	4.	4	97, 98
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	टी.बी. एच. वी.	1	-	
	सफाई कर्मचारी/ वार्ड ब्वाय	6	1	7/2002

1	2	3	4	5
सिटी डिस्पेंसरी प्रतापगढ़	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3	3	97, 7/97
	सफाई कर्मचारी/ वार्ड ब्वाय	3	2	6/04
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोद	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसन)	2	1	11/2000
	चिकित्सा अधिकारी	3	-	
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	11/2004
	नर्स श्रेणी द्वितीय	6	3	11/2004
	वरिष्ठ लिपिक	1	-	
	कनिष्ठ लिपिक	1	-	
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	रेडियोग्राफर	1	1	1/98
	वाहन चालक	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	-	

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दलोट	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	8/2000
	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3	1	1/97
	बी.एच.एस.	2	2	7/2000
	एस.आई.	1	1	9/99
	प्रसाविका	2	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचनेरा	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	एस.एस.	1	1	4/99
	लेब टैक्नीशियन	1	1	4/99
	एम.पी.डब्ल्यू.	3	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बीराम।	चिकित्सा अधिकारी	1	-	

1	2	3	4	5
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	एस.एस.	1	-	
	लेब टैक्नीशियन	1	1	1/98
	प्रसाविका	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालमगढ़	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	एम.पी.डब्ल्यू.	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुहागपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3	1	8/03
	लेब टैक्नीशियन	1	-	

1	2	3	4	5
	प्रसाविका	1	-	
	एम.पी.डब्ल्यू.	1	1	4/03
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुलथाना	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	एल.एच.वी.	1	-	
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	एम.पी.डब्ल्यू	2	1	7/2000
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अवलेश्वर	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	
	एल.एच.वी.	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	एस.एस.	1	1	7/95

1	2	3	4	5
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	एम.पी.डब्ल्यू.	2	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरिया	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	एस.एस.	1	1	7/98
	लेब टैक्नीशियन	1	1	4/2002
	एम.पी.डब्ल्यू.	3	2	7/99
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	1	7/2004
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बामाता	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	9/98
	प्रसाविका	1	-	
	एस.एस.	2	1	9/98

1	2	3	4	5
	एम.पी.डब्ल्यू	2	1	3/2004
	एल.एच.वी.	1	-	
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारावरदा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	1/97
	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	9/01
	प्रसाविका	2	1	10/03
	एस.एस.	1	1	11/97
	बी.एच.एस.	2	2	7/2000
	एम.पी.डब्ल्यू.	1	1	4/2000
	एल.एच.वी.	1	-	
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	1	9/2003
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थडा	चिकित्सा अधिकारी	1	-	

1	2	3	4	5
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	एस.एस.	1	1	9/2003
	एम.पी.डब्ल्यू.	3	2	7/2000
	लेब टैक्नीशियन	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरडिया	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	एस.एस.	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	लेब टैक्नीशियन	1	1	7/2003
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-	
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, निनोर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, कोटडी	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	7/97
	प्रसाविका	1	-	
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ी साखधली	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी	1	-	
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेवना	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	1/95
	प्रसाविका	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी	1	1	1/2004
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, कचोटिया	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	1/95

1	2	3	4	5
	प्रसाविका	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी	1	-	1/2004
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़ (एडपोस्ट)	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	1/95
	प्रसाविका	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी	1	-	
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, धमोतर (एडपोस्ट)	नर्स श्रेणी प्रथम	1	-	
	प्रसाविका	1	-	
	चतुर्थ श्रेणी	2	1	3/2003
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, मधुरातालाब	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	1/95
	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5
<u>उप स्वास्थ्य केन्द्र</u>				
मोटिखेडी	प्रसाविका	1	-	
मनोहरगढ़	प्रसाविका	1	-	
पटेलिया	प्रसाविका	1	-	
वीरपुर	प्रसाविका	1	-	
गंधेर	प्रसाविका	1	-	
झासडी	प्रसाविका	1	-	
खेरोट	प्रसाविका	1	-	
केरवास	प्रसाविका	1	-	
असावता	प्रसाविका	1	-	
बरोठा	प्रसाविका	1	-	
बसाड	प्रसाविका	1	-	
वरमंडल	प्रसाविका	1	-	
मोखमपुरा	प्रसाविका	1	-	
डाबरा	प्रसाविका	1	-	
बसेरा	प्रसाविका	1	-	
सेलारपुरा	प्रसाविका	1	-	
कल्याणपुरा	प्रसाविका	1	-	
कुणी	प्रसाविका	1	-	
अचलपुर	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5
जोलर	प्रसाविका	1	-	
चिकलाड	प्रसाविका	1	-	
अनोपपुरा	प्रसाविका	1	-	
कोटवाल	प्रसाविका	1	-	
पण्डावा	प्रसाविका	1	-	
ग्यासपुर	प्रसाविका	1	-	
बडीलाख	प्रसाविका	1	-	
पाल	प्रसाविका	1	-	
रतनपुरिया	प्रसाविका	1	-	
अमलावद	प्रसाविका	1	-	
नकोर	प्रसाविका	1	-	
लोहारिया	प्रसाविका	1	-	
सिद्धपुरा	प्रसाविका	1	-	
टाण्डा	प्रसाविका	1	-	
बोरी	प्रसाविका	1	-	
कुलमीपुरा	प्रसाविका	1	-	
भुवासिया	प्रसाविका	1	-	
सरीपिप्ली	प्रसाविका	1	-	
नारायणखेड़ा	प्रसाविका	1	1	4/2004
गोरियाखेड़ी	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5
पानमाडी	प्रसाविका	1	-	
खोरिया	प्रसाविका	1	-	
रढ़ानजना	प्रसाविका	1	-	
बरखेड़ा	प्रसाविका	1	-	
कनोरा	प्रसाविका	1	-	
पिलू	प्रसाविका	1	-	
गादोला	प्रसाविका	1	-	
मगरोडा	प्रसाविका	1	-	
काजली खेडा	प्रसाविका	1	-	
विरावली	प्रसाविका	1	-	
मण्डावरा	प्रसाविका	1	-	
बडायला	प्रसाविका	1	-	
अचलावदा	प्रसाविका	1	-	
कनाड	प्रसाविका	1	-	
थनासाख्थली	प्रसाविका	1	-	
बेडमा	प्रसाविका	1	-	
बगडावत	प्रसाविका	1	-	
जाजती	प्रसाविका	1	-	
चकुण्डा	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5
जीरावता	प्रसाविका	1	-	
बोरदिया	प्रसाविका	1	-	
पुनियाखेडी	प्रसाविका	1	-	
रायपुर	प्रसाविका	1	-	
उठेल	प्रसाविका	1	-	
नोगांवा	प्रसाविका	1	-	
चुपना	प्रसाविका	1	-	
मोवई	प्रसाविका	1	-	
मोहेड़ा	प्रसाविका	1	-	
फतेहगढ़	प्रसाविका	1	-	
खरखड़ा	प्रसाविका	1	-	
बडवासकला	प्रसाविका	1	-	
कानगढ़	प्रसाविका	1	-	
चोकलि-पीपली	प्रसाविका	1	-	
लीलीया	प्रसाविका	1	-	
रायपुर जंगल	प्रसाविका	1	-	
बोरी	प्रसाविका	1	-	
हींगलाट	प्रसाविका	1	-	

परिशिष्ट-"ब"

सूची

उप खण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आने वाले भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरडिया
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अवलेश्वर
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरिया
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचनेरा
उप स्वास्थ्य केन्द्र, नारायणखेड़ा
उप स्वास्थ्य केन्द्र, मधुरातालाब
उप स्वास्थ्य केन्द्र, पानमोडी
उप स्वास्थ्य केन्द्र, खोरिया
उप स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुरा
उप स्वास्थ्य केन्द्र, सैलारपुरा
उप स्वास्थ्य केन्द्र, कैरवास
उप स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुरिया
उप स्वास्थ्य केन्द्र, कोतवाल

भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
उप स्वास्थ्य केन्द्र, अचलावदा
उप स्वास्थ्य केन्द्र, बडायला
उप स्वास्थ्य केन्द्र, बेड़मा
उप स्वास्थ्य केन्द्र, कनाड़
उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरदिया
उप स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर
उप स्वास्थ्य केन्द्र, जिरावता
उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरी
उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिलिया
उप स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर जंगल
उप स्वास्थ्य केन्द्र, नोगावां
उप स्वास्थ्य केन्द्र, खरखड़ा
उप स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहगढ़
उप स्वास्थ्य केन्द्र, कानगढ़

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतसीसर (चूरू) में उपलब्ध सुविधाएं

154. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतसीसर जिला चूरू में कौन कौन से कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में पदों में कटौती की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से पदों की कब-कब कटौती की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी वाहन (एम्बुलेंस) है ? यदि हां, तो उक्त वाहन कब खरीदा गया तथा वर्तमान में वह किस हालत में है ? क्या उक्त रोगी वाहन को मरीजों हेतु उपयोग में लाया जाता है ? यदि हां, तो वाहन खरीदने से अब तक मरीजों को लाने ले जाने से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में शल्य चिकित्सा के उपकरण मौजूद हैं ? यदि हां, तो उक्त उपकरण कब-कब, कहां-कहां से खरीदे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गत दो वर्षों में कौन-कौनसी दवाइयों की आपूर्ति कब-कब की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गाज पट्टी की सप्लाई की जाती है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में क्रय की गई गाज पट्टी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रयोगशाला में बीमारियों की जांच होती है ? यदि हां, तो किस-किस बीमारी की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतसीसर जिला चूरू में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि के निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	
2.	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-	
3.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-	
4.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-	1	12-10-2004
5.	लेब टैक्नीशियन	1	1	-	
6.	वाहन चालक	1	-	1	19-7-2001
7.	वार्ड ब्वाय	1	1	-	

(2) जी हां। एक पद कनिष्ठ लिपिक का 25-1-2003 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया था जिसे 22-3-2003 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चूरू के अधीन (सहायक औषधि नियन्त्रक चूरू) स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(3) जी हां। रोगी वाहन सोशियल सेपटीनेट स्कीम के तहत दिनांक 10-6-1994 को प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 30-9-1994 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतसीसर को सुपुर्द किया गया था। वर्तमान में यह वाहन मरम्मत योग्य है। वाहन का उपयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम में परिवार कल्याण नसबन्दी केसेज को छोड़ने एवं लाने के लिये तथा मौसमी बीमारियों के उपयोग में लिया गया था।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इस वाहन से किसी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर के अधीन निम्न ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं :-

क्र. सं.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1.	बजरांगसर
2.	साडासर
3.	रणसीसर
4.	बींजरासर
5.	दल्लूसर
6.	भोजासर छोटा
7.	रोलासर
8.	जैतासर
9.	तोलासर
10.	सावर
11.	नैणासर सुमेरिया
12.	भोजासर बड़ा

(5) जी हां। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सामान्य शल्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध है, जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर को गत दो वर्षों में दिनांक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

18-9-2003 एवं 8-4-2004 को औषधियों की आपूर्ति की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(7) गाज पट्टी की सप्लाई की जाती है परन्तु गत दो वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर को गाज पट्टी की सप्लाई नहीं की गई है। तथा न ही क्रय की गई है।

(8) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर की प्रयोगशाला में सामान्य जांचे जैसे मलेरिया, क्षय रोग, हीमोग्लोबीन, यूरिन, शुगर की जांच की जाती है।

परिशिष्ट-"अ"

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसर में उपलब्ध सामान्य शल्य चिकित्सा उपकरणों का विवरण :-

S. No.	Name of Article	Name of Firm	Date of Reciept
1.	S.P. Knife blade	M/s Times Surg. Co. Jaipur	8-11-1996
2.	Dressing Trolly	M/s Century Collection, Ghat Road, Nagpur.	18-12-2000
3.	Irrigator cum saline stand	M/s Century Collection, Ghat Road, Nagpur	18-12-2000
4.	Gloves Surgeon's	M/s MRK Health Care Mumbai	10-4-2000
5.	Gloves Surgeon's	M/s Soyani Mfg. Work, Surat	8-12-2001
6.	Instrument Sterlizer	M/s Capital Surg. Co. New Delhi	3-7-2001

1	2	3	4
7.	Instrument trolly	M/s Century Collection Nagpur	18-12-2000
8.	Labour table	M/s Anubhav Surgical Delhi	15-7-2000
9.	Needle suture half circle	M/s Javeria Enterprises, Jaipur	15-7-2000
10.	Needle/syringe destroyer machine	Supply Through DMHS Raj. Jaipur	5-4-2003
11.	Stethoscope	M/s Capital Surg. Co. New Delhi	23-10-1998
12.	Dressing Drum SS	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
13.	Weighing Machine	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
14.	Kidney Tray	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
15.	Tray Instrument cover	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994

1	2	3	4
16.	Sphygnomenometer	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
17.	Forcep spoing holding st.	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
18.	Forcep tissue 4x5 teath	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
19.	Forcep utility sterilizer	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
20.	Scissor mayo's sterlizer	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
21.	Osyger cylender 40cft	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
22.	Suction Machine	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994

1	2	3	4
23.	Endo trachinal tube	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
24.	Artery forcep circle curved	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
25.	Artery forcep hals teads 5"	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
26.	Dessecting forcep 5"	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
27.	Sphygnometer Stand model	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
28.	Regular for oxyger cylender	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
29.	Spot light C 12" diameter	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994

1	2	3	4
30.	Floor shadow's lamp	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
31.	Instrument table	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994
32.	Generator Set.	Supply Through DMHS Raj. Jaipur (Social safety net scheme)	1994

परिशिष्ट-"ब"

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर को गत दो वर्षों में आपूर्ति की गई औषधियों की सूची :-

S. No.	Name of Medicine	Date of Supply to PHC
1.	Tab Paracetamol 500mg	18-9-2003
2.	Tab Cotremoxazole SS	18-9-2003
3.	Tab Chloroquine Phosphate	18-9-2003
4.	Tab. Primagulm 2.5mg	18-9-2003
5.	Tab Primagum 7.5mg	18-9-2003

1	2	3
6.	Tab Alprazolam 0.25mg	8-4-2004
7.	Tab Cetrezine 10mg	8-4-2004
8.	Tab Cotrimoxazole DS	8-4-2004
9.	Tab Ciprofloxacin 250mg	8-4-2004
10.	Tab Ciprofloxacin 500mg	8-4-2004
11.	Tab CPM 4mg	8-4-2004
12.	Tab Dicyclomine 20mg	8-4-2004
13.	Tab Dicfenac Sod 50mg	8-4-2004
14.	Tab Frusamide 40mg	8-4-2004
15.	Tab Metactoprounide 10mg	8-4-2004
16.	Tab Metronidazole 400mg	8-4-2004
17.	Tab Paracetamol 500mg	8-4-2004
18.	Tab Ranitidine 150mg	8-4-2004
19.	Tab Salputamol 4mg	8-4-2004
20.	Tab Tinidazole 300mg	8-4-2004
21.	Cap Amoxyciline	8-4-2004
22.	Cap Doxycycline 100mg	8-4-2004

1	2	3
23.	Cap Tetracycline 250mg	8-4-2004
24.	B.B. Letion 100gm	8-4-2004
25.	ORS Pkt	8-4-2004
26.	Susp Cotrimoxazole	8-4-2004
27.	SS Eye Drop	8-4-2004
28.	Tab Ibuprofen 400mg	8-4-2004
29.	Povidone Iodin Soln.	8-4-2004
30.	Silver Sulpha Cream	8-4-2004
31.	Tab Norfloxacin 400mg	8-4-2004
32.	Chloramphenicol eye drop	8-4-2004
33.	Inj. Ciprofloxacin 100ml	8-4-2004
34.	Inj. Metronidazole 100ml	8-4-2004
35.	Inj. GDW 540ml	8-4-2004
36.	Inj. GNS 540ml	8-4-2004
37.	Inj. R.L. 540ml	8-4-2004
38.	Inj. PPF 4 Lac	8-4-2004
39.	Inj. Ampicillne 500mg	8-4-2004

1	2	3
40.	PHC med kit (contains 8 injectable items)	8-4-2004
41.	PHC med kit (contains 10 injectable items)	8-4-2004
42.	PHC med. Kit (Cont. 11 Injectable items)	8-4-2004
43.	Inj. Diclofenac sod.	8-4-2004
44.	Inj. Cefataxim 1gm.	8-4-2004
45.	Adhesive Plaster 10cm x 5 meter	8-4-2004
46.	Absorbent Cotton wool 500 Gm.	8-4-2004
47.	Infusion set	8-4-2004
48.	Disposable syringe 2CC	8-4-2004
49.	Disposable syringe 5CC	8-4-2004

सरदारशहर तहसील के स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पद

155. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदारशहर तहसील के किन-किन ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरदारशहर तहसील में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) सरदारशहर तहसील में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति की अवधि सहित परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध हो गये हैं एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा पर भरने के लिये माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है। अब राज्य सरकार से 100 नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है जिसकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त करने के प्रयास जारी हैं।

कनिष्ठ लिपिक, डेन्टल टैक्नीशियन, लेब टैक्नीशियन, वाहन चालक एवं वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार भरने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-'अ'

सरदारशहर तहसील में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची :

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थानों का नाम
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर
2.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूलासर
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसलसर
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भादासर
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजासर बीकान
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घडसीसर
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. शिमला
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोधेरा
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडरी राजियान
12.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रातूसर
13.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतसर
14.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, आसपालसर

1	2
15.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरजागसर
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रंगाईसर
17.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, दूलरासर
18.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पिचकराईताल
19.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, भोजासरछोटा
20.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रणसीसर
21.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, काकलासर
22.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामसीसरभेड़वालिया
23.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कीकासर
24.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सांवर
25.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, डालमाण
26.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रूपलीसर
27.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पातलीसर
28.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, अड़सीसर
29.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मेहरासरचाचेरा
30.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्यूबास
31.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिजरासर
32.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जैतासर

1	2
33.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रोलासर
34.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सोनपालसर
35.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तोलासर
36.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, दल्लूसर
37.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, केवलासर
38.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मालकसर
39.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, फोगा
40.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, देराजसर
41.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जयसगसर
42.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खीवणसर
43.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सवाईबडी
44.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बीकमसरा
45.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बेजासर
46.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, हरियासरघड़सोतान
47.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, हरदेसर
48.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बुकनसरछोटा
49.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, हरपालसर
50.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बायला

1	2
51.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुरापुरोहितान
52.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, साडासर
53.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गाजूसर
54.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, हीराजसर
55.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नेणासरसुमेरिया
56.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जीवणदेसर
57.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, भोजासर बड़ा
58.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, उडसरलोडेरा
59.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मालसर
60.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मलूसर
61.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बूकनसर बडा
62.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कालवासिया
63.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, राणासरबीकान
64.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सारसर
65.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पातलीसर बडा
66.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेजडादिखनादा
67.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बन्धनाऊ दिखनादा
68.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मेहरासर उपाधियान
69.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढाणी पाचेरा

परिशिष्ट-'ब'

सरदारशहर तहसील में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति की अवधि सहित।

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	12/2004
		नर्स श्रेणी प्रथम	7	3/1984 5/1984 6/1986 1/1987 5/1994 7/1996 8/1998
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	6/2000 7/2003
		कनिष्ठ लिपिक	1	5/2000
		डेन्टल टैक्नीशियन	1	4/1986
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (शहरी) सरदारशहर	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	12/1995 10/2004

1	2	3	4	5
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भादासर	चिकित्सा अधिकारी	1	10/2004
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	10/2004
		वाहन चालक	1	7/2001
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोघेरा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	11/1990
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घड़सीसर	लेब टैक्नीशियन	1	6/1995
		वार्ड ब्वाय	1	6/1996
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहरी राजियान	वार्ड ब्वाय	1	8/1998
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसलसर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1/1996
		वार्ड ब्वाय	1	7/1995
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजासरबीकान	लेब टैक्नीशियन	1	1/2002

डेगाना के चिकित्सालयों में रिक्त पद

156. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान जिला नागौर में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के उक्त संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने ए.एन.एम. के पद सृजित हैं उनमें से कितने कार्यरत एवं कितने

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के विधान सभा क्षेत्रवार नाम परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में संचालित 74 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर 74 ए.एन.एम. के पद सृजित हैं, जिनमें से 71 पदों पर ए.एन.एम. का पदस्थापन है। मात्र 3 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र, चम्पाखेडी
2. उप स्वास्थ्य केन्द्र, गनसली/किरोंदा
3. उप स्वास्थ्य केन्द्र, चोलियास

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां, शीघ्र भर दिये जायेंगे।

(नाम, सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

देलून्दा-छावनी (बूंदी) की सम्पर्क सड़क

157. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के स्तर को बनाये रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित संपर्क सड़क देलून्दा-छावनी (बूंदी) के गलत निर्माण एवं घटिया सामग्री उपयोग में लेने बाबत शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम छावनी के समीप उक्त सड़क का निर्माण और भी घटिया स्तर का है, इस वजह से नहर के पास निर्मित दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा उपयोग में लिया गया डामर भी निर्धारित मानदण्ड से कम फिटनेस का होने से सड़क एक साल में ही क्षतिगस्त हो गई है ?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क का निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के स्तर को बनाये रखने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क देलून्दा छावनी (बूंदी) में गलत निर्माण एवं घटिया सामग्री उपयोग में लेने बाबत् शिकायत जिला कलक्टर बूंदी को ग्रामवासी छावनी बोरदा की ओर से प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बूंदी से कराने की कार्यवाही की गई है। शिकायत की प्रति एवं जांच कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ग्राम छावनी के पास सड़क का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया गया है। नहर के पास निर्मित दीवार क्षतिग्रस्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नहीं हुई है। उपयोग में लिया गया डामर निर्धारित मापदण्ड की थिकनेस का है तथा सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। सड़क का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही हुआ है। अत: जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

14. राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

14.4 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम के परिचालन और प्रबंध सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) ने बनाई है एन.आर.आर.डी.ए. अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करेगी:-

(i) डिजाइन एवं विशिष्टताएं तथा लागत मानदंड

(ii) तकनीकी एजेंसियां

(iii) जिला ग्रामीण सड़क योजना और कोर नेटवर्क

(iv) परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा

(v) गुणवत्ता निगरानी

(vi) आनलाइन निगरानी सहित प्रगति की निगरानी

(vii) अनुसंधान एवं विकास

(viii) मानव संसाधन विकास

(ix) संचार

14.2 सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को आवश्यक रिपोर्टें, आंकड़ और जानकारी समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

15. गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यों का पर्यवेक्षण

15.1 सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों की होगी। इसके लिए सभी कार्यों का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण किया जाएगा। एन.आर.आर.डी.ए. कार्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पर दिशा-निर्देश जारी करेगी और एक गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका निर्धारित करेगी। ऐसे प्रत्येक सड़क कार्य के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका में निर्धारित परीक्षणों के परिणामों वाले गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पैकेज के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। जब तक प्रयोगशाला भली भांति स्थापित कर ली गई हो और उपकरणों से सुसज्जित कर ली गई हो जब तक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण नियमित रूप से किए और रिकार्ड न किए जाते हों और सफल न पाए गए हों तब तक ठेकेदार को भुगतान न किया जाए। मानक बोली दस्तावेज (देखें पैरा 11.1) में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और निष्पादन गारंटी के लिए उपयुक्त उपबंध शामिल होना चाहिए, जिसे केवल रख -रखाव के लिए जिम्मेदार पंचायती राज संस्थाओं से परामर्श लेकर निष्पादित किया जाना चाहिए।

15.2 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के पहले दो स्तरों के लिए उत्तरदायी होंगे। पी.आई.यू. प्रथम स्तर होगा जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि प्रयुक्त की गई सामग्री और कर्म कुशलता निर्धारिन्त विनिर्देशों के अनुरूप है। प्रथम स्तर पर, पी.आई.यू. ठेकेदार द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्य स्थल गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का पर्यवेक्षण करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्धारित परीक्षण विशेष व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर कराए जाएं।

15.3 गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के दूसरे स्तर के रूप में कार्यों की आवधिक जांच राज्य सरकार द्वारा गठित/नियुक्त गुणवत्ता एककों द्वारा कराई जाएगी जो कार्यकारी अभियन्ताओं/पी.आई.यू. से स्वतंत्र हों। यह आशा की जाती है कि इन अधिकारियों और एजेंसियों (जिन्हें राज्य गुणवत्ता मॉनिटर कहा जा सकता है) द्वारा नियमिति जांच की जाएगी तथा ये राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं और कतिपय मामलों में स्वतंत्र प्रयोगाशालाओं, जो राज्य तकनीकी एजेसिंयां की हो सकती हैं, में परीक्षण के बाद प्रयोग की गई सामग्रियों के नमूने भी लेंगे। राज्य सरकारें इस बारे में अपेक्षित दिशा-निर्देश जारी करेंगी।

15.4 प्रत्येक राज्य सरकार राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए एक वरिष्ठ अभियन्ता (अधीक्षक अभियन्ता स्तर से कम न हो) नियुक्त करेंगे। उसका कार्य यह देखना है कि राज्य में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक ढंग से कामकाज कर रही हैं। इस कार्य में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना भी शामिल होगा। गुणवत्ता समन्वयक एस.आर.आर.डी.ए. का हिस्सा होना चाहिए।

15.5 गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे के तीसरे स्तर के रूप में एन.आर.आर.डी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क कार्यों की यादृच्छिक जांच करने के लिए स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं (व्यक्तिगत/एजेंसी) की नियुक्ति की जाएगी। इन लोगों को राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के रूप में नामित किया जा सकता है। पी.आई.यू. की यह जिम्मेदारी होगी कि उन राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं जिन्हें सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय रिकार्ड सरलता से उपलब्ध कराए जाएंगे, द्वारा कार्यों की जांच को आसान बनाए।

15.6 राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता सड़क कार्यों, खासकर गुणवत्ता की जांच करेंगे। वे कार्यस्थल से नमूने ले सकते हैं तथा किसी भी सक्षम तकनीकी एजेंसी/संस्थान से उनकी जांच करा सकते हैं। वे जिले में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सामान्य कामकाज की रिपोर्ट भी देंगे। निगरानीकर्त्ता एन.आर.आर.डी.ए. को

अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे। एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा एनक्यूएम की रिपोर्ट राज्य गुणवत्ता समन्वयक को भेजी जाएगी ताकि निर्धारित समय में समुचित कार्रवाई की जा सके। एस.क्यू.एम. या एन.क्यू.एम. द्वारा कार्य प्रगति के बारे में अगर गुणवत्ता जांच में कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो पी.आई.यू. यह सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा में सामग्री को बदलेगा या अपने कार्य कौशल (जैसा भी मामला हो) को सुधारेगा। एन.क्यू.एम. रिपोर्टों के बारे में एस.क्यू.सी. प्रत्येक माह अपने पास लम्बित पड़ी प्रत्येक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट देगा। कार्य प्रगति के दौरान असंतोषजनक श्रेणी के सभी कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक से सुधार रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद एस.क्यू.एम. या एन.क्यू.एम. द्वारा पुनः जांच की जाएगी।

15.7 किसी विशिष्ट जिले/राज्य में सड़क कार्यों की गुणवत्ता के बारे में बार-बार प्रतिकूल रिपोर्टें मिलने से उस क्षेत्र में कार्यक्रम तब तक के लिए स्थगित हो सकता है जब तक खराब कार्य में निहित कारणों को दूर नहीं कर दिया जाता।

15.8 राज्य गुणवत्ता समन्वयक/पी.आई.यू. प्रमुख को कार्यों की गुणवत्ता के मामले में अभ्यावेदनों/शिकायतों को प्राप्त करने तथा उनकी जांच करने का प्राधिकार होगा तथा वे 30 दिनों के भीतर समुचित जांच के बाद शिकायत-कर्ता को उत्तर भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे।

इस प्रयोजनार्थ, एस.आर.आर.डी.ए. निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी :-

(i) राज्य गुणवत्ता समन्वयक के नाम, पता तथा अन्य विवरणों का इस आशय से राज्य में पर्याप्त प्रचार-प्रसार (निविदा नोटिस, वेबसाइट आदि सहित) किया जाएगा कि उन्हें शिकायतें प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

(ii) राज्य गुणवत्ता समन्वयक सभी शिकायतों को दर्ज करेगा और पी.आई.यू. द्वारा और जरूरत पड़ने पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता नियुक्त करके उनकी जांच करवाएगा।

(iii) सभी प्राप्त शिकायतों (पंजीकरण संख्या देकर) की पावती भेजी जाएगी तथा उत्तर देने की सम्भावित तारीख बताई जाएगी। रिपोर्ट की प्राप्ति पर, शिकायत-कर्ता को परिणाम तथा की गई/प्रस्तावित कारवाई के बारे में बताया जाएगा।

(iv) राज्य सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी।

(v) ग्रामीण विकास मंत्रालय/एन.आर.आर.डी.ए .माध्यम से प्राप्त शिकायतें जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सामान्यतया राज्य गुणवत्ता समन्वयक को भेजी जाएगी। अगर एस.क्यू.एम. से रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो इसे निर्धारित समय-सीमा में भेजा जाएगा। अगर निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलता है तो एन.आर.आर.डी.ए. एन.क्यू.एम. नियुक्त कर सकता है और आगे की कारवाई केवल एन.क्यू.एम. की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

(vi) एस.क्यू.एम. राज्य नोडल विभाग/राज्य ग्रामीण सड़क एर्जेसी के लिए मासिक रिपोर्ट (निर्धारित फार्मेट में) बनाएगा और शिकायतों सम्बन्धी कार्रवाइयों की स्थिति के बारे में राज्य स्तरीय स्थायी समिति में चर्चा की जाएगी।

एनआरआरडीए इस प्रणाली के कामकाज की निगरानी करेगी।

15.9 निर्धारित स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं/निगरानी एर्जेसियों के सम्बन्ध में दूसरे स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण खर्चों तथा पी.एम.जी.एस.वाई. के गुणवत्ता निगरानी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य खर्चों और परीक्षण शुल्कों आदि का वहन पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा किया जाएगा। स्वीकृत परियोजना लागत की 0.50% राशि इस प्रयोजनार्थ एस.आर.आर.डी.ए. को रिलीज की जाएगी जो रिलीज की गई कार्यक्रम निधियों के समानुपात में होगी। निधियों को एस.आर.आर.डी.ए. के प्रशासनिक खाते में जमा किया जाएगा। (पैरा 12.2 देखें)

16. मानीटरिंग

16.1 कार्यक्रम की प्रभावी मानीटरिंग आलोचनात्मक होने के कारण राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिकारी एस.आर.आर.डी.ए. तथा एन.आर.आर.डी.ए. को अपेक्षित रिपोर्टें/जानकारी भेजने में देरी न करें। आन लाइन प्रबंध और मानीटरिंग प्रणाली कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए प्रमुख तंत्र होगी। इसके मद्देनजर, अधिकारियों को समय-समय पर एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा यथा निर्धारित हर डाटा और सूचना को समयबद्ध आनलाइन मेनेजमेंट और मानीटरिंग सिस्टम में डालना होता है। वे कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफटवेयर के निर्बाध प्रबंधन और इंटरनेट संपर्क के लिए जिम्मेदार होंगे। ओ.एम.एम.एस. के लिए साफ्टवेयर की आपूर्ति एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा की जाएगी और उसे किसी भी स्तर पर राज्यों में बदला नहीं जाएगा, किसी भी बदलाव की आवश्यकता या सुझाव की जानकारी एन.आर.आर.डी.ए. को देनी होगी।

परिशिष्ट 'ब'

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नम्बर
1776 04

कार्यालय जिला कलक्टर बूंदी

क्रमांक : 1776/(04) दिनांक : 6 अक्टूबर, 1996

प्रेषित :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
बूंदी।

विषय : प्र.म. रोजगार योजना के तहत ग्राम देलून्दा से छावनी बोरदा तक बनाई गई पक्की सड़क व नहर की पुलिया के पास बनाई गई दीवार के निर्माण कार्य की अनियमितता की शीघ्र जांच करवाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : का पत्र क्रमांक व दिनांक 01-10-04

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय से सम्बन्धित प्राप्त, प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि कृपया पत्र में उल्लेखित समस्या/शिकायत का निदान नियमानुसार करवाकर की गई कार्यवाही का तथ्यात्मक प्रतिवेदन (7) सात दिवस में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करावें, ताकि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

कृपया पत्र व्यवहार में उक्त कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख आवश्यक रूप से करावें।

भवदीय,

जिला कलक्टर

परिशिष्ट 'ब'

सेवा में,

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,

(संजीवनी प्रकोष्ठ) बूंदी।

विषय : प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ग्राम देलून्दा से छावनी बोरदा तक बनाई गई पक्की सड़क व नहर की पुलिया के पास बनाई गई दीवार के निर्माण कार्य में की अनियमितताओं की शीघ्र जांच करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,

ग्रामवासियान छावनी बोरदा निम्न प्रार्थना करते हैं :-

(1) यह कि ग्राम देलून्दा से छावनी बोरदा तक बनाये गये डामर रोड़ के दोनों ओर मिट्टी व झोंकरा ठेकेदार द्वारा नहीं डाला गया है जिसकी वजह से दोनों तरफ रोड़ के बड़े-बड़े गड्डे हो गये हैं जिनकी वजह से हमेशा दुर्घटना की आंशका बनी रहती है क्योंकि उक्त रोड़ के दोनों ओर ठेकेदार द्वारा जो दीवार बनाई गई वह छोटी बनाई जाने के कारण धूल मिट्टी से पूरी तरह दब गई है एवं वर्तमान में जो बचा हुआ रोड़ का कार्य करवाया जा रहा है उसमे रोड़ के बीच में विद्युत लाइन का पोल आया हुआ है उसे भी ठेकेदार द्वारा नहो हटवाया जा रहा है और उक्त विद्युत पोल को रोड़ के बीच में लिया जा रहा है। जिसकी तुरन्त जांच करवाया जाना जरूरी है।

(2) यह कि ठेकेदार द्वारा नहर की पुलिया के पास जो दीवार बनाई गई वह लम्बाई में कम बनाई गई एवं उक्त दीवार की नींव बिना मसाले के भरी गई एवं उक्त दीवार का निर्माण सीमेंट की जगह केलीमेन्ट से करवाने की वजह से इस समय दीवार तड़क चुकी है जिसकी जांच उक्त कार्य में बेलदारी का कार्य करने वाले गांव के ही गोविन्द आ. बरधीलाल मीणा से पूछताछ कर करवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जनहित में उपरोक्त रोड़ व पुलिया के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की शीघ्र जांच करावें।

दिनांक : 1-10-2004

विनीत

(समस्त ग्रामवासी छावनी बोरदा)

पंचायत रिहाणा पं.सं. तालेड़ा जिला बूंदी

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बूंदी

क्रमांक : पी.ए./2004/123 दिनांक : 7-10-2004

परियोजना अधिकारी (अभि.)

कार्यालय हाजा।

विषय : प्र.मं. रोजगार योजना के तहत ग्राम देलून्दा से छावनी बोरदा तक बनाई गई पक्की सड़क व नहर की पुलिया के पास बनाई गई दीवार के निर्माण कार्य की अनियमितता की शीघ्र जांच करवाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : संजीवनी प्रकोष्ट जिला कलक्टर बूंदी के कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 1776/04 दिनांक 06-10-04

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त ग्रामवासी छावनी बोरदा ग्राम पंचायत रिहाणा पंचायत समिति तालेडा द्वारा जिला कलक्टर महोदय को पत्र प्र.मं. रोजगार योजना के तहत ग्राम देलून्दा से छावनी बोरदा तक बनाई गई पक्की सड़क व नहर की पुलिया के पास बनाई गई दीवार के निर्माण कार्य की अनियमितता की शीघ्र जांच करवाने के सम्बन्ध में लिखा गया है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देश है कि सलंग्न पत्र में वर्णित कार्य जांच अन्दर सात योम कर (मय दस्तावेज सहित) अधोहस्ताक्षरकर्ता को पालना से अवगत करवाए।

कृपया पत्र व्यवहार में उक्त कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद बूंदी।

परिशिष्ट - 'ब'

No. 582 Dated 10.11.2004

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद [illegible]

विषय :- [illegible] योजना के तहत [illegible] बनाई गई पक्की सड़क [illegible] के निरीक्षण [illegible]

प्रसंग :- अभियंता प्रमुख Computer Reg. 1776/04 दिनांक 6.10.04

उपर्युक्त विषय के 2.11.04 को उक्त [illegible] सड़क [illegible] बनाई गई सड़क का [illegible] P.W.D. के सहायक अभियंता [illegible] की उपस्थिति में [illegible] गया।

[illegible] 74.154 [illegible] 5 K.m [illegible] सड़क [illegible] 300 [illegible] 5 K.m [illegible] 2/3 [illegible] हो चुका है [illegible]

[illegible]

(315)

(3) परिशिष्ट - 'ब'

में निर्माण पश्चात् उक्त दिवार की आवश्यकता अनुसार ऊंची किया जा सके, ताकि बाढ़ का पानी किस प्रकार से नाली ड्रेन में आ जाये ताकि पानी ड्रेन से बाहर निकल जाये ताकि बाढ़ पानी से क्षति उत्पन्न न हो। वर्तमान में उक्त दिवार की आवश्यकता अनुसार ऊंची कर दी गई है। साथ ही नाली की बगल वाली दिवार का निर्माण कर नाली बना दी गई है।

[illegible] पुलिया का [illegible] में उल्लेख किया है वह [illegible] [illegible] है किन्तु [illegible] पानी की निकासी हेतु [illegible] होने के कारण उक्त पुलिया का निर्माण किया गया जो P.M.G.Y. [illegible] किया गया है। उक्त पुलिया की [illegible] [illegible] किया गया [illegible] नहीं है। [illegible] पुलिया के [illegible] किया गया है।

[illegible] नहीं [illegible] [illegible] है। [illegible]

[illegible] है [illegible] D.U.D [illegible] A.J.E.E. विद्युत [illegible] दिया गया है।

[illegible] है।

ASG

[illegible]

परिशिष्ट-'ब'

कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बूंदी

क्रमांक : पी.ए./04/123 (एस.एफ.आर.) दिनांक : 23 नवम्बर, 2004

जिला कलक्टर महोदय,
बूंदी।

विषय : प्र.मं. रोजगार योजना के तहत ग्राम देलून्दा से छावनी बोरदा तक बनाई गई पक्की सड़क व नहर की पुलिया के पास बनाई गई दीवार निर्माण कार्य की अनियमितता की शीघ्र जांच करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : संजीवनी प्रकोष्ट जिला कलक्टर बूंदी के कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 1776/04 दिनांक 06-10-2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में ग्रामवासी छावनी बोरदा ग्राम पंचायत रिहाणा पंचायत समिति तालेडा द्वारा उक्त कार्य की जांच करवाने हेतु लिखा गया है, प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा करवाई गई उक्त सम्पर्क सड़क का निरीक्षण सा.नि.वि. के सहायक अभियन्ता के साथ किया गया डामर सड़क कार्य चालू था, दो तिहाई कार्य पूर्ण हो चुका है, सड़क के दोनों ओर झीकरा डालने का कार्य किया जा रहा है। शिकायत कर्ता द्वारा जिस दीवार को नीचा होना बताया गया है वह दीवार ड्रेन के अन्दर वाली दीवार है वर्तमान में इस दीवार को आवश्यकतानुसार ऊंची कर दी गई है। साथ ही बाहर वाली दीवार का निर्माण कर नाली बना दी गई है। वर्तमान में शेष बचा हुआ रोड का कार्य करवाया जा रहा है, इसमें रोड के बीच में विद्युत लाइन का पोल आ रहा है उसे हटाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. बूंदी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. बूंदी को अवगत करवाया गया है। जांच कर्ता

द्वारा शिकायत कर्ताओं को बुलाया गया। शिकायत कर्ताओं द्वारा कार्य अब सन्तोषजनक होना अवगत करवाया गया है। शेष कार्य प्रगति पर एवं सन्तोषजनक है। (सलंग्न-जांच रिपोर्ट)

अतः उक्त प्रकरण में कार्यालय स्तर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने से प्रकरण ड्राप करने का श्रम करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बूंदी

ब्यावर की स्वीकृत सड़कें

158. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कौन-कौनसी सड़कें वर्ष 2002-03 व 2003-04 में स्वीकृत की गई ? प्रत्येक सड़क का नाम, स्वीकृति दिनांक, स्वीकृति राशि, ठेकेदार का नाम व वर्तमान में कार्य की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में और नवीन सड़कों के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो सड़क के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2002-03 व 2003-04 में कोई सड़क स्वीकृत नहीं हुई।

(2) प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या 2001 के आधार पर 500 या अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को वर्ष 2007 तक डामर सड़क द्वारा जोड़ने की योजना है। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में 500 से अधिक के निम्न ग्राम अभी तक किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नही हैं :-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1.	गूजर गम्मा	645 (जनसंख्या 2001 के अनुसार)
2.	पुनेरा	612 (जनसंख्या 2001 के अनुसार)
3.	जालिया-II (बास पीथा)	567 (जनसंख्या 2001 के अनुसार)
4.	शिवनगर (जवाजा)	516 (जनसंख्या 2001 के अनुसार)

उक्त चारों गांवों को सड़कों की स्वीकृति मिलने पर इन्हें डामर की सड़कों से जोड़ा जायेगा।

धन्ना काछी की बगीची-वीर हनुमार मन्दिर (करौली) हेतु सड़क निर्माण

159. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली विधान सभा क्षेत्र में वजीरपुर गेट बाहर, धोबियों की बस्ती बसी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि धन्ना काछी की बगीची से धोबी पाड़ा होते हुए वीर हनुमानजी मन्दिर तक सड़क नहीं होने के कारण वहां के बाशिन्दों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क को डामरीकृत/ग्रेवल सड़क बनाते हुए सड़कों के दोनों ओर नाली निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका करौली द्वारा अवमत कराया है कि धन्ना कांछी की बगीची से धोबी पाड़ा होते हुए वीर हनुमानजी मन्दिर तक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क नहीं है तथा उक्त रास्ते पर नाला बहता है जो रियासत समय से ही पानी निकास होता आ रहा है। उक्त मार्ग नगर पालिका करौली के अन्तर्गत है। पालिका के यहां उक्त नाले पर होकर सड़क निर्माण प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) नगर पालिका क्षेत्र में उक्त सड़क के डामरीकरण/ग्रेवल सड़क व नाली निर्माण का कोई भी प्रस्ताव नगर पालिका के पास विचाराधीन नहीं है।

बीजवाड़ चौहान-भोजपुरी (अलवर) का सड़क निर्माण कार्य

160. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बीजवाड़ा चौहान से ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर तक का सड़क निर्माण कार्य काफी समय से लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि किस मद से प्राप्त हुई एवं उसमें से अब तक किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई ? उक्त सड़क निर्माण हेतु अब तक करवाये गये कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम बीजवाड़ा चौहान से वाया हुलमाना कलां खुर्द भोजपुरी तक का सड़क निर्माण कार्य व ग्राम मिर्जापुर से भोजपुरी तक का सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त दोनों सड़कों के निर्माण/मरम्मत पर अब तक किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस कार्य की कोई स्वीकृति नहीं है। अतः लम्बित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उक्त सड़क के निर्माण हेतु विभाग के पास किसी भी मद में राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा न ही विभाग में उक्त सड़क पर कोई कार्य स्वीकृत है, ऐसी स्थिति में कोई भी राशि व्यय नहीं की गई।

(3) ग्राम बीजवाड़ा चौहान से वाया हुलमाना कलां खुर्द भोजपुरी तक का सड़क निर्माण की वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है। यह मार्ग कच्चा रास्ता है। ग्राम हुलमाना खुर्द जिसकी आबादी वर्ष 2001 के आधार पर 842 है, जिसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चरण-5 (विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित) में बीजवाड़ चौहान से हुलमाना खुर्द सड़क निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है।

ग्राम मिर्जापुर से भोजपुरी तक वर्तमान में कोई सड़क निर्मित नहीं है। अतः उक्त मार्ग पर मरम्मत कार्य की कोई स्वीकृति विभाग में नहीं है।

(4) उक्त दोनों सड़कों के निर्माण/मरम्मत पर विभाग द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

राज्य में लम्बित कृषि कनेक्शन

161. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राज्य में कृषि कुओं पर कनेक्शन हेतु सरकार के पास कितने प्रार्थना-पत्र कब से लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार उक्त कनेक्शन कब तक देने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि बिजली कम्पनियां मिनिमम गारण्टी की जगह एवरेज से किसानों से अधिक पैसे वसूल कर रही हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में माह मार्च, 2004 तक कृषि कुओं पर सामान्य श्रेणी के कनेक्शन हेतु कुल 1,80,471 प्रार्थना पत्र वर्ष 1983-84 से लम्बित हैं। मार्च,

(ऊर्जा मंत्री)

2003 तक लम्बित 1,70,740 सामान्य श्रेणी के आवेदनों (विवरण संलग्न है) को मार्च, 2007 तक निस्तारित करना प्रस्तावित है। शेष आवेदनों को निस्तारित करना आगामी वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं। मिनिमम चार्जेज का प्रावधान मीटर्ड प्रणाली के कृषि उपभोक्ताओं पर ही लागू है, परन्तु राज्य में अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए मिनिमम चार्जेज की राशि उपभोक्ताओं से माह नवम्बर, 2002 से नहीं ली जा रही है। जिन कृषकों के मीटर्ड श्रेणी में विद्युत सम्बन्ध है उनके वास्तविक उपभोग के आधार पर ही राशि वसूल की जा रही है परन्तु जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब अथवा बन्द हो गए हैं उनसे फ्लेट रेट से वसूली की जाती है।

सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को अगले तीन वर्षो में कनेक्शन देने हेतु प्रस्तावित आवेदनों की स्थिति

क्र. सं. जिला/ पंचायत समिति	मार्च, 2003 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	कट आफ डेट वर्ष 2003-04 के दिनांक 31-03-2001 के बाद शेष रहे आवेदक	कट आफ डेट वर्ष 2004-05 के लिए प्रस्तावित आवेदनों की संख्या	कुल वर्ष 2004-05 में कनेक्शन देने हेतु प्रस्तावित आवेदक	कट आफ डेट वर्ष 2005-06 के लिये प्रस्तावित आवेदनों की संख्या	कट आफ डेट वर्ष 2006-07 के लिये प्रस्तावित आवेदनों की संख्या
1 2	3	4	5	6	7	8
1. जयपुर डिस्काम	78141	14801	19627	34428	22732	20551
2. अजमेर डिस्काम	50831	4822	12054	16876	18088	16692
3. जोधपुर डिस्काम	41768	1562	9202	10764	16080	14529
योग	170740	21185	40883	62068	56900	51772

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन

162. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को घरेलू एवं विद्युत कनेक्शन देने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) 1 दिसम्बर, 2003 से अब तक उक्त वर्ग के कितने व्यक्तियों को कनेक्शन जारी किये गये ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विद्युत कनेक्शन देने, डी.पी. लगाने, खराब होने पर नया डी.पी. बदलने आदि प्रकरणों में 1 दिसम्बर, 2003 से अब तक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन शिकायतों की जांच कर ली गई है तथा जांच के बाद सम्बन्धित के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी में कृषि विद्युत कनेक्शन देने हेतु अन्य जातियों से कुछ अलग नीति निर्धारित है जिसकी प्रति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। किन्तु घरेलू श्रेणी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(2) एक दिसम्बर, 2003 से दिनांक 31 जनवरी, 2005 तक उक्त वर्ग के व्यक्तियों को उक्त नीति के तहत जिलेवार जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

उक्त वर्ग के घरेलू श्रेणी के कनेक्शनों की अलग से कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में जयपुर एवं जोधपुर डिस्कोम में प्राप्त शिकायतों की जांच प्रारम्भ कर दी गयी है। उनकी प्रगति का विवरण परिशिष्ट

(ऊर्जा मंत्री)

"स" पर उपलब्ध है।

अजमेर डिस्काम में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-अ

(अ) सामान्य श्रेणी

- मांग पत्र एवं बिजली उपभोग की दर सामान्य

(ब) विशेष श्रेणी

- यह योजना पूर्णतया स्वैच्छिक है।
- वरीयता लांघ कर कनेक्शन लेना चाहते हैं वे आवेदन कर विशेष श्रेणी के तहत कनेक्शन ले सकते हैं।
- इस श्रेणी में मांग पत्र व बिजली की उपभोग की दरें सामान्य से अधिक हैं।

4. प्रार्थना पत्र शुल्क

(1) सामान्य श्रेणी	रुपये 75/-
(2) विशेष श्रेणी	रुपये 250/-

5. अग्रिम राशि (प्रार्थना पत्र के साथ) मांग पत्र में समायोजित होगी

(अ) सामान्य श्रेणी

- सामान्य	रुपये 2,500/-
- अनुसूचित जाति	रुपये 250/-
- जन जाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति	रुपये 250/-

- सहरिया क्षेत्र के किशनगंज
व शाहबाद पंचायत समिति
के अनुसूचित जनजाति रुपये 250/-

(ब) विशेष श्रेणी

- अग्रिम राशि रुपये 500/-

- सामान्य श्रेणी से विशेष
श्रेणी में आने के लिए
अग्रिम राशि रुपये 500/-

6. वरीयता-सामान्य श्रेणी

- **ग्रामवार वरीयता**
- मांग पत्र की वरीयता प्रार्थना पत्र शुल्क एवं अग्रिम राशि जमा कराने की तिथि के अनुसार।
- कार्य आदेश एवं कनेक्शन की वरीयता मांग पत्र जमा तिथि के अनुसार। यदि एल. फार्म देने में देरी होती है तो वरीयता का निर्धारण एल. फार्म की तिथि से होगा।

7. कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शनों में निम्न प्रकार से मांग पत्र में वरीयता/प्राथमिकता दी जावेगी-

(i) राज्य के सभी अनुसूचित जाति
के सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र तुरन्त प्राथमिकता

परिशिष्ट-'ब'

दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 से दिनांक 31 जनवरी, 2005 तक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तिंयों को जारी कृषि कनेक्शनों का जिलेवार संख्या विवरण।

क्र. सं.	जिले का नाम	कृषि कनेक्शनों की संख्या
	अजमेर डिस्काम	
1.	अजमेर	88
2.	नागौर	274
3.	भीलवाड़ा	186
4.	सीकर	154
5.	झुन्झुनूं	111
6.	उदयपुर	20
7.	राजसमंद	42
8.	बांसवाड़ा	6
9.	डूंगरपुर	9
10.	चित्तौड़गढ़	282
	योग	1172
	जयपुर डिस्काम	
1.	अलवर	404
2.	भरतपुर	119
3.	धौलपुर	23

1	2	3
4.	दौसा	270
5.	करौली	127
6.	जयपुर	263
7.	झालावाड़	103
8.	बारां	178
9.	कोटा	197
10.	बूंदी	178
11.	सवाईमाधोपुर	110
12.	टोंक	50
	योग	**2022**
	जोधपुर डिस्काम	
1.	जोधपुर	200
2.	पाली	38
3.	सिरोही	206
4.	बाड़मेर	293
5.	जैसलमेर	21
6.	बीकानेर	95
7.	हनुमानगढ़	148
8.	श्रीगंगानगर	100

1	2	3
9.	चूरू	173
10.	नागौर (लाडनूं)	14
11.	जालौर	320
	योग	**1608**
	कुल योग	**4802**

परिशिष्ट-स

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री सी.पी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता, नीमराना	कृषि कनेक्शन में अनियमितता की शिकायत की गई तथा कार्यालय आदेश सं. 778 दिनांक 19-01-2005 द्वारा निलम्बित तथा चार्जशीट दी गयी।
2.	श्री डी.के. गर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता, खेरली	वरीयता तोड़कर कनेक्शन देने की शिकायत हुयी तथा क्र. सं. 702 दिनांक 02-12-2004 द्वारा चार्जशीट दी गयी।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री हरिराम प्रजापत	स. अभियन्ता	उक्त प्रकरण में परिवाद के आधार पर आरोपी के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र प्रेषित कर जांच लम्बित
2.	श्री हरिश चन्द्र अरोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता	उक्त प्रकरण में परिवाद के आधार पर आरोपियों को रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया तथा भ्र.नि. ब्यूरो के अनुसंधान एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु लम्बित है।
3.	श्री राजेन्द्र विश्नोई	क. अभि.	उपरोक्तानुसार
4.	श्री जरनेल सिंह	वायरमैन	उपरोक्तानुसार
5.	श्री के.एल. माथुर	क. अभि.	उपरोक्तानुसार
6.	श्री रामप्रकाश शर्मा	क. अभि.	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4
7.	श्री लाल चन्द	क. अभि.	उपरोक्तानुसार
8.	श्री सुरेश कुमार	क. लि.	उपरोक्तानुसार
9.	श्री बृजनन्द गुप्ता	स. अभि.	उपरोक्तानुसार
10.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मारवाल	क. अभि.	उपरोक्तानुसार
11.	श्री हुनमान सिंह जाखड	क. अभि.	उपरोक्तानुसार

जैसलमेर जिले में होटल निर्माण हेतु भू-आबंटन

163. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1986 में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने हेतु जिला जैसलमेर में होटल निर्माण के लिये रियायती दरों पर भू-आबंटन किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी भूमि किन-किन शर्तों पर आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन आबंटियों को भूमि आबंटित की गई थी उनके द्वारा सभी नियमों/शर्तों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो किस-किस के द्वारा व क्यों ?

(3) क्या सरकार जिन आबंटियों द्वारा शर्तें पूरी नहीं की गई उनके भू-खण्ड का आबंटन निरस्त कर पुनः आबंटन की प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि आवंटियों द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने से सरकार को राजस्व की हानि हुई है ? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जैसलमेर जिले में वर्ष 1986 में रियायती दरों पर होटल निर्माण हेतु भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(2) प्रश्न लागू नहीं होता।

(3) प्रश्न लागू नहीं होता।

(4) प्रश्न लागू नहीं होता।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदत्त मानदेय एवं सेवा शर्तें

164. **श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :-

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजस्थान शासन की सेविका है अथवा केन्द्रीय शासन की ? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2005 को कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं इनमें कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के पद स्वीकृत हैं एवं इनके विरुद्ध कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा शर्तों में इन्हें सरकारी कर्मचारी मानने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो इनकी सेवा शर्तों के परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी मानने हुए नियमों/सेवा शर्तों में संशोधन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो किन कारणों से ?

(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वर्तमान में कितना मासिक मानदेय कब से दिया जा रहा है ? क्या उक्त मानदेय न्यूनतम मजदूरी की दरों से मासिक आधार पर कम है ? यदि हां, तो कितना एवं क्या सरकार इन्हें न्यूनतम मजदूरी के स्तर पर मानदेय देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से निर्धारित मानदण्डों के अतिरिक्त लोक सेवकों की भांति स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षण, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अन्य कार्य भी करवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या इनके द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्यों के प्रति अतिरिक्त राशि का

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

भुगतान भी किया जाता है ? यदि नहीं, तो इनसे अतिरिक्त कार्य लेने का क्या औचित्य है ?

(6) क्या यह सही है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही किये बिना विभाग के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सीधे हटाने के अधिकार है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सेवा सुरक्षा हेतु नियम बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो शत -प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, के अधीन मानदेय प्राप्त कार्यकर्ता है। भारत सरकार के आदेश की प्रति सलंग्न है।

(2) राज्य में दिनांक 01-01-2005 को 35,821 आंगनबाड़ी केन्द स्वीकृत हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 35,821 ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद सृजित हैं। जिन पर 35,627 महिलाएं कार्यरत हैं।

(3) जी, हां। (प्रति सलंग्न है)

जी नहीं, क्योंकि इनकी सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। (परिशिष्ट-"अ")

(4) वर्तमान में प्रभावी मानदेय दरों का विवरण बिन्दु संख्या 3 में वर्णित परिशिष्टों में सम्मिलित है। यह दरें दिनांक 01-04-2002 से प्रभावी है। जी, हां।

श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है। सरकार इन्हें न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय देने का विचार नहीं रखती है। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं न तो राज्य कर्मचारी की श्रेणी में आती हैं एवं न ही श्रमिक की श्रेणी में आती हैं वरन ये सामाजिक कार्यकर्ताएं है एवं स्वैच्छा से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(5) जी, नहीं। जो भी कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सन्दर्भ में प्रश्न में अंकित किये गये हैं वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समेकित बाल विकास सेवाओं में समाहित है।

(6) जी, हां। विभाग के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सीधे हटाने का अधिकार है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया निर्धारित है। (प्रति सलंग्न है) (परिशिष्ट-"स")

(प्रति/शर्तें विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

उदयपुर सम्भाग के जनजाति आवासीय विद्यालयों में रिक्त पद

165. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर सम्भाग में कितने जनजाति आवासीय विद्यालय हैं ? उक्त आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति विकास हेतु कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा कौन-कौन से कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 7 निम्नलिखित जनजाति आवासीय विद्यालय संचालित हैं-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	नाम जिला	आवासीय बालक	विद्यालय बालिका
1.	बांसवाड़ा	1	-
2.	डूंगरपुर	1	-
3.	उदयपुर	2	1
4.	प्रतापगढ़ (चित्तौडगढ)	1	-
5.	आबूरोड (सिरोही)	1	-
	योग :	6	1

7 आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत एवं भरे पदों की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां।

आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रिक्त पदों को भरने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर जनजाति विकास हेतु कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है तथा प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर सलंग्न है।

(सूचना विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति उपयोजनान्तर्गत कूप ऊर्जीकरण हेतु आबंटित राशि

166. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत जनजाति कृषकों के कूप ऊर्जीकरण के लिये अधिशासी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ प्रतापगढ ने जनजाति विकास विभाग उदयपुर को माह दिसम्बर, 2004 में एक सौ छत्तीस लाख रुपये का मांग पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम, प्रतापगढ़ को अब तक कितनी राशि का आबंटन किया गया ?

उत्तर

जी हां। जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत जनजाति कृषकों के कूप ऊर्जीकरण के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खण्ड प्रतापगढ़ द्वारा माह सितम्बर, 2004 को उप परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ़ को पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद के 1426 प्रार्थियों के कूप ऊर्जीकरण अनुदान हेतु राशि रुपये 136.00 लाख का मांग पत्र दिनांक 04-09-2004 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मांग पत्र 10,000/- अधिकतम अनुदान हेतु जारी किया गया है जो कि पूर्व कृषि कनेक्शन नीति पर आधारित है इस बीच शासन ने नवीन कृषि विद्युत नीति जारी कर दी है जिससे देय अनुदान की राशि हार्सपावर आधार पर कम हो जावेगी। कृषि कूप अनुदान पर वितीय वर्ष 2004-05 में अब तक धन संसाधन उपलब्ध नहीं हुआ है फिर भी पूर्व वर्षों की बचत से ऐसे 170 आवेदक जिसने अपने हिस्से की राशि संशोधित मांगपत्र अनुसार जमा करवा दी है, के भुगतानार्थ आदेश परियोजना/उप परियोजना अधिकारी को दे दिये है, जिसकी प्रति सलंग्न है।

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

क्रमांक एफ.5/अभ./सीटीएडी/कृ.कू.उर्जी./2002-03/22353-61

दिनांक 05-11-2004

आदेश

कृषि कूप ऊर्जीकरण अनुदान योजना के तहत शासन ने पूर्व स्वीकृति संख्या 71/94-95 तथा 108/95-96 में विभिन्न जिलों के पास बचत की राशि क्रमशः 2.52 लाख एवं 18.60 लाख कुल रुपये 21.12 लाख का व्यय इस वित्तीय वर्ष में करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि के उपयोग स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध राशि में उन कृषकों को तत्काल लाभान्वित किया जावे जिन्होंने निगम द्वारा जारी मांग पत्र की 50 प्रतिशत राशि स्वयं के संसाधन से जमा करवा दी है।

विभागीय पत्र समसंख्यक क्रमांक 16486-90 दिनांक 6-8-2004 द्वारा जो सूचना चाही गयी थी कि कृषि कूप ऊर्जीकरण योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों में स उन कृषकों की सूची प्रेषित करावें जिन्होंने प्राप्त डिमाण्ड नोट की राशि में से अपने हिस्से की राशि जमा करा दी है। इस पर निम्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार उपयोजना क्षेत्र से कुल 280 आवेदकों की सूची प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	जिला	पत्र संख्या	आवेदकों की संख्या
1	उदयपुर	1230 दिनांक 21-08-2004	119
2	बांसवाड़ा	2937 दिनांक 25-08-2004	88
3	डूंगरपुर	3086-88 दिनांक 04-10-2004 3234-35 दिनांक 15-10-2004	57

1	2	3	4
4	सिरोही	131 दिनांक 31-03-2004 व 247 दिनांक 18-09-2004	16

जिलों द्वारा प्रस्तुत सूचना में उनके मांग पत्र की राशि दर्शाई गई है वह अब नवीन कृषि नीति 18 सितम्बर, 2004 के अनुसार निगम द्वारा संशोधित कर दी जावेगी व नवीन मांग पत्र आबंटित विद्युत भार पर आधारित होगी। अतः एतद द्वारा सम्बन्धित परियोजना/उप परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व प्रस्तुत सूची के कृषकों के संशोधित मांग पत्र निगम से प्राप्त कर 50 प्रतिशत राशि का भुगतान उनके निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध संसाधन से करे व वास्तविक व्यय की सूचना शीघ्र उपलब्ध करावें ताकि अन्तर जिला व्यवर्तन करवाया जा सके।

उप परियोजना अधिकारी प्रतापगढ़ से इस क्रम में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निगम 170 आवेदकों को मांग पत्र प्रसारित कर चुका है परन्तु कृषक अनुदान स्वीकृति की प्रतीक्षा में अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कराई है। अतः एतद द्वारा उप परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त 170 कृषकों के संशोधित मांग पत्र निगम से प्राप्त कर अनुदान का भुगतान करें व वास्तविक व्यय की सूचना विभाग को पढ़ाये ताकि राशि की व्यवस्था की जा सके।

समस्त परियोजना/उप परियोजना अधिकारी उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र करावेंगे ताकि चालू रबी फसल में ही कृषक कृषि सम्बन्ध प्राप्त कर योजना का लाभ प्राप्त कर सके। इस कार्यवाही में किसी भी प्रकार की ढिलाई के लिए स्वयं उत्तरादायी होंगे।

अतिरिक्त आयुक्त

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 102 का विवरण

अ-भौतिक उपलब्धियां

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2001-02		वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूरक पोषहार लाभान्वित (लाखों में)	27.44	21.92	35.71	27.26	35.71	32.41
2	विटामिन ए (लाखों में)	-	53.18	-	46.65	-	43.45
3	आई.एफ.ए. टेबलेट उपचारात्मक (लाखों में)	-	9.08	-	9.75	-	9.05
4	आई.एफ.ए. टेबलेट नियंत्रात्मक (लाखों में)	-	11.15	-	12.28	-	11.73

ब-व्यय विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04
1.	आई.सी.डी.एस. (सामान्य) सी.एस.एस.	5267.88	7330.95	7849.67
2.	आई.सी.डी.एस. (विश्व बैंक) सी.एस.एस.	3630.91	4226.47	2897.66
3.	प्रशिक्षण सी.एस.एस.	304.63	812.75	264.59
4.	पोषाहार-आयोजना	1401.20	4981.71	5157.81
5.	पोषाहार-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	5100.90	3842.01	6713.71
6.	पोषाहार-राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आयोजना)	-	-	75.00
7.	आई.सी.डी.एस. आयोजना	83.50	-	-
8.	आई.सी.डी.एस. आयोजना पूंजीगत	288.13	-	-

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

उपखण्ड सलूम्बर में तहसीलवार गांवों की सूची जिला-उदयपुर

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम निरीक्षक वृत	नाम पटवार मण्डल	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	सलूम्बर	1. सलूम्बर	1. सलूम्बर	1. सलूम्बर 2. ईशरवास (डा) 3. डईला 4. ईशरवास (रा) 5. बिलियो का गुडा 6. मानपुरा 7. सुरो का कुआ 8. जोधसागर की भागल
			2. ओरवाडिया	1. ओरवाडिया 2. कानपुरा 3. देपुरा 4. तालाब
			3. करावली	1. करावली 2. आडावेला 3. मावड़सीमा 4. जाम्बूड़ा 5. भीमपुरा 6. नाहरपुर 7. बोड़ला 8. बटकुआ 9. गुरूओं का चिबोडा 10. रोडसिंह की भागल 11. बिल्ली मगरी
			4. गांवड़ापाल	1. गांवड़ापाल 2. जेलावत 3. उपलाफला
			5. खेराड़	1. खेराड़ 2. भैसोकानामला 3. तुलसोकानामला 4. रोबा 5. चाटपुर 6. चिबोडा 7. घाटी

1	2	3	4	5
				8. राठोडो का [illegible] 9. दौलतपुरा 10 कालीम[illegible]
			6. बस्सी	1. बस्सी झुझांवत 2. बस्सी जोयरा
			7. बस्सी सामचोत	1. बस्सी सामचोत 2. बस्सी सिंगावत 3. महादेव का खेडा
			8. अदकालिया	1. अदकालिया 2. कपुरावतों का वाडा 3. लकापा 4. भई 5. बुझाडा
		2. खरका	1. खरका	1. खरका 2. प्रतापपुरा 3. मोड़पुरा 4. धूलजी का गुड़ा
			2. गिंगला	1. गिंगला
			3. मेथडी	1. मेथडी 2. पाटन 3. पायरी 4. 'कैनपुरा 5. भैसों काना मला 6. जवारड़ा 7. सामतियोत
			4. उथरदा	1. उथरदा 2. कराकली 3. बांसा
			5. ईडाणा	1. ईडाणा 2. खाखरियाखेडी 3. कोटा 4. कांट 5. रतनपुरा
			6. सराड़ी	1. सराड़ी 2. पानीकोटड़ा 3. सियाला-कोटड़ा 4. एकलव्यनगर

1	2	3	4	5
			7. गुडेल	1. गुडेल 2. लोदा 3. जेतपुरा 4. पीपीया
			8. कड़ूणी	1. कड़ूणी 2. सिंगावली 3. दांतरडी
		3. बरोड़ा	1. बरोड़ा	1. बरोड़ा 2. नोली 3. रण्डेला 4. बारा 5. खीरावाडा 6. प्रेमनगर
			2. डगार	1. डगार 2. सुआवतो का गुडा 3. देवली 4. बान्दरवाडा
			3. ईण्टाली	1. ईण्टालीखेडा 2. परोडा 3. खण्डोरा 4. एमनियापाडला 5. जेमलपुरा 6. खेरोली
			4. अमलोदा	1. अमलोदा 2. मजावतो का गुड़ा 3. समोड़ा 4. नोखली 5. हीकावाड़ा 6. कार्यो का गुड़ा
			5. टोडा	1. टोडा 2. सालेया 3. खोडाव
			6. सेरिया	1. सेरिया 2. अगाटिया 3. थडा 4. थरोडा 5. अमराडुंगरी
			7. बामनिया	1. बामनिया 2. राणावतों का वाडा 3. रूआव 4. बिचलीमगरी 5. जोशीवाडा 6. गुड

1	2	3	4	5
			8. डाल	1. डाल 2. डांगीवाड़ा 3. करगेटा 4. धारोद 5. दूदर 6. वेश्मा 7. सुण्डियावाडा 8. भाणपुर 9. शोभावाडा 10. नामचोत
		4. भबराना	1. भबराना	1. भबराना 2. निम्बोदा 3. देवद
			2. जोधपुरखुर्द	1. जोधपुरखुर्द 2. जोधपुर कला 3. मूलगुड़ा 4. भागरोतो का गुड़ा 5. नयाटापरा 6. राठडी 7. सलकावतो का गुड़ा 8. गोपालपुरा 9. झीझणीकला 10. झीझणीखुर्द 11. देवलाकला 12. देवलाखुर्द 13. आमलवा 14. हड़मतियाखुर्द 15. काचरिया 16. श्यामपुरा 17. डगोचा 18. जाम्बूखेडा
			3. मानपुर "ए"	1. मानपुर "ए" 2. मानुपर "बी" 3. बड़ातालाब 4. मदेर 5. साजनोत 6. बुडेल
			4. मातासुला	1. मातासुला 2. झडाप 3. कोठार 4. सुथारिया 5. घटेड 6. क्याडा 7. सन्जेला 8. धावडी 9. ढूण्ढामहूड़ा

1	2	3	4	5
			5. कल्याणाकला	1. कल्याणाकला 2. कल्याणाखुर्द 3. पायरा 4. बोरीगामडी 5. भैरो का गुडा 6. बोरी 7. ढीकाढोला 8. हडमतियाकला 9. केरपुरा 10. आमलवा
			6. जेताणा	1. जेताणा 2. पानगामड़ा 3. वीरवाकला 4. गरडा 5. वीरवाखुर्द 6. कुबरेपुरा
			7. कराकला	1. कराकला 2. मनावता 3. कुण्डली 4. गामडी 5. नयागांव 6. लाऊवा 7. धोलापान का गुड़ा
		5. झल्लारा	1. झल्लारा	1. झल्लारा 2. माण्डली 3. धावड़ी 4. सालपुर 5. जोधपुरऊंची मगरी 6. सींगपुर 7. चौहाना का खण्डेला 8. भीमपुर बरबडी 9. बरबडीरावान
			2. शेषपुर	1. शेषपुर 2. साटोदड़ा 3. झरमाल 4. केन्नर 5. डांगीखेड़ा 6. भटवाड़ा 7. धोलागिरखेड़ा 8. ओड़ा 9. भाणोर 10. काजावाड़ा 11. गदैया 12. श्री मगरी

1	2	3	4	5
			3. बेड़ावल "ए"	1. बेड़ावल 2. सडामानपुर 3. सती की छोरी 4. जाम्बूड़ा 5. पणवा 6. कुकड़ा 7. सेलपुर 8. पावटी 9. भीमागांव 10. बुडेल
			4. बेड़ावल "बी"	1. खजूरी 2. कुण्ड़ा 3. वलियाखेड़ा 4. दोबड़िया 5. रमिणा 6. कालीपोल 7. ढ़ाईखेड़ा 8. वागो का गुड़ा 9. गागरी
			5. मालपुर	1. मालपुर 2. बरोलिया 3. काटमा 4. बरा 5. कगरा 6. भाण्डो का गुड़ा 7. बोरजमदावत 8. बाघपुर 9. बोरजतवरान्
			6. मोरिला	1. मोरिला 2. राजपुर 3. सामरजप 4. वेण 5. सरवड़ी
			7. बनोड़ा	1. बनोड़ा 2. वेरपुरा 3. सेलड़ी 4. नानगा 5. पायातलाब 6. हर
			8. देवगांव	1. देवगांव 2. खोलड़ी 3. कलूथड़ा 4. अखेपुर 5. नेड़ी भटवाड़ा 6. श्यामपुरा 7. तेजपुरा 8. नयागांव
	योग	5	39	250

1	2	3	4	5
2.	सराड़ा	1. सराड़ा	1. सराड़ा	1. सराड़ा 2. कछोटा 3. सेपुर
			2. पाल-सराड़ा	पाल-सराड़ा 2. धावड़ी 3. खरड़
			3. बलूआ	1. बलूआ
			4. सुरखण्डखेड़ा	1. सुरखण्डखेड़ा 2. मालर 3. कोलर 4. पण्डेर 5. हेमातो की भागल
			5. चावण्ड	1. चावण्ड 2. डेंकली
			6. निम्बोदा	1. निम्बोदा 2. डाकनबावड़ी 3. पालसेपुर 4. पालनिम्बोदा
			7. कातनवाड़ा	1. कातनवाड़ा 2. नालअलकार 3. माण्डवा 4. छाणी 5. खेरकी 6. अम्बाला
			8. खरबर	1. खरबर "ए" 2. खरबर "बी" 3. पाराई
			9. परसाद	1. परसाद 2. बल्दर 3. बोरीमलान 3. ढेलाई 5. डेलवास 6. बरौठी 7. नलीयावाड़ा
		2. सल्लाड़ा	1. सल्लाड़ा	1. सल्लाड़ा
			2. बड़गांव	1. बड़गांव 2. करेली 3. पड़तलीया 4. सेकड़ी 5. बाणाकला 6. बाणाखुर्द 7. नावड़ा 8. भैरवा 9. बड़गारी

1	2	3	4	5
			3. बड़ावली	1. बड़ावली 2. गोपालपुरा 3. मल्लाड़ा 4. सिंपुर 5. ढाणीसिपुर 6. टाण्डा 7. राताखेत
			4. ईण्टाली	1. ईण्टाली
			5. केजड़	1. केजड़ 2. नीमच 3. मायर
			6. सगतड़ा	1. सगतड़ा 2. ढाकरड़ा 3. उदपुरियाजागीर 4. उदपुरियाखालसा 5. बेहूती 6. चौकड़ा लिम्बड़ी
			7. थाणा	1. थाणा 2. डिंगरी 3. डायली 4. लालपुरा 5. केरपुरा 6. बण्डोली
			8. रठोड़ा	1. रठोड़ा 2. ओड़ा 3. लोहारिया 3. सगतपुर 4. चन्दोड़ा 5. खेरूआ 6. गुडियावाड़ा 8. निमड़ी
		3. सेमारी	1. सेमारी	1. सेमारी 2. दर्जनपुरा 3. लालपुरिया 4. ब्रहपुरी
			2. श्यामपुरा	1. श्यामपुरा 2. भीमपुर 3. उपलागुड़ा 4. बागथला 5. निचलागुड़ा 6. जूनपुरिया 7. जोधपुरिया

1	2	3	4	5
			3. कुराडिया	1. कुराडिया 2. करणपुरिया 3. जालमपुरा 4. गतौड़ा 5. नारायणपुरा 6. जगतपुरिया 7. अम्बारा 8. सेमथल
			4. घोड़ासर	1. घोड़ासर 2. जाम्बूड़ा 3. खड़
			5. सदकड़ी	1. सदकड़ीउपलाफला 2. निचलाफला सदकड़ी
			6. धनकावाड़ा	1. धनकावाड़ा
			7. टोकर	1. टोकर 2. कुण्डाल 3. महूवाल 4. कालीघाटी 5. रामपुर 6. सैयातभागल 7. कानपुर 8. पीपला भाटड़ा
			8. कुण्डा	1. कुण्डा 2. बोरी 3. ढाणी 4. वली 5. खाखरीया।
			9. भौंराई	1. भौंराई 2. शक्तावतों का गुड़ा
		4. पलोदड़ा	1. पलोदड़ा	1. पलोदड़ा 2. महूवाड़ा 3. देवाला
			2. सिंघटवाड़ा	1. सिंघटवाड़ा 2. पिपलदरा 3. एकलिंगपुरा 4. ओड़ा 5. केवड़ाकला 6. केवड़ाखुर्द 7. नाकोली 8. बाबरमाल 9. कृष्णपुरा

1	2	3	4	5
			3. नेवातलाई	1. नेवातलाई 2. भालडिया
			4. पाड़ला	1. पाड़ला 2. खाखादरा 3. कोटड़ी
			5. देवपुरा	1. देवपुरा 2. रेला
			6. अमरपुरा	1. अमरपुरा 2. जरियान 3. गिंगचीखेड़ा 4. पलूना 5. धावडिया 6. डांगीखेड़ा 7. नांदवी
			7. नठारा	1. नठारा 2. खोड़ीमहूड़ी 3. जालरदेवी 4. ससेई 5. मकात
		5. जयसमन्द	1. गातोड़	1. गातोड़ 2. गामड़ी 3. जाम्बूड़ा 4. पहाड़ी 5. बूटवास 6. महूड़ी 7. श्यामपुरा 8. पादरड़ा
			2. वीरपुरा	1. वीरपुरा 2. कन्तोड़ा 3. लालपुरिया 4. करोडिया 5. रेटगुरिया 6. बाबामगरा 7. भटवाड़ा 8. गांधीपुरा
			3. जावद	1. जावद 2. दवाणा 3. भारीया 4. वेलवड़ी

1	2	3	4	5
			4. अदवास	1. अदवास 2. बगरूआ 3. अजबरा
			5. सेमाल	1. सेमाल 2. मगराथोरी 3. नयाकुआं 4. मेन्दुड़ा 5. पियावड़ी 6. जूनीझर 7. छापरथोरी 8. नईझर 9. जूनाकुआं
			6. पीलादर	1. पीलादर 2. सरसियाकाड़ 3. सरसिया 4. मूण्डला 5. चन्दाजी का गुडा 6. बोवस
			7. झाड़ोल	1. झाड़ोल 2. ढाणीमेलाणा 3. बटूका 4. वेजपुर
	योग	5	40	188
3.	खेरवाड़ा	1. खेरवाड़ा	1. खेरवाड़ा	1. खेरवाड़ाछावनी 2. बन्जारिया 3. खाखादरा 4. थोबावाड़ा 5. खेरवाडाखालसा 6. परबीला
			2. कारछा	1. कारछाकला 2. कारछाखुर्द 3. खानीयालिमड़ी 4. बाघपुर 5. धारपुर 6. लाम्बापानवा
			3. जवास	1. जवास 2. जूथरी 3. सामीतेड़ 4. सरेड़ी

1	2	3	4	5
			4. खाण्डी-ओबरी	1. निचलाफला 2. उपलाफला 3. मुण्डवाड़ा "ए" 4. मुण्डवाड़ा "बी"
			5. सुबेरी	1. सुबेरी 2. वणीबोर
			6. लराठी	1. लराठी 2. वादीला
			7. कागदर	1. कागदर 2. माण्डवाफला कागदर 3. सामदर
		2. ऋषभदेव	1. ऋषभदेव	1. धूलेव 2. भाऊवा 3. थाणा 4. रायणा
			2. पीपली "ए"	1. पीपली "ए" 2. माकडजप 3. पीपली "बी" 4. कलालियाकाड़
			3. पादेड़ी	1. पादेड़ी 2. हाथिया 3. थापड़ावली
			4. कोजावाड़ा	1. कोजावाड़ा 2. परेड़ाचक "ए" 3. परेड़ा 4. जलपका 5. दामातलाब 6. माल 7. मगरा 8. नलापीपला 9. रामाबावड़ी 10. पांचापाडला
			5. भूदर	1. भूदर 2. रतनपुरा
			6. गड़ावत	1. गड़ावत 2. कलावत
			7. कीकावत	1. कीकावत 2. सोमावत

1	2	3	4	5
			8. कानूवाड़ा	1. कानूवाड़ा 2. अजलाईया 3. चीकला 4. घाटा 5. खूटानेरी 6. भड़दा 7. बिलखाई
		3. छाणी	1. छाणी	1. छाणी 2. धनोल
			2. कनबई	1. कनबई 2. सुखबावड़ी 3. कनबईचक-1 4. कनबईचक-2 5. जायरा 6. सुखापाड़ा
			3. बलीचा	1. बलीचा 2. गदूनिया 3. खेड़ाघाटी 4. राजनगर 5. गगांनगर
			4. पाटीया	1. पाटीया 2. चिकली 3. कानपुर 4. झांझरी 5. रेठड़ा 6. गुड़ा 7. भाणदा 8. बावरी 9. देमत
			5. डबायचा	1. डबायचा 2. वाव 3. भगोरापाड़ा 4. मालीफला 5. खड़काया 6. भोमटवाड़ा 7. जूवाखा 8. बोलसाठी 9. भगोरवाड़ा
			6. सुन्दरा	1. सुन्दरा 2. रोबीया 3. अरसोड़ावाड़ा 4. मीठीमहूड़ी 5. बायड़ी 6. लकोड़ा 7. पलसिया 8. महूदरा

1	2	3	4	5
			7. बड़ला	1. बड़ला 2. मोथली 3. पोगराकला 4. कटेवड़ी 5. जुसावाड़ा 6. पोखराखूर्द
		4. बावलवाड़ा	1. बावलवाड़ा	1. बावलवाड़ा 2. गराजा 3. महूडीया 4. राछ 5. पाडलीया 6. नवागरा 7. कुमारवाड़ा 8. राणावाड़ा 9. कातर
			2. ढीकवास	1. ढीकवास 2. मगरा 3. उमरा 4. वावाई 5. भलाई 6. समलाईपानवा 7. कानपुर 8. चिकलवास 9. भाखरा 10. कातरवासखूर्द
			3. बरोठी ब्राह्मणान	1. बरोठी ब्राह्मणान 2. सुवेदरा 3. काकरदा 4. देवनालकला 5. देवनालखूर्द 6. नीचलाथूरीया
			4. सुलई	1. सुलई 2. मोकरवाड़ा 3. उपलाथूरिया 4. खूणादरी 5. सामरूण 6. केलावाड़ा "ए" 7. केलावाड़ा "बी" 8. सारोली 9. भूवाल 10. हींका 11. झाड़ोल 12. केलवाड़ाजागीर 13. आकोट 14. भाणादरा
			5. सागवाड़ा	1. सागवाड़ा 2. गड़ावल 3. डवण 4. फूटालासामरेट

1	2	3	4	5
			6. कातरवास	1. कातरवासकला 2. चौकी 3. काटवी 4. बरोठीभीलान 5. निचलातलाब 6. लिलड़ी 7. गोहावाड़ा
			7. भाणदा	1. भाणदा 2. फूटाला 3. खूंटवाड़ा 4. जावली 5. घोघरवाड़ी 6. सलाला 7. भाटकी
		5. कल्याणपुर	1. कल्याणपुर	1. कल्याणपुर 2. बामनवाड़ा 3. रजौल 4. भगोर 5. जेतपुरा
			2. घोड़ी	1. घोड़ी 2. भीमपुर 3. टपाणा 4. वलेवड़ी 5. बाबरीखेड़ा 6. पानीसाला 7. ओड़ा 8. निचलामाण्डवा 9. उपलामाण्डवा 10. बरना
			3. ढेलाणा	1. ढेलाणा 2. गुमानपुरा 3. भलून 4. गुड़ा 5. पगारा
			4. पण्ड्यावाड़ा	1. पण्ड्यावाड़ा 2. कानपुर 3. देपुर 4. पहाड़ा 5. अमरपुरा 6. कटेव 7. मानपुर 8. महूवाड़ा 9. दौलपुरा 10. श्यामपुरा
			5. मसारो की ओबरी	1. मसारो की ओबरी 2. ओडवास

1	2	3	4	5
			6. खनमीन	1. खानमीन 2. करनाऊआ 3. कण्डाल
			7. गरनाला-कोटड़ा	1. गरनाला-कोटड़ा 2. उगमणाकोटड़ा 3. करजी 4. केसरपुरा 5. आथमणाकोटड़ा 6. बीछीवाड़ा 7. चोराई 8. घोडियावाड़ा
		6. पहाड़ा	1. पहाड़ा	1. पहाड़ा 2. बन्जारवाड़ा 3. खराड़ीवाड़ा
			2. डेरी	1. डेरी 2. चटोल 3. नगर 4. गोविन्ददेव 5. राणी 6. परमारवाड़ा 7. हर्सावाड़ा 8. गतराली 9. सातसागड़ा 10. डैयावाड़ा
			3. करावाड़ा	1. करावाड़ा 2. डेचरा 3. करावाड़ाचक-1 4. करावाड़ाचक-2 5. करावाड़ाचक-3 6. करावाड़ाचक-4 7. करावाड़ाचक-5
			4. सरेरा	1. सरेरा 2. इटावा 3. बम्बाला 4. महूवाल 5. बिचलाफला 6. भाटडिया 7. मालीफला 8. लक्ष्मणपुरा 9. चान्दपुरानराणा 10. भगोरफला 11. महूवाल "बी"

1	2	3	4	5
			5. नयागांव	1. नयागांव 2. मोड़ीवासा 3. असारीवाड़ा 4. महिड़ा 5. सकलाल 6. पीपोला 7. अनेला 8.चित्तोड़ा 9. हाथिया
			6. थाणा	1. थाणा 2. घाटी 3. वेलवा 4. खराड़ीवाड़ा 5. कातर 6. असारीवाड़ा 7. राणावाड़ा 8. करमाला 9. रेहटा 10. भीलवाड़ा 11. डामोरवाड़ा
	योग	6	42	257

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 107 का विवरण

परिशिष्ट-'क'

भूतपूर्व सैनिकों एवं युद्ध शहीदों के आश्रितों को प्रदत्त सुविधाओं का जिलेवार विवरण

(लाभार्थियों की संख्या)

क्र. सं.	जिला	द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को पेंशन	प्री-कारगिल शहीदों के आश्रितों को सम्मान भत्ता	कारगिल पैकेज के अन्तर्गत लाभार्थी
1.	अजमेर	1105	30	8
2.	अलवर	873	111	44
3.	भरतपुर	470	30	34
4.	बीकानेर	164	11	3
5.	बाड़मेर	31	12	4
6.	चूरू	891	39	24
7.	जयपुर	506	47	14
8.	जोधपुर	666	63	24
9.	झुन्झुनू	810	259	83
10.	जैसलमेर	40	05	6

1	2	3	4	5
11.	कोटा	300	06	2
12.	नागौर	1057	94	29
13.	पाली	428	10	4
14.	करौली	296	48	11
15.	सीकर	676	106	48
16.	उदयपुर	560	12	1
17.	श्रीगंगानगर	699	14	1
18.	भीलवाडा	-	-	2
19.	चित्तौडगढ़	-	-	3
20.	दौसा	-	-	3
21.	हनुमानगढ़	-	-	5
22.	राजसमन्द	-	-	1
23.	सवाई माधांपुर	-	-	2
24.	सिरोही	-	-	1
25.	टोंक	-	-	5
योग	योग	9572	897	362

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वर्ष 1985 से 2004 तक की अवधि में 5822 पूर्व सैनिकों को 33911 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1989 से 1999 तक की अवधि में 246 युद्ध विधवाओं एवं मरणोपरान्त शौर्य पुरुस्कर धारकों की विधवाओं को 1534 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई है।

सदस्य-सूची

सोमवार, 21 फरवरी, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या